बुधवार, 25 फ़रवरी 1981

6 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 8, बुधवार, 25 फरवरी, 1981/6 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से से 127 और 129	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 128, 131 से 138 और 140 से 144	...	20-27
अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 से 1244, 1246 से 1347, 1349 से 1354, 1356 से 1373 और 1375 से 1400	...	27-164
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	...	164
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	164-171
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	...	171
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	...	171
रेल अभिसमय समिति	...	172
पहला प्रतिवेदन	...	172
नियम 377 के अधीन मामले	...	172-176
(एक) उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने की आवश्यकता		
श्री बी० डी० सिंह	...	172-173
(दो) खाद्य तेलों तथा बनस्पति की कमी		
डा० बसन्त कुमार पण्डित	...	173-174

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) आदिवासियों, विशेषकर किनवात सेनेटोरियम सोसाइटी अस्पताल, किनवात, जिला नानदेड़, के लिये कल्याण कार्य

श्री उत्तम राठौड़ ... 174-175

(चार) गोरखपुर स्थित मदनमोहन मालवीय स्नातक इंजीनियरी कालेज को स्नातकोत्तर इंजीनियरी कालेज बनाये जाने के बारे में

श्री महाबीर प्रसाद ... 175

(पांच) राजस्थान के सूखाग्रस्त पाली जिला को राहत देने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा ... 175-176

(छः) आसनसोल के हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स में तालाबन्दी

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर ... 176

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री जगजीवनराम ... 176-183

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ... 183-190

श्री-मती संयोगिता राणे ... 191-192

श्री मनीराम बागड़ी ... 192-193

श्री सी० टी० दंडपाणि ... 193-200

डा० गुलाम यजदानी ... 200-203

श्री पी० राजगोपाल नायडू ... 203-206

श्री पीयूष तिरकी ... 206-207

श्री चिंतामणि पाणिग्रही ... 207-210

श्री महावीर प्रसाद ... 210-213

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 213-219

श्री सी० एम० स्टीफन ... 219-227

श्री चित्त बसु ... 227-230

श्री रामस्वरूप राम ... 230-235

श्री पी० नामग्याल ... 235

श्री जी० एम० बनातवाला ... 235-238

कार्य-मंत्रणा समिति ... 238
बारहवां प्रतिवेदन ... 238
आधे घन्टे की चर्चा ... 238-250
दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को विद्युत की सप्लाई ... 238.250
श्रीमती कृष्णा साही ... 238-340
श्री ए० वी० ए० गनी खान चौधरी ... 240-250
श्री सोमनाथ चटर्जी ... 243-250
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर ... 247-248

लोक सभा

बुधवार, 25 फरवरी, 1981/6 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि श्रमिकों के मामलों में श्रम कानूनो को लागू किया जाना

*121. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री बी. डी. सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के व्यावसायिक खतरों और उन्हें न्यूनतम मजूरी तथा कर्मकार प्रतिकर के भुगतान के मामले में श्रम कानूनों के लागू न किये जाने के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले कदम क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) ट्रैक्टरों या भाप आदि द्वारा चालित अन्य यंत्रों, से की जाने वाली खेती में नियोजित श्रमिक पहले से ही कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन आते हैं। कृषि में अन्य कई रोजगार जैसे जगल को साफ करना या भूमि को उपयोगी बनाना, पम्पिग उपस्करों का निर्माण, संचालन या मरम्मत या अनुरक्षण, आदि को पहले से ही ऐसे व्यवसाय माना गया है, जिनमें व्यावसायिक जोखिम अर्न्तग्रस्त हैं और राज्य सरकारों से सिफारिश की गई कि वे इनको अधिनियम की परिधि में लाएं। 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले से ही ऐसी कार्यवाही कर दी है और चार ने प्रारम्भिक अधिसूचनाएं जारी की हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन तथा इनके कार्यान्वयन के प्रश्न की श्रम सचिवों और मंत्रियों की बैठकों में लगातार पुनरीक्षा की जाती रही है। यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम के प्रवर्तन का एक मूल्यांकन अध्ययन किया जाये।

श्री जगपाल सिंह : मैं मन्त्री जी से जाना चाहता हूँ क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का

असेस्मेन्ट किया गया है कि कृषि मजदूर जो करोड़ों की संख्या में हैं या बॉंडेड लेबर हैं उनके हाथ-पैर जो मशीनों में कट जाते हैं उसके लिए कम्पेन्सेशन ऐक्ट या मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की व्यवस्था की गई ? यदि की गई है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों पर इन कानूनों के अधीन कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमन्, जैसा अभी विद्वान सदस्य को हमारी ओर से दिए गए उत्तर में बताया गया, इस सम्बन्ध में मूल्यांकन किया जा रहा है। वास्तव में यह एक चिन्तनीय विषय है। इसके सम्बन्ध में अभी कोई अखिल भारतीय आँकड़े हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं उस मूल्यांकन, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, के परिणाम स्वरूप इसके आँकड़े हमें मिल जायेंगे। जैसेकि आप और विद्वान सदस्य जानते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों पर है इसलिए हमारे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते।

श्री जगपाल सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कि जिस प्रकार से अपने औद्योगिक श्रमिकों के लिए लेबर कोर्सस की व्यवस्था की है क्या उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और ब्लाक स्तर पर भूमिहीन मजदूरों के लिए भी लेबर कोर्टस की व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हाँ, इस सम्बन्ध में अभी तक जो कुछ ऐक्ट लागू हैं जैसे वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट, उसमें संशोधन के लिए प्रस्ताव सामने आने वाले हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से राय ले ली गई है और मुझे आशा है निकट भविष्य में यदि सम्भव हो सका और सदन की आज्ञा हुई तो इसी अधिवेशन में अन्यथा अन्य अधिवेशनों में जब भी कार्य-परामर्शदात्री समिति इसके लिए समय निकालेगी, सम्बन्धित संशोधन अधिनियम इस सदन के समक्ष लाने का प्रयास किया जा सकेगा।

श्री वी. डी. सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों की भलाई को ध्यान में रखते हुए, उनको उचित मजदूरी मिल सके इसके लिए एक मिनिमम वेजेज ऐक्ट 1948 के पास हुआ था और उसके बाद डेट रिलीफ ऐक्ट पास हुआ। यह जो भी व्यवस्थायें की गई हैं, ऐसा महसूस होता है कि श्रमिकों के मजबूत संगठन के अभाव में, जो भी सुविधायें हम उनको देना चाहते हैं वह उनको मिल नहीं पाती है। स्टैण्डिंग लेबर कमेटी आल एग्रीकलचर लेबर ने पिछली 9 जूलाई को एग्रीकल्चर लेबर के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि किसानों के भी ट्रेड यूनियन टाइप संगठन होने चाहिए और जो नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर बना उसे भी इस बात को एडवोकेट किया है कि एग्रीकल्चर में भी इण्डस्ट्रियल टाइप ट्रेड यूनियन्स होनी चाहिए। इसमें जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि कृषि श्रमिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए या ट्रेड यूनियन टाइप यूनियन बनाने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन, जो विद्वान सदस्य ने संक्षिप्त इतिहास दिया है, वह ख़बर सही है, और इस प्रकार की कुछ संस्तुतियां हुई हैं। इसलिए हमारा यह प्रस्ताव है कि जो ट्रेड यूनियन के एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनमें हम संशोधन करें ताकि ग्रामीण मजदूर संगठित

हो और उनको अधिक सहूलियत मिल सके तथा संगठित होने के अधिक अवसर मिल सके। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि संसदीय समिति में जो सुझाव दिया गया था उसको मानते हुए छठी योजना में 75 लाख रु. का प्रावधान किया गया है, ताकि इस प्रकार की जो ट्रेड यूनियन्स हैं, श्रमिकों के और कृषि श्रमिकों के, उनको संगठित करने का कार्य प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री बी. के कोडियन : गत जुलाई में इस सदन में भूतपूर्व श्रम मन्त्री श्री अन्जइशाह ने कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इस उद्देश्य के लिए एक व्यापक कानून बनायेगी। मैं यह भी समझता हूं कि असंगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में गठित केन्द्रीय स्थायी समिति पहले ही इस समस्या पर विचार कर चुकी है और उन्होंने भी प्रारूप विधेयक की सिफारिश की है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि यह प्रस्तावित व्यापक कानून संसद में कब तक पुरः स्थापित किये जाने की सम्भावना हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी : मैंने माननीय सदस्य श्री बी. डी सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न से उत्तर में अभी-अभी यह बताया है कि एक व्यापक कानून बनाने का हमारा विचार हैं और इस सदन में मेरे पूर्वाधिकारों ने जो भी आश्वासन दिया है, हम उसके प्रति पूरी वरह वचनवद्ध हैं।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, आज हिन्दुस्तान में कई वर्षों से यह बात हो रही है कि कृषि मजदूरों के लिए कानून लाया जाएगा। जो यहाँ पर भूतपूर्व मन्त्री थे, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार का कानून लाया जाएगा। अब आप बता दीजिए कि मिनिमम वेजेज-एक्ट के नीचे और कम्पैंसेटरी एक्ट के नीचे कितने लोगों को सजा हुई है या यह कानून सिर्फ एक्टेंबूट बुक तक ही सीमित रहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं बनता है।

चीन द्वारा पाकिस्तान में हवाई अड्डों का निर्माण

*122 **श्री पी. राजगोपाल नायड़ :**

श्री राम स्वरूप राम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान में बनाये जा रहे बारह हवाई अड्डों के बारे में पता है जिनका उपयोग भारत के विरुद्ध किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार को चीन द्वारा भारत की उत्तरी सीमा में विशेष दस्ते जमा करने तथा सीमा पर पाकिस्तानी सेना की सहायता करने का भी पता है; और

(ग) यदि हाँ, तो हमारे पड़ोसियों के सैनिक मनसूबों का मुकाबला करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सरकार की जानकारी मे यह बात आई है कि पाकिस्तान नये हवाई अड्डे बना रहा है और कुछ हवाई अड्डों की, जो अभी उपयोग में नही लाये जा रहे हैं, मरम्मत आदि भी की जा रही है। सरकार को इस बात की सूचना है कि चीन पाकिस्तान को सहायता दे रहा है।

(ख) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट समाचारो में देखी है।

(ग) हमारे सुरक्षा परिवेश में हो रही मौजूदा और संभावित घटनाओं को सरकार

ध्यान में रखती है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समुचित कार्रवाई करती है। इस बारे में अधिक ब्यौरे देना लोक हित में नहीं है।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने इन चीजों के बारे में पाकिस्तान और चीन से विरोध प्रकट किया है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान और चीन से विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा है। सरकार यह जानती है कि सैनिक मामलों में पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग है और सरकार यह अनुभव नहीं करती कि केवल विरोध प्रकट करने का कोई परिणाम निकलेगा लेकिन अनौपचारिक रूप से हम यह कहते रहे हैं कि अच्छे संबंध बनाए रखने और विश्व के इस भाग में और हमारे देश में शान्ति बनाए रखने के लिए यही बेहतर रहेगा कि इस प्रकार की सहायता न दी जाये।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या सरकार इन मशीनीकरणों के विरुद्ध हमारी सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : जो कुछ भी आवश्यक है वह किया जा रहा है।

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उसका सीरियस जवाब नहीं दे रहे हैं। चीन एक विस्तारवादी नीति वाला देश रहा है, उसकी मदद से पाकिस्तान में सैनिक हवाई-अड्डे बनाये जा रहे हैं—मंत्री जी का कहना है कि वे हवाई अड्डे यूज में नहीं रहे हैं या उनका यूज नहीं हो रहा है—ऐसी इन्फर्मेशन है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ—क्या सरकार इनके बारे में डीटेल्ड जानकारी रखती है कि जो सैनिक हवाई अड्डे बन रहे हैं—वे विश्व शान्ति के लिए या भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं ? दूसरा प्रश्न...

अध्यक्ष महोदय : एक सवाल पूछिये, दो नहीं।

श्री रामस्वरूप राम : भविष्य में चीन की विस्तारवादी नीति ज्यादा फैले और चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन निकट भविष्य में भारत के लिए खतरा न बन सके, इस दृष्टि से उनके मंसूबों को चूर करने के लिए तथा उनका जवाब देने के लिये हमारी कोई प्लानिंग है या नहीं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : सम्माननीय सदस्य ने जो उत्तर पढ़ा है, उसको दूसरे प्रश्न के साथ जोड़ने की वजह से उनका ऐसा मत बन गया है कि हमने बतलाया है कि सरकार को इस की जानकारी नहीं है कि वे उन हवाई-अड्डों को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमने पहले प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि सरकार को इसकी जानकारी है कि वहाँ पर जो एअर-फील्ड्स बन रहे हैं उनमें चाइना की मदद हो रही है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है उसमें हमने बतलाया है कि इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने यह भी बतलाया है कि हम यह जरूर ध्यान में रखते हैं कि किस देश का किस देश के साथ कैसा सम्बन्ध है और उसके परिणाम हमारे ऊपर या संसार के इस हिस्से पर क्या होने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखकर जो भी तैयारी करनी होती है या जिस प्रकार के कदम उठाने होते हैं, वे उठाए जाते हैं और उठाये जा रहे हैं। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि डिप्लामेटिकली दूसरे तरीकों से भी यहां पर शान्ति कायम रखने के लिए जो भी प्रयत्न जरूरी हैं, वे किये जा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : प्रश्न का भाग (क) यह है : क्या सरकार को पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाये जा रहे उन बारह हवाई हड्डों की जानकारी है जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में यह बताया है कि सरकार को चीन द्वारा दी जा रही सहायता की जानकारी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान में कोई चीनी हवाई अड्डा है या चीन द्वारा निर्मित कोई हवाई अड्डा है। माननीय मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर को देखते हुए क्या सरकार हवाई अड्डों के निर्माण के लिए सोवियत संघ और अन्य देशों से सहायता लेगी ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने कहा है कि पाकिस्तान में हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं और जहाँ तक कुछ अड्डों का संबंध है, चीन इस काम में सहायता कर रहा है। इससे यह आवश्यक नहीं हो जाता कि हमें अन्य देशों से सहायता माँगनी चाहिए। मेरे विचार में अपने हितों की रक्षा करना हमारे लिए संभव है, और हम वही कर रहे हैं। बाहर से सहायता माँगने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं देता।

श्री मनीराम बागड़ी : इसका जरा क्लैरीफिकेशन होने दीजिये।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने चीनी अड्डों के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने सहायता की बात की है।

श्री माधवराव सिंधिया : क्या यह सच है कि पाकिस्तान एक रसायन नर्व गैस क्षमता विकसित कर रहा है और क्या इन हवाई अड्डों का इस्तेमाल इस क्षमता को भारतीय लक्ष्यों पर प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं निवेदन करता हूँ कि इस प्रश्न का विचाराधीन विषय से कोई संबंध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खड़े हुए :

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसमें से कोई भी।

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में निर्णय कर लीजिए।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उनसे छोटा हूं अतः मेरा हक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किसको बुला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों तय कर लीजिए कि कौन बोले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपस में तय करने में तो टाइम लगेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री ने सदन को सूचित किया है कि इस मामले में पाकिस्तान या चीन से कोई भी औपचारिक विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मैं मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या वह ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग का विकास अभी उस सीमा तक नहीं पहुँचा है जहाँ औपचारिक विरोध आवश्यक हो, और क्या यह सच है कि पाकिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे पर कोई चीनी विमान या चीनी विमान चालक नहीं है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : यदि कोई देश ऐसा कोई काम करता है जिससे हमारे देश के

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया गया।

हितों को सीधी हानि पहुँचती है और यदि उस पर कोई आपत्ति की जा सकती है तो विरोध प्रकट किया जाता है। इस मामले में वे केवल एक दूसरे के साथ सहयोग और सहायता कर रहे हैं। और यदि उनके आपसी सहयोग और सहायता पर आपत्ति करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, और यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत और उन परिस्थितियों में, जिनके अन्तर्गत एक देश ने दूसरे के साथ सहयोग किया है, ऐसा किया जा सकता है तो वह किया जाता है। लेकिन इस मामले में तो वे एक-दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और एक-दूसरे की सहायता कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि उनसे ऐसी परिस्थितियों के निर्माण में सहायता नहीं मिलेगी जो विश्व के इस भाग में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने उनसे यह पूछा है कि क्या पाकिस्तान इनमें से किसी हवाई अड्डे पर कोई चीनी विमान चालक है या इनमें से कोई अड्डा चीनी अड्डा है। क्या उन्हें कोई सूचना है ?

श्री शिवराज पाटिल : ये सब ब्यौरा देना ठीक नहीं रहेगा।

श्री मनीराम बागड़ी : असल में ये खबरें तो सरकारें खुद छपवा देती हैं। मैं रक्षा मंत्री जी से एक सवाल करूंगा कि क्या भारत पाक और बंगला देश, इन तीनों का एक मुस्तरका ज्वाइन्ट डिफेन्स बन सके और इन सब का एक लूज कॉफीडरेशन बन सके, इस किस्म के हालत पैदा करने के लिए क्या कोई पहल हिन्दुस्तान करने को तैयार है? ... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप चारों तरफ देख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बुलाया है।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों में से एक तो बोल चुके हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : क्वेश्चन आवर एक मजाक सा बन गया है। आपने इनको नहीं बुलाया और कह दिया कि दोनों में से एक प्रश्न पूछ लें।

अध्यक्ष महोदय : आप यहाँ मुझे मार्ग निर्देशन नहीं दे सकते। मैंने स्वयं देखना है कि क्या उचित है और क्या नहीं, मैं श्री गुप्त के महत्व को जानता हूँ।

डा. कर्णसिंह : महोदय क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूँ कि (क) क्या इस प्रश्न में जिन हवाई अड्डों का उल्लेख आया है उनमें से कोई पाकिस्तान द्वारा कब्जा किये हुए कश्मीरी क्षेत्र में बनाया गया है और (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सामान्यत, इस पर विरोध प्रकट करना आवश्यक नहीं समझा है। क्या वे सब विरोध प्रकट करेंगे जब वे पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में होंगे क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यह कहता है कि कश्मीर पर अपने दावे को बार-बार दोहरा कर वह शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसने यही रुख अपनाया हुआ है। हमारा कहना यह है कि कानूनी और संवैधानिक रूप से समूचा जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय क्षेत्र है और यदि इस क्षेत्र में कोई अड्डा बनाया गया है तो क्या माननीय मंत्री सदन को यह बतायेंगे कि क्या सरकार पाकिस्तान से विरोध प्रकट करेगी या नहीं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : यदि उस क्षेत्र में कुछ किया जाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है तो हमें विरोध प्रकट करने का पूरा अधिकार है और यदि इस प्रकार का कोई कार्य पहले किया गया था तो हमने उसका विरोध किया था। यहाँ इस समय पूरा ब्यौरा बताना उचित नहीं है और हम वह नहीं बतायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न का एक भाग जो पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में अड्डे बनाये जाने से सम्बन्धित है और जो पूछना चाहता था मेरे मित्र पूछ चुके हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि ये हवाई अड्डे जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है हमारे उस क्षेत्र में तो स्थित नहीं है जो चीन के कब्जे में है यदि हां तो क्या हमने अपना दावा छोड़ दिया है यदि नहीं तो हमने हाल ही में हुए गुटनिर्पेक्ष सम्मेलन में यह उल्लेख क्यों नहीं किया कि चीन ने हमारे देश पर कब्जा जमाया हुआ है ? हमने कितने ही अन्य लोगों के बारे में उल्लेख किया है परन्तु हमने इस बात का उल्लेख कभी नहीं किया है कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर भी अधिकार किया हुआ है जहाँ अड्डों का निर्माण किया गया है (व्यवधान) इस मामले में हमारी बहुत रुचि है। आप इस बारे में कृपया कुछ बतायें।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं इस माननीय सदन के समक्ष यह बिल्कुल स्पष्ट कर दू कि जहाँ तक रक्षा का सम्बन्ध है कुछ बातें ऐसी होती है जिनपर खुले आम चर्चा की जा सकती है लेकिन कुछ अन्य बाते एसी भी होती हैं जिन पर खुले आम चर्चा नहीं की जा सकती। यदि हम यह बात यहाँ बताते हैं तो केवल इसलिए कि हमें इस सदन में बैठे हुए सदस्यों पर पूरा विश्वास है लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वह सूचना हमारे बाहरी विपक्षियों द्वारा हमारे खिलाफ ही ही इस्तेमाल नहीं की जायगी। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना पड़ा है। केवल इसी बात को देखते हुए हम ये सब ब्यौरा यहाँ नहीं बताते। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दे सकते, अर्थात क्या उन्हें ऐसे अड्डों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जो हमारे क्षेत्र के उस भाग में बनाये गये हैं जो चीन के कब्जे में हैं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने अपना उत्तर अभी पूरा नहीं किया है। हमारे विद्वान साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत जटिल प्रश्न पूछा है शायद उस प्रश्न में पूछी गई प्रत्येक बात का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है यह इस प्रश्न से नहीं उठता। (व्यवधान) यदि मैंने अपना उत्तर पूरा कर लिया हो तो वे आपत्ति कर सकते हैं। जब तक मैं अपना उत्तर पूरा न कर लूं, उनकी आपत्ति बेकार है। मैं यह कह रहा था कि हमने कश्मीरी क्षेत्र पर से अपना दावा छोड़ा नहीं है। लेकिन हमने गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन में क्या रुख अपनाया और अन्य सभी ऐसी बातों की चर्चा करना इस प्रश्न की चर्चा चर्चा करते समय आवश्यक नहीं है। यदि पृथ्वी पर होने वाली प्रत्येक बात की चर्चा इस प्रश्न के अन्तर्गत करने का प्रयास किया जायेगा तो यह बहुत कठिन होगा।

श्री मंगीराम बागड़ी : गान-एलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में सदन में नहीं बताना, यह सदन का अपमान है। यह कैसे हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 123। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने से लगातार इन्कार क्यो कर रहे हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह बात उनकी जानकारी में है या नहीं। यदि वे नहीं जानते तो उन्हें यह बात कह देनी चाहिए। वह प्रश्न के उस भाग का उत्तर दे सकते हैं कि क्या इनमें से कोई अड्डा हमारे उस क्षेत्र में स्थित है जो पाकिस्तान या चीन के कब्जे में है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने यह कहा है कि हम पूर्वोपाय कर रहे हैं। प्रत्येक बात बात पर यहां चर्चा करना हमारे राष्ट्र के हित में नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : जब वे अड्डे बना लेंगे तो आप क्या पूर्वोपाय कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पाटिल को यह मालूम नहीं है कि श्री बीजू पटनायक ने इस बारे में बहुत से अनुसंधान किये हुए हैं। (व्यवधान)

इलेक्ट्रानिक उद्योग को लाभ

*123 श्री अरविन्द नेताम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में इलेक्ट्रानिक उद्योग को वित्तीय व्यवस्था, आयात लाइसेंस, आयात शुल्कों में कटौती के मामलों में प्राथमिकता नहीं दी जाती जबकि सेमी कंडक्टरों, ट्रांजिस्टरों के मूल्य गत 6 महीनों में लगभग 25% कम हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस श्रम-प्रधान उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लाभ देने का है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) : सरकार निश्चय ही इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास को प्राथमिकता देती है। अतः सरकार औद्योगिक, आयात तथा वित्तीय नीतियां बनाते समय इस उद्योग की आवश्यकताओं का सम्यक् रूप से ध्यान रखती है। उदाहरण के तौर पर, "इलेक्ट्रानिक सघटक-पुर्जे तथा उपस्कर" नामक उद्योग फरवरी 1973 की औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किए गए। उद्योगों में से एक है। यह उल्लेखनीय है कि आज यही लाइसेंसिंग नीति लागू है। उस परिशिष्ट में ऐसे उद्योगों की सूची दी गई है जो 'मूलभूत हैं निर्णायक किस्म के हैं और अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए जिनका अत्यधिक महत्व है'। जहां तक आयात विशेष लाइसेंस प्रदान का करने सम्बन्ध है, हालांकि कई रासायनिक द्रव्यों और उनसे सम्बद्ध पदार्थों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, फिर भी जहां इन रसायनों का उपयोग इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए आशयित होता है, वहां वर्ष 1980-81 की आयात नीति में इस बात की अनुमति दी गई है कि इन वस्तुओं का आयात लाइसेंस के आधार पर किया जा सकता है। जहां तक आयात शुल्क का प्रश्न है, वर्ष 1980-81 के संघीय बजट में इलेक्ट्रानिक सघटक-पुर्जों के उत्पादन के लिए पूंजीगत माल की 100 मदों पर आयात शुल्क घटा दिया गया, जिसके फल स्वरूप जहां 40% तथा 136% के बीच आयात शुल्क लगाया जाता था वहां उसे घटा कर 25% की समान दर के स्तर पर ले आया गया। इसके अतिरिक्त ऐसी 59 कच्ची सामग्रियां/संघटक पुर्जे जो स्वदेशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं थे, पर पहले 45% तथा 250% के बीच लगने वाले आयात शुल्क को घटा कर उसके स्थान पर 45% शुल्क की मूलभूत दर लागू की गई। वर्ष 1980-81 के बजट में इलेक्ट्रानिकी उद्योग के लिए संयंत्र तथा उपस्करों पर प्रभारित मूल्य-ह्रास की दर भी बढ़ा दी गई और उस समय तक प्रचलित 10% की मूल्यह्रास की दर बढ़ा

कर 20% कर दी गई, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक परियोजनाओं के वित्त-पोषण में आसानी हो गई। सरकार की वित्तीय तथा आयात नीतियों, जिनमें इलेक्ट्रानिकी उद्योग मे संबंधित नीति शामिल है, को बदलती हुई आवश्यकताओं के प्रकाश में और इस उद्योग को सरकार जो प्राथमिकता प्रदान करती है, उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

श्री अरविन्द नेताम : मुख्य उत्तर में यह कहा गया है कि 1980-81 के बजट में रियायतें दी गई हैं। यह इलेक्ट्रानिक युग है और यह बहुत अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। यह विदेशी मुद्रा भी कमाता है। यह किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अन्य छोटे देश भारत की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। हाँगकांग लगभग 1,040 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है, दक्षिणी कोरिया 1,120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है सिंगापुर 810 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है जबकि भारत केवल 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है। इस उद्योग के लिए सभी वैज्ञानिक विषयों में काफी गुंजाइश है। मेरा विचार है कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष दी गई रियायतें तथा लाभ बहुत अपर्याप्त हैं। इसलिए, मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या वह अन्य उद्योगों से इस उद्योग की सम्बद्धता को समाप्त करेगी तथा इस उद्योग के तीव्र विकास तथा उन्नति के लिए अलग उदार नीति बनाएगी ?

प्रो मधु दण्डवते : प्रश्न में एक मुद्रण संबंधी गलती है। प्रश्न प्रधान मंत्री के नाम है। परन्तु यहाँ पर कहा गया है 'उनके मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता'। यह गलत है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा इसके यथोचित विकास तथा उन्नति के लिए कदम उठाए गए हैं। इस उद्योग के विषय में क्या किया जा सकता है तथा क्या नहीं किया जा सकता है यह बाद में बताया जाएगा इसके लिए सदस्यों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य : यह उचित उत्तर नहीं है।

श्री अरविन्द नेताम : मुख्य उत्तर में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रानिक पुर्जों के उत्पादन तथा कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी रियायतें और लाभ दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि आधारभूत निर्देशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्याख्या सभी स्तरों पर ठीक ढंग से नहीं की गई है तथा क्या इसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल की प्राप्ति में देर हो रही है तथा सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिक उद्योग में बाधा पड़ रही है। मेरे पास एक सूचना आई है कि कुछ मण्डलीय उत्पाद-शुल्क प्राधिकरणों द्वारा कुछ समेकित सरकिटों पर छूट दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि कुछ अन्य उत्पाद,शुल्क प्राधिकरणों द्वारा यह उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है।

श्री शिवराज वी. पण्टिल : मैं नहीं समझता कि जारी किए गए विभिन्न नियमों, विनियमों तथा आदेशों की विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। परन्तु यदि आदेशों, विनियमों तथा नियमों की विभिन्न व्याख्याए की गई हैं, और नियमों की व्याख्या किसी विशिष्ट ढंग से किस प्रकार की गई है, इसे स्पष्ट करने के लिए यदि कुछ किया जा सका तो निश्चय ही किया जाएग।

दिल्ली में नेत्रहीनों पर लाठी-प्रहार

124. **स्वामी इन्द्रवेश :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी, 1981 को उन नेत्रहीन व्यक्तियों पर लाठी प्रहार किया था जो अपनी समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन देने के लिए प्रधान मंत्री के निवास पर गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों को चोटें पहुंची;

(ग) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वामी इन्द्रवेश : मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह वास्तविकता से उलटी है। देश के सारे अखबारों में दो जनवरी की खबरें छपी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिये।

स्वामी इन्द्रवेश : क्या दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी 1981 को इन नेत्रहीन व्यक्तियों पर लाठी प्रहार किया था···

अध्यक्ष महोदय : पढ़ने का हक नहीं है।

स्वामी इन्द्रवेश : यह साल अन्तर्राष्ट्रीय विकलांक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सारे देश में विकलांगों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है जिसके आधार पर सारे देश में लोगों की पिटाई करके उनको विकलांग बनाया जा रहा है ?

भागलपुर में भी ऐसा किया गया है। और जगहों पर भी लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। मन्त्री महोदय कोई संख्या बताएंगे कि कितने विकलांग वह इस साल में बताएंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले बताया है कि यह सवाल ही नहीं उठता है। जो सवाल है वही गलत है।

स्वामी इन्द्रवेश : मन्त्री जी जो जानकारी दे रहे हैं यह देश के समाचार-पत्रों में छपे समाचारों के विरुद्ध जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मन्त्री जी ने उन पत्रों पर कोई मुकदमा चलाया है जिन्होंने ये समाचार छापे हैं कि यहां पर लाठी चार्ज हुआ है और इस ढंग से नव्वे लोग गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : अखबारों में समाचार छपने के दूसरे दिन ही पुलिस कमिशनर ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया था। वह भी छपा है।

श्री राजेश कुमार सिंह : यह मानवता का प्रश्न है। पिछले साल 16 मार्च को भी दृष्टि-हीनों पर लाठी चार्ज हुआ था, उनको मारा पीटा गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं विनम्र निवेदन के द्वारा मन्त्री जी से आग्रह करने जा रहा हूँ

कि वह बताएं कि नव वर्ष का क्या यह एक तौफा था जो उनको दिया गया ? अन्तर्राष्ट्रीय विक्लांग वर्ष के पहले ही दिन दिल्ली पुलिस के जवानों ने तिलक मार्ग थाने के ठीक सामने दृष्टिहीनों को बड़ी बुरी तरह से पीटा था। यह चीज समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। इसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। एक दृष्टिहीन को तो चार जवानों ने ऊपर उठा कर फेंक दिया था, उनकी पिटाई की थी, उन पर लाठी चार्ज किया था।

मन्त्री महोदय क्या हाउस को आश्वासन देगें कि ऐसे शान्ति प्रिय प्रदर्शनों पर पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्यवाई की जाती है खास तौर पर विक्लांगों पर, भविष्य में इस तरह का कोई रवैया अख्त्यार न किया जाए ? क्या ऐसे कोई निर्देश वह पुलिस को देने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द मकवाना : मैंने पहले ही बताया हैं कि ऐसी कोई गटना नहीं घटी है। प्रोसैशन जरूर निकला था। अखबारों में जब यह समाचार छपा था तो उसके बाद पुलिस कमिशनर ने इसका खण्डन किया और वह भी अखबारो में छपा। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अखबार तो ठीक हैं लेकिन विदेशों की जो एजंसियाँ हमेशा हमें बदनाम करने में लगी रहती हैं उनमें से भी एक ऐसी एजेंसी बी.बी.सी जो कभी भी जब कोई घटना घटती है उसका जिक्र करती है, उसने भी इसके बारे में अपने बुलेटिनों में कहा कि पुलिस ने इस समय बहुत रेस्ट्रैंट करता, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, उसके पास कोई बैटन, लाठी वगैरह नहीं थी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मन्त्री महोदय को क्या इस प्रकार की कोई लिखित सूचना मिली थी कि तीस जनवरी को नेत्रहीनों के प्रदर्शन की खबर सुन कर तालकटोरा स्थित किसी राजनेता के मकान पर कुछ अर्द्ध सैनिक संगठनों से सम्बन्धित और कुछ राजनीतिक दलों से सम्बन्धित व्यक्तियों की बैठक हुई थी जिसमें यह निश्चय किया गया था···

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इससे सम्बन्ध रखता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जहाँ यह निर्णय लिया गया कि नेत्रहीनों के इस प्रदर्शन का लाभ उठाकर शान्ति-व्यवस्था भंग की जाये और ऐसी स्थिति पैदा की जाये जहाँ नेत्र-हीनों को किसी तरह प्रदर्शन में हिंसा में उकसाया जा सके। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की कोई सूचना मन्त्री जी को 30 जनवरी को मिली थी ? (व्यवधान) मन्त्री जी, जवाब देने के लिए तैयार हैं, सूचना गई है। (व्यवधान) श्रीमन्, सूचना गई है, मंत्री जी से पूछिये। (व्यवधान)

सूचना मिली है मन्त्री जी को कि नेत्रहीनों के प्रदर्शन में शान्ति व्यवस्था भंग करने के लिए कुछ अर्द्ध-सैनिक और राजनीतिक दलों से सम्बन्धित···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे रहे हैं वह ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हां, दे रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : संभव हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : संभव हो सकता है, यह क्या जवाब है ? (व्यवधान) आपको इसे रिकार्ड करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।संभव हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : संभव क्या चीज होती है ? (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : वह गृह मन्त्री हैं; वह जोकर नहीं हैं···(व्यवधान) उन्हें इसे वापस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह-मन्त्री जी से कहूंगा कि इस तरह के ऊट-पटांग प्रश्न का जवाब इस तरह इस ढंग से मत दीजिये, आप होम मिनिस्टर हैं। सभव हो सकता है, यह नहीं कहना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह 2 तारिख का अखबार मेरे पास है। दो अखबार हमको मिले हैं एक टाइम्स आफ इण्डिया और दूसरा इण्डियन एक्सप्रेस। इनमें देखिये फोटो छपी है। क्या यह फोटो भी किसी दूसरे लोगों ने खींचा है। इसमें स्पष्ट है कि डंडा चार्ज किया गया लाठी चार्ज किया गया। उन्हें फेंका जा रहा है, उस दिन के अखबार के मुताबिक।

अध्यक्ष महोदय यह तो जवाब आ गया है, राम विलास जी।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, जवाब गलत है,* बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री मलिक एम. एम. ए. खां : अध्यक्ष महोदय * बोलते हैं "अनपार्लियामेंटरी है, इसको एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बंधा नहीं डाल सकते।

श्री राम विलास पासवान : यह 2 तारीख का अखबार है जिसका इसमें हवाला दिया है, जिसके सम्बन्ध में कहा है कि पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट है। इसमें खबर है कि रिपोर्ट के मुताबिक जंतर-मंतर के नजदीक उनको बुरी तरह पीटा गया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन लोगों ने हमला किया, अंधों ने हमला किया, तो इसलिए ऐसा किया गया।

जो मन्त्री जी ने जवाब दिया है, वह सदन को गुमराह करने वाला है। एक तरफ सरकार कहती है कि विकलांग को यह करेंगे और दूसरी तरफ नववर्ष के अवसर पर उपहार के रूप में उन पर लाठी चार्ज किया गया।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो अखबार में निकला है, इस फोटो की तरफ उनका ध्यान गया है क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया, इस बात का खंडन किया गया है। 2 तारीख को पुलिस कमिश्नर ने प्रस नोट दिया, उसमें इन सब बातों का खण्डन किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अखबार में लिखी हुई सारी बातें सही नहीं होती (व्यवधान)

श्री योगेन्द्र मकवाना : सही बात यह है कि पुलिस ने भी रेस्ट्रेन किया (व्यवधान) पुलिस ने कहा कि आगे नहीं जा सकते, फिर भी इस केस में जीमखाना तक उन लोगों को आने दिया गया। उसके बाद पुलिस ने बड़े रेस्ट्रेन से कहा * कि 3,4 आदमी जाकर मैमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें मैमोरेंडम नहीं देना है, सबको जाना है, मिलना है। इसलिए अरेस्ट करना पड़ा।

तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन पर ले जाने के बाद उन्होंने तूफान किया, बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा पायट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें पायट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

इसके लिए डायरेक्शन 115 है। आप उसके अण्डर लिख कर भेजिये। उसके जरिये क्लैरिफिकेशन सीक की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : देश के सब अखबार झूठे हो गये, फोटो भी झूठे हो गये ! सिर्फ यह सच कहते हैं ! (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वैस्चन। डा. वसन्त कुमार पंडित।

मध्य प्रदेश को मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंस

*125 : डा. वसंत कुमार पंडित :

श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गये और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जायेगी,

(ख) उपरोक्त में से कितने उद्योग और कौन से उद्योग गैर-सरकारी संयुक्त और सरकारी क्षेत्र में हैं,

(ग) उन लाइसेंसों के अधीन वास्तव में कितने उद्योग स्थापित किये गए हैं,

(घ) अन्य उद्योग अभी तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं और

(ङ) उनकी शीघ्र स्थापना के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1978 से 1980 की अवधि में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए 33 औद्योगिक लाइसेंसों को स्वीकृति दी गई। ये धातुकार्मिक उद्योग, विद्युत उपकरण उर्वरकों, रसायनों, वस्त्रों; कागज, चीनी, खाद्य उत्पादों, सीमेंट, टिम्बर उत्पादों, विविध उद्योग, यांत्रिक और इन्जीनियरिंग उद्योगों आदि जैसे अनुसूचित उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं से संबंधित हैं।

(ख) क्षेत्र	वर्ष 1978 से 1980 के दौरान स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
निजी क्षेत्र	29
राज्य औद्योगिक विकास निगम	3
सरकारी क्षेत्र (केन्द्रीय+राज्य)	1

(ग) 7 औद्योगिक लाइसेंसों पर अमल शुरू हो चुका है।

(घ) और (ङ) आशय पत्र की वैधता अवधि एक वर्ष की होती है, जबकि औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि दो वर्ष की होती है। उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति, जिसे कोई लाइसेंस जारी किया गया है, उपयुक्त समय सीमा के अन्दर (या इस प्रकार बढ़ाई हुई समय सीमा में जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया

हो) एक नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने में असमर्थ रहता है या ऐसे उपक्रम की स्थापना के लिए प्रभावी अभ्युपाय नहीं करता है तो केन्द्रीय सरकार लाइसेंस को रद्द कर सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाये कि कार्यान्वयन के लिए कोई भी प्रभावी अभ्युपाय नहीं किये गये हैं।

2. चूंकि औद्योगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में दो वर्ष या अधिक समय लग जाता है, इसलिये उपर्युक्त कुछ लाइसेंस कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हो सकते हैं, तो भी, साधारण रूप से सभी मंत्रालयों को यह अधिसूचित कर दिया गया है कि वे स्वीकृत किये गये उन सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की समीक्षा करें जिनका अभी कार्यान्वयन नहीं हुआ है और यदि उनकी अवधि बढ़ाने का कोई वैध कारण नहीं है तो ऐसे लाइसेंसों को 31-3-81 तक रद्द कर दें। जिन विशिष्ट मामलों में पर्याप्त औचित्य के आधार पर या कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति के बारे में उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत सक्ष्म के आधार पर वे अवधि बढ़ाने की सिफारिश करना चाहते हैं तो प्रशासनिक मंत्रालय लाइसेंसिंग समिति की विशिष्ट स्वीकृति ले लेगा।

डा. वसन्त कुमार पंडित : श्रीमान, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। उत्तर अधूरा दिया गया है। यदि आप मेरे प्रश्न के खण्ड (क) तथा (ख) को और दिए गये उत्तर को देखें तो आप पायेंगे कि पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछना पड़ेगा। अत: उन्हें पहले ही पूरा उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न रखने दीजिये।

डा. वसंत कुमार पंडित : मैंने प्रश्न रख दिया है मेरे दोनों प्रश्न तथा उत्तर आपके सामने हैं। आप पायेंगे कि उत्तर एकदम अधूरा है। इसलिए, मुझे कई पूरक प्रश्न पूछने पड़ेंगे, जबकि आपने अध्यक्ष पीठ से पहले ही घोषणा की थी कि हम (क), (ख) और (ग) करके पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते।

अध्यक्ष महोदय : हम सबने तो ही यह फैसला किया है कि हम आठ मिनट से ज्यादा किसी सवाल को न चलायें, ताकि ज्यादा सवाल पूछे जा सकें। अगर आप सप्लीमेंटरीज में ए, बी, सी, डी करेंगे, तो ज्यादा सवालों के लिए मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, तो गड़बड़ और अगर नहीं मानता हूँ तो गड़बड़।

डा. वसन्त कुमार पंडित : उत्तर पूरा नहीं है। मैंने जो प्रश्न पूछा है उन्होंने उसकी सूचना नहीं दी है। अत: मैं सुझाव देता हूँ कि आप इस प्रश्न को रोक लें तथा सरकार को पूरा उत्तर देने के लिये कहें। उदाहरणार्थ, प्रश्न के भाग (ग) में मैं जानना चाहता था कि वास्तव में स्थापित किए गये उद्योगों की संख्या कितनी है। उत्तर में केवल यह कहा गया कि 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गए हैं। यदि उद्योग स्थापित किये गये हैं तो उन्होंने उनके नाम नहीं दिये। अत: मुझे नहीं पता कि मैं पूरक प्रश्न किस तरह पूछ सकता हूँ।

श्री पी. ए. संगमा : प्रश्न के भाग (ग) में आपने पूछा है कि वास्तव में स्थापित किये गये उद्योगों की संख्या कितनी है। हमने यह कहते हुये संख्या बता दी कि 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गये हैं। मुख्य प्रश्न में आपने यह नहीं पूछा है कि उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिये गये हैं।

डा. वसन्त कुमार पंडित : कृपया प्रश्न के भाग (क) को देखिये। इसके अनुसार :

"गत तीन वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जायेगी;"

उन्होने यह सूचना नहीं दी है। उन्होंने सामान्यतया बताया कि "0000 जैसे" अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को 33 औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए। मुझे नहीं पता कि 'जैसे" शब्द से उनका क्या अर्थ है। मैं 33 में से प्रदान किये गए तथा जारी किए गये लाइसेंसों के बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न के भाग (ख) से आपको यह सूचना नहीं मिलती है ?

डा. वसन्त कुमार पंडित : विवरण में केवल यही कहा गया है कि वे अनुसूची में आने वाली "जैसी" वस्तुओं से संबंधित हैं। यह स्पष्ट नहीं है; यह केवल मानदण्ड बताता है। जब तक मुझे यह न पता चले कि कहाँ पर कौन से उद्योग स्थापित किए गये हैं, तब तक मैं अपने पूरक प्रश्न कैसे तैयार कर सकता हूँ।

श्री पी. ए. संगमा : 7 उद्योग।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न का भाग (क) साफ तौर पर यह कहता है गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक लाइसेंसप्रदान किये गये और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जायेगी।" यह स्पष्ट है।

श्री पी. ए. संगमा : प्रश्न के इस भाग गत तीन वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए—का मेरा उत्तर है कि गत तीन वर्ष में प्रदान किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या 33 है।

डा. वसन्त कुमार पंडित : "गत तीन वर्ष के पश्चात", आप अन्तिम वाक्य पढ़िए। कृपया पहले भाग की अन्तिम पंक्ति देखें।

श्री पी. ए. संगमा : प्रश्न विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य से संबध रखता है और मध्य प्रदेश में हमने 33 औद्योगिक लाइसेंस दिए हैं। यदि आप हर साल जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या जानना चाहते हैं तो पिछले तीन साल में निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंस दिए गए।

1978	8
1979	7
1980	18

कुल योग—33

एक माननीय सदस्य : आप पूरे प्रश्न को पढ़िए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का भाग (क) और प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किस उद्योग की स्थापना की जायेगी।"

श्री पी. ए. संगमा : स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के विषय में मासिक बुलेटिन

जारी जारी किए जा चुके हैं और वे ग्रन्थालय में उपलब्ध हैं। फिर भी, चूंकि सदस्य दे रहे हैं, मैं आपको आंकड़े दूंगा। जिन उद्योगों को लाइसेंस दिए गये, वे निम्नलिखित हैं।

1978

नयए उपक्रम	2
नए सामान	1
व्यवहारिक प्रसार	5

यह 1970 के आंकड़े हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक लाइसेंस के अन्तर्गत किन उद्योगों कि स्थापना की गई ?

डा. बसंत कुमार पंडित : सम्पूर्ण प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं है। कृपया इस प्रश्न को रोक लें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम इस प्रश्न को रोक देते हैं।

कराची के निकट चीनियों द्वारा नौसैनिक अड्डे का निर्माण

*126. **श्री फूलचन्द वर्मा** :

श्री वी. वी. देसाई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चीन ने पाकिस्तान में कराची के पश्चिम की ओर मोहम्मद बिशन कासिम बन्दरगाह के निकट तक एक बन्दरगाह बनाने की योजना तैयार की है;

(ख) क्या चीनी नौसैना अध्यक्ष की यात्रा के दौरान इस आशय के एक औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है लेकिन 'सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके आधार पर इनकी पुष्टि हो सके। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए यह समुचित कार्यवाही करेगी।

श्री वी वी देसाई : महोदय इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि चीन कराची बन्दरगाह और मोहम्मद बिन कासिम बन्दरगाह के निकट एक नौसैनिक बन्दरगाह बना रहा है पाकिस्तान से चीन तथा चीन से पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रतिनिधि मंडलों की बाढ़ आ रही है तथा हमारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान में बन रहे एयर बेसों में चीन सहायता कर रहा है तथा एच-बम और एन बम बनाने के लिए सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर सहायता दी जा रही है क्या मैं माननीय रक्षा मन्त्री से जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कौन-सी उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है ? यदि देश की रक्षा के हित में वह यह नहीं बता सकते कि कौन से उयुक्त कदम उठाये जा रहे हैं तो कम से कम क्या वह इस उत्तेजित सभा और जन साधारण को सामान्य रूप से यह विश्वास दिलाएगे कि हमारे देश के हितों की सुरक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय किये जाएगे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, मैं सभा तथा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं

कि देश की प्रभुसत्ता, अखण्डता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल :एक महान राजनेता ने कहा था "हमें डर कर बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करने में डरना नहीं चाहिए।" इस प्रसंग में, पूर्व प्रश्न के संदर्भ में चीन हमारे सीमा क्षेत्र के आस-पास रक्षा संस्थान बना रहा है तथा ऐसा ही निर्माण कार्य जम्मू और कश्मीर की तरफ भी हो रहा है। सम्भावतया भारत के लोगों को देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंका है। जहां तक वक्तव्य के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमें बात करने से नहीं डरना चाहिए मैं जानना चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में क्या ठोस उपाय किए गये हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह एक अच्छा प्रश्न है। मैं कहना चाहूँगा कि कूट नीति का प्रयोग करते हुए हम अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं। हम विश्व के इस भाग में ऐसी परिस्थिति बनाना चाहते हैं जो शान्ति व रक्षा स्थापित करने में सहायक हो तथा इस सम्बन्ध में हर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तथापि अन्य क्षेत्रों में अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक आवश्क कार्रवाइ भी निश्चित रूप से की जाएगी तथा हम इसका ध्यान रख रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री का यह उत्तर कि उन्होंने इस देश की प्रभुसत्ता तथा आखंडता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाए हैं हृदय को आनन्दित कर रहा है। चीन द्वारा बनाई गई आई. सी. बी. एम. वितरण प्रणाली के साथ एयर-बेस या नौसैनिक-बेस या 6000 अणु बमों द्वारा वे पूरे भारत को दो मिनट में ध्वस्त कर सकते हैं। आपने रक्षा के क्या उपाय किये हैं

श्री शिवराज वी. पाटिल : प्रश्न मेरी समझ में ठीक से नहीं आया है।

श्री बीजू पटनायक : आपने कहा था कि इस देश की अखण्डता, प्रभुसत्ता तथा सुरक्षा के लिए आपने सभी उपाय किये हैं। संसार जनता है कि एयर-बेसों और नौसैनिक बेसों, जिनका वे निर्माण कर रहे हैं तथा 6000 अणु बमों, जिनकी उन्होंने घोषणा की थी, का वितरण प्रणाली द्वारा प्रयोग करके वे पूरे भारत को ठीक दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं। इनसे भारत की रक्षा कैसे होगी ? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आप कतिपय बातों का अनुमान लगाकर ये प्रश्न पूछने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में शान्ति सुरक्षित है। परन्तु इसके लिए हमें कातावरण तैयार करना होगा। हम इसके लिए कदम उठा रहे है कि ऐसा वातावरण तैयार हो जाए। फिर भी, मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि इस सम्बन्ध में कुछ करना शेष है। तो वह भी किया जायेगा। उन उपायों का ब्यौरा देना संभव नहीं है, जो संसार के किसी भी भाग में आणविक अस्त्रों के जमाव के कारण उत्पन्न खतरे से बचाव के लिए उठाये जा सकते हैं।

केरल के कुदुम्बो समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

*127. **श्री ए.नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के कुदुम्बों समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध करने का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(क) कुटुम्बों से सम्बन्धित मामले सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन करने का सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : केरल के कितने समुदायों ने अनुसूचित जातियों की सूची में उनको सम्मिलित करने के लिए अभ्यावेदन दिया है ? इस संबंध में भारत सरकार कब तक अन्तिम निर्णय ले लेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : लगभग 200 समुदायों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि हम बहुत जल्दी इस सभा में इससे संबंधित संविधान में संशोधन लाएंगे ।

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : श्री मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? इस संबंध में भारत सरकार अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, मैं कहना चाहूँगा कि आयोग के प्रतिवेदन की सरकार द्वारा जाँच की जा जा रही है ।

श्रीकुसुम कृष्ण मूर्ति : इस संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने का दो बार प्रयत्न किया गया था । परन्तु दोनों बार वे अधूरे रह गए क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व ही दोनों बार लोक सभा भंग हो गई थी । दोनों प्रयत्नों की असफलता को ध्यान में रखते हुए तथा अनुसूचित जनजाति दोनों द्वारा, सूची में कतिपय इन्दराजो का समावेश करने तथा निकालने के लिए भी, समय-समय पर प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार सूचियों में तत्काल संशोधन करने का ? यदि हाँ, तो वे इस मामले में कब तक कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि सरकार सूची में संशोधन कर रही है और शीघ्र ही इस संबंध में इस सभा के समक्ष संविधान में एक संशोधन प्रस्तुत करेगी ।

स्टैंडर्ड डीजल वाहनों के निर्माण में निर्माण सम्बन्धी खराबियों के बारे में शिकायतें

*129 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को स्टैंडर्ड डीजल वाहनों के निर्माण में निर्माण-सम्बन्धी खराबियों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ये खराबियाँ किस प्रकार की हैं और क्या खरीददारों को मुआवजा दे दिया गया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) तथा (ख) हाल ही में माननीय सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने मे. स्टैण्डर्ड मोटर्स द्वारा निर्मित डीजल

वैनों/स्टेशन वैगनों के इंजिन में निर्माण संबंधी खराबी होने की कुछ शिकायतों का उल्लेख किया है जो कि उनके ध्यान में लाई गई हैं। इस संबन्ध में कम्पनी को लिखा गया था जिसने बताया है कि कोई प्रमुख शिकायतें नहीं थी, उनके द्वारा निर्मित कुछ गाड़ियों के बारे में शिकायतें थी। ये सिलेंडर हेड गैसकेट, पिस्टनो, फ्यूल इजेक्शन पम्प आदि जैसी वस्तुओं से संबंधित थी। चूंकि ये त्रूटियां गारण्टी अवधि में हुई अतः ग्राहकों को पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति कर दी गयी है। कम्पनी ने यह भी बताया कि इन सभी मामलों गाड़ियों को ओवरलोड करने तथा खराब रख-रखाव होने का भी स्पष्ट प्रमाण था।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्टैंडर्ड डीजल वैनों तथा छोटे ट्रकों के आवश्यक पुर्जों में निर्माण संबंधी खरावी के बारे में बहुत सी शिकायतें हैं। खराबियाँ ये हैं कि बहुत थोड़े समय में इंजिन खण्ड तथा सिलेंडर में हेड दरार पड़ जाती हैं। मेरे पास शिकायतें आई हैं कि कम्पनी के ध्यान में ये गम्भीर खराबियां लाने के बावजूद, उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। न तो उन्होंने इन खराबियों को ठीक किया है और न ही उनकी क्षतिपूर्ति की है। यह बहुत रोचक बात है। इससे सरकार के चरित्र का पता चलता है तथा हमें मालूम है कि वे किसके सहयोग से बच सकते हैं। जबकि एक निर्माण कम्पनी, मूलतः ब्रिटिश, के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं तो वे कहते हैं कि उन्होंने कम्पनी को लिखा था। आप एक अभियुक्त हैं और मैं आपको निर्णय करने के लिए करूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह इस मामले को तकनीकी विकास संस्थान को भेजने के लिए तैयार हैं जो, हालाँकि ऐसे व्यक्ति की अध्यता में है जिसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद से निकाल दिया गया था तथा उस पर विश्वास नहीं किया गया था। और क्या वह इस बात के लिए भी तैयार हैं कि स्टैंडर्ड डीजल वाहनों में निर्माण सम्बन्ध खराबियों का पता लगाने के लिए जाँच की जाए, जो बहुत ही ऊंचे मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं और यदि हां, तो उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं तो वह किस लिए हैं ?

श्री पी. ए. संगमा : हमें केवल माननीय सदस्य से ही शिकायतें प्राप्त हुई हैं इसलिए कोई विशेष शिकायतें हमारे ध्यान में नहीं आई हैं। उद्योग मंत्री को लिखे गये अपने पत्र में भी माननीय सदस्य ने केवल यह लिखा है कि उन्होंने कुछ शिकायतें सुनी हैं, कि लोगों ने उन्हें शिकायतों के विषय में बताया है। परन्तु कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। उन्होंने कोई विशिष्ट शिकायत नहीं दी है। इसे दृष्टि में रखते हुए, इस मामले पर और अधिक बात करने का हमारा विचार नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय मन्त्री के सुरक्षा-गार्ड की गोली मार कर हत्या

*128. श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को नई दिल्ली में एक केन्द्रीय मन्त्री के निवास स्थान पर एक घुसपैठिये द्वारा सुरक्षा गार्ड को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक आयातित सेना आटोमैटिक पिस्तौल सहित हत्यारे ने मकान में घुसपैठ की और वह मंत्री को मारना चाहता था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान्

(ख) मकान के बरामदे से 32 बोर के एक खाली खोल की बरामदगी से यह प्रतीत होता है कि घुसपैठिये ने एक सेमी-आटोमैटिक पिस्तौल का प्रयोग किया था। खाली खोल विदेश का बना हुआ है। चश्मदीद गवाहों के बयानों से प्रकट होता है कि घुसपैठिये मंत्री के परिवार के सदस्यों को पिस्तौल दिखाकर धमकी दे रहा था और उससे पूछा कि मंत्री कहाँ है।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। होटलों, गैस्ट-हाऊसों, और बाहर निकलने के अन्य संभावित स्थानों को जाँच करने के लिए तलाशी दल तैनात किए गये। अपराधियों का पता लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों को भी संदेश भेजे गये। केन्द्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों और स्वानदस्ते की सहायता भी ली गई। अभियुक्त की पहचान के रेखा चित्र का व्यापक प्रचार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 5000/- रु. का इनाम घोषित किया गया था। इनाम की राशि बढ़ाकर 20000/- रु. कर दी गई है। तलाशी दल विभिन्न राज्यों को भेजे गये हैं।

जानवरों का चमड़ा और बिहार में उसे कमाने के यूनिट

*131. श्री डूमर लाल बैठा : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) बिहार राज्य में कुल कितनी मात्रा में जानवरों का चमड़ा उपलब्ध है तथा उपलब्धता के क्रम में इसके कौन-कौन से मुख्य स्थान हैं,

(ख) बिहार राज्य में जानवरों के उपलब्ध चमड़े का क्या उपयोग किया जाता है और 1980 में श्रेणीवार मात्रा सहित कच्चे माल के रूप में कितना चमड़ा बाहर भेजा गया है,

(ग) बिहार राज्य में चमड़ा कमाने के पूरे तथा आधे काम में लगे यूनिटों की निर्धारित क्षमता कितनी है और केलेन्डर वर्ष 1980 में उनमें, यूनिटवार, कितना उत्पादन हुआ, और

(घ) क्या सरकार उन स्थानों पर चमड़ा कमाने के यूनिट स्थापित करना चाहती है जहाँ यह चमड़ा मुख्यतया उपलब्ध है ?

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) बिहार राज्य में चामों और खालों की अनुमानित उपलब्धता क्रमशः लगभग 21.30 लाख और 54·40 लाख संख्या में है। गाय का बढ़िया किस्म का चाम दरभंगा और पटना डिवीजनों में उपलब्ध है, जबकि औसत किस्म के चाम पूर्णिया और रांची डिवीजनों में मिलते हैं। बकरी की अच्छी किस्म की खालें उत्तरी बिहार के तिरहुत डिवीजन में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम (बी. एस. एल. आई. डी. सी.) एक लाख संख्या में चाम प्रति वर्ष की वार्षिक क्षमता वाली अर्द्ध तैयार और तैयार चमड़ा बनाने वाली 3 टैंजरियां चलाता है और 3.06 लाख संख्या की वार्षिक क्षमता वाला मै. बाटा इण्डिया बिहार राज्य में उपलब्ध चामों का मुख्य उपभोक्ता है। उनका 1980 का उत्पादन क्रमशः 38,000 नग और चामों से तैयार चमड़े का 3,67657 नग है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में एक लाख नग चाम प्रतिवर्ष की क्षमता वाली 3 अन्य छोटी टैनरियां भी हैं। गांवों में चामों और खालों की प्रक्रिया में लगी अन्य निजी टैनरियों के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में टैनरियों की स्थापना करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। किन्तु बी. एस. एल. आई. डी. सी. ने एक लाख नग चाम प्रति वर्ष की इकट्ठी क्षमता वाली तीन टैनरियों की साकरी (दरभंगा), बेतिया (पश्चिमी चम्पारन) और बिहता (पटना) में स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, बेतिया, बरौनी और मुजफ्फरपुर में चामों के 3.6 लाख नग प्रतिवर्ष और बकरी की खालों के 6 लाख नग प्रतिवर्ष की लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाले चमड़ा तैयार करने के तीन एकक भी स्थापित किये जा रहे हैं। निगम राज्य में और अधिक टैनरियां स्थापित करने के प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है।

पुलिस दल में अनुशासनहीनता

*132. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सारे देश में पुलिस दल में बढ़ रही अनुशासनहीनता की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं; और

(घ) हाल ही में देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता के कारण कितने पुलिस कार्मिकों को गिरफ्तार और निलंबित किया गया है तथा सेवा से निकाला गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सारे देश में पुलिस बलों में अनुशासनहीनता नहीं बढ़ रही है। परन्तु कुछ राज्यों में कभी-कभी अनुशासनहीनता के मामले देखे गये हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उनसे प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना सदन के पटल पर रखा जाता है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और उनसे प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	हाल ही में देश के विभिन्न भागों में पुलिस कर्मियों के बीच बढ़ रही अनुशासनहीनता के कारण गिरफ्तार किये गये, मुअतल किये और सेवा से बरखास्त किए गए पुलिस कर्मियों की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
2.	जम्मू और कश्मीर	,,
3.	राजस्थान	,,
4.	सिक्किम	,,
5.	अण्डमान और निकोबार द्वीप।	,,
6.	अरुणाचल प्रदेश	,,
7.	चण्डीगढ़	,,
8.	दादरा और नगर हवेली	,,
9.	दिल्ली	,,
10.	लक्षद्वीप	,,
11.	मिजोरम	,,

एक भारतीय का अन्तरिक्ष में भेजा जाना

*133. श्री छोटू भाई गामित :

श्री बी. एस. बिजय राघवन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक भारतीय वैज्ञानिक को अन्तरिक्ष में भेजने के लिए रूस भेजें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार कुछ वैज्ञानिकों को, जिनको अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी की जानकारी है या कुछ पायलटों को वहां भेजने पर भी विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सोवियत संघ की सरकार ने अपनी भावी अन्तरिक्ष उड़ानों में एक भारतीय अन्तरिक्ष यात्री के भाग लेने का प्रस्ताव किया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपनी सहमति दे दी है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पाकिस्तान को विदेशी सहायता

*134. **श्री के. मालन्ना :**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में सउदी अरब ने घोषणा की है कि वह हाइड्रोजन बम बनाने में पाकिस्तान की सहायता करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्य कौन से देश हैं जिन्होंने परमाणु के क्षेत्र में तथा मिलिटरी सहायता में पाकिस्तान का समर्थन किया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी हैं। सऊदी अरबिया और पाकिस्तान दोनों ने इनसे इन्कार किया है।

(ग) पाकिस्तान के बारे में समाचार है कि उसने परमाणु क्षेत्र में कुछ देशों से सहायता प्राप्त की है। इस बारे में ब्यौरे देना उचित नहीं होगा। मुख्य रूप से अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी है।

सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि के परिणाम

*135. **श्री रशीद मसूद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट के धारण मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप देश में सीमेंट के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इससे सीमेंट के आयात में कितनी कमी होगी ?

उद्योग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : सीमेंट उद्योग जैसे एक नियंत्रित उद्योग के लिए इसके सुचारू रूप से कार्य करने एवं इसके विकास का सुनिश्चय करने हेतु लाभदायक संधारण मूल्य आवश्यक है। योजना आयोग द्वारा गठित सीमेंट उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि में 2`6.9 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होने की आशा है, जिससे मांग और पूर्ति का अन्तर पर्याप्त रूप से पूरा हो सकेगा तथा आयात की आवश्यकता भी कम होगी।

मारुति कार परियोजना में सहयोग के लिए उद्योग मन्त्री की विदेश यात्रा

*136. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया क्या : उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सरकारी क्षेत्र की मारुति कार परियोजना के लिये तकनीकी सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए रिनौल्ट कारखाना तथा अन्य मोटरगाड़ी यूनिट देखने हेतु पिछले महीने पेरिस का यात्रा की थी;

(ख) क्या उन्होंने देशों के बीच पारस्परिक सहयोग के मामलों पर फ्रांस सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया था;

(ग) क्या उन्होंने उसके बाद लन्दन की भी यात्रा की थी; और

(घ) यदि हां, तो यात्राओं का क्या परिणाम निकला और किन्हीं विदेशी मोटरगाड़ी निर्माताओं के साथ किसी प्रकार का सहोग करने के लिए सरकार ने यदि कोई निर्णय किया है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) ब्रिटिश सरकार के निमन्त्रण पर उद्योग राज्य मन्त्री ने 31 जनवरी से 4 फरवरी, 1981 तक ब्रिटेन की यात्रा की थी। मन्त्री, इग्लैंड जाते हुए फ्रांस भी गये। मोटरगाड़ी उद्योग सहित उद्योग में इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के विचार से ये दौरे किये गये थे। अन्य बातों के साथ-साथ फ्रांस में प्यूजिट कार निर्माण एकक तथा इग्लैंड में ब्रिटिश लेलैंड फैक्टरी का भी दौरा किया गया। इन कंपनियों के प्रबन्धक मण्डलों तथा फ्रांस और ब्रिटिश सरकारों ने भी प्रस्तावित मोटरगाड़ी परियोजना में रुचि दिखाई है। मोटरगाड़ी निर्माताओं, जिन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित किया गया है, से प्रस्तावों का पूरा विवरण प्राप्त होने पर उनकी विस्तृत रूप से जाँच पड़ताल करने के बाद ही सहयोग करने पर निर्णय लिया जायेगा।

सीमेंट उत्पादन क्षमता का बढ़ाया जाना

*137. श्री माधव राव सिन्धिया : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता में 225 लाख टन की और वृद्धि करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत बढ़ाई जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 1984-85 तक छठी योजना अवधि में 226.9 लाख मी. टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पादन होने की आशा है। संक्षिप्त ब्योरा सभा-पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिया गया है

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य-वार और क्षेत्र-वार उत्पन्न की जाने वाली क्षमता की जानकारी देने वाला विवरण

(मिलियन मी. टनों में)

राज्य	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1. आन्ध्र प्रदेश	1.80	3.84	5.64
2. बिहार	—	0.13	0.13

1	2	3	4
3. गुजरात	—	1.00	1.00
4. हिमाचल प्रदेश	—	0.56	0.56
5. जम्मू और कश्मीर	0.20	—	0.20
6. कर्नाटक	0.40	1.54	1.94
7. केरल	0.42	—	0.42
8. मध्य प्रदेश	0.80	3.80	4.60
9. महाराष्ट्र	—	2.26	2.26
10. उड़ीसा	2.13	—	2.13
11. राजस्थान	—	1.80	180
12. तमिलनाडु	—	0.70	0.70
13. उत्तर प्रदेश	1.68	—	1.68
14. पश्चिम बंगाल	0.26	—	0.26
योग :	7.69	15.00	22.69

आधुनिकीकरण और अधुनातन तरीकों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि का साइकिल टायर उद्योगों के हितों के विरूद्ध होना

*138. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आधुनिकीकरण और अधुनातन तरीकों के माध्यम से उत्पादन-वृद्धि पर बहुत अधिक बल देना साइकिल टायर उद्योग और नारियल जटा उद्योग जैसे श्रम प्रधान लघु क्षेत्र के हितों के विरूद्ध होगा,

(ख) : यदि हा तो ऐसे उद्योगों में श्रमिकों के रोजगार समाप्त न होने पाये, ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ग) क्या सरकार इस मामले में पुनर्विचार करने के बारे में सोच रही है ?

उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) : स्वयंमेव हुए आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप छटनी अथवा रोजगार के अवसर कम नहीं होने लगते हैं। उत्पादिता बढ़ाने के साथ आधुनिकीकरण से प्रौद्योगिकी में बढोतरी होती है, किस्म तथा डिजाइन में कोटिउन्नयन व कुशलता में सुधार होता है लागत तथा प्रबन्धकीय तकनीक में प्रभावशीलता का समावेश होता है जिससे लघु क्षेत्र में प्रतियोगिता सुदृढ़तर होती है। लघु क्षेत्र से होने वाली कड़ी प्रतियोगिता के कारण संगठित क्षेत्र से कुछ विद्यमान एकक अपने यहां के साइकल टायरों के उत्पादन को प्रावस्थाबद्ध कर रहे हैं किन्तु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम कार्यान्वित करते समय इस बात का सुनिश्चिय करना होता है कि रोजगार की संभावनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये।

जहाँ तक टायर उद्योग का सम्बन्ध है आधुनिकीकरण विषयक प्रश्न की इस समय समीक्षा की जा रही है तथा श्रमिकों पर पड़ने वाले प्रभाव सहित सभी संगत पहलुओं पर विचार कर लेने के लिए उपरान्त अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जायेगा।

चीन द्वारा हवाई सीमा का उल्लंघन

*140. श्री चन्द्रजीत यादव :

श्री एम. बी चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने हाल ही में लेह में अनेक बार हवाई सीमा का उल्लंघन किया है;

यदि हाँ, तो पिछले दो माह के दौरान चीन द्वारा लेह में कितनी बार हवाई सीमा का उल्लंघन किया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) चीन द्वारा लद्दाख इलाके में हमारी हवाई सीमा का अतिक्रमण करने की कोई घटना नहीं हुई । हाँ अक्तूबर और दिसम्बर 1980 के बीच चीन द्वारा अपने इलाके में किए जा रहे हवाई सर्वेक्षण के दौरान कुछ चीनी विमानों ने लद्दाख इलाके में हमारी हवाई सीमा का अतिक्रमण किया था ।

(ग) चीन सरकार ने हमें पहले सूचित किया था कि वह भारत चीन सीमा स्थित अपने इलाकों का विमान सर्वेक्षण करना चाहती है । उन्होंने कहा था कि वे इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे कि सर्वेक्षण विमान चीनी वायु सेमा के भीतर ही रहे । उन्होंने साथ ही यह भी कहा था कि यदि किन्हीं ऐसे तकनीकी कारणों से विमान भारतीय वायु सीमा में आ जाये जो उनके नियंत्रण के बाहर हों तो भारत सरकार को उदारता का रुख अपनाना चाहिए । भारत सरकार ने चीनी सर्वेक्षण विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किये जाने की सूचना चीन सरकार को दे दी है । चीन सरकार ने इस बात को माना है कि उनके विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण हुआ है और हमें विश्वास दिलाया है कि उन्होंने सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए अपने कार्मिकों को कड़े निर्देश दे दिए हैं । अब चीनी सरकार ने हमें सूचित किया है कि उनका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ।

"हाई अबिवटल ड्यू टू पुलिस इन-एफिशियंशी" शीर्षक से समाचार

*141. श्री त्रिलोक चन्द :

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 दिसम्बर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में हाई अबिवटल ड्यू टू पुलिस इन-एफिशियंशी शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ श्रीमान् ।

(ख) बड़ी संख्या में दोष मुक्ति के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी हैं । फिर भी, पुलिस कर्मियों की ओर से किसी गलती के मामलों में उनके विरुद्ध वाकायदा कार्यवाही की जाती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय उप-संविदा एक्सचेंज की स्थापना

142. श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न देशों में आरम्भ की गई परियोजनाओं के लिए लघु एककों द्वारा उप-संविदा को बढ़ावा दिये जाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय उप-संविदा एक्सचेंज स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) एक विशेषज्ञ ने एक अन्तर्राष्ट्रीय उप-संविदा एक्सचेंज की स्थापना करने की सिफारिश की है जो भारत में सक्षम लघु उप-संविदा करने वाले एककों का पता लगाने तथा विदेशों में बड़े संगठनों की सहायता करने के लिए औद्योगिक तथा तकनीकी सूचना केन्द्र के रूप में कार्य कर सकेगा। सिफारिश पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्पादकता सम्बद्ध बोनस

*143. **प्रो. मधु दण्डवते :**

श्री दया राम शाक्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों के कर्मचारियों को उत्पादकता सम्बद्ध बोनस दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो डायरैक्टरेट आफ आर्डनेंस सप्लाइज, डायरेक्टरेट आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग और मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के रक्षा कर्मचारियों को इस प्रकार का बोनस न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ।

(ख) उत्पादन आधारित बोनस योजना आयुध सेवा निदेशालय के अधीन काम कर रहे कर्मचारियों पर लागू करने के लिए समुचित फार्मूला अभी तैयार नहीं किया गया है। इस बीच इस निदेशालय के पात्र सिविलियन कर्मचारियों को .979-80 के लिए 15 दिन का वेतन तदर्थ आधार पर मंजूर किया गया है। मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के सिविलियन कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर अभी फैसला किया जाना है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

*144. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रोक दी गई थी जिन की आय 4,999 रुपये से अधिक थी, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन अब क्यों नहीं दी जा रही है जब कि उनके मामले में आय सीमा हटा दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अधिकांश मामलों में जो अन्यथा पात्र पाये गये थे, 1-8-1980 से पेंशन बहाल करने के आदेश जारी किये गये हैं थोड़े से मामलों में, जहाँ पात्रता के लिए दस्तावेज सबूत पूरे नहीं थे, राज्य सरकारों और/अथवा संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना/दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस को बदलने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित संकल्प

1201. **श्री ई. बालानन्दन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित उस संकल्प

को जानकारी है जिसमें सम्पूर्ण देश की पुलिस को जनता का आदर करने वाले किसी 'उपयुक्त कैडर' में बदलने की मांग गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस मामले में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष बटालियनों की स्थापना।

1202. श्री जी. एम बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को विशेष बटालियनों की स्थापना की गई है अथवा उक्त बल की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त बल में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए बनाई जा रही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष बटालियनों की भर्ती के आदेश दे दिये गये है। समाज के सभी वर्गों से उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विस्तृत प्रचार किया जायेगा।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति कर के रूप में प्राप्त राशि

1203. श्री भीखू राम जैन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम द्वारा शहरी सीमा के भीतर इस समय सम्पत्ति कर के रूप में कितनी राशि प्राप्त की जा रही है; और

(ख) दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान शहरी क्षेत्रों से सम्पत्ति कर के रूप में वसूल की गई कुल राशि 1736.15 लाख रुपए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 31-1-81 तक इस कर की वसूली 1.45.36 लाख रुपए हैं।

(ख) लगभग 3.50 लाख सम्पत्तियां।

वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए उत्तरी राज्यों से आवेदन

1204. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए उत्तरी राज्यों से प्राप्त आवेदनों की राज्य द्वारा कुल संख्या क्या है, और

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान वनस्पति का उत्पादन करने के लिए उत्तर के विभिन्न राज्यों से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

1. पंजाब	19
2. राजस्थान	7
3. हिमाचल प्रदेश	14
4. हरियाणा	15
5. उत्तर प्रदेश	20
6. बिहार	7
7. चण्डीगढ़	4
8. मध्य प्रदेश	22

(ख) इन आवेदनपत्रों पर अभी तक अंतिम निर्णय नही लिया गया है।

दिल्ली में गृह-कर कर का लगाया जाना

1205. **श्री एफ. एच. मोहसिन :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने डी. डी. ए. फ्लैटों के बारे में इनका कब्जा दिए जाने की वास्तविक तिथि से कर लगाने की बजाय उस अवधि के लिए सम्पत्ति कर लग ए हैं जिसमें ये फ्लैट खाली पड़े थे और डी. डी. ए. के कब्जे में थे;

(ख) यदि हाँ, तो किस कानून अथवा आदेश के अन्तर्गत ऐसा किया गया;

(ग) क्या कर लगाने में अनियमितता के ऐसे और मामले डी. डी. ए. की जानकारी में लाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली नगर निगम द्वारा इन आवंटियों पर डाले गए वित्तीय भार पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए डी. डी. ए. द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटितियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से कब्जा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनके लिये सम्पत्ति कर का मूल्यांकन उस तारीख से किया जाता है, जिसका वास्तविक कब्जा लिया जाता है । यदि किसी मामले में आवंटिती के कब्जा लेने की तारीख से पहले किसी तारीख से मूल्यांकन कर दिया जाता है तो निगम संबंधित आवंटितियों से अभ्यावेदन प्राप्त होते उसमें सुधार कर सकता है।

(ग) तथा (घ) यद्यपि प्रश्न में किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं दिया गया है, तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण से पिछले एक वर्ष से सम्बन्धि सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में गृह कर का निर्धारण

1206. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी की गई एक पुस्तिका के अनुसार गृह कर का निर्धारण मकान के निर्माण के समय को निर्माण लागत तथा भूमि के मूल्य के आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या डी. डी. ए. मायापुरी के मध्य आय वर्ग फ्लैटों, प्रसाद नगर आदि के मामले में निगम कर्मचारी गृह कर के निर्धारण हेतु न केवल फ्लैट के कुल मूल्य पर विचार कर रहे हैं

अपितु वे स्टैम्प शुल्क को भी आधार बना रहे हैं, यदि हां, तो निर्धारण के प्रयोजनों के लिये यह मूल्य किस नियम के अन्तर्गत जोड़ा जा रहा है; और

(ग) क्या इन कालोनियों के निवासियों से इसके विरुद्ध आभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। नगर निगम के अनुसार यह स्वयं अधिकृत सम्पत्तियों के मूल्यांकन का एक तरीका है और दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम 1958 के उपबन्धों के अनुरूप है।

(ख) जी हां, श्रीमान। ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जिनको पूरी लागत अदा की जा चुकी है और बिक्री दस्तावेज तैयार हो चुका है, मूल्यांकन प्रयोजनों के लिये स्टैम्प शुल्क को भी ध्यान में रखा जाता है। जहां फ्लैट को किश्तों के आधार पर खरीदा जाता है वहां पूरी अदायगी होने और बिक्री दस्तावेज तैयार होने के पश्चात मकान कर निर्धारण के लिये स्टैम्प शुल्क को ध्यान में रखा जायेगा। यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार है।

(ग) नगर निगम ने सूचित किया है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे, उन पर विचार किया गया था और उन्हें रद्द कर दिया गया था।

विरोधी दलों के नेतृत्व में आन्दोलन

1207. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विरोधी दलों ने राज्यों में कितने आन्दोलनों का नेतृत्व किया था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम सरकारों और अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा है और अभी पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1978, 1979 और 1980) के दौरान विपक्षी दलों द्वारा जिन आन्दोलनों का नेतृत्व किया गया उनकी संख्या का विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आन्दोलनों की कुल संख्या
1. हरियाणा	29
2. हिमाचल प्रदेश	134
3. मणिपुर	61
4. मेघालय	शून्य
5. नागालैंड	"

1	2
6. पंजाब	7
7. सिक्किम	शून्य
8. अण्डमान तथा निकोबार	3
9. अरुणाचल प्रदेश	शून्य
10. चण्डीगढ़	7
11. दादरा और नगर हवेली	शून्य
12. लक्षद्वीप	,,
13. मिजोरम	,,
14. पांडिचेरी	106

अखबारी कागज की कमी

1208. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अखबारी कागज की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि अखबारी कागज एजेंसियों की अपेक्षित मात्रा में कागज प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो कमी के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) समस्या का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) चूंकि देश में हुए उत्पादन के पूरक के रूप में पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है इसकी कोई कमी देश में नहीं है। उन मामलों में जहाँ अप्रत्याशित परिस्थितियों में जहाजों के पहुंचने में विलम्ब हो जाता है भारतीय राज्य व्यापार निगम या तो अपने स्टाक में से अथवा समुद्री व्यापार की बिक्री अथवा देश के अंदर रखे गये बफर स्टाक में से संभरण कर देने का प्रयास करता है।

उड़ीसा में लघु एककों के लिए कच्चे माल का अभाव

1209. **श्री मनमोहन टूडु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा में विभिन्न लघु एककों में कच्चे माल की भारी कमी है,

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा के लघु एककों को अपेक्षित मात्रा में इस्पात, सीमेंट, कास्टिक, सोडा, एल्यूमीनियम तथा अन्य कच्चा माल सप्लाई करने के लिए सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है,

(ग) क्या इस प्रकार का कच्चा माल राज्य लघु उद्योग निगम के माध्यम से सप्लाई किया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कुछ श्रेणी के कच्चे माल की कमी होने के कारण देश भर में लघु उद्योगों जिनमें उड़ीसा के लघु उद्योग भी शामिल हैं, के सामने आने वाली कठिनाइयों का सरकार को पता है।

(ख) देश में इस कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करने के अलावा सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) औद्योगिक कच्चे माल तथा कमी वाली वस्तुओं के लिए वास्तविक उपभोक्ता हेतु आयात नीति को उदार बनाना।

(2) प्रणालीकरण अधिकरणों के माध्यम से लौह और अलौह तथा रसायन वस्तुओं के आधारभूत कच्चे माल के आयात में वृद्धि करना।

(3) लघु क्षेत्र के लिए कुछ कमी वाले कच्चे माल का मध्यवर्ती (बंफर) स्टाक बनाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करना।

(ग) और (घ) लघु एककों को लोहा और इस्पात, अल्युमिनियम, सीमेंट आदि जैसा महत्वपूर्ण कच्चा माल राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से अथवा राज्य सरकारों की सिफारिशों पर आवंटित किया जाता है। सरकारी अभिकरणों के माध्यम से ऐसे कच्चे माल का वितरण करने संबंधी व्यवस्था को देश भर में सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

ग्रामीण निर्धनों के लिए आर्थिक रूप से पुनर्वास योजनाएं

1210. **श्री के. प्रधानी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार ग्रामीण निर्धनों के लिए कुछ आर्थिक रूप से पुनर्वास योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई योजना उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाएगी;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कितने ग्रामीण निर्धनों को आर्थिक रूप से पुनर्वास उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है;

(घ) वे जिले कौन से हैं जहां उन्हें आर्थिक रुप से पुनर्वास उपलब्ध किया जाएगा;

(ङ) क्या कोरापुर जिले कि किसी निर्धन व्यक्ति को 1981-82 के दौरान पुनर्वास उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है; और

(च) उड़ीसा में ग्रामीण निर्धनों को उपलब्ध कराई जाने वाली आर्थिक रुप से पुनर्वास योजना के बारे में क्या ब्योरा है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों, अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा,प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अलावा, 1980-85 की छठी पंचवर्षी योजना में ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुन स्थापन के लिए कोई अन्य अलग स्कीम शुरु करने का योजना आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उड़ीसा सरकार ने ग्रामीण गरीबों के आर्थिक पुन स्थापन के लिए 1980-85 की अपनी छठी योजना में एक विशेष स्कीम शामिल की है। इस स्कीम में औसतन एक गाँव में सबसे गरीब दस परिवारों या सब मिलाकर 5 लाख परिवारों के आर्थिक पुनःस्थापना की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम में भूमि पर आधारित स्कीमें, पशु पालन की स्कीमें, मछली पालन की स्कीमें, रेशम उद्योग की स्कीमें और कृषि से इतर रोजगार की अन्य स्कीमें शामिल हैं जिनसे, उड़ीसा सरकार के अनुसार हरेक परिवार को सतत आय उत्पन्न करने लायक परिसम्पत्तियाँ प्राप्त होने की आशा है। इस स्कीम के ब्यौरे और

जिन स्थानों में इसे 1981-82 में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है वे स्थान उड़ीसा सरकार द्वारा तय किए जाने हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों की उपलब्धि

1211. **आचार्य भगवान देव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला उद्योग केन्द्रों की उपयोगिता तथा उपलब्धियों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार योजना को आगे बढ़ाने का है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत जानना) : (क) से (ग) जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण का अनुसरण करते हुए, सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम के लिए अधिक प्रभावी विकल्पों को लागू करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारों के परामर्श से वर्तमान व्यवस्था की प्रभावशीलता जानने के लिए कुछ जिला उद्योग केन्द्रों का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम को नया रुप देने के लिए 7 फरवरी, 1981 को हुए राज्य उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में कुछ प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया था। सम्मेलन में दिए गए सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए जिला उद्योग केन्द्र योजना में संशोधन किया जाएगा।

असम में आदिवासियों की जनसंख्या

1212. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने-कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं, और

(ख) राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1971 को जनगणना के अनुसार असम में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमश: 91.18 और 8.82 था।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार असम राज्य में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 10.99 था।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड—111 के अधिकारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली

1213. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या गृह मंत्री भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड—111 के अधिकारियों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के भाग (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड—III के एक अधिकारी तथा शेष दो अधिकारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से, जहाँ पर वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं स्थानान्तरित करने के बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) उनके समुचित केरियर विकास के लिए उनके वर्तमान मंत्रालय से उनको स्थानान्तरित करने के निर्णय को कार्यान्वित करने तथा स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में/उसके अधीन इस समय सेवा कर रहे भारतीय सांख्यिकीय सेवा के तीन ग्रेड—III अधिकारियों में से एक अधिकारी को बाहर तैनात करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्हें अपनी नई नियुक्ति ग्रहण करने के लिए फरवरी, 1981 के अन्त तक नियुक्ति किया जा रहा है। जहां तक शेष दो अधिकारियों का संबंध है ग्रेड—II के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए उनका अन्यत्र चयन होते ही उन्हें स्थानांतरित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उच्चत्तर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पहले ही उनका अनुमोदन किया जा चुका है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

1214. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान राज्य के 20 बड़े उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो 20 बड़े उद्योगों पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है, और

(ग) ये उद्योग कहां स्थापित होंगे उन स्थानों के नाम, उनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की लक्षित तारीख और उन उद्योगों में रोजगार उपलब्ध होने के बारे में ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में उप राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में सम्मिलित करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भेजा गया और मझोले उद्योग क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है : 5

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	योजना/परियोजना	अद्यतन लागत अनुमान	पूरी होने की अनुमानित तिथि
1	2	3	4
1.	राज्य औद्योगिक विकास निगम की योजना /परियोजना चल रही योजनायें		
1.	कोणार्क के जूट मिल्स, घोनकेनाल (संयुक्त क्षेत्र)	302	2/1979 (वाणिज्यिक उत्पादन)
2.	सोडियम डिकोमेट प्लांट, तलचर (संयुक्त क्षेत्र)	350	1981/82
3.	एक्स. एल. पी. ई. पावर के बल्स प्रोजेक्ट्स, बारीपाड़ा (संयुक्त क्षेत्र)	3 0	1982/83
4.	प्रोपोर्जी मिल, हीराकुड	132	1982/83
5.	हीरा सीमेंट वर्क्स (विस्तार) बारगढ़।	597	1982/83
6.	स्पन पाइए प्लांट, चौड़वार	523	1981/82
7.	रिफ्रैक्टरी वर्क्स, चौड़वार	20.93	1981/82
8.	मिनी सीमेंट प्लांट, किरिंगसंरा (सुन्दरगढ़ जिला)	544	1981-82

1	2	3	4
	चल रही योजनाओं का उपयोग		
	नई योजनायें		
9.	सोनपुर स्पिनिंग मिल्स	600	1982/83
10.	बायलर पाइप प्लांट, भुवनेश्वर	300	1983/84
11.	बालासांर साल्ट प्रेजिम्ट	234	1982/83
12.	श्री स्पिनिंग मिल्स (पुरी, बोलनगीर, मयूरभंज	675	—
13.	टी. वी. ग्लास शैल प्रोजैक्ट	500	1983/84
14.	मैनेटिक वीडियो टेप्स	100	,,
15.	स्पेशल पोटस	350	,,
16.	ई. एच. टी. इन्सूलैटर्स	166	,,
17.	माइका पेपर	266	,,
18.	स्पेशल इलैक्ट्रोइस	166	,,
19.	फोर्ज सोप	166	,,
20.	फोर्ज टूल्स (निर्यातोन्मुख)	166	,,
21.	पोलिएस्टर फाइबर यार्न	1600	,,
22.	एक्सप्लोसिव्ज प्लांट	254	,,
23.	फेरो वेनाडियम प्लांट	900	,,
	नई योजनाओं का उप-जोड़	6423	
	अद्यतन लागत अनुभागों का कुल योग	10281.93	

2. औद्योगिक सम्बर्द्धन और निवेश निगम की योजनायें/परियोजनायें

संयुक्त क्षेत्र की परियोजनायें चल रही योजनायें

1.	रिफैक्टरी प्रोजेक्ट, धेनकेनाल	700	7/81
2.	टूल रूप, सूवावेड़ा	112.50	आंशिक उत्पादन
3.	बाच एसेम्बली प्रोजेक्ट, खरदा	33.50	,,
4.	इलैक्ट्रोटैलिक मैग्नीज डाईआक्साइड क्यूझर	468	12/31

टिप्पणी :—क्र. सं. 13 और उससे आगे की योजनायें/परियोजनायें प्रस्ताव की स्थिति में हैं।

1	2	3	4
5.	स्पज आइरन प्रोजेक्ट, क्यूझर	2415	12/82
6.	ड्रग कम्पलैक्स, भुवनेश्वर	96.45	12/81
	चल रही योजनाओं का उप-जोड़		3825.45
	नई योजनायें		
7.	एच. टी. फास्टनर्स, धेनकेनाल	11	6/82
8.	कोल्शीयम कार्बाइड रायरंगपुर	349	4/82
9.	कोणार्क बुड प्राडक्ट्स कोरापूत	1520	
10.	स्पंज आइरन (टिस्को)		
11.	नाइट्रो ग्लिसरीन		
12.	कास्टिक क्लोराइड		
13.	हैक्सा क्लोरी साइकिल पेंटा-डीन		
14.	मैलिक एनहाई		
15.	चीनी/इंडस्ट्रियल एल्कोहल छेरीवेटिव्ज		
16.	कम तापक्रम का कार्बोनाइजेशन पलांट, तल्चर		
17.	चाइना क्ले वाशरी एण्ड एच. टी. इंसू लेटर्स		
18.	भारत स्टील कास्टिंग्स		
19.	सोडा ऐश तथा अमोनियम क्लोरइड		
20.	फाइबर ग्लास प्रोजेक्ट		
21.	फरों निकल प्रोजेम्ट		
22.	कन्वेयर बैल्टिंग		
23.	इलैक्ट्रीकल स्टाम्पिग		
24.	पावर ट्रांसमीटर्स		
25.	जूट ट्विन यूनिट		
	नई योजनाओं का उप जोड़	1880.00	
	संयुक्त अद्यम (नए)		
26.	वनस्पति प्रोजेक्ट, बोलनगीर	200	
27.	सल्फरिक एसिड प्लांट, कालमा	128	
28.	बाइसिकल प्रोजेक्ट (निर्यातोन्मुख)		
	उप जोड़ (संयुक्त उद्यम)	328	

सरकारी क्षेत्र (नए)

29. एच. पी. सिलिन्डर प्रोजेक्ट

योग 6033.45

टिप्पणी :—क्रम संख्या 10.25 और क्रम संख्या 28 और 29 में दी गई योजनायें/-परियोजनाएं प्रस्तावित स्थिति में हैं।

उपयुक्त परियोजनाओं के अलावा, उड़ीसा राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के पास विद्युत कर पर पावर राजसहायता तथा ऋण देने, बिक्री कर ऋण, निवेष राजसहायता सावधिक ऋणों के लिए सीमांत धन (मार्जिन मनी), इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कारपोरेशन फिल्म विकास निगम कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स इत्यादि जैसी योजनायें भी हैं।

इन सभी योजनाओं को राज्य में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार संभाव्यता पैदा करने हेतु बनाया गया है।

अन्तरिम सहायता में कमी करने और बोनस का भुगतान न करने के बारे में ज्ञापन

1215. श्री आर. के. महालगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ, जिला थाणे (महाराष्ट्र) के महाप्रबंधक को ता. 18-10.1980 के आस-पास प्रतिरक्षा मजदूर संघ अम्बरनाथ (महाराष्ट्र) से विभागीय डी. एम. डी. एस. ओ. एफ. आई.; अम्बरनाथ को नियमित भुगतान से अन्तरिम सहायता में कमी करने और उत्पादन से जुड़े बोनश की अदायगी न करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) ज्ञापन विचाराधीन है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के पदों का खाली पड़ा रहना

1216. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो उत्तर पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री को शिकायत की है कि उनके क्षेत्र में वरिष्ठ आई. ए. एस. अधिकारियों के महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं जिसके फलस्वरूप विकास कार्यों को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो राज्यों में अधिकारियों को तत्काल तैनात करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और शीघ्र ही सूचित कर दिये जायेंगे।

(ग) मिजोरम में दो और अरुणाचल प्रदेश में एक आई. ए. एस. रिक्ति के लिए कोडकाडों के पैकेजों आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं। मिजोरम के लिए निर्धारित दोनों कोडकाडों को दिल्ली से कार्यमुक्त कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लिए निर्धारित कोडकाडों को कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

[illegible] श्री इन्द्रदास शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली की रचना क्या है;

(ख) क्या वह एक पंजीकृत संस्था है अथवा एक न्यास है;

(ग) इसकी आय के स्रोत क्या हैं; और

(घ) इसके वर्ष 1978-79 और 1979-80 का बजट क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, की नींव 1958 में गांधी स्मारक निधि द्वारा रखी गई थी।

(ख) जी हां, श्रीमान्। समिति पंजीकरण अधिनियम, 1880 के अधीन एक पंजीकृत समिति है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रतिष्ठान के आय के स्रोतों में इसकी स्थापना के समय गांधी स्मारक निधि द्वारा अलग रखी गई सम्पत्ति से आने वाला ब्याज, दाखिला और सदस्यता शुल्क, दान, केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान और प्रकाशनों, आदि की बिक्री है।

(घ) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिये आय और व्यय के अनुमानित बजट आंकड़े निम्न प्रकार से बताए गये हैं—

1978-79	10,71,700 रु.
1979-80	11,32,500 रु.

1980-85 के लिए आदिवासी विकास पर कार्य दल की रिपोर्ट

1218. श्री गिरधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 1980-85 के लिये आदिवासी विकास पर कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें कार्यान्वयन के लिये संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1980-85 के लिए आदिवासी विकास संबंधी कार्य दल में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। इसने अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी है। यह

रिपोर्ट योजना आयोग के आन्तरिक कार्य कागज पत्रों का भाग है और छठी पंच वर्षीय योजना तैयार करने में इन सिफारिशों पर विचार किया गया है बशर्ते कि आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयां न हों।

नगेश वुलन मिल्स स्पीनिंग यूनिट स्पाट, लुधियाना के विरुद्ध न्यायालय में श्रमिक संबंधी लंबित मामले

1219. श्री भोगेन्द्र झा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगेश हाजरी वुलन मिल्स स्पीनिंग यूनिट, लुधियाना के विरुद्ध सत्र न्यायाधीश लुधियाना (पंजाब) की अदालत में श्रमिक संबंधी बहुत से मामले लम्बे अर्से से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस संबंध में शीघ्र निर्णय के लिये क्या कार्यवाई की जा रही है तथा असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त मिल ने श्रमिकों, कर-विभाग को भ्रम में डालने तथा अन्य कानूनों से बचने के लिये कागजों में गलत स्थान आदि दिखाकर जालसाजी से अपना नाम बदलकर नगेश निट वीयर यूनिट न. 2 रख लिया है यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिये कोई उच्च स्तरीय जांच करवाई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन पजाब सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

राज्य सरकार के अनुसार मैसर्स नगेरा हौजरी मिल्स (सिनिंग यूनिट), लुधियाना के विरुद्ध सेशन न्यायाधीश के न्यायालय, लुधियाना में कोई श्रमिक मामला लंबित नहीं है। श्रम न्यायालय, लुधियाना में कई मामले लंबित पड़े हैं।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, इस प्रतिष्ठान के मालिकों के बीच बंटवारा होने के कारण, इस यूनिट को 1979 से दो भागों अर्थात मैसर्स नगेश निट वीयरस और मैसर्सनगेरा होजरी एक्सपोर्ट में बांटा गया है और श्रमिकों ने श्रम न्यायालय में आवेदन देकर इन यूनिटों को विवादों के लिये पक्षकार बनाया है। राज्य सरकार को इस बात का पता नहीं है कि मिल का उपर्युक्त बंटवारा सहकारी प्राधिकारियों को गुमराह करने या कर बचाने के लिये किया गया है।

सिलिका क्वार्टजाइट की लागत में वृद्धि

1220. श्री ए. के. राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंगेर जिले में सिलिका क्वार्टजाइट माइन्स आफ बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी के सिलिका क्वार्टजाइट के उत्पादन में हाल ही में इतनी भारी कमी हुई है कम्पनी को यह पदार्थ अन्य गैर-सरकारी पार्टियों से खरीदना है जिसे वह पहले अपनी मांग पूरी करने के बाद सप्लाई किया करती थी;

(ख) यदि हां, तो गत पांच पूर्षों के, वर्षवार, ब्यौरे सहित, उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि मुंगेर में कम्पनी की सिलिका क्वार्टजाइट की प्रति मीटरीटन प्रतिस्थापना लागत पिछले दो वर्षों में दस गुना बढ़ गई है;

(घ) यदि हां,, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह गड़बड़ भारतीय खान ब्यूरों के मानदण्ड के अनुसार एक कम अर्हता वाले खान इंजीनियर की नियुक्ति के कारण हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि. का निगमन 1,12,76 को हुआ था। निगमन समय से उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(यूनिट एम. टी.)

	1977	1978	1979	1980
(1) बरदा खाने	11,500	9,115	4,194	2,746
(2) बैसा खाने	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(3) सुमरीसतपहाड़ी खानें	1,200	शून्य	शून्य	शून्य

(ग) तथा (घ) मुंगेर खानों की स्थापना लागत कमोवेश स्थायी है तथा उत्पादन की मात्रा से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी, स्थापना लागत 1979 में 52,000 रु. (अनुमानित) से बढ़कर 1980 में 77,000 रु. हो गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से नए मजूरी समझौते के अधीन बढ़े हुए संशोधित वेतन मानों के कारण हुई है।

(ङ) जी, नहीं, उत्पादन में गिरावटों के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ (1) खानों के कार्यकरण में खान सुरक्षा महानिशदेक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध विशेष रूप से विस्फोटन कार्य की मात्रा सीमित कर देना; (2) विस्फोटक पदार्थों की भारी कमी; (3) खनन पट्टेदारी के नवीकरण में देरी; (4) उत्पादों की बेहतर क्वालिटी के लिये उपभोक्ता वरीयता शामिल है।

(च) कम्पनी विस्फोटन कार्य के प्रतिबन्धों में छूट प्राप्त करने के लिये संबंधित प्राधिकारियों से कार्रवाई की है। 1981 में सभी तीन खानों में कार्य शुरू करने की योजनायें भी तैयार की गई हैं तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर कार्रवाई की जा रही है। फिर भी, इस क्षेत्र में सिलिका कांच मणि के उत्पादन के समूचे प्रश्न पर बिहार सरकार को विचार करना है।

पड़ोसियों के साथ खराब सम्बन्धों के कारण क्वार्टरों का बदला जाना

1221. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसियों के साथ खराब सम्बन्धों के कारण, मुख्य कल्याण अधिकारी/क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी की सिफारिश पर सम्पदा निदेशालय के माध्यम से क्वार्टरों का बदला/रद्द किया जाता है;

(ख) सेक्टर "सी" अलवर्ट स्कवैयर, गोल मार्केट, नई दिल्ली के वर्तमान निवासियों के विरूद्ध 1978 के मुख्य कल्याण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त शिकायतों सिफारिशों की संख्या क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन शिकायतों की जांच क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी और स्थानीय पुलिस द्वारा की गई तथा आबंटनधारियों के क्वार्टरों के बदले जाने के बारे में प्राधिकारियों द्वारा कोई भेदभाव बरता गया था यदि हां तो उसके निष्कर्ष मुख्य कल्याण अधिकारी को भेजे गए थे; और

(घ) इन निष्कर्षों पर अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) : (क) सरकारी क्वार्टरों के आवटितियों के बीच खराब सम्बन्धों के बारे में मुख्य कल्याण अधिकारी के पास भेजी गई शिकायतों को पहले जांच और सम्बन्धित पक्षों के बीच समझौता करवाने के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। जहाँ कहीं क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाता आवंटिती के आवास के बदले जाने के लिए सिफारिश करता है तथा यदि मुख्य कल्याण अधिकारी क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट की जाँच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि किसी आवंटित के आवास का बदला जाना इलाके की शांति के हित में है तो इस सम्बन्ध में सम्पदा निदेशालय को उपयुक्त सिफारिशें भेजी जाती हैं।

(ख) : दो :

(ग) तथा (घ) दो शिकायतों की क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई थी। एक मामले में यह बात ध्यान में आई थी कि स्थानीय पुलिस ने एक आवंटिती और उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध उसके पास दर्ज की गई कुछ शिकायतों की जांच की थी। स्थानीय पुलिस की निष्कर्षों की रिपोर्ट प्राप्त की गयी थी। क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट तथा पुलिस की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर प्रत्येक मामले के गुण-दोष का मूल्यांकन करने के बाद एक मामले में मुख्य कल्याण अधिकारी ने आवंटिती को वहाँ से बदले जाने के लिए सिफारिश की और एक दूसरे मामले में दोषी-आवटिती के नियोक्ता विभाग से उस आवंटिती को कड़ी चेतावनी देने और भविष्य में उचित प्रकार से व्यवहार करने की सलाह देने के लिए कहा गया था।

पोलैंड का ऊर्जा उत्पादन उपकरणों के क्षेत्र में भारत के साथ संयुक्त उपक्रमों के लिए प्रस्ताव

1222. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मन्त्री : यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैंड ने तीसरे देशों में ऊर्जा उत्पादन उपकरणों के क्षेत्र में भारत के साथ संयुक्त उपक्रमों की स्थापना में सहयोग का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) मार्च 1979 में हुए भारत पोलैंड संयुक्त आयोग के छठे अधिवेशन में दोनों देशों ने तीसरे देशों में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। बी. एच. ई एल. तथा पोलैंड की इलैक्ट्रिम इन सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

"गोल्डन हैंडशेक" की पेशकश

1223. श्री गुफरान आजम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गोल्डन हैंडशेक" की पेशकश की गई है;

(ख) 'गोल्डन हैंडशेक पेशकश सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पेशकश के सम्बन्ध में अनेक मन्त्रालय द्वारा क्या प्रगति की गई है और इस बारे में कार्मिकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) 1962 के बाद बड़ी मात्रा में अफसरों की भर्ती के कारण मेजरों के पदोन्नति के अवसरों में स्थिरता आ गई थी। इसलिए स्थिति में सुधार लाने लिए कुछ प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसमें से एक प्रस्ताव पदोन्नत नहीं किए गये मेजरों को पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की रकम तथा ऐक मुश्त अदायगी में कुछ बढोत्तरी देकर उन्हें समय-पूर्व सेवा-निवृत्त होने के लिए प्रेरित करने के बारे में था।

(ग) बाद में, सरकार ने मेजर के 1283 पदों का दर्जा लेफ्टि कर्नल. के पदों में बढ़ाने का फैसला किया और मेजरों की मौजूदा सख्या शक्ति के 20% के लिए नया प्रवरण ग्रेड शुरू किया था। इसके फलस्रूप मेजर रैंक के 60% अफसर लेफ्टि कर्नल के पद पर पदोन्नत होने की आशा कर सकते हैं। इसके अलावा समय-मान लेफ्टि कर्नलों के वेतन में वृद्धि कर दी गई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति न किए गये मेजरों को समय-पूर्व सेवा-निवृत्त होने के लिए प्रेरित करने से सम्बन्धित पिछले प्रस्ताव की परिस्थितियों में काफी सुधार हो गया है। इस प्रस्ताव के बारे में अभी तक अन्तिम रूप से कोई फैसला नहीं किया गया है।

बस-चेसिसों की कमी

श्री अमरसिंह राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बस-चेसिसों का निर्माण करने वाले उद्योगों के नाम क्या है;

(ख) प्रत्येक उद्योगों में प्रतिवर्ष कितनी बस-चेसिसों का निर्माण होता है;

(ग) क्या यह सच है कि देश बस-चेसिसों की काफी कमी है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) इस समय देश में बस-चेसिसों के चार निर्माता हैं अर्थात :—

1. मै. टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोंकोमोटिव कं. लि. बम्बई
2. मै. अशोक लेलैंड लि., मद्रास
3. मै. हिन्दुस्तान मोटर्स लि. कलकत्ता
4 मै. प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि., बम्बई

(ख) 1 80 में विभिन्न बस चेसिसों की संख्या जैसाकि उपर्युक्त प्रत्येक निर्माताओं ने बताया है इस प्रकार थी :—

टेल्को	7934 नग
अशोक लेलैंड	6375 नग
हिन्दुस्तान मोटर	55 नग
प्रीमियर आटोमोबाइल	68 नग

(ग) अधिक पसन्द किए जाने वाले मेकों अर्थात अशोक लेलैंड तथा टैल्को मेक की की चेसिसों की काफी मांग है।

(घ) निवेश सहायता, तकनीकी सहायता, सीमा शुल्क में रियाअत के अंतर्गत उपकरणों का आयात करने और अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं।

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को सरकारी आवास

1225. **श्री मगल राम प्रेमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के सेवानिवृत्त तथा मृतक कर्मचारियों के ऐसे कितने आश्रित है जिन्होंने निगम के क्वार्टर खाली नहीं किये हैं और उनको यह छूट क्यों दी गई है जबकि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर कितने क्वार्टर आवंटित किये गये और ये क्वार्टर किन परिस्थितियों मे आवंटित किये गये तथा मैडिकल आधार के अतिरिक्त किस आधार पर अन्य व्यक्तियों को क्वार्टर आवंटित किये गये थे;

(ग) निगम में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों क्वार्टर आवंटित करने में क्या नीति अपनाई गई है और क्या ऐसे कर्मचारियों को अनुपात के अनुसार क्वार्टर आवंटित किये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और क्या इन कर्मचारियों के लिए एक पृथक प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : इस सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम के सामान्य खन्ड द्वारा निम्नलिखित सूचना भेजी गई है।

(क) 69 मामलों में निगम के सेवानिवृत्त और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों से आवास खाली नहीं किए हैं। वे अवैध कब्जाधारी हैं और उनको कोई छूट नहीं दी गई है।

(ख) निगम के 28 निवास बिना बारी के आधार पर आवंटित किए गए हैं और उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. 16 क्वाटर उन कर्मचारियों को आवटित किये गये हैं जो स्वयं टी. वी./कैंसर से पीड़ित हैं।

2. 4 क्वाटर आपातकालीन/विषय समय पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को आवंटित किये गए हैं।

3. 3 क्वाटर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवंटित किए गए हैं जो टी. बी. से भी पीड़ित हैं।

4. 5 क्वाटर उन अधिकारियों आवंटित किए गए हैं जो प्रतिनियुक्ति पर दि. न. नि. के सामान्य खंड में नियुक्त किए गए थे।

(ग) और (घ) नगर निगम द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार श्रेणी 3/4 में स्पष्ट रिक्तियों का 5 प्रतिशत और श्रेणी 1 और 2 में स्पष्ट रिक्तियों का 10 प्रतिशत निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आवास के आवंटन के लिए आरक्षित

हैं और तदनुसार आवंटन किया जाता है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को एक अलग प्रतीक्षा सूची भी रखी जाती है।

लघु सीमेंट संयंत्रों का स्थान निर्धारण

1226. **निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 लघु सीमेंट संयंत्र कहाँ-कहाँ स्थित हैं, उनके नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक का वर्तमान पूंजी निवेश कितना है, और

(ख) उनमें से प्रत्येक के प्रबंध मंडल ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) तकनीकी की विकास के महानिदेशालय के पास पंजीकृत लघु सीमेंट संयंत्रों के अलावा देश में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने केलिए 32 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। पार्टियों के नाम, संयंत्रों स्थापनास्थल तथा औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन करते प्रकल्पित पूंजी निवेश को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुरोध पर वित्तीय सहायता दी जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बताया है कि 28 पार्टियों ने उनको वित्तीय सहायता के लिए लिखा है और उन्होंने अभी तक तीन परियोजनाओं के लिए पुनर्वित सहायता की स्वीकृति दी और चार परियोजनाओं को प्रत्यक्ष सहायता दी है।

विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	प्राक्कल्पित निवेश (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	एग्रीमा प्रोजेक्ट इन्जीनियरिंग एण्ड कन्सलटैन्सी	जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	450 .71
2.	अमीरगढ़ सीमेंट (प्रा.) लि.	जिला बनासकंठा गुजरात	308.71
3.	बी. रामास्वामी (मै. पालिके सीमेंट्स एण्ड मिनरल्स)	जिला चित्रदुर्ग कर्नाटक	293
4.	मै. जुपीटर सीमेंट इन्डस्ट्रीज लि.	गुजरात जिला जामनगर	400
5.	साऊथ इण्डिया सीमेंट प्रा. लि.	जिला गुलबर्ग कर्नाटक	332.60
6.	रेवा कोलफील्ड्स	जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश	4 5
7.	इन्डस्ट्रियल डेवलमैंट कारपोरेशन उड़ीसा	जिला सुन्दरगढ़ उड़ीसा	365
8.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि.	जिला देहरादून उत्तर प्रदेश	367
9.	डा. एस. एन. गाँधी	जिला बनासकंठा गुजरात	सूचित नहीं किया गया है

1	2	3	4
10.	श्री के. चेन्नावरेप्पा (नेशनल सिमेंट एंड केमिकल इन्डस्ट्रीज	जिला अदिलाबाद आन्ध्र प्रदेश	320
11.	रत्ना सीमेंट	जिला बेलगांव कर्नाटक	401
12.	एम. एस. राजपुरोहित	जिला सिरोही राजस्थान	331.99
13.	एग्रीमा प्रोजैट एण्ड इन्जीनियरिंग कन्सलटैंसी सर्विसेज	जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र	351
14.	मैसर्स ए. आर. सी. सीमेंट लि.	जिला देहरादून उत्तर प्रदेश	349.10
15.	के. आई. विद्यासागर	जिला के. वी. रंगारेड्डी	400
16.	रनवीर खटाऊ	जिला बनासकंठा गुजरात	430
17.	ककातिया सीमेंट लि.	जिला कृष्णा आन्ध्र प्रदेश	365
18.	बी. वेकंटस्वामी	जिला करनाल आन्ध्र प्रदेश	365.50
19.	हरीगंगा सीमेंटस लि.	जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	380
20.	नागार्जुन सीमेंट लि.	जिला नालगोंडा आंध्र प्रदेश	365 50
21.	डक्कन सीमेंटस लि.	जिला नालगोंडा (आँध्र प्रदेश)	213
22.	नेम कुमार केसरीमल पोरवाल	जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	400
23.	राणा हनुमान सिंह	जिला बालघाट (मध्य प्रदेश)	460
24.	राजस्थान स्टैट इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरज डेवलममैंट कारपोरेशन	जिला पाली राजस्थान	323
25.	वही	जिला सीकर राजस्थान	323
26.	वही	जिला सिरोही राजस्थान	323
27.	वही	जिला जोधपुर राजस्थान	323
28.	वही	जिला जयपुर राजस्थान	323
29.	के. हर्षवर्धन	जिला कुड्डेपाह (आँध्र प्रदेश)	365.50
30.	डक्कन अलकली	जिला गुलवर्गा कर्नाटक	353
31.	दार्जलिंग डुअर्स प्लान्टेशन लि.	जिला रायपुर आंध्र प्रदेश	317
32.	प्रेमचन्द कासलीवाल	जिला धार आन्ध्र प्रदेश	370

राजस्थान में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर की गई राशि

1227. **श्री जयनारायण रोट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कुटीर उद्योगों, कृषि, बागवानी और शिक्षा के विकास के लिए दिये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में कितनी राशि मंजूर की थी; और

(ख) क्या इस राशि का ठीक उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए यह मंजूर की गई थी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संबंधित क्षेत्रों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से स्वीकृत की गई धनराशि इस प्रकार है :

(रु. लाखों में)

	1978-79	1979-80
बागवानी समेत कृषि	23.00	7.50
कुटीर उद्योग समेत उद्योग	16.00	18.00
शिक्षा	4 .00	53 50

(ख) जी हां, श्रीमान्।

राजस्थान को सीमेंट का आवंटन

1 28. **श्री दौलत राम सारण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1978, 1979 और 1980 के दौरान राजस्थान को आवंटित सीमेंट का कोटा इसके पड़ोसी राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा और पंजाब को आवंटित कोटे की तुलना में तथा इस राज्य की जनसंख्या, क्षेत्र तथा इसकी परियोजनाओं के आकार को देखते हुए राज्य की मांग और आवश्यकता से काफी कम था, और यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं;

(ख) क्या सीमेंट नियंत्रक के आदेशों के अन्तर्गत पहली दो तिमाहियों की बढ़ी हुई अवधि के दौरान उठाये गये सीमेंट के कोटे को तीसरी तिमाही के लिए आबंटन के साथ समायोजित कर दिया गया था, और यदि हां, तो उसके आधार क्या है; और

(ग) क्या बढ़ाई गई अवधि के चीनी के कोटे को अगले महीने के कोटे के विपरीत समायोजित नहीं किया गया है, और यदि हां, तो क्या सीमेंट के लिए भी कोई सिद्धांत लागू किया जाएगा;

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) सीमेंट की सम्पूर्ण उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सीमेंट का तिमाही आबंटन जनसंख्या और क्षेत्र आदि के आधार पर न किया जाकर पिछली खपत के मापदण्ड के आधार पर निश्चित् किया जाता है। वर्ष 1978 1979 और 1980 के दौरान राजस्थान राज्य को हरियाणा, पंजाब और गुजरात राज्यों की तुलना में किए गए सीमेंट का आवंटन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राजस्थान	हरियाणा	पंजाब	गुजरात
19 8	6,07,00	6,99,000	10,00,000	14,62,500
1979	6,29,300	6,89,480	9,85,125	16,92,500
1980	5,71,700	6,19,500	9,11,900	15,39,300

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न वितरकों को सप्लाई की जाने वाली मात्रा के आबंटन में राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सीमेंट नियत्रक द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक बिक्री श्रेणी के अन्तर्गत पिछली तिमाही के बचे हुए आवंटन में से अगली तिमाही के पहले महीने के प्रथम 15 दिनों में सप्लाई की जा सकती है। किन्तु, पिछली तिमाही के आवंटन में बकाया आर्डरों पर की गई सप्लाई को सार्वजनिक बिक्री श्रेणी के लिए आबटन में से उस तिमाही में समायोजित करना पड़ेगा जिसमें वास्तव में सीमेंट भेजा गया है।

(ग) सीमेंट आबटन के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं मानी जाती है।

विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन

1229. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में निवेश, ऋण, अनुदान आदि के अतिरिक्त अन्य तरीके से विदेशी धन आ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस धन को प्राप्त करने वाले संगठन कौन-कौन से हैं; और

(ग) क्या इस धन के दुरुपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 6 के अधीन कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ऐसे संगठनों को विदेशी अभिदान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है जिनके निश्चित सांस्कृतिक आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम हैं। इस समय सारे देश में लगभग 5000 संगठन हैं जो सरकार को विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनिमम के अधीन विदेशी अभिदान प्राप्त करने और प्रयोग करने की सूचना देते हैं। इस संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान के दूरुपयोग का कोई विशिष्ट मामला अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाइयां

1230. **श्री अशोक गहलोत :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उपभोक्ताओं को सीमेंट प्राप्त करने में भारी कठिनाईयां हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं की कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही का राज्यवार ब्योरा क्या है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्य कमी है। इस सीमा तक उपभोक्ता सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार वर्तमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके नई क्षमता की स्वीकृति देकर तथा आयात करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक उपाय कर रही है। राज्य सरकारों को भी सार्वजनिक बिक्री और सीमेंट के वितरण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में सलाह दी गई है। सुझाई गई योजना की प्रमुख विशेषताएं सीमेंट स्टाकिस्टों को कानूनी रूप से लाइसेंस देना स्टाकिस्टों का

उत्पादकों से परिणामी सम्पर्क समाप्त करके राज्य सरकारों द्वारा सीमेंट डीलरों को सीधे नियुक्त करना, परमिट पद्धति को लागू करना तथा योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र तदनुसार सीमेंट का सार्वजनिक वितरण करने के लिए 16 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी योजनाएं आरम्भ कर दी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार

1231. **श्री रास बिहारी बहेरा :**

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन ग्रामीण युवकों, जिनके परिवार का एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, को रोजगार देने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) जो साक्षात्कार हो चुके हैं या भविष्य में होने वाले साक्षात्कारों में ऐसी श्रेणी के उम्मीदवारों के चयन हेतु विशेष प्राथमिकता देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) इस प्रश्न पर छठी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के सदर्भ में विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि इस प्रयोजना के लिये राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीयकृत कार्यक्रम व्यवहार्य नहीं होगा। इस प्रयोजना के लिये छठी योजना में जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के लिये विकेन्द्रीकृत नीति अपनाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में मसौदा छठी योजना के पैराग्राफ 13.56 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका उद्धरण संलग्न विवरण में है।

विवरण

मसौदा छठी योजना का पैरा 13.56

जबकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकने वाले वेतन भोगी व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाना और विभिन्न योजना परियोजनाओं और एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत सम्भावी मजदूरी रोजगार का अनुमान लगाना सरल होगा, लाभप्रद स्व-रोजगार संबंधी अवसरों का अनुमान लगाने में कठिनाई आएगी। इसके लिए ही विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों से आने वाले अधिकतम तकनीकी और व्यावसायिक व्यक्तियों और ऋण संस्थानों की आवश्यकता होगी। नियोजन चाहने वाली जनशक्ति तथा वेतन-भोगी, मजदूरी-भोगी, और स्व: रोजगार के लिये उपलब्ध अवसरों के विश्लेषण के आधार पर, कम से कम 'एक परिवार के लिये एक नौकरी देने' सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक उपयुक्त नीति बनाई जाएगी। जिला जनशक्ति आयोजन और रोजगार सृजन परिषद को भी संगत कौशल दक्षता को उन्नत करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उपलब्ध दक्षता में व्यापक अन्तर है। इससे स्थानीय श्रोतों के वैज्ञानिक उपयोगीकरण के आधार पर रोजगार सृजित किये जा सकेंगे। यह प्रक्रिया कबायली, पहाड़ी और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी।

नाइट्रस-ओक्साइड की कमी

1232. श्री एच. एन. गौड :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रस ओक्साइड जो एक निश्चेतक है, की भारी कमी है;

(ख) इस कमी के क्या-क्या कारण हैं और क्या इस कमी के कारण सम्पूर्ण देश के विभिन्न अस्पतालों में अनेक आपरेशन या तो रद्द कर दिये गये हैं अथवा स्थगित कर दिये गये हैं;

(ग) क्या इस महत्वपूर्ण सहायक औषधि के निर्माण पर एक गैर-सरकारी फर्म का एकाधिकार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार नाइट्रस-ओक्साइड के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) यद्यपि नाइट्रस आक्साइड की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, फिर भी इस वस्तु के उत्पादन के लिये आधारभूत कच्चे माल लिक्विड एमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई कम हो जाने के कारण अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जहां तक पता लगाया जा सकता है, इस कारण दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में आपरेशन स्थगित अथवा रद्द करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) मैसर्स इण्डियन आक्सीजन लिमिटेड के पास बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में नाइट्रस आक्साइड का उत्पादन करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 3 20 लाख लीटर प्रति वर्ष है। मैसर्स सुपीरियर एग्रर प्रोडक्ट्स ने भी फरीदाबाद में एक 1000 लीटर प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता वाला एकक स्थापित किया है।

(घ) और (ङ) यह अनुमान है कि 1984-85 तक नाइट्रस आक्साइड की कुल आवश्यकता 5000 लाख लीटर हो जायेगी। जबकि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 4920 लाख लीटर है।

नाइट्रस आक्साइड सहित औद्योगिक गैस के उत्पादन में लाइसेंस सम्बन्धी कोई बाधा नहीं है। तदनुसार, एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले गृहों एवं विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कम्पनियों के अलावा, कोई भी एकक किसी ऐसे क्षेत्र में बिना लाइसेंस के नई क्षमता स्थापित कर सकता है जो क्षेत्र सरकार की वर्तमान स्थापना स्थल सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत वर्जित न हो।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर को अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए अनुमति

1233. श्री पी. के. कोडियन :

श्री के. कुन्हम्बु :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री के. ए. राजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर को 20000 टन प्रक्षलक (डिटरजेन्ट) की

अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोलगेट पामोलिव कम्पनी को 20,000 टन प्रक्षालक प्रति वर्ष तैयार करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रक्षालक का निर्माण करने के लिये नये लाइसेंस प्रदान किये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को उनके जम्मू स्थित विद्यमान एकक में प्रतिवर्ष 10,000 मीट्रिक टन सिन्थेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन करने हेतु एक आशय पत्र दिया गया है।

(ख) इस कम्पनी के दो तथा अन्य अनेक कम्पनियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) चूंकि सिन्थेटिक प्रक्षालकों के उत्पादन का कार्य 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट 1 के अन्तर्गत आता है इसलिये एम. आर. टी. पी./फेरा कम्पनियां भी इन्हें बना सकती हैं।

सौर ऊर्जा का उपयोग

1.34. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में व्यापक अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार पृथ्वी की कक्षा (आरबिट) में सौर ऊर्जा की बिजली में परिवर्तन करने के लिये सौर सैलों वाले बड़े प्रकाश-वोल्टिक विन्यास सहित एक उपग्रह स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छठी योजना में सौर ऊर्जा के लिए धन राशि

1235. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना में सौर ऊर्जा के विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : छठी योजना में नये और नवीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोत्रों के विकास और ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों के अधिक कुशल उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये 50 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गई है जिसमें से 40 करोड़ रु० सौर ऊर्जा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों के विकास और उपयोग के लिये है।

बहुराष्ट्रीक कम्पनियों द्वारा अस्वस्थ तकनीकी के आयात पर प्रतिबन्ध

1216. **श्री के. ए. राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन्टरनेशनल लोंगशेयर मेन्स एण्ड वेयर हाउस मेन्स

यूनियन (आई. एल. डब्ल्यू. यू.) द्वारा लगाये गये आरोप की ओर दिलाया गया है कि कालगेट-पालमालिव का बर्कले (कैलीफोर्निया) का डिटरजेण्ट संयंत्र इसके कर्मचारियों पर 1.4 डायाक्सेम सहित विभिन्न विषैले मिश्रण छोड़ता है, जिसके कारण कैंसर होता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव यह निश्चित करने का है कि कालगेट पालमोलिव देश में ऐसी तकनीकी का आयात न करे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) मैसर्स कोलगेट पालमोलिव बम्बई के सिन्थेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन करने के आवेदन तथा अन्य कम्पनियों के भी औद्योगिक लाइसेंस देने विषयक आवेदन पर सरकार के विचाराधीन हैं।

सरकार द्वारा अभी तक सिन्थेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिक का आयात करने की अनुमति तो नहीं दी गई है किन्तु भविष्य में यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो इस बात का सुनिश्चय कर लिया जायेगा कि देश में स्वास्थ्य के लिये खतरनाक किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात न किया जाये।

मणिपुर सिविल और पुलिस अधिकारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए नाम-निर्देशन

1237: **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1980 से अब तक की अवधि के दौरान मणिपुर सिविल और पुलिस के कितने अधिकारियों को क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए नाम-निर्देशित किया गया है;

(ख) इस समय मणिपुर में (श्रेणीवार) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने-कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे इन अधिकारियों में से कितने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को बढ़ाया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) उक्त अवधि के दौरान मणिपुर सिविल सेवा अथवा पुलिस सेवा का कोई अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

1238. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के वर्ष 1978-79 के लिये 26वें वार्षिक प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978-79 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 26वें वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को भेजी गई हैं। उनसे आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों पर तुरन्त कार्यवाही करने और इस मन्त्रालय को की गई कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

थल सेना में जनरलों के अतिरिक्त पद

1239. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सरकार ने पदोन्नति में अत्यधिक अवरोध को दूर करने के लिए मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल आदि के रैंकों से पदोन्नति के लिए अवसर बनाने की दृष्टि से हाल में सेना में जनरलों के कुछ अतिरिक्त पद बनाए हैं;

(ख) इस निर्णय के फलस्वरूप थल सेना नौ सेना तथा वायु सेना में होने वाली सम्भावित पदोन्नतियों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सिपाही तथा अन्य कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसरों तथा गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों के लगातार पदोन्नति अवरोध को दूर करने तथा उनकी फील्ड अफसरों के स्तर तक पदोन्नति की जैसा कि पैरा मिलीट्री फोर्स में सिपाही डिप्टी कमाण्डेंट तथा सी. एस. जी.ओ. के स्तर तक पदोन्नत हो सकता है, सुनिश्चित करने के लिए ऐसी ही व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) थल सेना में मेजर के कुल 1283 पदों का दर्जा बढ़ा कर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टि० कर्नल 583 पदों का कर्नल/लेफ्टि. कर्नल के 125 पदों का ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के 62 पदों का मेजर जनरल तथा मेजर जनरल के 11 पदों का दर्जा बढ़ा कर लेफ्टि जनरल कर दिया गया है। इसी प्रकार नौ सेना में लेफ्टि. कमाण्डर के कुल 120 पदों का दर्जा बढ़ा कर कमाण्डर, कमाण्डर के 60 पदों का कैप्टन, कैप्टन/कमोडोर के 8 पदों का रियर एडमिरल तथा रियर एडमिरल के 3 पदों का दर्जा बढ़ा कर वाईस एडमिरल कर दिया गया है। वायु सेना के मामले में स्क्वाइन लीडर के 360 पदों का दर्जा बढ़ा कर विंग कमाण्डर, विंग कमांडर के 80 पदों का ग्रुप कैप्टन में, ग्रुप कैप्टन के 70 पदों का एयर कमोडोर में, एयर कमोडोर के 16 पदों का एयर वाईस मार्शल में तथा एयर वाईस मार्शल के 5 पदों का दर्जा बढ़ा कर एयर मार्शल कर दिया गया है।

(ग) तथा (घ) तीनों सेनाओं के अन्य रैंकों में भी भिन्न प्रकार के पदोन्नति के अवसर बनाए गए हैं :—

थल सेना : जे. सी. ओ. रैंक में पदों की संख्या 40% बढ़ा दी गई है हवलदार के रैंक में 45% तथा नायक के पदों की संख्या 50% बढ़ा दी गई है।

नौ सेना : नौ सेना में विभिन्न रैंकों में बढ़ाए गए पदों की संख्या का प्रतिशत पैटी

आफिसर के मामले में 71% है, चीफ पैटी आफिसर तथा मास्टर चीफ पैटी आफिसर के मामले में यह 95% है।

वायु सेना : पदों का दर्जा बढ़ाए जाने के फलस्वरूप वारन्ट अफसर के पदों में 21% की बढ़ौतरी से लेकर सार्जेंट के पदों के मामले में 95% तक की बढ़ोतरी की गई है।

तीनों सेनाओं में पदों की बढ़ौतरी के प्रतिशत में अन्तर सभाओं को अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा रैंकों के ढांचे के कारण हैं।

इस तरह अन्य रैंकों में पदों का दर्जा बढ़ाए जाने के अतिरिक्त जे. सी. ओ. (कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अफसरों) तथा अन्य रैंकों के लिए अफसर संवर्ग में सीधी भर्ती की भी व्यवस्था हैं थल सेना में कमीशन प्राप्त अफसर रैंकों में कुल खाली पदों का लगभग 1/5 हिस्सा आर्मी कैडेट कालेज विंग तथा स्थाई कमीशन (विशेष सूचि) योजनाओं के माध्यम से सिपाहियों की पदान्नति से भरा जाता है।

वायु सेना में ग्राउन्ड ड्यूटी शाखाओं में कमीशन रैंकों में वर्ष में भरे जाने वाले पदों में से 35% पद वायु सैनिकों के लिए रखे गए हैं। नौसेना में भी नौसैनिकों की अफसर काडर में भर्ती की व्यवस्था है।

थल सेना में अवैतनिक लैफ्टिनैन्ट तथा अवैतनिक कैप्टन के पद तथा दूसरी दोनों सेनाओं में इनके समकक्ष पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है।

जेल स्थितियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1240. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जेलों में बन्दियों के प्रति किए जा रहे अमानवीय व्यवहार की अनेक घटनाओं की जानकारी है, जिसमें व्यापक रोष और तनाव उत्पन्न हो रहा है;

(ख) क्या देश में जेलों की स्थितियों की जाँच करने वाली समिति ने कोई अनन्तिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने जेलों में पौष्टिक भोजन कम्बल, मानवीय व्यवहार और बन्दियों की शिकायतें दूर करने जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (घ) "जेल" राज्यों का विषय होने के कारण सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से मंगाई गई थी। अभी तक असम, सिक्कम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ दादर और नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ने अपने उत्तर भेजे है। जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है, यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय जेल तिहाड़ में घटनाओं की बहुत बड़ी संख्या है, पश्चिम बंगाल में गत कुछ वर्षों के दौरान इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी और उपर्युक्त उल्लिखित शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कैदियों के प्रति अमानवीय व्यवहार की कोई ऐसी घटना सूचित नहीं की गई है' जिससे उनमें

व्यापक शेष और अभाव उत्पन्न हो। जहां तक मूल आवश्यकताओं के विषय में जैसे खाना, कपड़ा आदि का सम्बन्ध है कैदियों को उपयुक्त क्लोरी स्तर का खाना और जलवायु स्थिति के अनुसार कपड़ों की आपूर्ति की जाती है। कैदियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी पर्याप्त प्रबन्ध उपलब्ध हैं। कुछ जेलों में "शिकायत पेटिया" रखी गई हैं, जो कैदियों की आसानी पै पहुँच के अंदर हैं। सातवें वित्त आयोग के निर्णय के अधीन कुछ राज्यों को खुराक कपड़ों आदि में सुधार के लिए धन दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) न्यायमूर्ति श्री ए. एन. मुल्ला (सेवा निवृत) की अध्यक्षता में गठित जेल सुधार समिति ने केन्द्रीय जेल तिहाड़ पर अन्तिरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवेदन मे निहित सिफारिशों में तीन मूल मुद्दों पर जोर दिया गया है, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की आवश्यकता है, इस प्रकार हैं :—(I) जेल जनसंख्या को कम करने की आवश्यकता और कैदियों के व्यक्तिगत अभिलक्षणों और सुधारात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैदियों की उचित वर्गीकरण प्रणाली को विकसित करना (II) हिरासत और सुधार की आधुनिक आवश्यकताओं की प्रर्याप्त रूप से पूर्ति करने के लिए जेल कर्मचारियों कों पुनः संगठित सुव्यवस्थित और विकसित करने की आवश्यकता और (III) कारावास के उद्देश्य अर्थात समाज की सुरक्षा और अपराधियों को सुधारने, के अनुरूप संस्थागत कार्यक्रम को कारगर बनाने की आवश्यकता।

समिति अपने विचार विर्मश को जारी रखे हुए है और देश की समस्त जेलों पर इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

उद्योग सम्बन्धी विशेष कक्ष का समापन

1241. श्री आर. पी. गायकवाड़ क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग की गतिविधियों की निगरानी रखने और इसे कच्चे माल की सप्लाई करने वाले मन्त्रालय के विशेष कक्ष को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इसे पुनः खोलने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) उद्योग मंत्रालय में विभिन्न उद्योगों के लिए उत्पादन की मानीटरिंग करने सम्बन्धी दल गठित किए हैं। ये दल, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक उद्योग के उत्पादन को गतिशील बनाने के लिए निवेशों तथा अवस्थापना सम्बन्धी आवश्यकताओं का समन्वय भी करेंगे। चुनिन्दा अलौह धातुओं की खपत, उत्पादन, आयात तथा वितरण की एक अन्तर-मंत्रालयीय सार्वाधिक संमीक्षा भी की जाती है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हल्दिया में जहाजों की मरम्मत का यार्ड बनाने के लिए कदम उठाना

1242. **प्रो. सत्य गोपाल मिश्र** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हल्दिया में जहाजों की मरम्मत का यार्ड बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : हल्दिया में जहाजों की मरम्मत की सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता ने इन सुविधाओं को हल्दिया में स्थापित करने के लिए किये गए व्यहार्यता अध्ययन के आधार पर सरकार के विचारार्थ एक प्रस्ताव पेश किया है।

नियोक्ता-कर्मचारियों की त्रिपक्ष समिति की बैठक

1243. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपक्षीय समिति, जिस में नियोक्ता, कर्मचारी तथा राज्य सरकारें शामिल हैं की बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (शर्तें तथा रोजगार) अधिनियम में संशोधन करने के लिए चर्चा हेतु नई दिल्ली में जनवरी, 1981 में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) इस बैठक ने सुझाव दिया कि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में उचित संशोधन किया जाए ताकि श्रमिकों के सम्बन्ध में मूल नियोजकों द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदारों के दायित्वों की स्थिति स्पष्ट की जा सके और अधिनियम में विभिन्न दांडिक उपबन्धों को अधिक कठोर बनाया जा सके। इन सुझावों पर विचार हो रहा है।

विदेशी आदेशों के अभाव में नारियल जटा के उत्पादनों का इकट्ठा होना

1244 **श्रीमती शुशीला गोपालन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी आदेशों के अभाव में नारियल जटा के रेशे तथा नारियल जटा के सामान के जमा हो गया भंडार अनुमानतः कितना है;

(ख) इस उद्योग के मजदूरों, जो इस उद्योग में पैदा हुए संकट के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, की सहायता के लिए नारियल जटा बोर्ड द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) स्थिति से निपटने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के संस्थानों द्वारा कितनी मात्रा में भंडार खरीदा गया था; और

(घ) यदि केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों द्वारा भंडार खरीदे जाने को लागू नहीं किया गया था तो इस बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा)। (क) कयर बोर्ड द्वारा कयर केरेशों तथा कयर के उत्पादों के आँकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते किन्तु सरकार को यह पता है कि निर्यात में आई गिरावट के कारण कयर रेशों तथा कयर उत्पादों का कुछ स्टाक जमा हो गया है।

(ख) कयर बोर्ड तथा सरकार ने देश और विदेश से कयर तथा कयर से बने सामान की खरीद में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) देश में ढुलाई की सुविधा के लिए माल डिब्बों का मिलना सुनिश्चित कर दिया गया है।

(2) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से कयर को अधिक सामान खरीदने का अनुरोध किया गया है। उनसे इसी प्रकार के अनुदेश उपक्रमों तथा अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भी जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(3) राज्य सरकारों से सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित/सहायता प्राप्त संस्थानों में कयर के सामान का अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।

(4) जिन देशों के साथ हमने द्विपक्षीय व्यापार करार किए हैं उनके साथ व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(5) देश में बिक्री बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस उद्योग के लिए भावी उपभोक्ताओं में प्रचार करने हेतु उद्यमों के सहयोग से विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं।

(ग) और (घ) उद्योग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों से कयर के सजावट के सामान का अधिकतम उपयोग करने का अनुरोध किया गया है और इसकी खरीददारी निरन्तर चलती रहती है। जो स्टाक उन्होंने खरीदा है उसके अलग से आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सरकार को बेचे गये माल के विशिष्ट लेखे कयर बोर्ड द्वारा नहीं रखे जाते।

औद्योगिक विकास दर

1246. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, दिसम्बर 1980 और जनवरी तथा फरवरी 1981 में औद्योगिक विकास दर क्या थी; और

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान ऋणात्मक विकास दर की तुलना में इसकी स्थिति कैसी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त नवम्बर, 1979 के पश्चात नवम्बर, 1980 के औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक में वृद्धि का क्रम 6.4 प्रतिशत है जो नवम्बर, 1978 के पश्चात नवम्बर, 1979 के महीने की अपेक्षा 0.7 प्रतिशत कम है। उत्पादन के उपलब्ध अनन्तिम आँकड़ों के आधार पर उद्योग मंत्रालय में तैयार किया गया दिसम्बर, 1980 का सूचकांक वर्ष 1979 के इसी मास की अपेक्षा 9.4 प्रतिशत कम था।

जनवरी, 1981 के संबंध में, महत्वपूर्ण उद्योगों अर्थात विद्युत, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा पेट्रोलियम तथा सीमेंट का समग्र उत्पादन गत वर्ष के इसे महीने की अपेक्षा जनवरी, 1981 में 11.3 प्रतिशत अधिक रहा। जनवरी, 1980 का औद्योगिक उत्पादन का अनन्तिम सूचकांक जनवरी, 1979 की अपेक्षा 2.9 प्रतिशत कम था फरवरी, 981 के लिए किसी भी प्रकार की रूपरेखा अभी उपलब्ध नहीं है।

हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनें बिछाना

1247. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालच प्रदेश में किन-किन रेल लाइनों को विछाने का कार्य छठी योजना में शामिल किया गया है;

(ख) गत 34 वर्षों के दौरान भी इस राज्य में कितनी लंवी रेल लाइनें विछाई गई; और

(ग) उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिनके लिए सर्वेक्षण अब तक किया जा चुका है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) शून्य

(ख) नगरोटा से जोगिन्दर नगर तक 55 किली मीटर ।

(ग) 1. साकेत कालका

2. शिमला—नरकंडा और शिमला आन्तरिक संचार

3. वांगड़ा—कुलु

4. नंगल-वांध—तलवाड़ा

5. जगाधरी—पाओंटा—राजवन

6. कालका—परवानू

बर्खास्तगी से पूर्व कर्मचारी को दूसरा नोटिस दिए जाने की पद्धति को बहाल करना

1248. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ के नेताओं ने, बर्खास्त किए जाने से पूर्व कर्मचारी को दूसरा नोटिस दिए जाने की पद्धति को वहाल करने के सम्बन्ध में उनसे (गृह मंत्री) मुलाकात की थी,

(ख) क्या सरकार इस बात से वाकिफ है कि बयालीसवें संशोधन द्वारा, जिसने दूसरी वार के अवसर को समाप्त कर दिया, इसको परिवर्तित किए जाने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत प्रस्तावित दण्ड के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कारण वताओ नोटिस दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद 311 (2) में, जैसाकि यह संविधान (42वां संशोधन), अधिनियम, 1976 द्वारा इसके संशोधन के बाद अब है, स्पष्टतया यह व्यवस्था है कि जाँच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर सरकारी कर्मचारी पर लगाए जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं होगा । सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले अनुशासनिक नियमों को संशोधित संवैधानिक उपबन्धों के अनुरूप संशोधित कर दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल द्वारा आयात किए गए नमक की मात्रा

1249. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नमक का उत्पादन करने वाले राज्यों का क्या विवरण है;

(ख) गत तीन वर्षों में (राज्यवार तथा वर्षवार) पश्चिम बंगाल द्वारा नमक का उत्पादन करने वाले राज्यों से कितनी मात्रा में नमक का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार को पता है कि परिवहन समस्या के कारण नमक के आवागमन पर बुरी तरह असर पड़ता है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चरणजीत चानना) : (क) नमक का उत्पादन करने वाले राज्य ये हैं—

आन्ध्रप्रदेश, गोआ दमन तथा दिव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा पाण्डिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

(ख) विगत तीन वर्षों के पश्चिम बंगाल तथा नमक उत्पादन करने वाले अन्य राज्यों से आयात किए गये नमक का परिणाम इस प्रकार है—

	1978	1979	19 0
			(मी. टनों में)
गुजरात	1,08,700	63,800	54,000
राजस्थान	4,500	100	3,800
तमिलनाडु	2,11,400	2,34,600	2 88,400

इसके अलावा, 1978 में पश्चिम बंगाल में नमक का उत्पादन 4 900 मी. टन, 1979 में 11,000 मी. टन तथा 1980 में 12,400 मी. टन हुआ।

(ग) जी, हां यदाकदा।

(घ) पश्चिम बंगाल के लिए नमक की ढुलाई करने हेतु रेलवे बोर्ड तथा जहाजरानी महानिदेशालय को प्राथमिकता के आधार पर माल डिब्बों का आबंटन करने के लिए कहा गया है। जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाता है सरकार द्वारा रखे गये स्टाक में से भी इस राज्य को नमक दिया जाता है।

लीबिया में बिजली परियोजनाओं को पूरा किए जाने में 'भेल' द्वारा विलम्ब

1250. श्री के. टी. कोसलराम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 महीने की संविदागत अवधि के अन्तर्गत लीबिया में 'भेल' द्वारा शूरू की गयी बिजली परियोजना को पूरा करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) लीबिया में 13 महीने के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली एक सहायक परियोजना को पूरा करने में हुई देरी के क्या कारण है (यह परियोजना भी उपर्युक्त परियोजना के साथ चलानी थी);

(ग) अब उन परियोजनाओं की कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को यथा-संभव शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह संदर्भ संभवतः त्रिपोली पश्चिम विद्युत परियोजना से सम्बन्धित है। इस परियोजना को संविदागत अवधि 220 किलोवाट सब स्टेशन के लिए 35 मास, प्रथम यूनिट तथा हिस्से पुर्जों के प्रथम सेट के लिए 36 मास तथा दूसरे एकक तथा हिस्से पुर्जों के दूसरे सेट के लिए 42 मास है। इन एककों को पहले ही समकालिक बना दिया गया है। संविदागत समय में पूर्ण करने के लिए विश्वासनीयता माँग को पूरा किया जाना है जिसके लिए ग्राहकों तथा परामर्शदाताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ख) यह सन्दर्भ शायद लीबिया में वर्तमान बिजली घर के बायलरों में से एक के नवीकरण से संबंधित है। यह कार्य निर्धारित समय से तीन सप्ताह पूर्व पूरा हो गया है।

(ग) तथा (घ) जैसाकि ऊपर बताया गया है एक परियोजना पूरी हो गई है, जबकि दूसरी की विश्वसनीयता मांग को ग्राहकों तथा परामर्शदाताओं के साथ विचार विमर्श पूरा होने के पश्चात पूरा किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष आयोजन

125. श्री वीरभद्र सिंह : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्रों सम्बन्धी आयोजन के लिए मैदानी क्षेत्रों से भिन्न नीति, तकनीक तथा प्राथमिकताओं और अधिक केन्द्रीय सहायता की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन क्षेत्रों में भौगोलिक एवं जलवायु की भिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो कृषि तथा बागवानी विकास हेतु सिंचाई बीजों, उर्वरकों और अन्य उपकरणों जैसे उन आयोजन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्र सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों विशेषतः हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित करने के लिए ऐसी भिन्न नीति तथा तकनीक अपनाई है और इन शीर्षों के अधीन पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना-कितना नियतन किया गया तथा योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में अनुमोदित छठी पचवर्षीय योजना के दौरान कितना नियतन करने का प्रस्ताव है ?

योजना और श्रम मन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी हाँ।

(ख) छठी योजना में जिन क्षेत्रकों और उप-क्षेत्रकों से पहाड़ी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य नीतियों और तकनीकों को अपनाया जाएगा वे होंगे कृषि बागवानी, जल और भूमि प्रबन्ध वन चारागाह विकास, भू-अपादान, वन उद्योग, पशु पालन, चुने हुए उद्योग और पर्यावरण का संरक्षण ऐसी कार्यनीति और पांचवीं और छठी योजना के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए क्षेत्रकीय आवंटनों के आँकड़े विवरण I और 2 में बताए गए हैं।

विवरण-1

छठी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित कार्यनीति

सामान्य रूप से छठी योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कार्यनीति का उद्देश्य पारिस्थितकीय पुन.स्थापन और संरक्षण के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लाभग्राही-उन्मुख और आधारिक संरचनात्मक विकास कार्यक्रमों के बीच बल में संतुलन रखना है। पहाड़ी क्षेत्र योजना का आशय जल और भूमि के अधिक अच्छे उपयोग के जरिए प्रोत्साहन योग्य विकास को बढ़ावा देने, जल संभर प्रबन्ध के जरिए भूमि कटाव को रोकने, वन रोपण करने, वन वर्धनीय चरागाहों का विकास करने और ढालू चट्टानों पर वार्षिक फसलों की जगह बारहमासी झाड़ियां (वाल वृक्ष) तथा पेड़ और पौध फसल लगाने और अन्य ऐसी अधिक मूल्य- कम आकार की फसलें लगाने का होगा। जो प्रक्रमण और विपणन से सम्बद्ध है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के सन्दर्भ में बागवानी विशेषकर सेव की काश्त के प्रति व्यापक रुचि देखी गई है फसल काटने के बाद शिल्पविज्ञान और विपणन द्वारा इसे समर्थन देने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने हैं। पैकिंग सामग्री की कमी से एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसके कारण मूल्यवान इमारती लकड़ी के पेड़ के वन नष्ट किए जा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उपर्युक्त समाधानों का पता लगाना होगा। पहाड़ी क्षेत्र के जिन भागों में मनुष्यों का बाह्य-प्रव्रजन हुआ हो उनमें ऐसे कृषि उपकरणों और मशीनों की शुरूआत जरूर होगी जिनसे महिलाएं काम कर सकें। महिलाएं अधिकांश कार्य करती हैं, उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए कृषि और वन विज्ञान केन्द्रों में उन्हें अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

भूमि कटाव को रोकने के उद्देश्य से और भूमि का स्खलन तथा कटाव जैसे प्रतिकूल प्रभावों के बिना सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए मिनी जल-संभर प्रबन्ध कार्यक्रमों पर आधारित एकीकृति कार्यनीति का विकास करना होगा। जल-संभर आधार पर छोटे तालाबों तथा जलाशयों में जल कृषि शिल्पविज्ञान का विकास किया जाएगा और सर्दी तथा बसन्त में उनके मंडारण का भी विकास किया जाएगा। जल ग्रहण क्षेत्रों में वन रोपण को प्राथमिकता दी जायेगी। उत्पादन के प्रक्रमण और विपणन सहित दृढ़ संरक्षणात्मक और व्याधि-शमक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा समर्थित वैज्ञानिक प्रबन्ध सम्बन्धी चरागाह भूमि और पशुपालन कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जननिक औषधीय और भोजन के पौधों, फलों, फलों के बागों और अन्य फूलों, जीव मडलीय आरक्षित स्थानों, राष्ट्रीय उद्यान और जननिक पशुओं के बध के लिए वर्जित स्थानों का विकास किया जायेगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को पानी, भोजन, कार्य, चारा पशु आहार, ईंधन और उर्वरकों सम्बन्धी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नई नीतियां आरम्भ की जाएगी। उदाहरण के लिए फसलों के लिए पोषक की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांशत: जैविकीय और खनिज उर्वरकों के जरिए की जायेगी। इससे मात्र खाद उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए रखे गये अजननिक पशुओं पर निर्भरता कम होगी। वन आच्छादित क्षेत्रों में उपर्युक्त जड़ों वाली फसलों सहित फली वाली फसलों की चारे और अन्न दोनों ही प्रयोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर लगाने की शुरुआत की जाएगी। संरक्षण और पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जनता में जागरुकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और छात्रों 'पारिस्थितिकीय विकास शिविरों' और 'पारिस्थितिकीय विकास बलों' का आयोजन किया जाएगा जिनमें भूतपूर्व सैनिक होंगे।

विवरण-2

हिमाचल प्रदेश

(लाख रुपए)

क्षेत्रक	पांचवी योजना में आवंटन	छठी योजना में आवंटन
1	2	3
1. कृषि	1727	3014
2. भूमि सुधार	180	600
3. छोटी सिंचाई	820	2100
4. भू और जल संरक्षण	413	1577
5. क्षेत्र विकास	—	—
6. खाद्य	26	625
7. पशु पालन 8. डेरी विकास	590	675
9. मछली पालन	34	180
10. वन उद्योग	1368	2900
11. कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	25	—
12. सामुदायिक विकास और पंचायतें	203	300
13. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	—	1690
1. कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	5386	14086
2. सहकारिता	290	675
सिंचाई	458	1045
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	60	335
विद्युत	4350	13973
3. सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और विद्युत	4868	15353
ग्राम और लघु उद्योग	284	905
मझौले और बड़े उद्योग	352	800
खनन	96	100
4. उद्योग और खनिज	732	1805
पत्तन, प्रकाश स्मम्म और नौवहन	—	—
नागर विमानन	30	190
सड़कें और पुल	3204	10000

1	2	3
सड़क परिवहन	455	950
जल परिवहन	—	10
पर्यटन	214	700
दूर संचार	—	15
5. परिवहन और संचार	3903	11865
सामान्य शिक्षा	914	
कला और संस्कृति	32	1775
तकनीकी शिक्षा	40	
चिकित्सा (कर्मचारी राज्य बीमे को छोड़कर)		
कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम जन स्वास्थ्य और स्वच्छता	467	1618
मल व्यवस्था और जलपूर्ति	768	5000
आवास (पुलिस आवास को छोड़कर)		
पुलिस आवास	589	1148
शहरी विकास	143	375
सूचना और प्रचार	30	50
श्रम और श्रमिक कल्याण	46	70
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	174	450
समाज कल्याण	25	198
पोषाहार	129	242
6. समाजिक और सामुदायिक सेवाएं	3357	10926
सचिवालय आर्थिक सेवायें	9	25
आर्थिक सूचना और सांख्यिकी		
अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	29	—
7. आर्थिक सेवाएं	38	45
लेखन-सामग्री और मुद्रण	19	170
लोक निर्माण-कार्य	425	900
अन्य	—	175
8. सामान्य सेवायें	444	1245
अनावंटित	4877	—
कुल जोड़	23895	56000

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में आयोग

1252. श्री के. लकप्पा :

श्रीमती मोहसिना किदवई :

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसके गठन के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) :—सरकार ने एक वैकल्पिक ऊर्जा आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है। यह प्रस्ताव है कि यह आयोग नए और नवीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करने, इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों का समन्वय करने और उन्हें तीव्र करने और नए और नवीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

सीमेंन्ट फैक्टरी हैदराबाद के बन्द किए जाने का खतरा

1253. श्री छाँगुर राम :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उद्योग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वैस्टर्न कोयला खदानों से कोयले की सप्लाई से इंकार किए जाने के कारण हैदराबाद के दक्षिण में सीमेंन्ट फैक्टरियों के उत्पाद में काफी व्यवधान पड़ा है, और उनके बन्द होने का खतरा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये उद्योग कौन से हैं;

(ग) किन-किन स्थानों की सीमेंन्ट फैक्टरियों पर असर पड़ा है;

(घ) दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के दौरान उन्हें सप्लाई किए गए कोयले का ब्यौरा क्या है।

(ङ) इसके फलस्वरूप इन सीमेंट कारखानों के उत्पादन में हो रही अनुमानित क्षति क्या है; और

(च) उन कारखानों को कोयले की सप्लाई में कठिनाई दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं'

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. सगमा) (क) और (ख) : दक्षिण में सीमेंट की 7 फैक्टरियाँ अपनी कोयला सप्लाई के एक भाग के लिए वेस्टर्न कोलफील्डस लि. के चन्दा कोयला खदानों से सम्बद्ध हैं। उन्होंने कोयले की कम सप्लाई की सूचना दी है जिसमें सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) चन्दा कोयला खदानों से सम्बद्ध सीमेंट फैक्टरियां अम्मासन्द्रा, डालमिया पुरम, करुर, पण्यम, संकरीदुर्ग, बालेयुथू और टुजुकापट्टी में स्थित हैं। चन्दा कोयला खदानों से

उनके सम्पर्क और दिसम्बर 1980 और जनवरी 1981 में उनके द्वारा प्राप्त कोयले की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण-विवरण I में दिया गया है।

(ङ) केवल चन्दा कोयला खदानों से ही कम सप्लाई के कारण सीमेंट के उत्पादन में हुए नुकसान की मात्रा बताना संभव नहीं है तो भी, उपयुक्त सीमेंट फैक्टरियों के दिसम्बर, 1980 और जनवरी, 1981 के महीनों के दौरान हुए उत्पादन और क्षमता के प्रतिशत उपयोग को दिखाने वाला एक विवरण-विवरण II में दिया गया है।

(च) सीमेंट फैक्टरियों को की गई कोयले की सप्लाई की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और सीमेंट उद्योग की कोयले की सप्लाई बढ़ाने के अभ्युपाय किए जाते हैं।

विवरण I

चन्दा कोयला खदानों से कोयले में अशत: सम्बद्ध सीमेंट फैक्टरियों के नाम, उनके स्थापना-स्थल और दिसम्बर, 1980 तथा जनवरी 1981 में उनके द्वारा प्राप्त कोयले की मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

मी. टनों में

फैक्टरी का नाम	राज्य का नाम जहां स्थित है	मासिक कोयला सम्बद्ध	प्राप्ति दिसम्बर	जनवरी
1. अम्मासन्द्रा	कर्नाटक	6200	4462	2665
2. डालमियापुरम	तमिलनाडु	2200	1377	कुछ नहीं
3. करुर	तमिलनाडु	1600	877	943
4. पण्यम	आन्ध्र प्रदेश	1600	कुछ नहीं	1040
5. संकरी दुर्ग	तमिलनाडु	1600	237	2000
6. तैलैयुथू	तमिलनाडु	1600	कुछ नहीं	61
7. टुलुकापट्टी	तमिलनाडु	6000	×1380 (अनन्तिम)	×3946 (अनन्तिम)
सम्बद्धता से प्राप्तियों का		20800	8353	10655
कुल प्रतिशत			4%	51%

विवरण II

दक्षिण क्षेत्र में स्थित सीमेंट फैक्टरियों में दिसम्बर, 1980 से जनवरी 1981 के महीनों के दौरान हुआ उत्पादन और क्षमता का प्रतिशत उपयोग।

(मी, टनों में)

फैक्टरी का नाम	मासिक क्षमता 1980	दिसम्बर	प्रतिशत	जनवरी 1981	प्रतिशत
अम्मासन्द्रा	42500	37128	87	37340	88
डालमियापुरम	43750	56355	129	46397	106

1	2	3	4	5	6
करुर	33333	35586	107	33009	88
पय्यम	44250	31501	71	28769	65
संकरीदुर्ग	50000	33901	68	43122	86
तिरुनेलवेली	76083	41920	55	56722	75
तुलुकापट्टी	33333	42120	126	34538	104
कुल प्रतिशत	323249	278511	86	279897	87

व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर में क्षमता का उपयोग

1254. **श्री के. एम. मधुकर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में व्हीकल फैक्टरी, जबलपुर में कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ;

(ख) क्षमता के कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए यदि कोई उपाय करने का प्रस्ताव है, तो वे क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्हीकल फैक्टरी जबलपुर की क्षमता के उपयोग का औसत 70.5 प्रतिशत रहा ।

(ख) क्षमता का कम उपयोग होने का मुख्य कारण बिजली तथा पानी की कमी तथा देशी स्रोतों से उपकरणों का न मिलना है ।

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं, जैसे उपस्करों की पूर्ति में संतुलन कायम करना, बिजली तथा पानी की पूर्ति में सुधार और सिविल व्यसाय तथा विदेशों से अधिक मात्रा में उपकारणों की पूर्ति ।

वायलर-राख से सीमेंट का उत्पादन

1255 **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने धान की पैरावों-अनिंग और चूने की वायलर राख से सीमेंट उत्पादित करने की कार्यविधि विकसित की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने वाणिज्यक स्तर पर इस कार्यविधि द्वारा सीमेंट का उत्पादन करने का प्रयोग किया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं और सीमेंट की कमी के इन दिनों में इसके वाणिज्यिक उद्योग के लिए क्या कदम उठाए हैं'

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क. जी, हाँ । चावल भूसी की राख से सीमेंट जैसी सामग्री बनाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया विकसित की गई है ।

(ख) राष्ट्रीय अनूसधान विकास निगम चावल की भूसी से सीमेंट का उत्पादन करने के लिए एक पार्टी के साथ एक विकास परियोजना में भाग ले रहा है ।

(ग) चूंकि योजना अभी विकास की प्रक्रिया में है, अतः इस अवस्था में उसके परिणामों के बारे में बताना समय पूर्व होगा। प्रक्रिया का वाणिज्यिक उपयोग करना परियोजना की सफलता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश में रक्षा/आयुध कारखाने की स्थापना

1256. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कोई रक्षा/आयुध कारखाने (आर्डनेंस फैक्टरी) की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय का कोई सचिव इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से विचार विमर्श करने के लिए लखनऊ गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) से (ग) नये रक्षा/आयुध कारखानों को स्थापित करने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों पर सरकार ने कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है। रक्षा उत्पादन की नई इकाइयों को अपने राज्यों में स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने दिलचस्पी दिखाई है।

प्रस्तावित नई इकाईयों को कहाँ स्थापित किया जाए इस प्रश्न पर विचार करने के लिए रक्षा उत्पादन सचिव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधर पर लखनऊ का दौरा किया था।

प्रतिशत औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार किया जाना

1257. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री चित्त बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गतिविधि के पुनर्विलोकन से पता चलता है कि 1981-82 के लिये उत्पादन में 10 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि के लिए आधार तैयार करना संभव होगा;

(ख) यदि हाँ तो इस पुनर्विलोकन का क्या आधार है जिससे हम भविष्य के बारे में पुनः आश्वस्त हो सकते हैं; और

(ग) 1979-80 में औद्योगिक विकास में पुनः तेजी लाने के लिए वर्तमान सरकार ने क्या उपाय किये हैं और क्या उनसे अच्छे परिणामों के संकेत मिल रहे हैं;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) वर्ष 1979-80 की पिछली नकरात्मक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में भी बनी रही। किन्तु प्राप्त अद्यतन जानकारी के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में जुलाई, 1980 से पुनः सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण उद्योगों अर्थात विद्युत, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम रिफाइनरी-उत्पाद, कच्चा पेट्रोलियम तथा सीमेंट में गत वर्ष के इसी महीने की अपेक्षा जनवरी, 1981 में समग्र रूप से 11.3 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर उच्चतम स्तर पर उत्सुकता से ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न अड़चनों को दूर करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक अभ्युपाय किए गए हैं। विद्यमान क्षमता के इष्टतम उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है और अवस्थापना

संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिये वर्ष 1980 के आरम्भ से ही गंभीर प्रयास किए गए हैं। सरकार द्वारा अपनाए गए नीति संबंधी सकारात्मक रवैये के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन से सुधार होगा।

नौ सेना गोदी, बम्बई के असैनिक कर्मचारियों के ग्रेडों में असंगतियां

1258. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग के बाद सरकार ने नौसेना गोदी, बम्बई के असैनिक कर्मचारियों के ग्रेड़ों में असगतियों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति नियुक्ति की थी;

(ख) क्या वर्गीकरण समिति का प्रतिवेदन वर्ष 1978 में प्रस्तुत किया गया था और कुछ और असगतियों को दूर ककने के लिए 1979 में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया था और समिति का प्रतिवेदन उसी वर्ष के दौरान सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था; और

(ग) दोनों प्रतिवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में एक विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति नियुक्त की गई थी, जिसने रक्षा स्थापनाओं और नेवल डाकयार्ड बम्बई सहित सभी औद्योगिक तथा कुछ गैर औद्योगिक पदों का मूल्यांकन किया था। समिति ने 1979 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इसके उपरान्त एक और समिति अर्थात कामन केटेगरी जाब्स कमेटी गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट फरवरी, 1980 में प्रस्तुत की है।

पहली समिति की रिपोर्ट में इस समिति के द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर रक्षा कर्मचारियों के लिए उनकी कुशलता के अनुसार वेतनमान नियत करने के प्रस्ताव थे। दूसरी रिपोर्ट में मुख्यतया रक्षा तथा रेलवे कर्मचारियों के लिए रखे गए ग्रेडों में समानता लाने के प्रश्न पर विचार किया गया है। इन दोनों रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है और आशा है इस मामले में निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा।

भविष्य निधि का वसूली प्रमाण-पत्र

1259. **श्री के. राममूर्ति :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 को भविष्य निधि की बकाया राशि क्या है तथा 31 दिसम्बर 1980 को विभिन्न कलेक्टरों के पास लम्बित वसूली प्रमाण-पत्रों की राज्यवार सख्या क्या है; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिस्थापनों की संख्या तथा कुल सदस्य संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों का आयात

1260. **प्रो अजीत कुमार मेहता :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादत करने वाले उपकरणों के आयात करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में भारत हेवी इलैक्ट्रीक्ल लिमिटेड का 60,110, 200, 210 मेगावाट की या इससे अधिक की क्षमता के विभिन्न विद्युत उत्पादन उपकरणों का वर्तमान उत्पादन कितना है;

(ग) क्या भारत हेवी इवैक्ट्रीकल लिमिटेड के विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों के वर्तमान उत्पादन से विभिन्न राज्यों की माँग पूरी हो सकेगी;

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों को विद्युत उत्पादन करने वाले उपकरणों के आयात की अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसका विभिन्न राज्यों के विद्युत उत्पादन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए संगमा) (क) जी, नहीं। विद्युत जनित्रण उपकरण के आयात की बिल्कुल ही अनुमति न देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) तथा (ग) बी: एच. ई. एल. को छठी परियोजना में परिकल्पित विद्युत कार्यक्रम के लिए विद्युत जनित्रण उपकरण की आवश्यकता को पूरी तरह पूरा कर लेने की आशा है। विभिन्न क्षमता के सेटों के लिए वी. एच. ई. एल. की अधिष्ठापित क्षमता तथा वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक की क्रयादेश स्थिति का एक विवरण संलग्न है।

(घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

		1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
थर्मल सेट					
क्षमता	60 मेगावाट	6	6	6	6
	110 मेगावाट				
	120 मेगावाट				
	210 मेगावाट	10	9 10 या	9 11 या	9 11 या
	500 मेगावाट	—	2 1	4 3	4 3
क्रयादेश स्थिति	60 मेगावाट				
	स्थायी क्रयादेश	2	—	—	—
	प्रत्याशित क्रयादेश	—	2	2	—
110 मेगावाट					
	स्थायी क्रयादेश	3	3	2	—
	प्रत्याशित क्रयादेश	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
120 मेगावाट					
	स्थायी क्रयादेश	—	—	—	—
	प्रत्याशित क्रयादेश	—	—	1	—
210 मेगावाट					
	स्थायी क्रयादेश	10	7	1	—
	प्रत्याशित क्रयादेश	—	3	8	—
500 मेगावाट					
	स्थायी क्रयादेश	1	—	—	—
	प्रत्याशित क्रयादेश	—	—	1	3

आपथेल्मिक रफ ब्लेक्स ऐनक के बिना नम्बर वाले शीशों की मांग

1261. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपथकल्मिक रफ ब्लेक्स (ऐनक के बिना नम्बर वाले शीशों की माँग बहुत बढ़ गई है और उनकी माँग को आयात से पूरा किया जा रहा है चूंकि उसका देश में उत्पादन नहीं होता है;

(ख) क्या आपथेल्मिक रफ ब्लेन्क्स के देश में उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को मिला है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में आपथेल्मिक रफ ब्लेन्क्स के उत्पादन के प्रस्ताव से सहमत हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यद्यपि देश में आपथाल्मिक ग्लास रफ ब्लेंक्स का निर्माण किया जा रहा है, समस्त माँग की पूर्ति करने हेतु यह उत्पादन पर्याप्त नहीं है। मांग एवं पूर्ति का यह अन्तर आयात के जरिये पूरा किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) जी, हां। मैसर्स सिराईकला ग्लास वर्क्स प्राइ० लि० ने देश में अर्थात् बिना विदेशी तकनीकी सहयोग का सहारा लिये ही 2000 मी. टन तक इस वस्तु का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिये एक आवेदन पत्र दिया था। आवेदक को यह सूचना दे दी गई है कि चूंकि परियोजना में प्रस्तावित निवेश 300 लाख रुपये से कम है वह तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण करा लेने हेतु हकदार है और इसके लिये वह आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

बिहार के व्यय में वृद्धि

1262. **श्री राम विलास पासवान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना में बिहार के लिए सम्मिलित 5000 करोड़ रुपये के व्यय को घटा कर 3200 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो बिहार के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस व्यय में वृद्धि करने का है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बिहार की छठी योजना का आकार, राज्य की योजना के प्रारूप में सुझाए गए 4022.46 करोड़ रु० के मुकाबले, राज्य सरकार के परामर्श से 3225 करोड़ रु० नियत किया गया है।

(ख) संसाधनों की समग्र वाध्यकारिता को ध्यान में रखते हुए 1980-85 के लिए बिहार की योजना के आकार को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों की छात्रवृत्ति

1263. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग ने ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने का निर्णय किया है जो विकलांग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सभी मंत्रालयों को ऐसे अनुदेश जारी करेगी ताकि ऐसे कर्मचारियों के बच्चों को कुछ राहत मिले और उनकी शिक्षा आदि में सुधार हो सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विकलांग बच्चों के मामलों पर भी विचार करने का है जो बोल नहीं सकते अथवा जिनका जन्म के बाद बोलने का सामर्थ्य नहीं रहा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान। डाक तथा तार कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) से (घ) समाज कल्याण मंत्रालय शैक्षिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए "नेत्रहीनों, बहरों तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/वजीफे" की एक योजना चला रहा है। सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चे भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पूंजी लगाया जाना

1264. **श्री जार्ज फर्नांडिस** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या पंचवर्षीय योजना के लिए सुमेल स्रोतों का पता लगा लिया गया है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 1979-80 की कीमतों पर 172,210 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की परिकल्पना है जिसमें से 97,900 करोड़ रु० सरकारी क्षेत्रक में होगा और 74, 710 करोड़ रु. निजी क्षेत्रक में होगा।

(ग) जी हां।

स्वतंत्रता सेनानी संसद् सदस्यों की बैठक

1265 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो संसद सदस्य स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं उनकी एक बैठक 22 दिसम्बर 1980 को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन के तत्वाधान में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संसद सदस्यों ने स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ अधिक सुविधाएं देने के लिए कुछ सुझाव दिए थे;

(ग) यदि हां. तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संसद सदस्यों की बैठक 23 दिसम्बर, 1980 को हुई थी।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) चूंकि स्वतन्त्रता सेनानियो को पेंशन स्वीकृत करने के लिए उदार बनाई गई योजना 1-8-1980 से लागू हुई है अतः इस समय योजना में और आगे छूट देने पर विचार करना उपयुक्त नहीं है।

जहाँ तक पेंशन स्वीकृत करने के लिए कुछ अन्य आन्दोलनों को अर्हक आन्दोन के रूप में मान्यता देते से संबन्धित सुझाव का सम्बन्ध है, मामला विचाराधीन हैं।

अन्य सुझावों पर कार्यवाई की जा रही है और राज्य सरकारों आदि को शीघ्र उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाने की आशा है।

विवरण

23 दिसम्बर, 1980 की बैठक में संसद सदस्यों द्वारा उठाये गये मूद्दे।

1. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना :

1. संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक राज्य का कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। सदस्यों को किसी विशेष क्षेत्र से सहयोजित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जब उस क्षेत्र के किसी विशेष प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो। समिति के पास उसके कार्य में सहायता देने के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारी होने चाहिए।

2. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए जेल यातना घटाकर 3 महीने की जानी चाहिए और क्षमा की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 2 महीने की जानी चाहिए।

3. जो स्वतन्त्रता सेनानी भूमिगत यातना, नजरबदी/निष्कासन के बारे में प्रमाण पत्र दे सकते हैं उनके लिए अपेक्षित 5 वर्ष की जेल यातना घटाकर दो वर्ष की जानी चाहिए। हैदराबाद आन्दोलन में, 5 वर्ष की जेल यातना का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा और यदि इस शर्त पर बल दिया जायेगा तो लगभग 600 भूमिगत कार्यकर्ता पेंशन से वंचित हो जायेंगे।

4. सहबदी प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में सहकारावास की सही तारीख देने पर जोर देने की वर्तमान शर्त हटा देनी चाहिए - इनमें से बहुत से व्यक्तियों के बहुत बद्ध होने और जेल यातना के 35 वर्ष से अधिक बीत जाने के कारण सही तारीखें देना संभव नहीं हैं।

5. ट्रावनकौर राज्य में तेलंगाना आन्दोलन, पुन्नापरा व्यालार और देश को स्वाधीनता

के लिए अनेक आन्दोलन जो भारत के बाहर हुए जैसे मिश्र विद्रोह, जर्मनी, सिंगापुर तथा मलेशिया में आन्दोलन जैसे आन्दोलनों को मान्यता दी जानी चाहिए।

6. स्वतन्त्रता सेनानियों के माता पिता को पेंशन दी जानी चाहिए। बिना साधन के बच्चों तथा पुत्रों को भी पेंशन दी जानी चाहिए।

7. संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और पेंशन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि भूतपूर्व संसद सदस्य अपनी भूतपूर्व ससद सदस्य पेंशन की पूरी रकम के अतिरिक्त अपनी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन ले सकें।

8. उचित सत्यापन के बिना केवल शिकायत पर कोई पेंशन स्थगित न की जाए।

9. स्थगित की गई पेंशन बहाल करने में विलम्ब कम किया जाना चाहिए। यदि दो वायरलेस अनुस्मारकों के बाद राज्य की रिपोर्टें प्राप्त नहीं होती हैं तो पेंशन बहाल कर दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में अधिक भुगतान वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

10. पेंशन का वितरण चैक तथा मनीआर्डरों द्वारा जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

11. प्रत्येक ब्लाक मे स्वतत्रता सेनानी पेंशन के वितरण के लिए एक बैंक अथवा एक डाक घर प्राधिकृत होना चाहिए।

2. ताम्रपत्र :

1. अभी तक ताम्रपत्र वितरित नहीं किये गये हैं हालाकि ये काफी समय से राज्य और जिला मुख्यालयों में पड़े हुए हैं।

2. ताम्रपत्र आवेदन पत्र के बिना ही दिये जाने चाहिए।

3. दिवंगत स्वतत्रता सेनानियों के ताम्रपत्र उनके आश्रितों को दिये जाने चाहिए।

3. सामान्य :

1. स्वतंत्रता सेनानियों के डाक्टरी उपचार के लिए भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिए।

2. स्वतत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए सेवाओं में, गैस डीलरस लाइसेंसों, पेट्रोल लाइसेंसों, स्कूलों तथा कालेजों में दाखले और भूमि आवंटन में आरक्षण होना चाहिए।

3. स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ब्लाक मुख्यालयों में प्रदर्शित किये जाने चाहिए।

4. स्वतत्रता सेनानियों को राज्य समारोहों में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।

5. प्रत्येक जिले में स्वतत्रता सेनानियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कोई अधिकारी मनोनीत किया जाना चाहिए।

सौर-ऊर्जा के उपयोग के लिए अनुसंधान परियोजनायें

1266. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर-ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किन स्थानों पर अनुसंधान परियोजनाए शुरू की गई हैं और ये परियोजनायें कब शुरू की गई थीं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा के उपयोग में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विभिन्न संभावी अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । 1975 में प्रारम्भ किए गये विज्ञान एवं प्रौद्योगिक के इस व्यापक आधार वाले नव ऊर्जा स्रोतों के एकीकृत कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन संबधी गतिविधियां आती हैं तथा अनुसंधान संस्थाओं, उद्योगों, उपभोक्ता और विस्तार अभिकरणों द्वारा इनमें भाग लिए जाने की अपेक्षा की जाती है । ऐसी संस्थाओं की एक सूची, जहां विभाग द्वारा अनुसंधान और विकास परियोजनायें प्रायोजित की गई है, अनुबन्ध में दी जा रही है । पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के उपयोग में काफी विशेष योग्यता का विकास किया जा चुका है और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों और उत्पादों का विकास किया गया है । 1980-81 के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस कार्यक्रम में और कई उपक्रम किये हैं और विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठान की गति को उल्लेखनीय रूप से तीव्रता प्रदान की है । इस समय भी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर कुछ सीमा तक कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में तेल की आवश्यकताओं को विशेष रूप से लघु सिंचाई, पेय जल, घरेलू, निम्न और माध्यमिक घरेलू तापमान की प्रक्रियाओं की ताप आवश्यकताओं के लिए एक सीमा तक सौर ऊर्जा, जैव भार और वायु ऊर्जा के द्वारा बदलना सम्भव है । बहरहाल अधिकांश उपयोगों में इसका मूल्य परम्परागत विकल्पों की अपेक्षा अधिक है । वर्तमान प्रयत्न विभिन्न अनुप्रयोगों की विभिन्न युक्तियों तंत्रों) की मूल्यों में कमी और दक्षता में सुधार की दिशा में किए जा रहे हैं । छठी योजना के दौरान, विभाग पहले से ही विकास की गई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल दे रहा है ताकि सौर ऊर्जा स्रोतों का देश में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके ।

सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आते हैं यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन, फसल शुष्कन, विलवणीकरण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन आदि । इस वर्ष के दौरान प्रदर्शन जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना पुणे स्थित कुष्ट रोग हस्पताल और अहमदाबाद स्थित एक कपड़ा मिल में की गई है । इस समय एक डेरी (वारंगल) एक बेकरी (माडर्न बेकरी), एक आश्रवनशाला (मोरथल हरियाणा) और एक इलैक्ट्रानिकी (सी. ई. एल) और मशीनी औजार फैक्टरी (एच. एम. टी.) में जल तापन प्रणालियों की प्रतिष्ठापना की जा रही है । एक प्रदर्शन रोकड़ फसल शुष्कक की स्थापना गोहाटी में की गई है और तम्बाकू संसाधन, प्लाइवुड की वेनियर शुष्कन और रोकड़ फसल शुष्कन के लिए शुष्ककों की प्रतिष्ठापना की जा रही है । एक उत्पाद विकास और विश्लेषण केन्द्र की स्थापना की बातचीत चल रही है ताकि बड़े पैमाने पर आदि प्रारूपों के विकास, प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण के कार्य को हाथ में लिया जा सके ।

सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संविरचना के स्तर को बढ़ाने और सौर सैलों की प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों और कुशलताओं में सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है । और साथ ही कम लागत की सौर ग्रेड की सिलिकान सामग्री के विकास और स्वदेश में निर्माण पर बल दिया जा रहा है । परिचालनों की मैगावाट स्तर पर उत्थित करने के लिए पूर्व वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र परियोजना और व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर

के प्रदर्शन को भी आरम्भ किया जा रहा है। प्रदर्शन प्रकाश वोल्टीय पम्पों की अवानिय (गुजरात) और तिजारा (राजस्थान) गांवों में, आई. ए. आर. आई., नई दिल्ली में और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में प्रतिस्थापित किया गया है। नई दिल्ली की एक आवास बस्ती में, मद्रास के एक मत्स्यशाला अनुसंधान संस्थान में, गुजरात, पश्चिमी बंगाल और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालयों में, मीजोराम और लद्दाख में पम्पों की स्थापना की जा रही है। लद्दाख में एक गांव में सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था से संबंधित परियोजना, जहाजरानी चालन के लिए रेडियो बीकन यंत्रों की परियोजना और सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन सैटों के लिए परियोजनाओं में प्रकाश वोल्टीय मोडयूलों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया है।

1. इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, दिल्ली।
2. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, बम्बई।
3. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, खड़गपुर।
4. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, कानपुर।
5. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, मद्रास।
6. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर।
7. नैशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली।
8. सैन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमिकल्ज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर।
9. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, हैदराबाद।
10. नैशनल इन्डस्ट्रियल डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली।
11. सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद।
12. नैशनल रिशर्च एण्ड डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, नई दिल्ली।
13. पंजाब एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी लुधियाना।
14. इण्डियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर
15. कर्नाटक स्टेट कौंसिल कार साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, बंगलौर
16. अन्नामलाई युनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर।
17. नागार्जुन युनिवर्सिटी, नागार्जुन नगर।
18. रमन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर।
19. इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मिटिग्रोलोजी, पुणे
20. आन्ध्र युनिवर्सिटी, वाल्टेयर।
21. एल. डी. कालिज आफ इन्जीनियरिंग, अहमदाबाद।
22. इलाहाबाद पालीटैक्नीक, इलाहाबाद।
23. इण्डियन एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइन्स, कलकत्ता
24. युनिवर्सिटी आफ कल्याणी, कल्याणी।
25. सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी
26. रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, भुवनेश्वर।
27. फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट एण्ड कालिजिस, देहरादून
28. अमुल डेरी, आनन्द।

29. बिरला इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड साइन्स, पिलानी।

30. इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद।

31. एम. जी. एम. कालेज, उडुपी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1267. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्धनता के नीचे की श्रेणी का जीवन बिताने वाले लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन लगभग 4,924 करोड़ रु. की राशि का नियतन किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सभी अभावग्रस्त गाँवों में ग्रामीण जल सप्लाई हेतु कृषि उद्योग तथा बिजली विकास कार्यक्रमों के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, पर्वतीय क्षेत्रों, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास तथा गन्दी बस्तियों की सफाई आदि के लिए राज्यवार कितनी राशि का नियतन किया गया है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के अन्तर्गत 4,924 करोड़ रु. की व्यवस्था के अलावा केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 883 करोड़ रु. की राशि रखी गई है।

(ख) इन कार्यक्रमों में से, केवल ग्रामीण जल पूर्ति, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास और गंदी बस्तियों की सफाई न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है। राज्य क्षेत्रक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार छठी योजना परिव्यय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एन. टी. 1959/81]

आर. ए. पी. पी. I के बन्द होने के बारे में जांच के निष्कर्ष

1268. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा स्थित आर. ए. पी. पी. I में बिजली उत्पादन में बाधक होने वाली घटनाओं के बारे में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की गई जाँच पूरी हो गई है और उसके निष्कर्ष उपलब्ध हो गये हैं;

(ख) उसमें क्या क्या तथ्य प्रकाश में आये; और

(ग) भविष्य में कोटा एकक के बन्द होने को रोकने के लिये क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। राजस्थान परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट में 18 दिसम्बर, 1980 को हुई घटना की जाँच की गई और उसका कारण यह पाया गया कि कंट्रोल पावर सप्लाई में एक बाधा उत्पन्न हो गई थी जिससे अन्ततः एक सुरक्षा-तंत्र चालू हो गया था और उसके परिणामस्वरूप, रिएक्टर के सिस्टमों के सामान्य

प्रचालन की स्थिति में रहते हुए भी, बिल्डिंग के सबसे ऊंचे भाग में बनी एक टंकी में जमा किया गया पानी बिल्डिंग में भारी मात्रा में पहुँच गया।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण पैरामीटरों को मानिटर करने के लिये अतिरिक्त उपस्कर लगाये जा रहे हैं और प्रचालन-प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

1269. **श्री जैनुल बशर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय ने औद्योगिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े कुछ जिलों का चयन किया है;

(ख) चयन का मानदंड क्या था;

(ग) क्या मन्त्रालय का ध्यान औद्योगिक विकास के लिए 1964 में पटेल आयोग द्वारा सिफारिश किये गये जिलों की ओर दिलाया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) पिछड़े हुये क्षेत्रों का विकास करने के लिये केन्द्रस्थ संयन्त्र स्थापित करने की घोषणा के संदर्भ में उद्योग राज्य मन्त्री के नवम्बर 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री सहित सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस अनुरोध के साथ लिखा था कि वे अपने राज्य में उन दो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों का नाम सुझायें जिनमें औद्योगिक विकास की गति तेज करने का आयोजन किया जा सकता है तथा अनुषंगी एककों को आगे पीछे की आवश्यक सहायता सहित केन्द्रस्थ संयन्त्र स्थापित किये जा सकते हैं। इस पत्र का उत्तर मिलने की प्रतिक्षा है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चीन समर्थक तत्वों की गतिविधियों में तेजी

1270. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, विशेष रूप से नागालैंड में कतिपय चीन समर्थक तत्वों की गतिविधियों में आई नई तेजी से संबंधित विचलनकारी समाचारों की ओर दिलवाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चीन समर्थक तत्वों की गतिविधियों में किसी प्रकार की नई तेजी आने का कोई समाचार नहीं है। सरकार को चीन से लौटे नागा विरोह की विद्यमानता और उनकी गतिविधियों की जानकारी है। सुरक्षा उपाय बढ़ा दिये गये हैं।

मोटर-कार उत्पादन-कर्ताओं द्वारा अर्जित लाभ

1271. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर-कार उत्पादन-कर्ता वाहन के स्तर में सुधार किये बिना ही वाहन की उत्पादन लागत से दुगने से भी अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके लाभ में काफी कमी करने तथा स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों के दौरान रा (रिसर्च एण्ड एनेलाइसिस विंग) के बर्खास्त किए गए कर्मचारी

1272. **श्री निरेन घोष** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रिसर्च एण्ड एनेलाइसिस विंग के कितने कर्मचारी बर्खास्त किए गये हैं;

(ख) उनकी बर्खास्तगी के आधार क्या हैं;

(ग) उनमें से कितने राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के अंतर्गत बर्खास्त किये गये हैं;

(घ) क्या रिसर्च एण्ड एनेलाइसिस विंग के कर्मचारियों ने कोई संघ बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दस ।

(ख) और (ग) सभी संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (ख) के अन्तर्गत बर्खास्त किये गये थे । उनकी बर्खास्तगी के सम्बन्ध में विवरण देना लोक हित में नहीं है ।

(घ) 4-7-1980 को कुछ कर्मचारियों से एक संघ बनाये जाने के विषय में सूचना मिली थी । इस संघ को सरकार ने मान्यता प्रदान नहीं की है;

(ङ) संक्षेप में इनका संबंध (i) संघ को मान्यता देने, (ii) जीविका की संभावनाओं, सेवा शर्तों और विभिन्न सेवा सुविधाओं में सुधार करने (iii) पदोन्नतियों, स्थानान्तरणों, तैनातियों, अनुशासनिक कार्यवाहियों तथा वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल इंदराजों की समीक्षा संबंधी निर्णयों में संघ को शामिल करने, (iv) सुरक्षा डिवीजन में प्रवेश को विनियमित करने वाले सुरक्षा प्रतिबंधों को हटाने, (v) हाल ही में कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई/आपराधिक मामलों को वापस लेने/उनके प्रतिसंहरण और (vi) शिकायतों का अध्ययन करने के लिए आयोग/समिति की नियुक्ति से है ।

सवाई माधोपुर में सीमेंट कारखाने की उत्पादन क्षमता

1273. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थिति सीमेंट कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ।

(ख) उक्त कारखाने में इस समय कितना उत्पादन हो रहा है,

(ग) क्या यह कारखाना अपनी उत्पादन.क्षमता से कम उत्पादन कर रहा है,

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई कदम उठाये हैं, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मैसर्स जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार वार्षिक अधिस्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की है ।

(ख) और (ग) 1980 के दौरान 4 49 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

(घ) सामान्यतः सीमेंट उद्योग को पर्याप्त परिमाण में कोयला तथा बिजली न मिलने के कारण सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है। उत्पादन कम होने में धन की कमी एक दूसरा कारण है। कारखाने में उत्पादन बढ़ाने हेतु हरसंभग प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शक्ति पाइप्स लिमिटेड का बंद होना

1274. **श्री एम. अरुणाचल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में स्थित शक्ति पाइप्स लिमिटेड के बंद होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस यूनिट को सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

उद्योग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मै. शक्ति पाइप्स लिमिटेड को अगस्त, 1960 में 25,000 मी. टन वार्षिक क्षमता के लिए कास्ट आयरन स्पन पाइप बनाने हेतु एक लाइसेंस जारी किया गया था और बाद में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ा कर 50,000 मी. टन कर दी गई थी। किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण कम्पनी 1967 में ही उत्पादन शुरू कर सकी।

2. इस कम्पनी का कार्य शुरू से ही सन्तोषजनक नहीं रहा है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 1972 में इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था। 1 फरवरी 1977 से इसने श्रमिकों को जबरी छुटटी देने का निर्णय लिया और अन्त में सितम्बर, 1978 में राज्य सरकार ने प्रबन्ध से अपने को अलग कर लिया। मार्च, 1977 तक कम्पनी की हानि 9।2 लाख रुपये थी।

3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) और इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया आदि जैसे कुछ वित्तीय संस्थानों ने इस उपक्रम को पुनर्जीवित करने के प्रयास किये लेकिन कोई प्रभावी नतीजा नहीं निकला। इसी दौरान आई. एफ. सी. आई. ने कम्पनी के लिए एक प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त कर लिए।

4. भारत सरकार ने इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, इस्को स्टैन्टन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के किसी स्वस्थ उपक्रम द्वारा इस एकक के अधिग्रहण की सम्भावनाओं का भी पता लगाया। इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग ने मत व्यक्त किया कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी और इस्को स्टैन्टन इन एककों के अधिग्रहण करने की स्थिति में नहीं है। मे. भारत हेवी इलेट्रिकल्स लि. भी इस एकक का अधिग्रहण नहीं कर सकता था क्योंकि स्पन पाइपों का निर्माण बी. एच. ई. एल. के निर्माण कार्यों से सर्वथा भिन्न था तथा यह भी एक कारण था कि उन्हें अपने किसी भी संस्थापना कार्यों में इन स्पन पाइपों की सीमित आवश्यकता के अलावा जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने कुछ रुग्ण

एककों को पुनराज्जीवित करने के लिए उन एककों का अधिग्रहण भी किया है जो बी. एच. ई. एल. के समान ही वस्तुओं का उत्पादन या बी. एच. ई. एल. द्वारा उनकी कैप्टिव खपत के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते थे।

सिन्थेटिक डेटरजेंटों के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना

1275. **प्रो. रूपचन्द पाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सिन्थेटिक डेटरजेन्टों के उत्पादन के लिए पाँच बड़े उद्योग गृहों को लाइसेंस देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या आरक्षण के सम्बन्ध में एक उच्च शक्ति प्राप्त स्थाई समिति ने सिफारिश की थी कि सिन्थेटिक डेटरजेन्टों के निर्माण को विशिष्ट या लघु उद्योगों के लिए आरक्षित रखा जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सिन्थेटिक प्रक्षालकों का उत्पादन केवल लघु क्षेत्र में ही करने के लिये आरक्षित नहीं है। आरक्षित उद्योगों के लिये बनाई गई स्थाई समिति द्वारा आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु उसका केवल लघु क्षेत्र में ही विकास करने हेतु सिफारिश नहीं की थी।

अभी तक स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता इस प्रकार है :—

कंपनी का नाम	स्वीकृत क्षमता	स्थापना स्थल
(1) मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड	10,000 मी.टन वार्षिक	उदयपुर राजस्थान
(2) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि.	—वही—	जम्मू में विद्यमान एकक का विस्तार करना

और भी क्षमता की स्वीकृति प्रदान करने के लिये बड़े गृहों के आवेदनों सहित अनेक आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की गरीबी का निवारण

1276. **श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में 7 करोड़ 20 लाख से अधिक बच्चे गरीबी की रेखा से निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है और उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तो इसके कारण क्या हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यह अनुमान

लगाया गया है कि देश मे गरीबी के स्तर से नीचे के बच्चों की संख्या 11.88 करोड़ होगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 9.86 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.87 करोड़ संख्या है।

गरीब वर्गों के बच्चों की दशाओं को सुधारने के लिए और उन्हें शिक्षा देने के लिए अनेक स्कीमें बनाई गई हैं। स्कूल जाने से पहले की आयु वाले बालकों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, बालवाड़ी, बाल गृह, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संस्थागत सेवाएं हैं। स्कूल जाने वाले बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा, अनौपचारिक शिक्षा देने की एक स्कीम बनाई गई है जिससे कि स्कूल न जाने वाले बालकों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाए दी जाएं। इसके अलावा. देख भाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संस्थागत देखभाल की सुविधा स्कूल जाने से पहले की आयु वाले बालकों और बड़े बालकों के लिए होती है। रोजगार और आय उत्पन्न करने के कार्यकलापों की व्यवस्था पर बल से युक्त परिवार प्रधान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा उसके साथ न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से गरीब बालकों की दशाओं के सुधरने की आशा है।

इसके अलावा, पिछड़े वर्गों से संबन्धित क्षेत्रक के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के 59.7 लाख से अधिक बालकों को मैट्रिक-पूर्व स्तर पर वार्षिक रूप से छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। इनके अतिरिक्त 5 लाख विद्यार्थियों को मैट्रिकोतर स्तर पर छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। छठी योजना में छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहनों की स्कीमों के जरिए पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के और अधिक प्रयत्न किए जाएगे। शैक्षणिक प्रोत्साहनों के जरिए सफाई करने वालो, चमड़ा उतारने वालों और चमड़ा कमाने वालों के बालकों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सांप्रदायिक दंगे

1277. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान देश में हुए सांप्रदायिक दंगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित मुख्य क्षेत्रों और व्यक्तियों का राज्यवार विवरण क्या है;

(ग) अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अपनाए गए विशेष उपाय क्या हैं; और

(घ) जिला प्रशासन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक की अवधि के लिए सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में रूहेलखंड डिवीजन में रोजगार केन्द्रों के पास पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1278. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर रूहेलखंड डिवीजन के जिलों में रोजगार केन्द्रों के पास पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान, जिलावार, कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया; और

(ग) इस अवधि के दौरान शेष पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती, रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालयों में 1978, 1979 और 1980 के दौरान पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों (उनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं है) की संख्या और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े हजारों में)

	पंजीकरण	नियुक्तियां
1978	917.1	50.7
1979	886.6	48.7
1980	782.4	37.3

रुहेलखंड डिवीजन की जिला-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम रोजगार की पर्याप्त संभाव्यता प्रदान करेंगे। जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषदें गठित करके जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन सबन्धी विकेन्द्रीकृत नीति अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के रुहेलखण्ड डिवीजन के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को भी उपयुक्त रोजगार पाने में सहायता करेगे

विवरण

(वास्तविक संख्या)

रोजगार कार्यालय	निम्नलिखित वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों (उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड डिवीजन में स्थित) में पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या			निम्नलिखित वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के रुहेलखड डिवीजन में रोजगार कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई नियुक्तियां।		
	1978	1979	1980	1978	1979	1980
	2	3	4	5	6	7
1, बरेली	18512	21295	16978	1139	1452	972
2. पीलीभित	5583	5267	5055	346	403	225

1	2	3	4	5	6	7
3. शाहजहांपुर	14676	21674	22148	4 5	475	680
4. बदायूं	6668	6797	7494	448	515	211
5. मुरादाबाद	15184	16684	11697	734	804	569
6. बिजनौर	14 52	19928	11234	901	703	686
7. रामपुर	5932	5692	5565	4 8	406	341

नोट: रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं।

उद्योग भवन सहकारी कैण्टीन के कार्यकरण की सुधारना :

1279. **श्री शिबु सोरेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग भवन सहकारी कैण्टीन लि. के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई विशेष उपाय किये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त केन्टीन के कर्मचारियों को उनका वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है परन्तु अनियमित रुप से महीने में कभी भी दिया जाता है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कैण्टीन घाटे पर चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो हानियों को कम करने तथा लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(च) क्या यह भी सच है कि कैन्टीन की हानियों का एक कारण कर्मचारियों की अधिक सख्या है; और

(छ) यदि हां, तो कर्मचारी ढांचे को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कैण्टीन के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि जिन वस्तुओं को खराब होने से बचाया जा सकता है उसे रोकने, राजस्व की हानि को रोकने तथा बेहतर सेवा के लिए कैण्टीन में प्रबन्ध-समिति के सदस्यों द्वारा बेहतर निगरानी तथा निरीक्षण करने की प्रणाली लागू की गई है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) निधियों की कमी होने के कारण कैण्टीन द्वारा कुछ कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कुछ देर से किया जाता है।

(घ) और (ङ) वित्तीय दृष्टि से कैन्टीन कमजोर है। अतएव इसमें बेहतर निगरानी की प्रणाली लागू करके, कच्चे माल के मूल्यों में बढ़ौतरी होने के साथ ही मूल्यों में समय-समय पर संशोधन करने तथा पण्यावर्त को अधिक से अधिक करने के उद्देश्य से इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि कैण्टीन के लाभ को बढ़ाया जा सके।

(च) और (छ) कैण्टीन का वर्तमान विमान कर्मचारियों के अनुरुप नहीं है। प्रबन्धकों द्वारा पण्यावर्थ बढ़ाने के लिए और अधिक कामगारों की भर्ती न करने तथा विद्यमान जनशक्ति का ही उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।

"राजभाषा पत्रिका" पर व्यय

1280. श्री टी. एस. नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा विभाग द्वारा "राजभाषा पत्रिका" के प्रकाशन पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस प्रकाशन को उचित प्रकार से प्रकाशित करने के लिए अब तक पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया है; और

(ग) इस प्रकाशन को आत्म निर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी पत्रिका "राजभाषा भारती" के प्रकाशन एवं स्टाफ पर वर्षवार निम्नलिखित राशि व्यय हुई है :—

1978-79	(1) प्रकाशन पर व्यय (चार अंक)	69320-26 रु.
	(2) स्टाफ पर व्यय	25083-65 रु.
1979-80	(1) प्रकाशन पर व्यय (तीन अंक)	52613.33 रु.
	(2) स्टाफ पर व्यय	26282-10 रु.

(ख) "राजभाषा भारती" के लिए एक उप संपादक तथा एक हिन्दी आशुलिपिक के पद स्वीकृत है। ये अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की संपादकीय देख रेख में काम करते हैं। पत्रिका के लिए कुछ अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त किए जाने के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

(ग) "राजभाषा भारती" एक प्रचारात्मक पत्रिका है जिसके माध्यम से सरकार की राजभाषा नीति, उसके कार्यान्वयन और संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा दिए जा रहे काम की जानकारी दी जाती है। पत्रिका के उद्देश्य और सामग्री को देखते हुए इसका आत्मनिर्भर होना संभव प्रतीत नहीं होता।

एसिस्टेंट ग्रेड 4 में वरिष्ठता सूची

1281. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसिस्टेंट ग्रेड-4 में वरिष्ठता सूची के बारे में दिनांक 10 दिसम्बर, 1979 के उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है और उस पर की गई कार्यवाही का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या यह सच है कि यह वरिष्ठता सूची घोषित करने में विलम्ब होने से इस ग्रेड के बहुत से व्यक्तियों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है जो प्रति माह वार्धक्य आयु हो जाने पर सेवा निवृत्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1979 से इस प्रकार कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) उच्चतम न्यायालय का दिनांक 10-12-1979 का आदेश निम्न प्रकार है :—

"इस मामले में, विशेषकर महान्यायवादी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं करना चाहते। यदि केन्द्रीय सरकार प्रार्थियों द्वारा दिए गए किसी अभ्यावेदन पर कानूनी राय जिसे वह श्री फडके अथवा महान्यायवादी से ले सकती है, को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी तो निश्चय ही प्रार्थी को बार-बार न्यायालय में जाने की कठिनाई को दूर किया जा सकता है। हमें विश्वास है कि सरकार इस बात पर पर्याप्त विचार करेगी और बचित निदेश देगी।"

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में कानूनी सलाह लेने के लिए उक्त मामले को अप्रैल, 1980 में श्री एम. एन. फडके को भेजा गया था। चूंकि सरकार को उक्त सलाह दिसम्बर, 1980 तक भी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए जनवरी, 1981 में यह निर्णय किया गया कि कानूनी राय प्राप्त करने के लिए इस मामले को महान्यायवादी को भेज दिया जाए।

(ख) तथा (ग) जब तक उन महान्यायवादी की कानूनी राय प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उन व्यक्तियों की संख्या का पता लगा पाना संभव नहीं है जिन पर इस मामले में प्रभाव पड़ रहा है।

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय इस प्रश्न के भाग "क" के उत्तर में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार लिया जाएगा।

चर्म उद्योग निगम की शाखाएं

1282. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय चर्म उद्योग निगम का मुख्यालय एवं उसकी राज्य-वार शाखाएं कहां-कहां पर है;

(ख) क्या इस निगम की शाखाएं गुजरात में भी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारत लैदर कारपोरेशन का पंजीकृत कार्यालय नौएडा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय आगरा (उ. प्र.) में तथा एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) निगम ने देश के अन्य भागों में अपनी शाखाएँ अभी नहीं खोली हैं।

वर्ष 1978-79 और वर्ष 1980 के दौरान राष्ट्रीय आय

1283. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1980 के दौरान पृथक-पृथक रूप से राष्ट्रीय आय क्या क्या थी,

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान राष्ट्रीय आय की विकास दर में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो विकास दर में कमी लाने के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना एवं श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय आय के सरकारी अनुमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के अनुसार तैयार किये जाते हैं। नवीनतम उपलब्ध अनुमान हैं :

(करोड़ रु०)

वर्ष	स्थिर भावों के आधार पर	स्थिर (1970-71) भावों के आधार पर
1978-79	81228	46636
1979-80	90173	44438

(ख) जी हाँ। स्थिर भावों के आधार पर राष्ट्रीय आय में 1979-80 में कमी हुई है जबकि हाल ही में विकास दर का रुख वृद्धि की ओर रहा है।

(ग) राष्ट्रीय आय में भिन्न-भिन्न वर्षों में वृद्धि एक सी नहीं होती। राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव भिन्न-भिन्न वर्षों में उत्पादन के स्तरों में विभिन्नता के कारण होता है। चूंकि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 40 प्रतिशत से भी अधिक होता है, अतः इस क्षेत्र के उत्पादन में किसी महत्वपूर्ण कमी से समस्त राष्ट्रीय आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप राष्ट्रीय आय से कमी हो जाती है। 1979-80 में कृषि उत्पादन पर्याप्त रूप से (12.7 प्रतिशत) कम हुआ है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कमी हुई है।

स्थिति को सुधारने के लिए कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रस्ताव है :

(1) योजना अवधि (1980-85) में पूंजी-निवेश में महत्वपूर्ण वृद्धि।

(2) स्वदेशी बाजार में मूल्य वृद्धि को रोकना और विश्व बाजार में मूल्य वृद्धि के दबाव के प्रभाव को कम करना जिससे विकास प्रक्रिया को स्थिर बनाया जा सके और विकास की गति तीव्र की जा सके।

(3) अवस्थापना सुविधाओं का बेहतर प्रयोग करके क्षमता उपयोग बढ़ाना।

(4) अभी तक जिन क्षेत्रों में कृषि में नई तकनीकी का विस्तार नहीं किया गया उन क्षेत्रों में कृषि में नई तकनीकों का विस्तार करके कृषि उत्पादन में उतार चढ़ाव कम करने के प्रयास करना।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना कक्ष (सेल)

1284. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पहाड़ी क्षेत्रों में योजना के लिए एक कक्ष स्थापित किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कक्ष का वर्तमान गठन तथा कार्य क्षेत्र क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह एकक जुलाई, 1972 में स्थापित किया गया था। इस एकक गठन के समय इसमें 1 विशेष कार्य अधिकारी, 1 वरिष्ठ अनुसधान अधिकारी, 1 अनुसंधान अधिकारी और 2 आर्थिक अन्वेषक थे। बाद में इसे बहु-स्तरीय आयोजन अनुभाग में मिला दिया गया जिसकी

क्षेत्र, जिला, आदि जैसे विभिन्न स्तरों पर एकीकृत क्षेत्र आयोजन के लिए और समस्या क्षेत्रों के विशेष प्रकारों के लिए विस्तारित जिम्मेदारियां हैं। इस समय इस बहु-स्तरीय आयोजन अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है—

उप सलाहकार	1
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2
अनुसंधान अधिकारी	4
अन्वेषक ग्रेड 1	2
अन्वेषक ग्रेड 2	1

यह एकक प्राथमिक रूप से तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए नीति और कार्यक्रमों के निर्माण में योजना आयोग की सहायता कर रहा है और उनके लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रशासन के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर रहा है।

पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

1285. **श्री पी. एम. सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग प्रत्येक राज्य में बड़े पैमाने पर गोलाबारी हुई और बहुत से लोग मारे गये;

(ख) क्या आन्दोलनों के कारण गत दो महीनों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए राज्यों की मांग अधिक थी;

(ग) क्या केन्द्र ने इन आन्दोलनों के दौरान कानून और व्यवस्था की हालत बनाए रखने में राज्यों की मदद की थी; और

(घ) किन-किन राज्यों में गोली चलानी पड़ी तथा पिछले दो महीनों में प्रत्येक राज्य में कुल कितनी बार गोली चलाई गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आणविक विद्युत क्षमता

1286. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में भारत की आणविक विद्युत क्षमता की मेगावाट में सही मात्रा क्या है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने 1964 में अथवा इसके बाद 8000 मेगावाट की आणविक बिद्युत क्षमता के लिये एक लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ग) क्या सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के कारणों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में आणविक विद्युत विकास को गति देने के लिए कोई योजना बनाई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तारापुर में दो यूनिट, जिनमें से प्रत्येक

की क्षमता 210 मेगावाट थी, और राजस्थान में 220 मेगावाट क्षमता का एक यूनिट सन् 1980 में व्यावसायिक स्तर पर काम कर रहे थे। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट को ग्रिड के साथ। नवम्बर, 1980 को मिला दिया गया था और उसे परीक्षण के लिये चलाया जा रहा है।

(ख) परमाणु ऊर्जा आयोग ने सन् 1954 में यह लक्ष्य रखा था कि वर्ष 1981-81 तक 8000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता स्थापित की जाये, किन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग के एक अध्ययन दल के सन् 1973 में यह सिफारिश की थी कि वर्ष 1980-81 तक परमाणु बिजली के उत्पादन की क्षमता 1240 मेगावाट पर निश्चित की जाए।

(ग) तथा (घ) जी, हाँ।

मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के नाम तथा वहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं

1287. **श्री सत्य नारायण जाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है और मध्य प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के रूप में घोषित किए गये क्षेत्रों के क्या नाम हैं और इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी गई विशेष सुविधायें क्या हैं; और

(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में औद्योगिक रूप में पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों के नाम स्थान-वार क्या हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) योजना आयोग ने औद्योगिक दृष्टि से पिछले जिलों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए दिसम्बर, 1969 में निम्नलिखित मादर्गशी सिद्धान्त सुझाए थे ;

(1) खाद्यान्नों/वाणिज्यिक फसलों का प्रति व्यक्ति उत्पादन जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या जिला मुख्य रूप से खाद्यान्नों/नकद फसलों का उत्पादन करता है।

(2) खेतिहर मजदूरों का जनसंख्या में अनुपात।

(3) प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)

(4) प्रति लाख जनसख्या में कारखाना कर्मचारियों की संख्या अथवा वैकल्पिक रूप से प्रति लाख जनसंख्या में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की सख्या।

(5) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत।

(6) जनसख्या के सम्बन्ध में सड़कों की सतह की लम्बाई अथवा जनसंख्या के सम्बन्ध में रेलवे मीलों की सख्या।

यह भी बताया गया था कि केवल वे जिसे ही वित्तीय संरक्षनों से उपयुक्त प्रोत्साहन जाने के लिये चुने जाने चाहिए जिनके आंकड़े राज्य के औसतन आंकड़ों से काफी नीचे हों। मध्य प्रदेश में रियायती वित्त पाने तथा केन्द्रीय वित्त राजसहायता योजना के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये जिलों/क्षेत्रों को बताने वाली एक सूची क्रमशः विवरण I तथा II में संलग्न है।

रियायती वित्त योजना के अन्तर्गत जो विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं उनके ब्याज की कम दर, प्रवर्तकों को कम योगदान (ऋण इक्वटी का अधिक अनुपात), प्रारम्भिक मोहलत, ऋण चुकाने की लम्बी, कम वचनबद्धता निम्न हामीदारी प्रभार शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 31 मार्च, 1972 के बाद स्थापित किए गये नये औद्योगिक उपक्रमों को 20 प्रतिशत लाभ एवं फायदा में छूट देने के अलावा 10 वर्ष की अवधि के लिए आयकर से भी मुक्त कर दिया गया है।

केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिये पात्र घोषित किये गये क्षेत्रों के बारे में औद्योगिक एकक की अचल परिसम्पत्तियों पर 15 लाख की अधिकतम सीमा की शर्त के साथ 15 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है।

(ख) वर्ष 1976 से 1980 तक मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिये जारी किये गये आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या निम्न प्रकार है—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1979	11	7
1977	15	5
1978	15	2
1979	23	4
1980	30	10

इन सभी आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्योरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज तथा भारतीय।

विवरण I

वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त पाने के पात्र मध्य प्रदेश के चुने हुए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

मध्यप्रदेश—

बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर,
भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह,
दतिया, धार देवास, गुना, होशंगाबाद,
झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसौर, मोरेना,
नरसिम्हपुर, पन्ना, रावढ़, रायपुर,
राजनन्दगाँव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम,
रीवां, सागर, शिओनी, राजपुर. शिवपुरी,
सिधी, सुरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और न्यू सिहोर जिला।

निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण 2

निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना के लिए पत्र मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों की सूची

10. मध्य प्रदेश छः क्षेत्र

क्षेत्र—1 : (पूर्वी प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात कोरवा, बलोदा, चंपा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर) ब्लाक (बिलासपुर लि.) भाटापारा, निगा, टिल्डा, धारमिया (रायपुर) अमनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—2 : (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) गुलोना, शुजापुर और शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और नियोरा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) तथा चवौरा, रघोगढ़ तथा गुना ब्लाक (गूनाब्लाक) आते हैं।

क्षेत्र—3 : (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी तथा करेरे (शिवपुरी दतिया जिले से) तथा संऊघ (दतिया जिले से) भिन्ड मेहगांव तथा गाहाद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना तथा जउरा (मुरैना जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—4 : (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात बीता-इटावा, खुरी-बांदा (विनैका) राहतगढ़ सागर, शाहगढ़) अमरम (सागर जिले से) टीकमगढ़, बलदेव गढ़ (टीकमगढ़ जिले से) (बिदिशा और गयारसपुर) विदिशा जिले से (और छतरपुर जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—5 : (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात पोटलाबाद, तथा मेघनगर (झबुआ जिले से) पदनावार, धार और नलोहा (धार जिले से) महेश्वर औरवरवाहा (खारगोज जिले से) रतलाम और जडरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से) आते हैं।

क्षेत्र—6 : (उत्तर पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवा और रायपुर (गढ़) रीवा जिले से) मझौली, सीधी डूसर और वेधान (सीधी जिले से) सोनहट, बैकुठपुर, मनेन्द्रगढ़ सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले से) आते हैं।

ये 10.7.1972 के पश्चात चुने गए जिले/उप प्रभागी केतालु/खण्ड/तहसील बताते हैं।

प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया जाना

1288. श्रीमती मोहसिना किदवई :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र के समक्ष नई तथा बड़ी समस्याओं के प्रति नौकरशाही को अधिक चुस्त तथा प्रत्युत्तरदायी बनाने के लिए भी कुछ तात्कालिक कदम उठाये जा रहे हैं,

(ख) यदि, हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या, उपर्युक्त संदर्भ में आई. ए. एस. तथा आई पी. एस. अधिकारियों को उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने के लिये, उनकी नियुक्ति के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सरकार का बराबर यह प्रयास रहा है कि प्रशासनिक तंत्र की निरंतर पुनरीक्षा की जाती रहे ताकि प्रशासनिक क्षमता का अभीष्ट स्तर बना रहे। इस प्रयोजन से सरकार की एक शीर्षस्थ एजेंसी अर्थात् प्रशासनिक सुधार स्कंध और मंत्रालयों/विभागों के आंतरिक कार्य अध्ययन एकक बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुधार सुझाने के उद्देश्य से प्रणालियों और कार्यविधियों की निरन्तर पुनरीक्षा करते रहते हैं। चुने हुए विभागों और क्रियाकलापों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन आरम्भ करने के अलावा हाल ही में प्रशासनिक सुधार स्कंध द्वारा कुछ मंत्रालयों के सचिवों के साथ विचार विमर्श किया गया ताकि ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जा सके जिनकी ओर प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय में पदों पर नियुक्तियां विभिन्न स्रोतों से की जाती हैं जैसे कि अखिल भारतीय सेवायें और अन्य संगठित सेवाये और ये नियुक्तियाँ प्रत्येक कार्य की अपेक्षाओं और चुनाव-क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के गुणों और सापेक्ष उपयुक्तता के आधार पर चुनाव द्वारा की जाती हैं। केन्द्रीय पुलिस संगठनों में तैनाती के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन करते समय उपयुक्तता और अनुभव के महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है। सावधिक तैनाती प्रणाली के जरिये सभी स्तरों पर कार्मिकों की समय-समय पर अदला बदली करने कारगर प्रशासन और साथ ही सम्बन्धित अधिकारियो की सेवाओं का सर्वोत्तम प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है।

भूमि संसाधनों का उपयोग करने के लिए उपग्रह का छोड़ा जाना

1289 **श्री तारिक अनवर :**

श्री हीरालाल आर. परमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका तथा सोवियत रूस की भाँति भूमि ससाधनों का अधिकतम सीमा तक काम में लाने/उपयोग करने हेतु उपग्रह छाड़ने के बारे में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी कारण क्या है; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने की संभावना है और यह उपग्रह किस जगह से छोड़ा जाएगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) अन्तरिक्ष प्लेटफार्मों से सुदूर संवेदन के क्षेत्र में हमारा प्रथम प्रयास पहले छोड़ा गया भास्कर उपग्रह रहा है। भास्कर के द्वितीय मांडल को 1981 के उत्तरार्ध में छोड़ा जाना है। लैण्डसैट, एन. ओ. ए. ए. इत्यादि जैसे विदेशी उपग्रहों से सुदूर संवेदित आँकड़े हैदराबाद स्थित भू-केन्द्र में पहले से ही प्राप्त किये जा रहे हैं। भारतीय प्रयोक्ता एजेंसियों के सहयोग से आँकड़ों के संसाधन तथा व्याख्या के संबन्ध में प्रयास चल रहे हैं। एक प्रचालनात्मक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह को 1984-85 में प्रमोचन के लिए बनाया जायेगा।

(ग) भारतीय सुदूर सवेदन (आई. आर. एस.) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 35 करोड़ रूपये है। इसके 1984-85 में छोड़े जाने की संभावना है। प्रथम आई. आर. एस. उपग्रह के विदेश से छोड़े जाने की आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन

1290. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन की आगामी बैठक कब आयोजित करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : संभाव्यत: प्रश्न में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का उल्लेख है। यह प्रस्ताव है कि संसद के वर्तमान बजट सूत्र के पश्चात राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक आयोजित की जाए।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा के पास अणु परीक्षण

1291. श्री फूल चन्द वर्मा :

प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री तारिक अनवर :

श्री हीरालाल आर. परमार : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान ने अणु परीक्षण के लिए भारत-पाक सीमा पर चोलीस्तान क्षेत्र को चुना है;

(ख) क्या इस भूमिगत परीक्षण के लिए एक सुरंग खोदी जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने इस बारे में समाचार देखे हैं कि चोलिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा भूमि के अन्दर किए जाने वाले अणु परीक्षण के लिए एक सुरंग बनाई जा रही है। इन समाचारों की पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उनका अणु कार्यक्रम केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही है। सरकार आशा करती है कि पाकिस्तान की सरकार इस प्रश्न पर हमें दिए गए अपने आश्वासनों का पालन करेगी।

सीमेंट के भन्डार की स्थिति

1292. श्री चिरंजी लाल शर्मा क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 6 महीनों में राज्यवार सीमेंट का महीनेवार, भडार और उसके वितरण की क्या स्थिति रही है;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : सीमेंट ऐसी वस्तु नहीं है जिसका स्टाक (भडार) किया जाता है और उसके बाद उसका वितरण किया जाता हो। इसका प्रेषण उत्पादन के साथ साथ किया जाता है। पिछले 6 महीनों के दौरान सीमेंट के सभी कारखानों द्वारा किए गये सीमेंट का उत्पादन और प्रेषण की जानकारी देने वाला एक विवरण, विवरण-I में संलग्न है। जुलाई 1980 से दिसम्बर, 1980 में विभिन्न राज्यों को किए गये प्रेषण की जानकारी देने वाला एक विवरण-2 में संलग्न है।

विवरण-I

(लाख मी. टनों में)

महीना	उत्पादन	प्रेषण
अगस्त, 80	16.02	15.91
सितम्बर, 80	15.21	15.00

1	2	3
अक्तूबर, 80	16.17	15.88
नवम्बर, 80	15.54	14.87
दिसम्बर, 80	17.16	17.19
जनवरी, 81	16.60	16.35

विवरण-2

क्र. सं. राज्य	जुलाई, 1980	अगस्त, 1980	सितम्बर, 1980	अक्तूबर, 1980	नवम्बर, 1980	दिसम्बर, 1980
1. 2	3	4	5	6	7	8
1 राजस्थान	72.8	49.2	26.5	51.1	58.5	57.5
2. दिल्ली	72.9	75.1	94.5	71.0	89.5	98.2
3. उत्तर प्रदेश	137.0	144.1	115.6	177.7	134.0	190.8
4. हरयाणा	48.3	47.9	51.7	72.6	48.3	52.2
5. पंजाब	67.2	83.1	67.5	72.6	62.1	68.8
6. हिमाचल प्रदेश	9.7	9·9	8.3	10.8	8.7	10.0
7. चण्डीगढ़	10 8	7.6	7.3	11.4	8.4	9.5
·8 जम्मू एवं कश्मीर	12.8	36.9	27.3	18.5	16.2	21.2
9. महाराष्ट्र	123.4	184.9	200.6	209.6	165 5	217.5
10. गुजरात	94.8	110.7	129.8	123.8	124.5	142.1
11. मध्य प्रदेश	98.1	83.3	66.3	76·8	106.3	109.3
12. गोवा दमन व दीव	4.6	6.3	11.7	12.8	8.8	7.4
13. दादर नागर हवेली	0.1	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3
14. तमिलनाडू	97.4	139.5	111.3	120.0	119.2	134.2
15. आंध्र प्रदेश	136.5	153.1	140.7	148.6	109.0	144.2
16. कर्नाटक	70.0	107.4	89.5	85.2	98.0	97.4
17. केरल	67.5	60.3	70.5	64.6	43.2	39.7
18. पांडीचेरी	—	0.5	1.5	5.2	3.4	2.5
19. अंडमान व नीकोबार	—	1.8	2.8	2.0	0.9	3.8
20. लक्षद्वीप	0.5	—	—	—	—	1.0
21. पश्चिम बंगाल	111.4	108.9	106.4	113.3	113.7	115.5
22· विहार	87.4	93.1	105.0	113.3	100.5	117.8
23. उड़ीसा	23.3	27.3	21 5	25.6	37.0	36.4
24. आसाम	26.8	39.7	24.8	36.1	16.2	16.6

1 2	3	4	5	6	7	8
25. मेघालय	6-7	4.1	4.1	5.4	3.7	4.6
26. अरुणाचल प्रदेश	0.6	2.2	3.7	0.8	6.8	3.8
27. मनीपुर	4.0	3.9	1.9	2.4	2.4	4.8
28. त्रिपुरा	1.5	1.8	1.6	3.4	2.2	1.6
29. मिजोरम	—	2.1	1.9	2.5	1.3	2.6
30. नागालैंड	3.6	2.7	4.2	7·3	1.9	4.0
31. सिक्किम	5.8	3.3	0.1	3.4	2.5	2.3
कुल	1359.5	1590.7	1193.4	1588.2	1486.8	17186.

आरक्षित सूची से सिंथेटिक डिटरजेंट का हटाया जाना

1293. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक डिटरजेन्ट को आरक्षित सूची से हटाने का कोई निर्णय लिया गया है जबकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि इसका उत्पादन केवल लघु उद्योगों द्वारा किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो कुल नई लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है; और उन बड़े घरानों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं,

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केवल लघु क्षेत्र में विकास के लिए सिन्थेटिक प्रशालक उद्योग की कमी भी आरक्षित नहीं किया गया है। अतः इस उद्योग को आरक्षित उद्योगों की सूची में से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) अभी तक स्वीकृत की गई कुल नई क्षमता 20,000 मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता है, जिसमें से 10,000 मी. टन प्रति वर्ष की क्षमता एक एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली एक कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को स्वीकृति की गई है।

सिंथेटिक डिटरजेंट का उत्पादन

1294. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक डिटरजेन्ट के उत्पाद के लिए हाल ही में नई क्षमता मन्जूर की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे संगठित क्षेत्र की कम्पनियों के बीच किस प्रकार बांटा गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) अब तक स्वीकृत की गई अतिरिक्त क्षमता निम्न प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	स्वीकृत क्षमता	स्थापना स्थल
1, मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम लिमिटेड	10,000 मी. टन प्रति वर्ष	उदयपुर राजस्थान
2. मैसर्स हिन्दुस्तान लोवर लिमिटेड	10,000 मी. टन प्रति वर्ष	जम्मू के विमान एकक का विस्तार

अतिरिक्त सैनिक साज़-सामान विदेशों को बेचा जाना

1295. **श्री जो. एस. बनातवाला** : क्या रक्षा मंत्री ! यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या गत तीन वर्षों में बड़ी मात्रा में अतिरिक्त सैनिक साज-सामान विदेशी पार्टियों को बेचा गया है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुएं कब बेची गई और उनकी मात्रा क्या है; और किन विदेशी पार्टियों को बेची गई;

(ग) क्या सरकार को विदेशी समाचार पत्रों में छपे इस समाचार का पता है कि भारत द्वारा बेचा गया तथा कथित सैनिक साज-सामान इजराइल और दक्षिण अफ्रीका में देखा गया जिनके साथ भारत के कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है! और सरकार द्वारा उनकी यदि कोई जांच की गई हो, तो वह क्या है!

(ङ) क्या आगे भी फालतू साज समान और हथियार बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां तो बेचे जाने वाली वस्तुएं किस तरह की हैं और उनकी मात्रा कितनी है; और

(छ) इनका लाभ उक्त देशों द्वारा न उठाया जा सके इस बारे में क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित मात्रा में रक्षा मदों के पुर्जे बेचे गए :—

	मद	मात्रा	विदेशी पार्टी का नाम
1978-79	—	—	—
1979-80	—	—	—
1980-81	ए· एम. एक्स.13 टैंक के पुर्जे	811 टन	मिस्र देश की सरकार
1980-81	सेचुरियन टैंक के पुर्जे	3000 टन	केनाडा के पब्लिक लिमिटेड कम्पनी

सेंचुरियन टैंक के पुर्जों की बिक्री से सम्बन्धित ब्यौरे 26-11-1980 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 130 के उत्तर में दिए गये हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) से (छ) मिश्र देश को रक्षा सामान का निर्यात विदेश मन्त्रालय से परामर्श करके बहुत चयनात्मक तथा विवेकात्मक आधार पर किया जाता है। यह निर्यात वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है और शस्त्र तथा गोलाबारूद की केवल उन परम्परागत मदों का निर्यात किया जाता है जिनके निर्माण की हमारे पास अतिरिक्त क्षमता है या जिन्हें हमारी सेनाओं द्वारा अनुपयोगी तथा फालतू घोषित कर दिया गया है । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि यह सामान इजराइल तथा दक्षिण अफ्रीका में न पहुँचें ।

आदिवासी उप-योजना निधि में से उड़ीसा सिंचाई परियोजनाएं

1296. **श्री मनमोहन दुडु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस समय विभिन्न एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा आदिवासी विकास ऐजन्सियों से सम्बन्धित आदिवासी उप-योजना निधि में से उड़ीसा में कितनी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में विभिन्न एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनायें शुरू की गई है;

(ग) उस जिले में शुरू की गई ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनायें हैं; जिनकी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्रों में उपयोजना निधियों में उड़ीसा में बावन लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है ।

(ख) मयूरभंज जिले के करजिया एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्र में कुदारबिसदा और रामचन्द्रपुर सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य करने का 1980-81 के दौरान अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) मयूरभंज जिले की नो लघु सिंचाई परियोजनाओं में से जिन पर कार्य आरंभ कर दिया गया था, तीन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं दो और अर्थात राजबांध और फनिया जो बारीहाड़ा एकीकृत जनजातीय विकास क्षेत्र में है की चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी होने की आशा है ।

(घ) पांच परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

लघु सि. प. का नाम	ए. ज. वि. क्षेत्र का नाम	आयाकर क्षेत्र खरीफ	रबी	मूल अनुमानित लागत	संशोधित अनुमानित लागत	अब तक कार्य आरंभ की गई राशि	टिप्पणी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (9)
1. छमुदिया	करंजिया	600	250	1515000	2095000	2155278	6/77 पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 हलिदिया	करंजिया	400	100	498200	1196600	1149548	2/78	तदैव
3. कचागोवेरा	रेरंगपुर	80	80	389200	449000	478000	12/77	तदैव
4. राजबांध	बनीपाड़ा	130	80	310240	456500	544460	11/78	—
5. फनिया	बारीपाड़ा	698	200	1563900	1563900	1874060	1/79	—

"रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1297. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मद्रास के दिनांक 27 जनवरी, 1981 को प्रकाशित हिन्दू' में 'रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट' शीर्षक सम्पादकीय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषत: उत्पादों तथा प्रक्रियाओं में सुधार हेतु अनुसंधान के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हाँ ! सरकार को यह मालूम है कि संशोधित उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन की प्रमात्रा के अनुरुप संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास यूनिटों में कार्य नहीं हो रहा है। वहरहाल, उद्योगों में इसे संस्थानान्तर्गत अनुसधान और विकास एककों का सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधीयन नहीं किया जाता है। उद्योगों में अनुसंधान और विकास संस्कृति में सुधार लाने के लिए, कई वर्षों से कुछ संवर्द्धनात्मक उपायों का आरम्भ किया गया है। इनमें अनुसंधान और विकास के लिए अपेक्षित उपकरण और सामग्री का आयात करने के लिए सुविधाओं, आयकर व्यवस्था के अधीन राजकोषीय प्रोत्साहनों और उन स्थितियों में लाइसेंस प्रदान करने में तरजीही व्यवहार का विशेष रूप मे उल्लेख किया जा सकता है, जहाँ स्वदेशी प्रोद्योगिकी का विकास किया गया है।

कोटा राजस्थान में इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषक संयंत्र

1298. **श्री जय नारायण रोत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य में कोटा में एक नये इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषक संयंत्र की स्थापना की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इस संबंध में ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) डैनिश कम्पनी मैसर्स फॉस इलेक्ट्रिक नामक अग्रणी डैनिश फर्म के तकनीकी सहयोग से इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषकों (इ. एम. ए.) के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश निगम लिमिटेड को औद्योगिक अनुमोदन जारी कर दिया गया है। "राजस्थान इलेक्ट्रानिक तथा उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की एक नई कम्पनी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय यंत्रीकरण कम्पनी तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा

पूंजीनिवेश निगम लिमिटेड के संयुक्त प्रयास के अन्तर्गत 51 : 49 कम्पनी के रूप में जयपुर में स्थापित की जा रही है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध विश्लेषक तथा उससे सम्बन्ध इलेक्ट्रानिक उत्पादों का उत्पादन शुरू करना है। राष्ट्रीय दुग्धापदार्थ विकास बोर्ड ने जो इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषकों का प्रमुख ग्राहक है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक तथा इस्ट्रूमेंट लिमिटेड नामक नई कम्पनी को (5.5 करोड़ रुपए मूल्य के) ऐसे 2200 इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषकों का आर्डर दिया है।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह

1299. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह करने से सम्बन्धित प्रस्ताव का क्या बना;

(ख) क्या तेल के मूल्यों में हो रही वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए सरकार का इस प्रस्ताव पर एक बार पुन: ध्यान देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह शुरू करने के प्रस्ताव पर हाल में ही विस्तार से विचार किया गया था। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय किया गया है।

अजमेर जिले में दिग्विजय सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना :

1300. **आचार्य भगवान देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में अजमेर जिले में बयावाड़ मसौदा रोड पर दिग्विजय सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या आपत्तियां हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी हाँ। ब्यावर जिला अजमेर (राजस्थान) में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए मैसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कम्पनी लिमिटेड को एक आशय पत्र जारी किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में हुए स्वतन्त्रता-सेनानियों के सम्मेलन की मांगे

1301. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1980 को हरियाणा के चर्खी-दादरी में हुए स्वतन्त्रता-सेनानियों के सम्मेलन की माँगों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) माँगे हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन की राशि को 25/–रुपए प्रतिमास से बढ़ा कर 100/-रुपये प्रतिमास करने के सबध में है जिनमें केन्द्रीय सरकार संबंधित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति

1302. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, 1980 के दौरान हरियाणा राज्य कैडर से सम्बन्ध राज्य सिविल सेवा के कितने अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत अथवा नियुक्त किया गया ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के विवरण क्या हैं और उनकी सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी वेंकट सुब्बय्या) : (क) सात ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख	भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के समय धारित पद
1.	सर्वश्री जवाहर लाल अरोड़ा	17-12-1980	उप-सचिव, वन, लोक निर्माण (पी. एच.) विभाग ।
2.	पी. पी. छावड़ा	17-12-1980	संयुक्त निदेशक, उद्योग ।
3.	अर्जन दास	17-12-1980	उपायुक्त, सोनीपत ।
4.	वेयंत सिंह	17-12-1980	उप-सचिव, विकास तथा पंचायत, हरियाणा सरकार ।
5.	सी एम. राणा	17-12-1980	अपर निदेशक, नगर सम्पदा तथा प्रशासक हरियाणा नगर विकास प्राधिकरण
6.	बीरबल	17-12-1980	जांच अधिकारी सतर्कता तथा उप-सचिव उत्पाद शुल्क और कराधान ।
7.	एस. एन. गोयल	17-12-1980	अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां

अल्प संख्यक आयोग का दंगों के बारे में अध्ययन

1303. **प्रो. मधु दन्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प संख्यक आयोग ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया है जिनके कारण मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए है; और

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अल्प संख्यक आयोग ने मुरादाबाद में हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों पर अपनी रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप

नहीं दिया है। आयोग ने अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है।

भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के लिए व्यक्तियों के नाम

1304. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस संयुक्त अन्तरिक्ष यात्रा के लिए व्यक्तियों के नामों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें अन्तरिक्ष केन्द्र, सोवियत रूस में प्रशिक्षण के लिए कब तक भेजे जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) सोवियत संघ की सरकार ने अपनी भावी अन्तरिक्ष उड़ानों में एक भारतीय अन्तरिक्ष यात्री के भाग लेने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपनी सहमति दे दी है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी सहयोग के लिए मांगी गई अनुमति

1305. **श्री आरिफ मोहम्मद खा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों और गैर-सरकारी व्यापारिक गृहों ने विदेशी कंपनियों से सहयोग के लिए सरकार की अनुमति माँगी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन कंपनियों के क्या नाम है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों के ब्यौरे को दर्शाने वाली सूचियाँ तिमाही आधार पर जारी की जाती है। इन सूचियों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम, उत्पादन की जाने वाली वस्तु तथा प्रस्तावों में विदेशी पूंजी भागीदारी निहित है अथवा नहीं का भी उल्लेख किया जाता है। इन सूचियों की प्रतियां नियमित रूप से संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

1979 और 1980 के दौरान हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण जन-दिवसों तथा उत्पादन की हानि

1306. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 और 1980 के दौरान हड़ताल तालाबन्दी के कारण, वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितने जन-दिवसों की हानि हुई; और

(ख) 1979 और 1980 के दौरान हड़ताल तथा तालाबन्दी के कारण, उद्योग वार उत्पादन की कुल कितनी हानि हुई ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 1979 और 1980 में नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

	1979	1980
हड़ताल क कारण नष्ट हुए श्रम दिन	351.2 लाख (अनंतिम)	70.1 लाख (अनंतिम)
तालाबन्दियों के कारण बन्द हुए श्रम दिन	87.5 लाख (अनंतिम)	59.0 लाख (अनंतिम)
नष्ट हुए श्रम दिनों की कुल संख्या	438.7 लाख	129.1 लाख

(ख) विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1979 और 1980 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादक में हुई हानि (उद्योग वार) कर दी गई है।

विवरण

वर्ष, 1979 और 1980 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में हुई हानि संबन्धी विवरण :—

उद्योग-वर्ग	निम्नलिखित वर्गों में उत्पादन में हुई हानि (करोड़ रुपयों में)	
	1979 (अ)	1980 (अ अ)
0 कृषि, आखेट, वन कार्य मछली पकड़ना	2.98(44)	0.17 (20)
1. खनन एवं उत्खनन	11.27(613)	8.99(547)
2-3. विनिर्माण	380.52(1109)	105.88(663)
4. विद्युत, गैस और जल	0 03(2)	0.06(.)
5. निमाण	0.26(9)	0,12(3)
6. थोक और परचून व्यापार तथा जलपान गृह और होटल	0.34(18)	0.24(9)
7. परिवहन, संचलन और संचार	0.49(17)	0.26(22)
8. वित्त व्यवस्था, बीमा स्थावर सम्पदा एवं व्यापारिक सेवाएं	0.01(2)	0.09(2)
9. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	0.36(10)	C 21(11)
एक्स-अपर्याप्त रूप से परिभाषित कार्यकलाप	1.62(25)	1 45(40)
वाई, मरम्मत सेवाएं	—	—
जोड़	387.91(1849)	118.47(1318)

(अ) अनन्तिम

(अअ) अनन्तिम और श्रम ब्यूरों में 16-2-1991 तक प्राप्त विवरणियों पर आधारित है।

नोट आंकड़ों को पूर्ण करने के कारण जोड़ मिलाना जरूरी नहीं है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े ऐसे विवादों की संख्या बताते हैं जिन से सूचना सम्बन्धित हैं।

भारत में अफगानों का आगमन

1307, श्री बी. वी. देसाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 1 जनवरी, 1981 को भारत में 3000 अफगानों ने प्रवेश किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में अफगानों का यह आगमन गत 3-4 महीनों से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने अफगान आ चुके हैं; और

(घ) इस आगमन को रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि 1 जनवरी, 1981 को 3000 अफगानों ने भारत में प्रवेश किया था। सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर 1980 में प्रवेश की संख्या क्रमश: 855, 835 1229 तथा 1314 है जिनमें से इन महीनों के दौरान भारत से वापस गए अफगानों की संख्या क्रमश: 754, 787, 838 तथा 1046 है। वर्ष 1980 के दौरान 10484 अफगानों ने भारत में प्रवेश किया जबकि इसी अवधि के दौरान 10479 अफगान भारत से गए। अत: भारत में अफगान राष्ट्रिकों को असामान्य आगमन नहीं है।

(घ) विदेशियों के अनधिकृत प्रवेश और उनके भारत में रुकने को रोकने के लिए दोनों सीमा पर तथा देश में पर्याप्त प्रबन्ध विद्यमान है।

छठी योजना के अन्तर्गत राजस्थान का चहुंमुखी विकास

1308. श्री अशोक महलौत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित एवं चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुदान को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्वीकृत की गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या यह धनराशि राजस्थान सरकार की मांग से काफी कम है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक विकास कार्यों को स्थगित करना होगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं और 626.31 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता सहित उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के साथ विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद राजस्थान की 1980-85 की छठी पंचवर्षी योजना का परिव्यय 2025 करोड़ रु. नियत किया गया है। छठी योजना में राज्य में ग्रामीण विकास के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्था की गई है। पंचवर्षीय योजना वर्षानुवर्ष आधार पर कार्यान्वित की जाती है। वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना

1309. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

(क) 1 फरवरी, 1980 के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उद्घाटित की गई/नींव रखी गई परियोजनाओं की पूरी सूची क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा करने की अस्थायी तारीखें क्या हैं और प्रत्येक परियोजना पर अनुमानित खर्च कितना होगा; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर खर्च जैसा कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है छठी पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1980-82 के लिए दिल्ली की वार्षिक योजनाओं में उपलब्ध कराया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल. टी. 1960/80]

छोटी कार के निर्माण में प्रगति

1310. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना बन्द पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय छोटी कार बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है; और

(ग) परियोजना का यदि कोई ब्योरा है, तो वह क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन 100,000 यात्री कारें, 30000 से 40000 वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। विश्व के विभिन्न मोटर गाड़ी निर्माताओं से सहयोग प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। इन प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् उत्पादन कार्यक्रम और निवेश आदि पर निर्णय लिया जाएगा।

भारी वाहनों पर प्रीमियम

1311. **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारी वाहनों अर्थात् टाटा तथा ले-लेन्ड चेसिसों पर मिलने वाले प्रीमियम का पता है;

(ख) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) भारी वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने के क्या उपाय हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) अधिक पसंद किए जाने वाले मेकों की वाणिज्यिक गाड़ियों अर्थात् अशोक लेलैंड और टैल्कों की सामान्यत कमी है, फिर भी निर्माताओं ने बताया है कि किसी भी इच्छुक ग्राहक को अधिकृत मूल्य से अधिक मूल्य उनके डीलर को देने की जरूरत नहीं है। सरकार के ध्यान में लाये गये अनियमितताओं के विशिष्ट मामले जाँच के लिए निर्माताओं को भेज दिए जाते हैं।

(ग) निवेश सहायता, तकनीकी सहायता, सीमा शुल्क में रिआयत के अन्तर्गत उपकरणों का आयात करके और अतिरिक्त क्षमता उत्पादन करके उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गए हैं।

विकास दर

1312. श्री रशीद मसूद :

श्री चंद्रजीत यादव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के दौरान दौरान लक्ष्य की तुलना में विकास दर कितनी रही है;

(ख) प्रत्याशित विकास दर में यदि कोई कमी हुई है तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) 1980-81 के दौरान अनुमानत: कितनी विकास दर प्राप्त किये जाने की संभावना है, और यह विकास दर किस आधार पर प्रत्याशित की गई है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) सकल देशीय उत्पादन में 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परिकल्पित 5.2 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1980-81 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) वर्ष 1981-82 में प्राप्त किये जाने की संभावित संवृद्धि दर के अनुमान को 1981-82 की वार्षिक योजना के निर्माण की प्रक्रिया में, जो इस समय चल रही है, अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

ऊर्जा का वैकल्पिक का स्रोत

1313. श्री बी. वी. देसाई :

श्री पी एम. सईद : क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक ऊर्जा के लिए बड़ी परियोजना आरम्भ करने का है, जिसके अन्तर्गत देश के प्रत्येक जिले में फिर भरने योग (रिफिलेबल) ऊर्जा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उस संयंत्र में बायोमास, हवा ज्वार, अथवा सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादित की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की अन्य मुख्य बातें क्या हैं; और ?

(घ) इस योजना के परिणाम कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार का प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण के लिए ऊर्जा का कम से कम एक नवीकरण योग्य यूनिट देश के प्रत्येक जिले में लगाया जाए ।

(ख) इन प्रदर्शन यूनिटों में सौर ऊर्जा, जीवभार इत्यादि एक नवीकरण ऊर्जा स्रोत पर अथवा स्थान और उपयोग की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, इन स्रोतों के सम्मिश्रणों, पर आधारित यंत्र या युक्तियां अथवा एकीकृत ऊर्जा प्रणालियां सम्मिलित होंगी ।

(ग) सदन के सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत है ।

(घ) जैसे ही इन यूनिटों को चालू किया जाएगा इस योजना के परिणाम मिलने प्रारम्भ हो जाएंगे ।

विवरण

कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, पर्याप्त विशेष योग्यता का निर्माण किया गया है और विभिन्न प्रणालियों, युक्तियों और उत्पादों का विकास किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पहले से विकास की गई प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन और वाणिज्यीकरण पर विशेष बल देता आ रहा है ताकि देश में नवीकरणीय ऊर्जाओं का व्यापकतर उपयोग किया जा सके।

सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, प्रदर्शन गतिविधियों के अन्तर्गत ऐसे अनुप्रयोग आएंगे यथा जल और स्थान तापन, प्रशीतन, और वातानुकूल अनाज शुष्कन' विलवणीकरण, पम्पन, विकेन्द्रीकृत शक्ति उत्पादन, आदि। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थापनाओं में सौर जल तापन के व्यापक अनुप्रयोग के लिए एक मुख्य प्रदर्शन कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। वाणिज्यिक स्थापनाओं के बारे में कार्यक्रम में होटलों, हस्पतालों, कारखानों की कैंटीनों, अतिथि गृह, पर्यटक बंगलों आदि में इन युक्तियों की प्रतिष्ठापना के कार्य को शामिल किया जायेगा। उद्योग के बारे में कार्यक्रम वस्त्र, रासायनिक भेषज, चीनी, डेरी, रेशम कार्य के उद्योग आदि, की निम्न और माध्यम तापमान की प्रक्रिया ताप आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 'अक्रिय' संकल्पना के आधार पर कुछ प्रदर्शन स्थान तापन और प्रशीतन परियोजनाओं को भी हाथ में लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के परिरक्षण के लिए शीत संग्रहगार प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी को उत्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ आदि प्रारूप प्रदर्शन यूनिटों की योजना भी की जा रही है। शुष्कन अनुप्रयोगों के लिए वायु तापन प्रणालियों के बारे में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में विभिन्न प्रमात्राओं में विभिन्न कृषि वस्तुओं के शुष्कन के लिए मानक डिजाइनों के विकास की दशा में कार्य प्रगति पर है। अनाज, नकदी फसलों, दूध इमारती लकड़ी, तम्बाकू आदि के लिए कुछ प्रदर्शन फसल शुष्कन प्रणालियों की प्रतिस्थापना की गई है और इस कार्यक्रम का काफी अधिक विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय परीक्षण के लिए कुछ सौर विलवणीकरण एककों को भी हाथ में लिया जा रहा है। विभिन्न प्रणाली संरुपता पर आधारित सौर तापीय विद्युत संयन्त्रों की योजना तैयार की जा रही है; मद्रास में प्रतिष्ठापित 10 कि. वा. क्षमता के प्रायोगिक सौर तापीय विद्युत संयंत्र का कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है और विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए एक और प्रदर्शन विद्युत संयंत्र हैदराबाद के पास की जा रही है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि बिन्दु या रेखा संकेन्द्रन संकेन्द्रक, संग्राहकों पर आधारित विकेन्द्रीकृत एकीकृत ऊर्जा प्रणालियों पर कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं को हाथ में लिया जाये और इसके साथ ही सम्भवतः जैव गैस, पवन ऊर्जा या वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों को भी।

सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए प्रकाशवोल्टीय माडयूलों के उपयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है, यथा गाँव में सामुदायिक प्रकाश, जहाज नौ-चालन के लिए रेडियो बीकन यंत्रों, शिक्षात्मक सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन सेटों सूक्ष्म सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति आदि के लिए जल पम्पन। संविरचना और प्रदर्शन के लिए एक अल्पकालीन कार्यक्रम को इस वर्ष पूरा कर लिया जाये, जिसमें 25 कि. वा. की समग्र क्षमता के प्रकाश वोल्टीय मोडयूलों की जल पम्पन अनुप्रयोगों के लिए और 50 कि. वा. की समग्र क्षमता की व्यवस्था की जायेगी एक मुख्य पूर्व- वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र परियोजना का आरंभ

किया जा रहा है ताकि परिचलनों के स्तर को उत्थित किया जा सके और व्यापक पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन किए जा सकें।

अब विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा मुख्य और गतिशील रूप से इस बात पर बल दिया जा रहा है कि ग्रामीण ऊर्जा आधात्री में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एक परिवार और समुदाय आकार के जैव गैस संयन्त्र का विकास किया जाए। अब अधिक बल इस बात पर दिया जा रहा है कि समुदाय आकार के जैव गैस संयन्त्रों की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जाए और अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/समाग्रियों को उपयोग में लाया जाये। 20 प्रदर्शन समुदाय आकार के जैव गैस सन्यत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वे विभिन्न राज्यों के चुने हुए गाँवों में शीघ्र ही पूरे किये जाने वाले हैं। छठी पंचवर्षीय योजनाओं में इस कार्यक्रम का और अधिक विस्तार किया जा रहा है और प्रदर्शन समुदाय आकार और परिवार आकार क जैव गैस संयंत्रों विकास और क्षेत्रीय परीक्षण की गति को उल्लेखनीय रूप से त्वरित किया जा रहा है।

एक क्षैतिज अक्षीय पाल टाइप पवन मिल के विकास के पश्चात इन आदि प्रारूपों के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम देश में दस चुने हुए स्थानों पर अमल में लाया जा रहा है। एक और कार्यक्रम देश में 10 विभिन्न स्थानों पर तीन तीन के समूहों में प्रदर्शन के लिए कम लागत की धातु पिच्छ पलक पवन मिलों की प्रतिष्ठापन की जा रही है। दो स्थानों पर जिन ऊर्ध्वाधर अक्षीय पवन जनित्रों प्रतिष्ठापना की जा रही है उनका कार्य निष्पादन मानीटरन किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की पवन मिलों के लिए व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम की योजना तैयार की जा रही है ताकि इनका बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए अनुभव प्राप्त किया जा सके।

रंगीन पारेषण के लिए पुर्जे

1314. श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में रंगीन पारेषण के लिए कौन से पुर्जे उपलब्ध हैं; और

(ख) वे कितने अंश तक आयात किये जायेंगे ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) स्वदेश में निर्मित इलेक्ट्रानिक उपस्करों की कुल मात्रा का बिक्री मूल्य, जो न केवल रंगीन अपितु श्याम और श्वेत (ब्लैक एंड व्हाइट) 10 किलो वाट के ट्रांसमीटर और सम्बद्ध स्टुडियो सुविधाओं में समान रूप से काम में लाए जाते हैं' लगभग 156 लाख रुपये है। देश में निर्मित कुछ महत्वपूर्ण उपस्करों की एक सूची नीचे दी जा रही है :

1. दस किलो वाट के रंगीन दूरदर्शन ट्रांसमीटर
2. टेलीसिने चेन
3. सोलह चेनल वाले मिक्सिंग उपस्कर
4. कंसोल टेपरिकार्डर
5. श्रव्य वितरक
6. श्रन्य क्रांसवार
7. परिशुद्ध मॉनीटर
8. मॉनीटर बी./डब्ल्यू
9. टेस्ट सिगनल जेनरेटर

10. वेव फाम मॉनीटर

11. नियंत्रण एकक

(ख) ऐसे 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर की स्टुडियो सुविधा के लिए रंगीन दूरदर्शन प्रसारण चालू करने के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में 83 लाख रुपये और रुपयों में 239 लाख रुपयों में 23 लाख रुपये मूल्य के आयातित उपस्कर की आवश्यकता होगी।

इलेक्ट्रोनिक्स साज-समान के निर्माण के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में शोध-कार्य

1315. **श्री अशोक गहलौत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार रंगीन एवं काले-सफेद वीडियो टेप रिकार्डर, टी. वी. कैमरे, कम लागत के टी. वी. स्टुडियो तथा अन्य साज-सामान का निर्माण करने के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु कोई शोध-कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ उक्त शोध-कार्य किया जा रहा है और इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) सरकार का विचार इस कार्य को कब तक पूरा करने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग के प्रयोग के लिए इलेक्ट्रानिक उपस्करों का डिजाइन तैयार करने और उनका विकास करने की दिशा में जो कार्य किया गया है उनका उपयोग अब दूरदर्शन स्टुडियो के मोनोक्रोम तथा रंगीन उपस्करों का विकास करने के लिये किया जा रहा है और साथ ही शिक्षा जैसे गैर प्रसारण अनुप्रयोग के लिए भी किया जा रहा है।

(ख) यह कार्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। जिन उपस्करों का सफलतापूर्वक विकास कर लिया गया है, उनकी सूची विवरण-I में दी गई है। बड़ौदा स्थित मेसर्स गुजरात संचार तथा इलेक्ट्रानिक लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने इनमें से कई उपस्करों की प्रौद्योगिकी का लाभ उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया है।

(ग) इस कार्य को एक सतत रूप से चल रहे विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में किया जा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में विशेष रूप से अंकीय सिगनल संसाधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास तीव्र गति से हो रहा है।

विवरण

I. दृश्य (वीडियो) प्रणालियों का विकास

अंकीय समय आधार संशोधक
दृश्य वितरण प्रणाली
स्पंद वितरण प्रणाली
अंकीय सिंक स्पंद जनित्र एकक
डी. सी. नियंत्रित ऊर्ध्वाधर आंतरायिक दृश्य स्विचें
दृश्य (वीडियो) संसाधन प्रणायी
दृश्य (वीडियो) लाइन ग्राही टर्मिनल
विशेष प्रभाव-उत्पादक जेनरेटर (जनित्र)

वीडियो मिक्सर (समिश्रक)
कैमरा नियंत्रण एकक

2. श्रव्य (आडियो) प्रणालियों का विकास

सिंक विकास में ध्वनि
श्रव्य वितरण प्रवर्धक
आडियो मिक्सिंग कंसोल
श्रव्य विद्युत प्रवर्धक
श्रव्य स्विचर

पिछले छः महीनों में विदेशी सैनिक विमानों द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण

1316. **श्री पी. राजगोपाल नायडू**
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव
स्वामी इन्द्रवेश
श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव
श्री राजेश कुमार सिंह
धर्मवीर सिन्हा
श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्त
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में विदेशी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा के अतिक्रमण संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) पिछले छः महानों में पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु क्षेत्र का अतिक्रमण करने के कुछ मामले हुए है। ब्यौरे बताना वांछनीय नहीं होगा ।

(ख) भारत सरकार ने इस सामाले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है ।

जनसख्या में वृद्धि की दर

1317. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या गृह मंत्री यह जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण समा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की 1941-51 1951-61, 1961-71 और 1971 से आज तक के दशक की (राज्यवार) जनसख्या में वृद्धि की दर क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : संलग्न विवरण में असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में 1941-51, 1951-61 और 1961-71 दशकों में जनसंख्या की वृद्धि की दर प्रदर्शित है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1971 से आज तक वृद्धि की दरें उपलब्ध नहीं है।

विवरण

जनसंख्या में वृद्धि की दरें

राज्य	दशक	प्रतिशत वृद्धि
1. मिजोरम को छोड़कर असम	1941—51	19.93
	1951—61	34,98
	1961—71	34.95
2. नागालैंड	1941—51	8.60
	1951—61	14.07
	1961—71	39.88
3. मणिपुर	1941—51	12.80
	1951—61	35.04
	1961—71	37.53
4. मेघालय	1941—51	8.97
	1951—61	27.03
	1961—71	31.50
5. अरुणाचल प्रदेश	1941—51	उपलब्ध नहीं
	1951—61	उपलब्ध नहीं
	1961—71	38.91
6. त्रिपुरा	1941—51	24.5[illegible]
	1951—61	78.[illegible]1
	1961—71	36.28

लेह-कारगिल के लिए अलग दर्जे की मांग

1318. स्वामी इन्द्रवेश

श्री राजेश कुमार सिंह

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह-कारगिल के लोगों द्वारा लेह-कारगिल के लिए अलग दर्जे की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूरेनियम की सप्लाई पर अमरीका द्वारा लगाई गई शर्तें

1319. श्री अर्जुन सेठी :

श्री के. मालन्ना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर परमाणु संयंत्र में इंधन के रूप में इस्तेमाल के लिए 19.8 टन संवर्धित

यू रेनियम की सप्लाई के लिये अमरीकी सरकार ने 1963 के सहयोग समझौते से असम्बद्ध हाल ही में क्या शर्तें लगाई हैं;

(ख) क्या सरकार इसे 1963 में हस्ताक्षर किये गये समझौते का अमरीका द्वारा उल्लंघन का मामला मानती है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) लगाई गई शर्तें संयुक्त राज्य अमरीका के एक आंतरिक कानून और वहां की वैधानिक प्रक्रियाओं में किये गये प्रावधान हैं, जो 1963 के सहकार करार में शामिल नहीं थीं। संयुक्त राज्य अमरीका सरकार को सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार न तो तारापुर परमाणु बिजलीघर के ईंधन की सप्लाई में निरन्तर होने वाले विलम्ब और अनिश्चितता को स्वीकार करेगी और न ही वह ऐसी कोई शर्तें स्वीकार करेगी जो 1963 में हुये वर्तमान सहकार करार में शामिल नहीं हैं।

भारी पानी संयंत्र में उत्पादन पुन: शुरू किया जाना

1320. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री छोटू भाई गामित : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में भारी पानी संयंत्र ने दिसम्बर 1977 में हुई बड़ी दुर्घटना के पश्चात पुन: निर्बाध रूप से उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रगति के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मरम्मत पूरी होने पर संयंत्र 21 जुलाई, 1980 को काम करने लगेगा। 2 जनवरी 1981 से उत्पादन निर्बाध रूप से आरम्भ हो गया है।

विभिन्न कैडरों के विदेशों को गए अधिकारी

1321. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध विभिन्न कैडरों के कितने अधिकारी पृथक-पृथक कारणों से विदेशों को गए हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा सभी संवर्गों के संबन्ध में समेकित सूचना केन्द्रीकृत आधार पर नहीं रखी जाती है।

विदेशी पैसा स्वीकार करने वाले संगठन

1322. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनको किसी प्रकार का विदेशी धन स्वीकार करने से पूर्व विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है;

(ख) इसके कारण क्या हैं कि वामपंथ विरोधी संगठनों को, जिनके कथित रूप से गैर

समाजवादी पश्चिमी देशों के साथ सम्बन्ध हैं, सूची में किस कारण से सम्मिलित नहीं किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 5 (1) के अधीन राजनैतिक स्वरूप का कोई संगठन, जो राजनैतिक दल न हो केवल केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही विदेशी अभिदान स्वीकार कर सकता है । 'राजनैतिक स्वरूप का संगठन जो राजनैतिक दल न हो' का अर्थ ऐसे संगठन से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने संगठन की गतिविधियों अथवा संगठन के कार्यक्रम अथवा संगठन की किसी राजनैतिक दल के साथ सम्बद्धता को ध्यान में रखते हुये इस सम्बन्ध में एक आदेश द्वारा उस संगठन को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया हो । तदनुसार भारत सरकार द्वारा 18-2-77 और 16-9-80 को प्रकाशित अधिसूचनाओं में ऐसे 141 संगठनों को निर्दिष्ट किया गया है । इन संगठनों को, उपर्युक्त उल्लिखित कारणों में से एक अथवा एक से अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुये राजनैतिक स्वरूप के संगठन अधिसूचित किया गया है । इन संगठनों के नामों का एक विवरण संलग्न है । निर्णय प्रत्येक मामले के गुण व अवगुणों के आधार पर लिया जाता है न कि इस आधार पर कि कोई विशेष संगठन वामपंथी है या दक्षिणपंथी है अथवा वह समाजवादी या गैर-समाजवादी देशों से अभिदान प्राप्त करता है ।

विवरण

उन संगठनो की सूची जिन्हें राजनैतिक स्वरूप के संगठन अधिसूचित किया गया है ।

1. आल इंडिया किसान सभा ।
2. भारतीय खेत मजदूर यूनियन ।
3. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
4. आल इण्डिया किसान सभा ।
5. सेंटर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स ।
6. भारतीय मजदूर संघ ।
7. हिन्द मजदूर पचायत ।
8. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
9. यूनायटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
10. हिन्दू मजदूर सभा (माखन चटर्जी ग्रुप)
11. हिन्द मजदूर सभा (महेश देसाई ग्रुप)
12. नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियनस ।
13. आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगैनाईजेशन्स ।
14. आल इण्डिया एल. आई सी. एमप्लाईज फैडरेशन ।
15. आल इंडिया बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन ।
16. आल इण्डिया डिफेंस एम्प्लाईज फेडरेशन ।
17. आल इण्डिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाईज फेडरेशन ।
18. आल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ।

19. इंडियन रेलवे वर्क्स फेडरेशन ।
20. भारतीय रेलवे मजदूर संघ ।
21. आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशियशन ।
22. गवर्नमेंण्ट एम्लोइज नेशनल पारम ।
23. आल इण्डिया फेडरेशन आफ इलेक्ट्रीसिटी एम्पलोईज ।
24. नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ एम्पलोईज ।
25. ट्रेड यूनियन कोआरडीनेशन सेंटर ।
26. प्रोग्रेसिव लेबर यूनियन ।
27. केरल ट्रेड यूनियन फ्रंट ।
28. स्वतन्त्र थीजीलाली यूनियन ।
29. स्वतन्त्र थीजीलाली यूनियन, मावूर, कालाकट ।
30. लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन ।
31. अन्ना थीजहिर संघ पैराबी ।
32. स्टेट सैंट्रल लेबर यूनियन ।
33. सर्व श्रमिक संघ ।
34. भारतीय कामगार सेवा ।
35. नेशनल लेबर, को-आरडीनेशन काउन्सिल ।
36. यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ।
37. नेशनल लेबर आरगेनाईजेशन ।
38. आल इण्डिया स्टुडेन्ट्स फेडरेशन ।
39. आल इण्डिया युथ फेडरेशन ।
40. स्टूडेंटस फेडरेशन आफ इण्डिया ।
41. डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ।
42. भारतीय यूवा संघ ।
43. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ।
44. समाजवादी यूवाजन सभा पटेल हाऊस (प्रो-एस. पी.) ।
45. समाजवादी यूवाजन सभा (प्रो. एस. एस. पी. भारतीय लोक दल) ।
46. डेमाक्रेटिक स्टुडेन्ट्स आरगेनाईजेशव ।
47. कामसोमरा ।
48. रिवोल्यूशनरी यूथ आरेगेनाईजेशन ।
49. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेन्टस यूनियन ।
50 प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंटस यूनियव ।
51. रेडिकल स्टूडेंटस यूनियन ।
52. पंजाब स्टूडेंटस यूनियन ।
53. आल इण्डिया रेवोलशनरी यूथ फ्रंट ।
54. आल इण्डिया सिख स्टूडेंटस फेडरेशन ।
55. आल इण्डिया सिख स्टूडेंटस एण्ड यूथ फेडरेशन ।

56. केरल स्टूडेंटस कांग्रेस । (के. एम. जार्ज ग्रुप)
57. केरल स्टूडेंटस कांग्रेस । (के. एम. मनि ग्रुप)
58. जे. के. यूथ नेशनल कांफ्रेंस ।
59. इण्डियन यूथ कांग्रेस ।
60. नेशनल स्टूडेंटस यूनियन आफ इंडिया ।
61. वेस्ट बंगाल छात्र परिषद ।
62. वर्ल्ड तमिल यूथ फेडरेशन ।
63. नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वूमन ।
64. समाजवादी महिला सभा ।
65. महिला फ्रंट ।
66. महिला सस्कृति संघ ।
67. निखिल बंग महिला संघ ।
68. गुजरात महिला कांग्रेस ।
69. कांग्रेस सेवा दल ।
70. रेड पेंथर ।
71. मुस्लिम कान्फ्रेंस ।
72. इस्लामिक स्टडी सर्कल ।
73. आवामी एक्शन कमेटी ।
74. आल जे. एण्ड के. पीपल्स रेवोलशनरी फ्रंट ।
75. आल जे. एण्ड के. आवामी मक्वूल महाज ।
76. जे. एण्ड के. पीपल्स लीग ।
77. दि पीपल्स कांग्रेस ।
78. मिजो डेमोक्रेटिक फ्रंट ।
79. कांगलेई लीग ।
80. मणिपुर हिल्स एण्ड प्लेन्स यूनियन ।
81. उजानी आसोम राज्य परिषद ।
82. ट्राइबल फ्रंट ।
83. कम्यूनिस्ट लीग आफ इंडिया ।
84. राइटेअस एक्ट मूवमेंट ।
85. आल इण्डिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुश्वरत ।
86. तबलीघ जमात ।
87. आल इंडिया सर्व सेवा संघ ।
88. लोक नीति परिषद ।
89. लिटिजम्स फार डेमोक्रेसी ।
90. झारखंड मुक्ति मोर्चा ।
91. बिरमा सेवा दल ।
92. नाग विदर्भ आन्दोलन समिति ।

93. महा विदर्भ राज्य संघर्ष समिति ।
94. मराथवाड़ा जनता विकास परिषद ।
95. महाराष्ट्र एकीकरण समिति ।
96. दि कन्नड पक्ष ।
97. कन्नड चालूवालिगर्स ।
98. द्रविड कजगम ।
99. तमिल अरासु कजगम ।
100. तमिलनाडु टोयलर्स प्रोग्रेसिव पार्टी ।
101. थाजथापट्टूर मुनेत्र कजंगम ।
102. रिवोल्युशनरी अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ।
103. दि नीलचक्र ।
104. दलित पैंन्थर्स, बडाला, बम्बई ।
105. दलित पैंन्थर्स, भवानी पथ, पूरा-2 ।
106. पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ।
107. आल इण्डिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन ।
108. आल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्पलाइज फेडरेशन ।
109. नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे मेन ।
110. इन्स्टीट्यूट आफ इण्डियन लेबर ।
111. नेशलन फेडरेशन आफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ एम्पालाईज (शशि भूषण ग्रूप)
112. इण्डियन नेशनल पलांटेशन वर्कस फेडरेशन ।
113. आनन्द मार्ग ।
114. प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया ।
115. प्राउटिस्ट यूनिवर्सल ।
116. बालटियर सोशल सर्विस ।
117. सेवा धर्म मिशन ।
118. एजुकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेयर सेक्टर ।
119. आनन्द मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ लीग ।
120. यूनिवर्सल प्राउटिस्टस स्टूडेंन्ट फेडरेशन ।
121. जमात-ए-इस्लामी हिन्द ।
122. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ।
123. शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी ।
124. दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ।
125. जम्मू कश्मीर इस्लामी जमात-ए-तुलबा ।
126. अन्जुमन नसरत-उल-इस्लाम ।
127. जम्मू कश्मीर मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ।
128. जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टडी सर्किल ।
129. आल इंडिया पीस एंड सालिडरिटी आर्गनाइजेशन ।

130. इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी ।
131. आल इंडिया इण्डो, जी. डी. आर. फ्रैंडशिप एसोसिएशन ।
132. आल इंडिया इन्डाकोरियन फ्रैंडशिप एसोसिएशन ।
133. इण्डोचेक कल्चरल सोइटी
134. इंडो बुल्गारियन फ्रैंडशिप एसोसिएशन ।
135. इंडिया-चीन फ्रैंडशिप एसोसिएशन ।
136. आल इण्डिया डा. द्वारका नाथ कोटनीस मेमोरियल कमेटी ।
137. नेशनल फेडरेशन आफ प्रोग्रेसिव राइटर्स ।
138. आल इंडिया ऐसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक लायर्स ।
139. जनरल यूनियन आफ फिलीस्तीन स्टूडेंटस (इण्डिया ब्रांच) ।
140. मोरल रिआर्मामेंट (एम. आर. ए.) ।
141. राष्ट्र सेवा दल ।

भारत द्वारा बेची गई युद्ध सामग्री का दक्षिणी अफ्रीका पहुंचना

1323. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा बेचे गये टैंक तथा अन्य युद्ध सामग्री किन्हीं देशों के माध्यम से दक्षिणी अफ्रीका की जातिवादी सरकार के हाथों में पहुँच गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) तथा (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी खबर को देखा है जिसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा दिसम्बर, 1977 में बेचे गये पुराने और अनुपयोगी सेंचूरियन टैंक दक्षिण अफ्रीका पहुँच गये थे। आयात अनुमति प्राप्त करने पर टैंकों की बिक्री स्पेन सरकार को गई थी और टैंकों के गन बैरल हटा लेने के बाद उन्हें निर्यात किया गया था।

राज्यों में भूतपूर्व मन्त्रियों तथा उनके पुत्रों के विरुद्ध मुकदमें वापस लिया जाना

1324. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूतपूर्व मंत्रियों तथा उनके पुत्रों के विरुद्ध कितने आपराधिक मुकदमें केन्द्र सरकार के आदेशों पर वापस ले लिए गए हैं अथवा वापस लिये जा रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष के लिए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के निदेशों पर राज्य में भूतपूर्व मंत्रियों और उनके पुत्रों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमें वापस नहीं लिये गये हैं। फिर भी, दो मुकदमें जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा श्री बंसीलाल, श्री सुरेन्द्र सिंह तथा अन्यों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किये गये थे जो (1) भिवानी में श्री मनोहर लाल की जायदाद गिराने और (2) श्री बंसीलाल द्वारा लड़कियों के नाम पर प्लाटों का अधिग्रहण करने से संबंधित हैं राज्य सरकार द्वारा बाद में वापस ले लिये गये थे। इन दो मुकदमों को वापस लेने की अनुमति देने के बारे में विचारण न्यायालयों के आदेश के विरुद्ध

केन्द्र सरकार की ओर से नवम्बर, 1979 में अभियोजक, आपराधिक संशोधन याचिकाएं दायर की गई थी। तदनुसार 15 जनवरी, 1980 को केन्द्र सरकार के अनुदेशों पर केन्द्रीय सरकार के स्टेंडिग काउन्सल द्वारा उक्त दो आपराधिक संशोधन याचिकाओं को वापस लेने के लिये पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में आवेदन दिये गये थे। हरियाणा तथा पंजाब उच्च न्यायालय ने संबंधित दो आपराधिक संशोधन याचिकाओं को वापस ली गयी याचिकाओं के रूप में खारिज कर दिया है।

वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए राज्यों को आवंटन

1325. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्यों के लिए 1981-82 के लिए वार्षिक योजनाओं का प्रारूप सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित व्यय और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे अर्थ व्यवस्था और समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग और केन्द्र सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, यदि हाँ, तो उसमें कोई संशोधन किए हैं तो वे क्या हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री : (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के साथ प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है और उन्हें अन्तिम रूप दिया गया है। ये सम्बन्धित वार्षिक वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में राज्यों के अपने-अपने विधान मंडलों के विचार के विभिन्न चरणों में हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना में विशिष्ट कार्यक्रम

1326. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना के प्रारूप के अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए किसी विशिष्ट कार्यक्रम पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके अंतर्गत रखे गये परिव्यय और लक्ष्य क्या हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्रीनारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए छठी योजना में अनेक विशिष्ट कार्यक्रम निहित हैं।

(ख) पहली बार छठी योजना में 600 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से अनुसूचित जाति संघटक योजनाओं के लिए केन्द्रीय संयोगी राशि की व्यवस्था की गई है। यह राज्य योजनाओं में किए गये परिव्यय के अलावा होगी। राज्य योजनाओं में भी जन जातीय विकास और कल्याण के लिए कार्यक्रम निहित होंगे तथा इसके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता 470 करोड़ रु. का संघटक शामिल है। राज्य योजना परिव्ययों में पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए भी 560 करोड़ रु. की व्यवस्था है। इसके अलावा, त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति, जन स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य न्यूनतम आवश्कताओं के लिए न्यूनतम आवश्कता कार्यक्रम के भाग के रूप में कार्यक्रमों

की भी व्यवस्था की गई है, जो सभी प्रमुख रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये योजना में कुल परिव्यय 5808 करोड़ रु. है।

योजना में रोजगार पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण जनसंख्या में कमजोर लोगों को सहायता करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम की मन्दी के मौसम में रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इस प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं। सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उचित कीमतों पर उनका वितरण सुनिश्चित करना भी है; यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थिर और स्थायी व्यवस्था बना दी जाएगी तथा छठी योजना में इसका विस्तार किया जायेगा।

नेपाल, भूटान और बंगला देश में चीन की सशस्त्र सेनाओं का जमाव

1327. **श्री माधवराज सिंधिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीन ने बंगलादेश में अपनी सशस्त्र सेनाओं का जमाव किया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि नेहाल' भूटान और बंगलादेश की सीमा के दूसरी ओर चीन की सैनिक गतिविधियों में वायु सीमा का उलंघन करने सहित, हाल ही में वृद्धि हुई है; यदि हां, तो गत छः महीनों का तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) अपनी रक्षा व्यवस्था को सुदृढ बनाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (शिवराज वी. पाटिल) : इस बात की कोई सूचना नहीं है कि चीन बंगला देश में सशस्त्र सेनाओं का जमाव किया है।

(ख) नेपाल या भूटान की सीमा के पार चीन की कोई असामान्य सैनिक गतिविधियां देखने में नहीं आई हैं। हां, पिछले छः महीनों के दौरान चीन की ओर से हवाई सीमा के उल्घन की कुछ घटनाएं हुई है।

(ग) सरकार अपने पड़ोस में होने वाली सैनिक गतिविधियों सहित सभी घटनाओं की निरन्तर समीक्षा करती है और इस तरह की समीक्षा के आधार पर देश की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समय पर उपयुक्त उपाय किये जाते हैं।

साम्प्रदायिक तनाव और हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं

1328. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

श्री वित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां गत एक वर्ष के दौरान साम्प्रदायिक तनाव और हरिजनों पर अत्याचार की सबसे कम और सबसे अधिक घटनाएं हुई; और

(ख) इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980 के दौरान साम्प्रदायिक घटनाओं की सबसे कम संख्या हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में थी जबकि सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में

थी। इसी वर्ष के दौरान हरिजनों के प्रति अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की सबसे कम संख्या असम में और सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में थी;

(ख) साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने के उपायों के सम्बन्ध में, सरकार ने किसी भी साम्प्रदायिक स्थिति और भविष्य में इसकी पुनरावृति से सख्ती तत्परता और प्रभावकारी ढंग से निपटने के अपने दृढ़ निश्चय को पहले प्रकट कर दिया है। साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को समय समय पर विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं, जैसे स्थानीय आसूचना तंत्र का स्तर बढ़ाना : केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्षों की स्थापना, पुलिस तैनाती को सुदृढ़ करना, असमाजिक तत्वों के खिलाफ अधिक प्रबल निरोधात्मक कार्यवाई करना, अग्नेय शस्त्रों पर पूर्ण-नियंत्रण के साथ साथ अवैध हथियारों और गोला बारूद का पता लगाने के लिए सतत प्रभावशाली उपाय करना महत्वपूर्ण त्यौहारों और समारोहों के समय पर विशेष सावधानी रखना. इस निर्णय को दोहराना कि सभी गलती करने वाले और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को वह सभी सहायता देने का वचन दिया है जिसकी आवश्यकता उन्हें साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये हो। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाई करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के उपबन्ध मौजूद हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का पूर्नगठन किया गया है और इसकी बैठक 2 नवम्बर 1980 को हुई है। परिषद ने साम्प्रदायिक सौहर्द पर एक उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

हरिजनों के प्रति अपराधों के सबन्ध में केन्द्रीय गृह मंत्री ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को, जहाँ अनुसूचित जाति के सदस्यों के प्रति अपराध हो रहे हैं पत्र लिखा है, जिसमें ऐसे अपराधों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए एहतियाती और निरोधात्मक, दण्डत्मक मार्गदर्शी सिद्धान्त और पुनर्वास उपाय सूचित किए गए हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को यह सुझाव भी दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट/उपमंडलीय मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक/उप-मडलीय पुलिस अधिकारी के पदों में से एक पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को तैनात किया जाय। अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों के स्थाई समाधानों के आधार के रूप में, सरकार उनके आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों को रोकने और प्रभावशाली ढग से निपटने और उनके आर्थिक विकास के लिए किए जाने वाले उपायों पर 8 अप्रैल, 1980 को हुए मुख्य मत्रियों/राज्यपालों के सम्मेलन में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया था। भारत सरकार अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के साथ साथ उनके आर्थिक विकास के संबन्ध में राज्य सरकारों के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

कपड़ा मशीनरी का आयात

1329. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग द्वारा आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग के बावजूद कपड़ा मशीनरी का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो कपड़ा मशीनरी के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है; और

(ग) विशेषकर जब मांग देश में ही पूरी की जा सकती है तो आयात के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री चरणजीत चानना) : (क) कपड़ा मशीनरी को केवल उन वस्तुओं के लिए सामान्यत: आयात की अनुमति दी जाती है जिसके लिए देश में पर्याप्त देशी क्षमता मौजूद नहीं है।

(ख) गत दो-तीन वर्षों में 3 करोड़ रु० से 4 करोड़ रु० वार्षिक तक की कपड़ा मशीनें आयात की गई हैं।

(ग) जब तक देश से ही मांग पूरी की जा सकती है तब तक आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी, उपयोक्ताओं की तत्काल आवश्यकताओं तथा मशीनों के देशी निर्माताओं द्वारा बताई गई डिलीवरी की अवधि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के आधार पर चयनात्मक आयात के मामलों पर विचार किया जाता है।

स्वदेशी भारी जल की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच के लिए पायलट प्लांट

1330. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए स्वदेशी भारी जल के प्रयोग की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को जांच हेतु किसी पायलट प्लांट की योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) चूंकि भारत में उत्पादित भारी पानी को परमाणु बिजलीघरों में सीधे ही काम में लाया जा सकता है, इसलिए कोई पायलट प्लांट लगाना आवश्यक नहीं है। तथापि, आमोनिया तथा हाइड्रोजन के विनिमय की प्रतिक्रिया पर जो उर्वरक संयंत्रों पर निर्भर नहीं करती, आधारित संयंत्र लगाने की सम्भाव्यता सिद्ध करने के लिए बड़ोदा में एक पायलट प्लांट लगाया जा रहा है।

(ख) संयंत्र का इंजीनियरिंग डिजायन पूरा किया जा रहा है और संयंत्र के लिए सामान मंगाया जा रहा है।

अखबारी कागज की मूल्य वृद्धि, खपत, आयात, और उत्पादन

1331. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष के दौरान अखबारी कागज के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान हुई वृद्धि क्या है;

(ग) यदि उत्तर नकारात्मक है, तो वास्तविक स्थिति क्या है;

(घ) अखबारी कागज की जनवरी 1980 से जनवरी 1981 तक कुल खपत क्या थी; और

(ङ) अखबारी कागज की कितनी मात्रा का उत्पादन देश में किया गया और कितनी मात्रा का आयात किया गया;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) वर्ष 1980 के दौरान अखबारी कागज के मूल्य में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :—

(1) आयातित मानक अखबारी कागज (48.8 जेम) हाई सी सेल्स 390 रु. प्रति मी. टन

बफर भण्डार 200 रु. प्रति मी. टन.

(ङ) देशी अखबारी कागज

नेपा नगर कारखाना बाहा 756 रु. प्रति मी. टन

(घ) वर्ष 1980 के दौरान रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्स फार इण्डिया द्वारा किया गया अखबारी कागज का कुल आवंटन लगभग 3.70 लाख मी. टन था।

(ङ) देश में लगभग 48,000 मी. टन का उत्पादन हुआ था और 3,22,000 मी. टन कागज का आयात किया गया था।

उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोई पर आधारित कागज कारखाने की स्थापना

1332. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खोई पर आधारित कागज कारखानों की स्थापना की कोई योजना मंत्रालय को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और उक्त योजना के समर्थन में क्या तर्क दिए गए हैं; और

(ग) मन्त्रालय द्वारा इस बारे में यदि कोई कार्यवाई की गई है तो क्या;

उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) जी, हाँ। उत्तरी बिहार तथा पूर्वीय उत्तर प्रदेश में जहाँ खोई पर आधारित कागज परियोजनाओं की अच्छी संभावनाएँ हैं, खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना करने हेतु अनेक अभ्भुपायों का एक प्रस्ताव अक्तूबर, 1980 में मिला था। बताया गया था कि कागज के लिये कच्चे माल की कमी के वर्तमान संदर्भ में खोई के उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है इससे पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

(ग) बेतिया क्षेत्र स्थित चीनी मिलों से प्राप्त खोई का उपयोग कर उत्तरी बिहार के एक कागज मिल की स्थापना करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है। कागज मिल की स्थापना करने के लिये पर्याप्त मात्रा में खोई उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों द्वारा चीनी मिलों से चर्चा की जानी थी। राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे चीनी संयंत्रों से खोई का संभरण सुनिश्चित करने तथा चीनी मिलों में कोयले के स्थान पर खोई का उपयोग न करने हेतु बात चीत को आगे बढ़ायें। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में ठोस प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है ताकि इक्विटी पूंजी में सहभागी बनने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सके।

तमिलनाडु, नागालैंड, असम और केरल में खोई पर आधारित कागज संयंत्रों की प्रगति

1333 : **श्री हरिनाथ मिश्र** क्या उद्योग मंत्री खोई पर आधारित कागज संयंत्रों की स्थापना के बारे में 12 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4208 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में खोई पर आधारित अखबारी कागज मिल की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) नागालैंड, असम और केरल में प्रत्येक अखबारी कागज परियोजना में कितनी प्रगति हुई है जिन्हें हिन्दुस्तान कागज निगम ने लि. अधिग्रहीत कर लिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि गुंडुराव समिति के प्रतिवेदन (1965) तथा बिहार के लिए व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट घोषित किया गया है कि

देश में खोई पर आधारित कागज उद्योग की स्थापना के लिए उत्तर बिहार क्षेत्र बहुत उपयुक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो उत्तर बिहार अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अन्य क्षेत्र में परियोजनाओं का निष्पादन आरम्भ करने के लिए कोई प्रस्ताव न होने के क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) मेसर्स तमिलनाडु न्यूजीप्रिंट एण्ड पेपर्स लि. को अखबारी कागज तथा छपाई एवं लिखाई के कागज का उत्पादन करने के लिए तमिलनाडु में एक नए उपक्रम की स्थापना करने हेतु एक आशय पत्र जारी किया गया है। परियोजना का वित्तीय ढांचा विश्व बैंक तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

(ख) केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट तथा नागालैंड पल्प एण्ड पेपर मिल का काम पूरा होने को है और आशा है कि 1981 तक वह चालू हो जायेगी।

आसाम के नौगांव तथा कछार जिलों में स्थापित किए जाने वाले समन्वित पल्प तथा पेपर मिल्स के 1983-84 तक चालू हो जाने की आशा है। इन परियोजनाओं के बारे में भूमि अधिग्रहण तथा स्थापना स्थल तैयार करने का काम चल रहा है तथा देर से मिलने वाले अधिकांश सामान के लिए क्रयादेश दे दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह मान लिया गया है कि उत्तरी बिहार में खोई पर आधारित कागज परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाएं विद्यमान है। उत्तर बिहार में बेतिया क्षेत्र की चीनी मिलों से मिली खोई के उपयोग से कागज मिल की स्थापना करने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है। राज्य सरकारों द्वारा कागज मिल की स्थापना करने हेतु पर्याप्त मात्रा में खोई उपलब्ध कराने पर चीनी मिलों से चर्चा की जानी थी। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे चीनी संयंत्रों से खोई का मिलना सुनिश्चित करने तथा चीनी मिलों में कोयले के बदले खोई का उपयोग करने के लिए बातचीत आगे बढ़ायें। राज्य सरकारों से इस संबंध में ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि इक्विटी पूंजी में अंशभागी बनने की संभावनाओं पर विचार किया जा सके।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग का विकास

1334. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना बनाने और उसे अन्तिम रूप देने के लिए नारियल जटा-उद्योग के 95 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली केरल राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने जा रही है; और

(ख) यदि हां तो ऐसा विचार-विमर्श कब या किस तारीख को होगा;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केन्द्र सरकार केरल राज्य सरकार से पहले ही चर्चा कर चुकी है और राज्य सरकार से इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्तावों को पुनः तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में शिवारामन समिति का प्रतिवेदन

1335. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल जटा उद्योग के बारे में शिवारामन समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिवेदन को कब तक प्रकाशित किया जायेगा;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकार, श्री बी. शिवारमन, भूतपूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित कयर उद्योग सम्बन्धी उच्च स्तरीय अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच कर रही है। अध्ययन दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अन्तिम रूप से विचार कर लिये जाने के पश्चात ही प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा।

नारियल जटा उद्योग के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूसे की बसूली

1336. श्री ई. बालानन्दन क्या उद्योग मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नारियल जटा उद्योग के लिए राज्य सरकार भूसे की वसूली करने के मात्र ठेके को मंजूरी देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या निधि के पर्याप्त प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार की योजनाओं के कब तक घोषित कर दिए जाने की आशा है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार को ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेडिकल रिप्रजेन्टेटिन्स एसोसिएशन आफ इण्डिया की मांगें

1337. श्री ई. बालानंदन क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स एशोशिएशन आफ इण्डिया ने सरकार को मांगों का कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वे मांगे क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) फेडरेशन आफ मैडिकल रिप्रजेन्टेटिव्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने अक्तूबर, 1980 में एक मांग पत्र भेजा था।

(ख) ये मांगे मुख्य रूप से नौकरी से बर्खास्त/निकाले गये कर्मचारियों की बहाली, वेतन/मानों में संशोधन, कार्य-दशाओं को सुव्यवस्थित करने, विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 के अधीन उसके कार्यक्रम में आने के लिए वेतन सीमा को हटाने आदि और इन मांगों पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक बुलाने से सम्बन्धित है।

(ग) सरकार ने संशोधन के सुझाव को नोट कर लिया है। 30 दिसम्बर, 1980 को फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्हें कुछ विवरण भेजने का परामर्श दिया गया ताकि सरकार त्रिपक्षीय सम्मेलन के बारे में फैसला कर सके। इन विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है।

तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए अमरीका से प्राप्त परमाणु ईंधन

1338. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र को अमरीका से वचनानुसार परिष्कृत यूरेनियम प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 तक अमरीका से प्राप्त परिष्कृत यूरेनियम की कुल कितनी मात्रा है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 19.8 टन समृद्ध यूरेनियम की एक लम्बे समय से बकाया खेप, जिसके लिए अगस्त, 1979 में आवेदन दिया गया था और जो कार्यक्रम के अनुसार फरवरी और सितम्बर, 1980 के बीच भेजी जानी चाहिए थी, अब तक अमरीका से नहीं मिली है। 19.8 टन समृद्ध यूरेनियम की डिलीवरी मार्च और सितम्बर, 1981 के बीच करने के लिए एक और आवेदन-पत्र सितम्बर, 1980 में दिया जा चुका है।

(ख) लगभग 253.4 टन।

चोरी के बाद बरामद किये गये गैस के सिलेण्डर

1339. **श्री एच. एन. गौडा :**

श्री के. लकप्पा :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न थानों में चोरी के मामलों में बरामद किये गये गैस के हजारों सिलेंडर पड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के प्रत्येक थाने में कितने-कितने सिलेंडर पड़े हैं;

(ग) इन सिलेंडरों को भारतीय तेल निगम को न लौटाने के क्या कारण हैं जब कि सिलेंडरों के कारण गैस सप्लाई की कमी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चोरी के मामलों में बरामद किए गये केवल 399 गैस के सिलेंडर थानों में पड़े हुए हैं।

(ख) चोरी के मामलों में और चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों में विभिन्न थानों में पड़े हुए गैस के सिलेण्डरों की संख्या के दो अलग-अलग विवरण संलग्न है।

(ग) गैस के सिलेण्डर मामले में अर्न्तग्रस्त सम्पत्ति हैं और सम्बद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हैं और इसलिए न्यायालय के निश्चित आदेशों के बिना वापस नहीं किए जा सकते हैं।

विवरण-1

चोरी के मामलों में बरामद किए गए और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक थाने में पड़े हुए गैस सिलेंडरों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा।

थाने का नाम	चोरी के मामले में बरामद किये गए थाने में पड़े हुए गैस के सिलेंडरों की सं॰
पार्लियामेंट स्ट्रीट	6
मंदिर मार्ग	2
चाणक्यपुरी	11

1	2
तुगलक रोड	2
तिलक मार्ग	19
आर. के. पुरम	8
बसन्त बिहार	24
हौज खास	6
विनय नगर	7
लोधी कालोनी	1
डिफेंस कालोनी	27
एस. एन. दीव	1
लाजपत नगर	2
कालका जी	1
श्रीनिवास पुरी	22
बंदर पार्क	3
तिलक नगर	4
जनक पुरी	3
मोती नगर	1
राजौरी गार्डन	1
पंजाबी बाग	11
सीमा पुरी	2
शाहदरा	4
लारेंस रोड	80
किंग्जवे कैम्प	66
लाहौरी गेट	1
कश्मीरी गेट	8
दरिया गंज	18
चाँदनी महल	10
पहाड़ गंज	8
ओरिजनल रोड	3
कमला मार्किट	22
हौज काजी	2
राजेन्द्र नगर	7
पटेल नगर	6
जोड़	399

विवरण-2

चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों में बरामद किए गए और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक थाने में पड़े हुए गैस के सिलेंडरों की संख्या के संबन्ध में ब्यौरा ।

थाने का नाम	चोरी के अतिरिक्त अन्य मामलों में बरामद कि गये थाने में पड़े हुये गैस के सिलेंडरों की संख्या
पार्लियामेंट स्ट्रीट	22
विनय नगर	1
लोधी कालोनी	2
कालका जी	148
श्री निवास पुरी	1
तिलक नगर	21
जनक पुरी	6
राजोरी गार्डन	2
पंजाबी बाग	2
नाँगलोई	10
सीमापुरी	2
शाहदरा	1
नारेंस रोड	4
लाहोरी गेट	3
कश्मीरी गेट	8
कोतवाली	2
सब्जी मण्डी	1
अलीपुर	73
पहाड़ गंज	12
ओरिजनल रोड	3
होज काजी	1
पटेल नगर	27
करोल बाग	2
जोड़	354

कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा समिति

1340. श्री एच. एन. गौडा :
श्री के. लक्कप्पा :
श्री राम प्यारे पनिका :
श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा समिति ने इसे सभी प्रतिस्थापनाओं पर लागू करने के लिए सम्बद्ध कानून में संशोधन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य दोषी लोगों के कारण जिन्होंने भविष्य निधि की बकाया राशियों का अभी तक भुगतान नहीं किया है की कुल राशि करोड़ों रुपयों में हैं;

(घ) उन दोषी लोगों के विरुद्ध, जिन्होंने भविष्य निधि जमा राशि समय पर जमा नहीं कराई है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उनसे राशि शीघ्र वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति की सम्बद्ध सिफारिशें संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1961/81]

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-3-1980 को भविष्य निधि में अंशदान, परिवार पेंशन निधि, कर्मचारी डिपोजिट लिंग बीमा निधि, प्रशासनिक चार्जेज, निरीक्षण चार्जेज और क्षति पूर्ति के रूप में बकाया राशि 57.42 करोड़ रुपये थी। तथापि, इसमें ऐसे कुछ प्रतिष्ठानों की बकाया राशि शामिल नहीं है जो विवादग्रस्त हैं और जिनके सम्बन्ध में बकाया राशि का निर्धारण पूरा नहीं हुआ हो।

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उन्होंने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करके, दोषी प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाकर और दांडिक हर्जाने लगाकर बकाया राशि की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में की गई व्यवस्था के अनुसार समुचित कार्यवाही की है।

गोला बारूद जोखिम भत्ते की दर में वृद्धि

1341. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डिनेंस/गोला बारूद डिपो और आर्डिनेंस/विस्पोटक सामान बनाने वाले कारखानों में नियुक्त/गोला बारूद के लदान/उतारने के काम पर तैनात कर्मचारियों को दिये जा रहे गोला बारूद जोखिम भत्ते की दर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो बढ़ाई गई दर क्या होंगी और इसे कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है;

(ग) अत्याधिक विस्फोटक क्षेत्रों/अनुभागों में तैनात और गोला बारूद की सीधी ही देखभाल करने वाले ऐसे कर्मचारियों को दी गई अन्य सुविधायें/लाभ क्या हैं; और

(घ) सुरक्षा उपाय क्या हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या एहतियाती उपाय किये जाते हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गोला बारूद निर्माण करने या उससे सम्बन्धित काम सीधे देखने वाले विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न दरों पर खतरनाक निर्माण कार्य तथा जोखिम भत्ते दिये जाते

हैं । इसके अलावा जहां जरूरी होता है सुरक्षात्मक वस्त्र तथा एप्रोन और मेगजीन जूते इत्यादि भी दिये जाते हैं ।

(घ) गोला-बारूद के निर्माण तथा उसे भण्डार में रखने के सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने जो विनियम बनाये हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाता है । कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत और चौकस रखने के लिए वहां सुरक्षा सम्बन्धी पोस्टर टांके जाते हैं, विचार-गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं । इस बारे में फिल्में आदि दिखाई जाती हैं ।

सैन्ट्रल प्रोविजन सेल में असैनिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

1342. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थल सेना मुख्यालय के आयुद्ध सेवा निदेशालय से सम्बद्ध सेन्ट्रल प्रोविजन सेल में काम कर रहे असैनिक कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तें क्या हैं;

(ख) यदि सेवा की शर्तें आर्डनेन्स डिपो के कर्मचारियों की शर्तों के समान हैं तो सेन्ट्रल प्रोविजन सेल के कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस न दिए जाने के क्या कारण हैं, जब कि डिपो कर्मचारियों को यह बोनस दिया गया है; और

(ग) यदि उनकी सेवा की शर्तें शसस्त्र सेना मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों की शर्तों के समान हैं तो सेन्ट्रल प्रोविजन सेल के कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर नियुक्त क्यों किया जाता है तथा ए. ओ. सी. रिकार्ड के नियमाधीन क्यों रखा जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सेना मुख्यालय में आर्डनेन्स सर्विस निदेशालय से सम्बद्ध सेन्ट्रल प्रोविजन सेल में सेवारत सिविलियन स्टाफ पर सेना मुख्यालय के अधीन अन्य आर्डनेन्स स्थापनाओं में सेवारत सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तें ही लागू होती हैं ।

(ख) सेना मुख्यालय में सेन्ट्रल प्रोविजन सेल के सिविलियन स्टाफ को बोनस देने की बात नहीं सोची गई है क्योंकि फिलहाल बोनस योजना के अधीन केवल विनिर्दिष्ट संख्या में डिपुओं को रखा गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में रुग्ण उद्योगों की संख्या

1343. **श्री आर. के. महालगी :**

श्री रूप चन्द पाल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के बाद रुग्ण एककों की वर्षवार संख्या क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सहित ऐसे कौन से तीन राज्य हैं जिनमें रुग्ण एककों की संख्या बहुत अधिक है और इन तीन राज्यों में रुग्ण एककों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) लघु उद्योगों में रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) सरकार ने 1977-78, 1978-79, 1979-80 और दिसम्बर, 1980 के अन्त तक इन उद्योगों के सहायतार्थ कितनी धनराशि दी; और

(च) इस स्थिति पर काबू पाने तथा रुग्णता को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) उधार देने वाले बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार 31.12.79 को 20,841 लघु एककों के रुग्ण होने का पता चला है जिसमें से 5.87 लाख लघु एककों के बैंकों में अपने खाते हैं।

(ग) निम्नलिखित तीन राज्यों में 31.12.79 को लघु रुग्ण एककों की अधिकतम संख्या होने का पता चला है :—

राज्य	बैंकों द्वारा सूचित किए गए लघु रुग्ण एककों की संख्या
1. पश्चिम बंगाल	6948
2. महाराष्ट्र	2763
3. आंध्र प्रदेश	1323

(घ) लघु एककों की रुग्णता के प्रमुख कारणों में ये भी शामिल हैं, मांग और पूर्ति की स्थिति में उतार-चढ़ाव, प्रबन्धकीय तथा प्रद्योगिकीय सक्षमता की कमी तथा महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी।

(ङ) रुग्ण एककों को दी जाने वाली सहायता की राशि की तत्काल मात्रा बता सकना संभव नहीं है क्योंकि यह सहायता विभिन्न रूपों में दी जाती है प्रायः यह सहायता विभिन्न अभिकरणों, जिनमें सरकार भी शामिल है, द्वारा रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए अनेक रूपों में दी जाती है, अर्थात् जुर्माना ब्याज को छोड़ देना, पिछली देनदारियों को पुनः निर्धारित करना, उद्यमियों के लिए आवश्यक धन की कमी के अन्तर को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देना, रियायती दर पर ब्याज लेना, नियंत्रित कच्चा माल असानी से प्राप्त कराना तथा सरकारी खरीदों सहित विपणन सहायता प्रदान करना।

(च) जीव्यक्षमता के साथ पुनःस्थापन के आधार पर सहायता पाने वाले रुग्ण एककों के मामलों पर राज्य सरकार, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, सम्बन्धित बैंकों के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को शामिल करके बनाई गई राज्य स्तरीय समितियों द्वारा पहले ही विचार किया जाता है ताकि रुग्ण एककों को पुनः स्थापित करने के लिए अनेक अभ्युपाय किए जा सकें। इसके अलावा, लघु रुग्ण एककों को सहायता प्रदान करने तथा उनके पुनःस्थापन के लिए आसान ऋण सहायता निधि का सृजन करने हेतु एक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक अध्ययन दल का गठन किया है। रुग्ण एककों को पुनः चलाने के लिए एक सीमान्त धन योजना बनाने का भी विचार है।

छावनी भूमि नीति में ढील

1344. श्री आर. के. महालगी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छावनी भूमि नीति में और ढील देने के प्रश्न पर विचार किया हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रश्न पर अंतिम रूप से विचार किए जाने और उसे प्रकाशित किए जाने की संभावना कब तक है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) भूमि सम्बन्धी नीति और अधिक उदार बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में, तम्बाकू परिष्करण वाले उद्योग मशीनों का प्रयोग

1345. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू परिष्करण उद्योग में, मशीनों के प्रयोग के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार द्वारा मशीनों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार न हों ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अखिल भारतीय महिला कर्मचारी समन्वय समिति से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उद्योग में मशीनों को शुरू करने के कारण महिला श्रमिकों के सामूहिक रूप से बेरोजगार होने का उल्लेख था।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सूचना से यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आई. टी. सी. लिमिटेड, आई. एल. टी. डी. डिवीजन को अनापारथी में ग्रीनलीफ ग्रेडिंग प्लांट लगाने के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इससे तम्बाकू की डंडी निकालने वाली 1800 महिला श्रमिकों के प्रभावित होने की सम्भावना है जो इस समय अनापारथी में काम कर रहा है। राज्य श्रम विभाग को इस स्थिति की जानकारी है और वह प्रबन्धतंत्र से अनुरोध कर रहे है कि तम्बाकू की डंडी निकालने वाली महिलाओं को बेरोजगार किए बिना यंत्रीकरण करें।

सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

1346. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का है जहाँ चूना पत्थर बहुतायत में उपलब्ध हैं, यदि हाँ तो उन राज्यों और जिलों के नाम क्या हैं जहाँ ये संयंत्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) क्या देश में लघु सीमेंट संयंत्र सफल रहे हैं;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) सीमेन्ट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल होने के कारण, प्रभावित चूना पत्थर के निक्षेपों वाले क्षेत्रों में सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने पड़ेंगे। ऐसे राज्यों तथा जिलों की सूची जिनमें सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति सरकार द्वारा दे दी गई है, विवरण में संलग्न है।

(ख) देश में मिनी सीमेन्ट संयंत्र करने सम्बन्धी परियोजनाएं केवल गत दो वर्षों में ही स्वीकृति की गई हैं। अतः इस अवस्था में इस बारे में कोई अनुमान लगाना अभी समय पूर्व होगा।

विवरण

राज्य का नाम	जिलों का नाम
आन्ध्र प्रदेश	कुडप्पा, आदिलाबाद, अनन्तपुर, नालगोण्डा, गुन्टुर, हैदराबाद, कुरनूल, के. वी. रंगा रेड्डी, करीम नगर ।
बिहार	पालापऊ
गुजरात	सूरत, जूनागढ़, साबरकठा, बनासकंठा, भावनगर, जामनगर।
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर कांगड़ा
जम्मू तथा काश्मीर	अनन्तनाग, बाशौली।
कर्नाटक	बीजापुर, गुलवर्गा वेलगांव, चित्रादुर्ग
केरल	पालघाट
मेघालय	गारो हिल्स, जयन्तिया हिल्स।
मध्य प्रदेश	दमोह, सवना, धार, बिलासपुर, दुर्ग रायपुर, जबलपुर, रायगढ़, बालाघाट।
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर।
उड़ीसा	सम्बलपुर, सुन्दरगढ़
पंजाब	भटिण्डा
राजस्थान	कोटा, उदयपुर, पाली, जोधपुर, सिरोही, सीकर, अजमेर झालावाड़
तमिलनाडु	तिरूची, रामनाथन्पुरम
उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर, देहरादून
पश्चिम बंगाल	पेरूलियाँ

चितौड़गढ़ (राजस्थान) सीमेंट कारखाने का दुष्प्रभाव

1347 **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितौड़गढ़ (राजस्थान) में बिरला सीमेंट कारखाने की चिमनी सीमेंट धूल बड़ी मात्रा में छोड़ती है;

(ख) क्या खेतों में सैकड़ों एकड़ फसलों पर धूल की परतें जम गई है जिसके परिणाम-स्वरूप किसानों को भारी नुकसान होता है;

(ग) क्या सीमेंट की धूल स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है; और

(घ) क्या सरकार कारखानों के लिए यह अनिवार्य नहीं करती है कि वे धूल नियंत्रक संयंत्रों को भी लगायें;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख) राजस्थान

सरकार न यह सूचना दी है कि चित्तौड़गढ़ स्थित सीमेंट फैक्टरी द्वारा छोड़ी गई धूल कारखाने से लगभग 10 किलामीटर की परिधि में जम जाती है। किन्तु राज्य सरकार ने यह बताया है कि न तो इस बारे में कोई सर्वेक्षण ही किया गया है और न गिरधावरी (एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण) के समय कु-प्रभाव के बारे में कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) धूल कम उड़े इसके लिए बताया यह गया है कि कारखाने में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगे हुग हैं।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी खत्म करना

1349 **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत :**

श्री जय नारायण रौत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं;

(ख) बेरोजगारी खत्म करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी योजनायें शामिल की गई हैं; और

(ग) शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदश सर्वेक्षण के 32वें दौर (1977-78) में पाई गई है बेरोजगारी की दरों के आधार पर मार्च, 1980 में बेरोजगारी का निम्नलिखित अनुमान लगाया गया है :—

(दस लाख)

	*सामान्य स्थिति	×साप्ताहिक स्थिति	+दैनिक स्थिति
ग्रामीण	7.22	7.94	15.36
शहरी	4.80	4.24	5.38
जोड़	12.02	12.18	20·74

(ख) छठी योजना में शामिल किए गए विकास के विभिन्न शीर्षों के अधीन अनेक कार्यक्रमों से रोजगार सृजित होने की आशा है। विशेष रूप से, निम्नलिखित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता/संभाव्यता हैं :—

*किसी व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 365 दिनों की अवधि के सदर्भ निर्धारित की जाती है।

×कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों की अवधि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। जिस व्यक्ति ने संदर्भित अवधि में एक घण्टे भी काम नहीं किया और वह काम ढूंढता रहा या काम पर लगाये जाने के लिए उपलब्ध है तो उसे बेरोजगार माना जायेगा।

+कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के आधार पर निधारित की जाती है। यदि किसी व्यक्ति ने एक दिन कम से कम एक घन्टा लेकिन चार घन्टे से कम काम किया हो तो उसको यह समझा जाएगा कि उसने आधे दिन काम किया है। यदि उसने एक दिन मे चार घण्टे या अधिक काम किया है तों यह समझा जायेगा कि उसने पूरे दिन काम किया।

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ।

2. आपरेशन फ्लड-2 डेरी विकास कार्यक्रम ।

3- मछली पालक विकास अभिकरण कार्यक्रम ।

4. ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम ।

5. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ।

6- शहरी क्षेत्रों पर्यावरणीय स्वच्छता, गन्दी बस्तियों सुधार, में वृक्षारोपण, आर्थिक दृष्टि से सुविधावंचित लोगों के लिये मकानों का निर्माण, आदि

7. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ।

8. आय अर्जित करने वाले व्यवसायों के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम ।

(ग) ऊपर (ख) में बताये गये उपायों से शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी, इसके अलावा स्व-रोजगार के उपक्रमों पर जोर दिया जाता है। शिक्षित बेरोजगारों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण वित्त और विपणन की सुविधाएं दी जाएंगी ।

राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देना

1350. **श्री अशोक गहलोत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें हाल के जनगणना आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राजधानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी, सभी भाषाओं की सांस्कृतिक और साहित्यक परम्पराओं का विकास करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है ।

भरतपुर से सिमको फैक्ट्री को दूसरे स्थान पर ले जाना

1351. **श्री अशोक गहलोत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सिमको' के प्रबन्धक फैक्ट्री को भरतपुर से दिल्ली अथवा उत्तर प्रदेश में ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में 'समकों' के प्रबन्धकों ने कोई प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है;

(ग) क्या 'सिमकों' के प्रबन्धकों द्वारा फैक्ट्री को दूसरे स्थान पर ले जाने से राजस्थान में बेरोजगारी बढेगी;

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि इस सम्बन्ध में सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर सरकारी क्षेत्र इलेक्ट्रानिक उद्योग

1352. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वह गैर-सरकारी क्षेत्र को इलेक्ट्रानिकी उद्योग के कुछ और क्षेत्र दे दे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) निजी क्षेत्र को इलेक्ट्रानिकी उद्योग के अधिकाधिक क्षेत्रों में लगाने का कार्य इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित रूप से किया जा रहा है—

(1) खनन इलेक्ट्रानिकी, कृषि इलेक्ट्रानिकी आदि जैसे इलेक्ट्रानिकी के अनुप्रयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाकर तथा इन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करके; (2) सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को प्रोत्साहित करके कि वे निजी क्षेत्र को विवेकपूर्वक उप ठेके प्रदान करें और इस प्रकार उत्पादन में भागीदार बनायें।

जनता कार का उत्पादन

1353. श्री डी. पी. जदेजा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनता कार का उत्पादन करने के बारे में सरकार किसी नये प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार को किसी गैर-सरकारी क्षेत्र कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। सरकार मारुति लिमिटेड उपक्रम की अवस्थापना का इस्तेमाल करके यात्री कारों समेत मोटर गाड़ी का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित कर रही है।

(ख) तथा (ग) जी, हां। प्रति वर्ष 10,000 यात्री कारें बनाने की मंजूरी के लिए श्री वी. पी. राव से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार का विचार इसको अनुमति देने का नहीं है।

बिजली और कोयले की कमी के कारण गुजरात में उद्योगों का बंद होना

1354. श्री डी. पी. जदेजा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली और कोयले की कमी ने औद्योगिक इकाइयों को प्रभावित किया है और प्रायः सभी राज्यों में भारी संख्या में इस तरह की इकाइयां बन्द कर दी गई।

(ख) यदि हाँ, तो बिजली और कोयले की कमी के कारण गुजरात राज्य में प्रभावित हुए उद्योगों की कुल संख्या कितनी है और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) देश में जनवरी, 1981 को समाप्त तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में समग्ररुपेण बिजली का प्रजनन काफी बढ़ा है किंतु इसके बावजूद भी कृषि तथा उद्योग के लिए बिजली की बढ़ी हुई जरूरतों के कारण अत्यधिक व्यस्त काम के समय में और कुछ प्रतिबंध 10 प्रतिशत तथा इससे अधिक की कटौतियां व कुछ राज्यों में लागू करनी पड़ी हैं। विगत छः महीनों के दौरान औसतन हर मास इस प्रकार कोयले का लदान निम्न प्रकार रहा है—

1980	मासिक दैनन्दिन औसत सुपुर्दगी (बैगने)
अगस्त	8217
सितम्बर	8261
अक्तूबर	8582
नवम्बर	8749
दिसम्बर	9447
1981	
जनवरी	9639
फरवरी (18 फरवरी तक)	10068

इसके अलावा जहां कहीं जरूरी हुआ है कोयले/कोक के सड़क से ले जाने की अनुमति भी दे दी गई है किन्तु औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ जाने तथा तदनुसार ही कोयले/कोक की बढ़ी हुई मांग के परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक अथवा अस्थायी रूप से कोयले की सप्लाई करने में बाधायें उत्पन्न हुई हैं। किन्तु यह कहना सही नहीं होगा कि लगभग सभी राज्यों में बिजली तथा कोयले की कमी के कारण अनेक औद्योगिक एकक बंद हो गये थे।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में बिजली की कमी के कारण आमतौर से औद्योगिक एककों के बंद हो जाने की कोई सूचना नहीं मिली है किंतु राज्य में बिजली सम्बन्धी कुछ प्रतिबंध जहां बिजली अवकाश के दिनों में बिजली न देना, कुछ अवसरों पर पूर्ण मांग के 50 प्रतिशत पर प्रतिबंध लगाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बिजली न देना लागू है। इसके अलावा जनवरी 1981 में सभी अत्यधिक व्यस्त उद्योगों में दो अतिरिक्त साप्ताहिक अवकाश दिये गये। कम व्यस्त उद्योगों में नवम्बर 1980 से एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। बिजली प्रजनन के कार्यशील एककों द्वारा अधिकतम संभव प्रजनन का सुनिश्चय किए जाने के तथा विद्युत परियोजनाओं के काम को तेज करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन

1356. श्रीकृष्ण दत्त सुल्तानपुरी क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के किन-किन निर्माण कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) इस योजना में जिन मुख्य जल-विद्युत केन्द्रों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है उनके नाम क्या हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर योजना आयोग केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है। ये आवंटन सामान्य अनुदानों और ऋणों के रूप में होते हैं, अलग-अलग हरेक कार्य के लिए नहीं होते।

(ख) हिमाचल प्रदेश की अनुमोदित विद्युत योजना में विशेष रूप से शामिल की गई 20 करोड़ रु० और अधिक की लागत वाली जल-विद्युत परियोजना भाबा जल-विद्युत स्कीम है (3×40 मे. वा.)।

आसाम आन्दोलन के कारण पश्चिम बंगाल में शरणार्थी

1357. **श्री मुकुन्द मण्डल :**

प्रो. सत्य गोपाल मिश्र :

श्री अजीत कुमार शाहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों के मामले पर आसाम आन्दोलन के कारण पश्चिम बंगाल में अब तक कितने शरणार्थी आए हैं और उनमें से कितने शरणार्थी बंगाल में अब भी हैं;

(ख) इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शरणार्थियों को अथवा पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन शरणार्थियों के बारे में सरकार का भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग विषयक तकनिकी समिति का प्रतिवेदन

1358. **श्री के. टी. कौसलराम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के जल के उपयोग के अध्ययन के लिए योजना आयोग की तकनीकी समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है और सिफारिशों पर क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अरब सागर में मिलने वाली नदियों के जल संसाधनों के मूल्यांकन और उनके उपयोग के लिए फरवरी, 1978 में योजना आयोग द्वारा गठित की गई समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ख) समिति ने अंतरिम रिपोर्ट में हिमालयी नहर और हार नहर के दस्तूर प्रस्तावों पर टिप्पणी की है और यह मत अभिव्यक्त किया है कि दस्तूर प्रस्ताव इंजीनियरी साध्यता की दृष्टि से सन्देहास्पद हैं और आर्थिक दृष्टि से निषेधात्मक हैं।

इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक

1359. श्री अमर राय प्रधान : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें हुई चर्चा के क्या परिणाम हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रारूप पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की 13 और 14 फरवरी, 9981 को बैठक हुई थी।

(ख) परिषद् ने इस प्रारूप को अनुमोदित किया और सभी सम्बन्धित अभिकरणों से इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के सक्रिय सहयोग से भरसक सभी प्रयत्न करने के लिए आग्रह किया।

योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ी रेल-परिवहन परियोजनायें

1360. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के अपने पास विचाराधीन पड़ी रेल-परिवहन संबन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे कब से विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) प्रत्येक मामले उक्त विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब मंजूरी दे दी जायेगी ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, केवल उड़ीसा में जसपुरा-देतारी रेल लाइन के विस्तार के प्रस्ताव को छोड़कर, रेल परिवहन की ऐसी कोई परियोजनाएं योजना आयोग के पास निर्णय के लिए रखी हुई नहीं हैं। 61.91 करोड़ रु. की लागत से देतारी से बनसपानी (145 किलो मीटर) तक के विस्तार के लिए मूल प्रस्ताव को छठी पंच वर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक और उसमें व्यवस्था किए जाने वाले रेलवे के लिए परिव्यय को अन्तिम रूप दिए जाने तक अनिर्णीत रखना पड़ा था। फरवरी, 1981 के मध्य में छठी योजना परिव्यय को अन्तिम रुप दिए जाने के बाद 18 करोड़ रु. की लागत से देतारी से क्योंझरगढ़ (0 किलो मीटर) के विस्तार के लिए परिशोधित प्रस्ताव पर रेलवे के लिए अनुमोदित परिव्यय के भीतर धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रेल मन्त्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) देतारी से क्योंझरगढ़ तक की रेलवे लाइन के लिए प्रस्ताव के सम्बन्ध में, रेल मन्त्रालय से उनके "नई लाइनों" के कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके अद्यतन प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम के लिए धनराशि की उपलब्धता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। उनके उत्तर के प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव की और जांच की जाएगी।

समुद्र के जल से बिजली का उत्पादन

1361. श्री के लक्प्पा :

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डीजल इंजीनियरों ने समुद्री जल के दबाव से ईंधन के बिना बिजली का उत्पादन करने के लिए टर्बाइन का डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस डिजाइन को देखा है;

(ग) क्या समुद्र जल से बिजली का उत्पान करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और क्या सरकार का विचार उस पर आगे अनुसंधान करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) टरबाईनों के विभिन्न आधार ढांचे मौजूद हैं जिन्हें समुन्द्र जल से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार, भारती तट के चारों ओर के समुद्र से तरंग और ज्वारीय सम्भावनाओं, तथा समुद्र तापीय प्रवणता का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन की सुसाध्यता पर अन्वेषण कर रही है। इस बारे में अनुसंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों को आरम्भ किया गया है।

कासरगोडे के मामले पर कर्नाटक और केरल के बीच विवाद

1362- **श्री बी. वी. देसाई :**

श्री वी एस. विजयराधवन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोडे के मामले पर कर्नाटक और केरल के दो राज्यों के बीच एक प्रमुख विवाद पैदा हो गया है;

(ख) यदि हाँ तो क्या सरकार से इस मामले को हल करने के लिए दोनों राज्य सरकारों द्वारा आग्रह किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) समाचार पत्रों के अनुसार कर्नाटक के मुख्य मन्त्री ने 15-12-80 को कासरगोडे में दिये गए भाषण में कहा गया था कि कासरगोडे कर्नाटक का एक अभिन्न अंग है। इसका केरल के मुख्य मन्त्री ने कड़ा विरोध किया था।

भारत सरकार को कर्नाटक और केरल सरकारों के बीच उनके अन्तर राज्य सीमा-विवाद के बारे में मतभेदों की जानकारी है। यह सीमा विवाद केवल दोनों सरकारों के परस्पर सहयोग से ही हल किया जा सकता है और केन्द्र सरकार को इसके लिए दोनों सरकारों को सभी सहायता देने में हर्ष होगा।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग

1363. **श्री वी बी देसाई :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल के उपयोग में 5 प्रतिशत की बचत प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के नवीकरण स्रोत्रों के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है और ऊर्जा के इस स्रोत से ऊर्जा के उपयोग की 15% आवश्यकता की पूर्ति करेगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रत्येक जिले के लिए कम से कम एक बायों गैस के उपयोग का विकास किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) : ऊर्जा के इन संयन्त्रों को कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(च) परिणामों के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को काम में लाने की दशा में और उनको विस्तृत अनुप्रयोगों में उपयोग में लाने की दिशा में प्रयासों को तीव्र कर रही है।

(ख) एक सविस्तार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) प्रदर्शन समुदाय आकार के जैव गैस सयंत्र देश के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठापित किये जा रहे हैं। ये भोजन बनाने के लिए गैस और प्रकाश व्यवस्था तथा नाइट्रोजन से भरपूर खाद प्रदान करने के अतिरिक्त अभिप्रेरक शक्ति अथवा विद्युत भी प्रदान करेंगे।

(घ) से (च) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(ख) कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए, उनके सहित जिनके लिए इस समय तेल इस्तेमाल किया जा रहा है, सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए उपयुक्त प्रोद्योगिकियों के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। अब भी उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर कुछ सीमा तक, घरेलू आवश्यकमताओं के लिए, पम्पन सहित कृषि क्षेत्र में तेल की आवश्यकताओं और आंशिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित तेल के स्थान पर, विशेषकर निम्न तापमान की प्रक्रिया की ताप आवश्यकताओं के लिए, ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत्रों को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बहरहाल, अधिकांश आवश्यकताओं के लिए परम्परागत विकल्पों की तुलना में इनकी लागतें अधिक हैं। वर्तमान प्रयास उन विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न युक्तियों की कुशलता में सुधार लाने और इनकी लागतें कम करने की दिशा में किए जा रहे हैं।

परिवहन के क्षेत्र में, तेल का मुख्य प्रयोग डीजल के रूप में रेल के इन्जनों के लिए है और पैट्रोल और डीजल के रूप में इसका इस्तेमाल सड़क परिवहन गाड़ियों के लिए किया जाता है। इस क्षेस में, जो परिवर्तन किए जाने अपेक्षित होंगे उनमें रेल मार्ग प्रणाली का विद्युतीकरण, लम्बी दूरी के लिए ढुलाई के लिए सड़क परिवहन के स्थान पर रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जाना और बैटरी चालित गाड़ियों का इस्तेमाल है, जिन्हें बाद में थोड़ी दूरी की यात्राओं के लिए सौर ऊर्जा प्रभारित किया जा सकता है। हाइड्रोजन इन्जनों का विकास भी परिवहन के लिए तेल की खपत को कम करने का एक तरीका हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इन सभी क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है ताकि जीवभार के उत्पादन और इसके मेथानोल और एथानोल के रूप में द्रव ईन्धनों के रूपान्तरण के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और

निर्माण का अध्ययन किया अध्ययन किया जा सके । अपनी आण्विक संरचना के कारण ये द्रव ईंधन रसायन उद्योग के लिए आधार सामग्री के रूप में बहुत उपयोगी हैं और इनके इस रूप में इस्तेमाल से पैट्रोलियम-आधारित उत्पादों यथा नेप्था, पर दबाव को कम किया जा सकता है। सिद्धान्त रूप से इन्हें परिवहन क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

अखिल भारतीय जैव गैस प्रौद्योगिकी समन्वित कार्यक्रम के अधीन, सामुदायिक जैव गैस संयन्त्रों की स्थापना की जा रही है ताकि कृषि पम्प सैटों को चलाने में और ग्रामीण उद्योग के लिए और खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए जैव गैस का इस्तेमाल किया जा सके।

बैटरी चालित गाड़ियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को हाथ में लिया जा रहा है, ताकि अन्त में वे पैट्रोल और डीजल चालित गाड़ियों का बड़े पैमाने पर स्थान ले सकें। वैहीकल्ज रिसर्च एन्ड डिवेल्पमेंट एस्टेब्लिशमेंट, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लि., रिसर्च डिजाइन एण्ड स्टैंडर्ड आर्गनाइजेशन, सैंट्रल इलैक्ट्रो- कैमीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदि संस्थाए इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। कुछ आधे-टन के और एक-टन के आदि प्रारूपों का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम को अधिक संख्या में परीक्षण गाड़ियों का निर्माण करके और भी तेज किया जा रहा है।

एक और दीर्घकालीन सम्भावना यह है कि सौर ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाया जाये जिससे तेल के स्थान पर स्वच्छ, परिवहनीय उर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक हाइड्रोजन ऊर्जा कार्य बल का गठन किया है ताकि हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारन और उपयोगीकरण के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया जा सके। इस क्षेत्र में कार्य अभी तक प्रयोगशाला अवस्था में है।

उद्योगों, वाणिज्यिक स्थापनाओं और सार्वजनिक भवनों को गरम पानी, गरम हवा और निम्न दाब की भाप प्रदान करने के लिए एक मुख्य सौर जल तापग प्रदर्शन कार्यक्रम को हाथ में लिया जा रहा है। इससे वाणिज्यिक ऊर्जा की मांग को कम किया जा सकेगा, जिससे इस समय तेल सहित इन कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सौर सैलों और मोड्यूलों के विकास को हाथ में ले लिया है जिनसे सौर ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे इसके पश्चात् डीजल के स्थान पर कृषि पम्प सैटों को चलाने के लिये इस्तेमाल में लाया जा सकता है सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि., नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, कई प्रौद्योगिकी सस्थान और अन्य संस्थाएं इस समन्वित कार्यक्रम में भाग ले रही हैं।

कई प्रकार की पवन मिलो के बारे में अन्वेषण किया जा रहा रहा है जैसे सौर क्षेत्रों में जहां पर्याप्त मात्रा में मन्द या तेज रूपों में पवन वेग उपलब्ध है, इस बात की अधिक संभावनायें हैं कि डीजल आधारित कृषि पम्प सैटों के स्थान पर पवन की शक्ति से चालिए सिचाई को इस्तेमाल में लाया जाये।

(घ) (ङ) और (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मुख्य बल इस बात पर दिया जा रहा है कि ग्रामीण ऊर्जा आधात्री में एक महत्वपूर्ण तत्व के रुप में परिवार और समुदाय आकार के जैव गैस संयत्रों का विकास किया जाये। समन्वित जैव गैस परियोजनाओं के

पहले चरण में पशुओं की विष्टा के इस्तेमाल में और पारिवारिक आकार के संयंत्रों के व्यवहार्य डिजाइनों के विकास में यथा जनता ढोल रहित टाइप और लोह सीमेंट गैस होल्डरों आदि के विकास में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर ली गई है; सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक पक्षों में अन्वेषणों के आशावान परिणाम प्राप्त हुए हैं। कार्यक्रम के अगले चरण में, जोकि पिछले वर्ष आरम्भ हुआ था, अधिक बल समुदाय-आकार के जैव गैस संयंत्रों के और परिवार आकार के संयंत्रों के विस्तार और प्रतिष्ठापन पर दिया जा रहा है और अन्य प्रकार के ठोस अपशिष्टों/सामग्रियों, यथा कचरा, वनस्पति अपशिष्टों और कृषि अवशिष्टों के उपयोग पर दिया जा रहा है। अब तक 80,000 जैव गैस संयंत्रों की देश के विभिन्न भागों में प्रतिष्ठापना की जा रही है। विभिन्न राज्यों में चुने हुये गाँवों में, 20 समुदाय आकार के जैव गैस संसंत्रों का निर्माण किया जा रहा है और वह पूरा होने वाला है। इस समन्वित कार्यक्रम के समर्थन में सूक्ष्म जैव वैज्ञानिक पक्षों, किण्वन प्रौद्योगिकी, कम लागत की भवन निर्माण तकनीकों और सामग्रियों और जैव गैस के उपयोग के लिए कम लागत की युक्तियों और इंजनों के बारे में अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लागतें कम करने और इसके सामाजिक-आर्थिक पक्षों पर अन्वेषण कार्य चल रहा है. छठी पंचवर्षीय योजना में, इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है और प्रदर्शन समुदाय आकार के और परिवार आकार के जैव गैस संयंत्र के विकास और क्षेत्रीय प्रतिष्ठापन की गति को उल्लेखनीय रुप से त्वरित किया जा रहा हैं।

हरिजनों के प्रति अपराधों का सर्वेक्षण

1364. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों के प्रति अपराधों का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किए गये अथवा किये जाने वाले उपाय क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार उन समस्याओं के प्रति पूर्णत: सजग है जिनका हरिजन सामना कर रहे हैं और सरकार राष्ट्रीय कलंक के इस वातावरण को समाप्त करना चाहती है। सरकार ने ऐसे सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में जहाँ अनुसूचित जातियों के लोक पीड़ित हैं और गैर अनुसूचित जातियों के लोग आक्रमणकारी/अपराधी हैं स्वयं को अवगत रखने हेतु नियमित मासिक अपराध आँकड़ों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त हरिजनों पर किए गए ऐसे अत्याचारों के बारे में भी सबंधित राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाई जाती है जिनकी जानकारी समाचारों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों/समाज कल्याण संगठनों और आम जनता से प्राप्त अभ्यावेदनों से मिलती है। इससे हमारे सामने समस्या के आयाम और गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए जा रहे अत्याचारों के स्वरूप स्पष्ट हो जाते हैं।

समय-समय पर क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों के साथ मामलों पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए किए जाने वाले पूर्वोपाय, निरोधात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास उपायों के विस्तृत मार्गदर्शी निदेशों के परिणामस्वरूप 1979 के आँकड़ों की तुलना में 1980 में अत्याचारों के बढ़ने की प्रवृत्ति रुक गयी है :

दिल्ली में पारपत्रों की बिक्री

1362. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान दिल्ली पुलिस ने नकली पारपत्रों की कथित बिक्री के सिलसिले में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) क्या नकली पारपत्रों की बिक्री में किसी विदेशी दूतावास के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों का कथित हाथ है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन महीनों, नवम्बर, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान नकली पारपत्रों की बिक्री के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। फिर भी नौकरी की जालसाजी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। 2 अफगान राष्ट्रिकों को अफगान पारपत्र जिसमें जाली प्रविष्टियाँ थी रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। एक आस्ट्रेलियन राष्ट्रिक को भी फ्रांस का नकली पारपत्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

(ख) तथा (ग) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए नियतन

1366. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश मे ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) उक्त राशि किन-किन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जायेगी ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मध्य प्रदेश को छठी पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य क्षेत्रक में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित कुल राशि 190302 लाख रु० हैं।

(ख) जिन स्कीमों पर यह राशि खर्च की जाएगी वे निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	स्कीम का नाम	आवंटन (लाख रु.)
1.	कृषि और संबद्ध क्षेत्रक	73070
2.	सहकारिता	4790
3.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	78480
4.	ग्राम और लघु उद्योग	3340
5.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	30622
		190302

कोको प्रोसैसिंग एकक की स्थापना

1367. **प्रो. पी जे. कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कोको प्रोसैसिंग एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार, यदि आवश्यक हो तो, विदेशी सहयोग से देश में एक प्रोसैसिंग एकक की स्थापना के बारे में विचार करने का है;

(ग) क्या भारत के पास कोको प्रोसैसिंग के लिए पर्याप्त तकनीकी की जानकारी है; यदि नहीं, तो उक्त तकनकी जानकारी का आयात कि स देश से करने का विचार है; और

(घ) देश में कोको प्रोसैसिंग एकक स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) संगठित क्षेत्र के पांच कोका परिष्करण एककों के अलावा, कर्नाटक में कोको पाउडर, पेय चाकलेट तैयार करने की 2000 मी. टन वार्षिक क्षमता के लिए सहकारी क्षेत्र के एक एकक को 31.12.1980 को एक आशय-पत्र जारी किया गया है। केरल एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन भी केरल में एक कोक परिष्करण एकक की स्थापना करने की योजना बना रहा है किंतु केन्द्र सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोका परिष्करण एकक स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देना देश में कोका की फलियों की उपलब्धि सहित प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करेगा।

देश के अन्दर तकनीकी जानकारी तो उपलब्ध है किंतु विदेशी सहयोग के किसी भी अनुरोध पर उत्पादन किस्मों तथा पर्याप्त देशी तकनीक की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

काजू मजदुरों को रोजगार

1368. **प्रो. पी जे. कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काजू मजदूरों की, राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) उन्हें वर्ष में अधिकतम कितने दिन मोजगार मिलता है; और

(ग) उन्हें वर्ष के सभी दिन रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) काजू प्रोसैसिंग उद्योग की जरुरतों की तुलना में कच्चे काजू की आपूर्ति के कारण काजू उद्योग मौसमी आधार पर इस समय कार्य कर रहा है। काजू प्रोसैसिंग उद्योग में रोजगार से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना श्रम मन्त्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रैमासिक आधार पर एकत्रित किए गए आंकड़ों से सम्बन्धित है। विभिन्न राज्यों में काजू प्रोसैसिंग प्रतिष्ठानों में जून, सितम्बर और दिसम्बर, 1979 के अन्त में तथा मार्च, 1980 के अन्त में रोजगार अनुबन्ध में दर्शाया गया है।

सरकार कच्चे काजू की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय करती रही है और कर रही है तथा इससे काजू श्रमिकों को पूर्ण रोजगार देने में सहायता मिलेगी। ये उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) चार राज्यों अर्थात् केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में काजू विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

(2) केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना-पैकेज काजू कार्यक्रम-पहली योजनाओं से ही चल रही है और छठी योजना अवधि के दौरान भी जारी रहेगी। छठी योजना अवधि में इस योजना से सम्बन्धित नीति में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होंगे :

(क) उत्पादकों के फलोद्यान में प्रदर्शन प्लाट तैयार करना,

(ख) वर्धनशील संजनन द्वारा काजू का सुधार,

(ग) सन्तति फलोद्यानों की स्थापना,

(घ) क्षेत्र विस्तार के लिए अनुदान देने सम्बन्धी योजना,

(ङ) वनस्पति रक्षण योजना,

(च) क्षेत्र और उत्पादन के सांख्यकीय सर्वेक्षण के लिए योजना,

काजू के लिए योजना में लक्ष्य में 3 लाख टन रखा गया है, जबकि वर्तमान उत्पादन लगभग 1.80 लाख टन है।

(3) भारतीय काजू निगम उत्पादक देशों से कच्चे काजू के आयात को अत्यधिक करने के लिए उपाय कर रहा है।

विवरण

जून, सितम्बर तथा दिसम्बर 1979 और मार्च 1980 के अन्त में विभिन्न राज्यों में काजू प्रोसैसिंग प्रतिष्ठानों में नियोजन।

(आंकड़े हजारों में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित महीने के अन्त में कर्मचारियों की संख्या			
		जून 79	सितम्बर 79	दिसम्बर (अ) 79	मार्च (अ) 80
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	×	×	×	×
2.	गुजरात	×	×	×	×
3.	कर्नाटक	2.1	2.1	2.1	2.2
4.	केरल	110.3	107.8	103.0	101.1
5.	महाराष्ट्र	1.1	0.9	0.8	0.5
6.	तमिलनाडु	21.1	20.5	18.9	18.8
7.	उत्तर प्रदेश	×	×	×	×
8.	पश्चिम बंगाल	0.2	0.2	0.2	0.2
9.	गोवा, दमन एवं दीव	1.0	1.1	1.1	1.1
	अखिल भारतीय	135.8	132.7	126.1	123.9

नोट : अ = अनन्तिम

× = आंकड़े 100 से कम

पूर्णांकन के कारण राज्य/संघ—राज्य क्षेत्रवार जोड़ मेल नहीं खाते।

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में परिवर्तन

1369. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री गुरचरण सिंह निहाल सिंह जवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में 1979 और 1980 में क्रमश: कितने परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) ऐसे परिवर्तनों का नाम और सम्बन्धित राज्यों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1979 और 1980 में ऐसे परिवर्तन किये जाने को स्वीकार कर लेने के स्पष्ट आधार और कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में स्थानान्तरित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :

1979	—	12
1980	—	11

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	भा. प्र. सेवा अधिकारी का नाम	जिस वर्ष में स्थानान्तरण किया गया	सम्बन्धित राज्य		आधार
			से	तक	
1.	श्री अजीत रायजादा	1979	पश्चिमी बंगाल	मध्य प्रदेश	स्वास्थ्य
2.	,, शरत कुमार नन्दा	1979	मणिपुर-त्रिपुरा	हरियाणा	शादी
3.	,, मोहन वर्गीज चुन्कैथ	1979	उत्तर प्रदेश	तमिलनाडु	शादी
4.	,, डी. एन. पधी	1979	बिहार	उड़ीसा	अनुकम्पा
5.	,, देवासीश गुप्ता	1979	उत्तर प्रदेश	बिहार	शादी
6.	श्रीमती जया दास गुप्ता	1979	तमिलनाडु	बिहार	शादी
7.	श्री मोहम्मद इकबाल खांडे	1979	तमिल नाडु	जम्मू-कश्मीर	लोकहित
8.	,, एस. एन. शुक्ला	1979	गुजरात	उत्तर प्रदेश	अनुकम्पा
9.	,, वाई. एल. राजवाडे	1979	हिमाचल प्रदेश	महाराष्ट्र	अनुकम्पा
10.	,, टी. एन. मेनन	1979	मणिपुर-त्रिपुरा	नागालैंड	अनुकम्पा
11.	,, खंजन लाल	1979	बिहार	उत्तर प्रदेश	अनुकम्पा
12.	,, आनन्द नारायण अस्थाना	1979	जम्मू-कश्मीर	मध्य प्रदेश	शादी
13.	,, रुद्र गंगाधरन	1980	तमिल नाडु	केरल	शादी
14.	श्रीमती जयन्थी एलेक्जेण्डर	1980	केरल	तमिल नाडु	अनुकम्पा
15.	श्री धर्मेंद्र देव	1980	कर्नाटक	उत्तर प्रदेश	स्वास्थ्य

16.	श्री पकज	1980	मणिपुर-त्रिपुरा	राजस्थान	अनुकम्पा
17.	श्री अमर सिंह	1980	पश्चिम बंगाल	मध्य प्रदेश	स्वास्थ्य
18.	,, संजय कौल	1980	मध्य प्रदेश	कर्नाटक	शादी
19.	,, चमन कुमार	1980	संघ राज्य क्षेत्र	गुजरात	शादी
20.	,, रमेन्द्र उर्फ राम आसा	1980	बिहार	हरियाणा	शादी
21.	श्रीमती सोनाली शरण	1980	केरल	जम्मू-कश्मीर	शादी
22.	श्री ओम प्रकाश मीणा	1980	तमिल नाडु	राजस्थान	लोकहित में
23.	,, अशोक सम्पत राम	1980	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	लोकहित में

भारत में भारी पानी का उत्पादन

1370. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी पानी के संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उनमें इस समय कितना उत्पादन होता है तथा इन संयंत्रों द्वारा भारी पानी के उत्पादन में यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) परमाणु बिजली के लिए कितने भारी पानी हेतु देश को विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा भारी पानी की सप्लाई की जा रही है तथा सरकार द्वारा उन पर कितना ओसतन वार्षिक उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) भारी पानी के निर्माणाधीन कितने संयंत्रों में विलम्ब हुआ है तथा उनमें कितना विलम्ब हुआ है और उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नांगल, बड़ौदा तथा तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्र, जिनकी कुल वार्षिक अभिकल्पित क्षमता 152.6 टन है, भारी पानी तैयार कर रहे हैं। भारी पानी के उत्पादन का ब्यौरा देना संभवत: राष्ट्र के हित में नहीं रहेगा।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में होने वाली भारी पानी की कमी की पूर्ति सोवियत संघ से भारी पानी आयात करके की जाएगी। 1980-81 के संशोधित अनुमानों में 11.76 करोड़ रुपए का प्रावधान इस आयात के लिए किया गया है।

(ग) इस बारे में विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

विवरण

परियोजना का नाम	क्षमता, मीटरिक टन प्रति वर्ष	परियोजना के पूरा होने की मूल तिथि	परियोजना के पूरा होने की वास्तविक/अनुमानित तारीख	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
भारी पानी परियोजना, कोटा	100	दिसम्बर, 1975	1981 की अंतिम तिमाही	(i) पुराने परामर्श करार को समाप्त करना तथा नये परामर्श दाताओं की नियुक्ति, (ii) स्वदेशी तथा विदेशी संभरकों द्वारा

1	2	3	4	5
				की जाने वाली उपस्करों की सप्लाई में विलम्ब, (iii) निर्माण-कार्यों से संबंधित ठेकों की धीमी प्रगति, (iv) विदेशों से मंगाई जाने वाली कुछ मुख्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आर्डर नये सिरे से देना और (v) खराब श्रमिक समस्यायें ।
भारी पानी परियोजना, बड़ोदा	67.2	अप्रैल, 1973	जुलाई, 1977	(i) फ्रांस में निर्माताओं की कर्मशाला में घटी कुछ अनेपक्षित घटनायें और संचालन सम्बन्धी समस्यायें, (ii) स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उपस्कर सप्लाई करने में विलम्ब, और (iii) कुछ उपस्करों में परिवर्तन करना/उनको बदलना ।
भारी पानी परियोजना, तूतीकोरिन	71.3	फरवरी, 1975	जुलाई, 1978	(i) स्थल की अवस्थिति से सम्बन्धित योजना में परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप स्थल का विकास करने में विलम्ब, (ii) जमीन के नीचे की मिट्टी की असाधारण अवस्थाओं के कारण सिविल निर्माण-कार्यों में विलम्ब, (iii) नक्शों में संशोधन करने, अनुरूप इस्पात के उपलब्ध न होने और खेपों आदि का आकार बहुत बढ़ा होने के कारण उनके परिवहन की गति मंद होने के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक कार्यों के पूरा होने में विलम्ब, और (iv) सामग्री के उपलब्ध न होने, बिजली में कटौती, परिवहन सम्बन्धी बाधाओं आदि के कारण स्वदेशी निर्माताओं द्वारा सप्लाई में विलम्ब ।

मारी पानी परियोजना, तलचर	62.7	अप्रैल, 1976 अगस्त, 1981	(i) विदेशी सहयोग कर्ताओं के साथ हुई संविदा-I के संशोधन को अंतिम रूप देने में हुआ विलम्ब, (ii) तेल संकट के कारण कच्चे माल की आपूर्ति की अवधि में हुई वृद्धि तथा आपूर्ति की स्थिति का यूरोप की मंडियों में बहुत खराब होना, (iii) समुद्र में गिर गये दो टावरों को दोबारा आर्डर देकर फिर मंगाया जाना, (iv) विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण स्वदेशी निर्माताओं द्वारा निर्माण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण न कर पाना।

अहमदाबाद में शांति स्थापना के लिये राज्य, पुलिस की अपर्याप्ता

1371. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में शान्ति की स्थापना के लिये 1 फरवरी 1981 को पुलिस की सहायता के लिये सेना बुलानी पडी थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने राज्य पुलिस बल की उन कमियों का गहरा अध्ययन किया है जो इस बात के लिये उत्तरदायी हैं कि पुलिस आगजनी, लूटपाट यथा पत्थर फेंके जाने की घटनाओं पर नियत्रण नहीं कर सकती, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह ऐसा करेगी और दंगाग्रस्त नगरों में जहां तक संभव हो सके स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ शाँति बनाये रखने के लिये ठोस कदम उठायेगी।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मामले का राज्य सरकार से पता लगाया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों द्वारा विदेशों के दौरे

1372. **श्री के पी. सिंह देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों द्वारा जल्दी जल्दी विदेशों के दौरे करने की घटनाएं बढ़ती रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस मामले में पहले भी प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उनके मत्रालय ने किन-किन उपक्रमों के बारे में उक्त आशय का अध्ययन किया है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उक्त सगठनों द्वारा इन विदेशी दौरों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ऐसे कितने मामलों में ऐसा समझती है कि उक्त दौरों में कमी की जा सकती है और खर्च को नियंत्रण में रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) सरकारी क्षेत्र के प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारियों द्वारा विदेशों के दौरे वास्तविक सरकारी काम से ही किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रत्येक मामले में उद्योग मन्त्री की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारियों द्वारा किए गये विदेशी दौरों के सम्बन्ध में व्यय के ब्यौरे के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण 1 और 2 में संलग्न है। शेष उपक्रमों के बारे में जानकारी एकत्र कर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) इस प्रकार के दौरों पर होने वाला व्यय सदैव न्यूनतम रखा जाता है और वह विद्यमान सरकारी अनुदेशों के अनुसार ही होता है।

विवरण 1

क्र० सं०	सरकारी उद्यम का नाम	1978-79 में प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारियों के विदेशों के दौरों पर हुआ व्यय
	औद्योगिक विकास विभाग	
1.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	17,850
2.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	61,385
3.	हिन्दुस्तान साल्टस लि.	1,545
4.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	21,584
5.	नेशनल इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि.	76,509
6.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैंयूफैक्चरिंग कारपोरेशन लि.	36,587
	भारी उद्योग विभाग	
1.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	73,000
2.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी	28,018
3.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लि.	1,79,614
4.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.	97,595
5.	जेसोप एण्ड कंपनी	48,332
6.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी	72,631

विवरण-2

क्र. सं.	सरकारी उद्यम का नाम	1979-80 में प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारियों के विदेशों के दौरों पर हुआ व्यय
	औद्योगिक विकास विभाग	
1.	इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	13,694

2. नेशनल इण्डीस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन लि.	32,701
3. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि.	28,996
4. भारत लेदर कारपोरेशन लि.	23,625
5. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	46,758
6. नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.	48,158
भारी उद्योग विभाग	
1. भारत हैंवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	71,420
2. रिचार्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	9,746
3. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी एण्ड लेगन जूट मशीनरी कंपनी लि.	25,954
4. बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.	23,302

देश में लघु उद्योग का ब्यौरा

1373. **श्री दौलत राम सारण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने लघु उद्योग हैं और उनमें कुल कितनी पूंजी निवेश की गई है और उनके निवेश में सरकार का कितना भाग है;

(ख) लघु उद्योगों का वार्षिक उत्पादन कुल कितना है; और

(ग) लघु उद्योगों में कुल कितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए है;

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) वर्ष 1979 के अन्त तक राज्यों के उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत लघु एककों की संख्या 3.84 लाख थी। गैर-पंजीकृत एककों को मिलाकर एककों की कुल संख्या का अनुमान लगभग 8 लाख लगाया गया है। वर्ष 1979 के अन्त तक अचल सम्पत्तियों में निवेश का अनुमान लगभग 5,000 करोड़ रुपये लगाया गया है। लगभग सभी लघु एकक निजी क्षेत्र में हैं इसलिए इन एककों के निवेश में सरकारों का अंश होने का प्रश्न ही नहीं है।

(ख) 1979-80 में 1979-80 के मूल्यों के आधार पर लघु क्षेत्र के उत्पादन का अनुमान 20 930 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) अनुमान है कि इन एककों में लगभग 70 लाख व्यक्ति काम पर लगे हुए है।

चीनी और पाकिस्तानी वायु सेना तथा नौसेना द्वारा किये गये उल्लंघन के मामले

1375. **श्री के' राममूर्ति** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान चीनी तथा पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किये गये उल्लंघन के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) चीनी और पाकिस्तानी नौसेनाओं द्वारा सीमा का उल्लंघन किए जाने की कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये डकैती तथा कत्ल के मामले

1376. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :**

श्री पीयूष तिरकी :

श्री निरेन घोष : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए डकैती तथा कत्ल के मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या 50 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में रिहाई हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आँकड़े इस प्रकार है—

अपराध शीर्ष	वर्ष		
	1978	1979	1980
हत्या	185	189	132
लूटपाट	665	619	259

(ख) विभिन्न न्यायालयों में विचारण किये गये मेकदमों में से दोष सिद्धि और दोष युक्ति के आँकड़े इस प्रकार है :—

हत्या

वर्ष	लिये गये मामलों की संख्या	विचारण में समाप्त हुए मामलों की सं.	दोषयुक्ति में समाप्त हुए मामलों की सं.
1978	52	16	36
1979	44	13	31
		लूटपाट	
1978	52	21	31
1979	36	21	15

वर्ष 1980 में दर्ज किये गये हत्या और लूटपाट के अधिकाँश मामले या तो विचारणाधीन है या स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) पुलिस मुख्यालय में पुलिस उप-आयुक्त के अधीन एक सतर्कता शाखा कार्य कर रही है। हिन्दी दिल्ली प्रशासन के अधीन एक भ्रष्टाचार विरोधी शाखा भी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करती है। ऐसी शिकायतों की जाँच करने के लिए एक उड़न दस्ता स्थापित किया गया है। जनता से ऐसी शिकायतें प्राप्त करने के लिए टेलीफोन नं. 268980 उपलब्ध हैं। जनता को इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास शिकायतें

दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशिष्ट शिकायतों के आधार पर प्राथमिक जाँच पड़ताल करने के बाद जिन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध हो जाता है, उनके विरुद्ध कार्यवाई की जाती है।

राजस्थान के पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना करना

1377. **श्री जयनारायण रोट :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में उन जिलों का चयन कर लिया है जिनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दन में छोटे एव बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी है; और

(ख) प्रत्येक जिले का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक जिले को कितनी राशि आवंटित की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) लघु। सहायक उद्योग स्थापना क्षमता के साथ केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना की गुंजाइस की जाँच करने हेतु पिछड़े जिलों के नामों के बारे में राजस्थान सरकार का जवाब प्रतीशत है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक विकास दर

1378. **श्री जय नारायण रोट :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले जून से औद्योगिक उत्पादन के विकास में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबन्ध में ब्यौरा क्या है और इसका आगे विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं;

उद्योग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 की पिछली नकारात्मक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में भी बनी रही। किन्तु प्राप्त अद्यतम जानकारी के अनुसार औद्योगिक उत्पादन में जुलाई, 1980 से पुनः सुधार हुआ है तथा उद्योग मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध अनन्तिम उत्पादन संकेतों के आधार पर तैयार किया गया। दिसम्बर, 1980 का सूचकांक गत वर्ष के इसी महीने की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक बैठता है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण उद्योगों अर्थात विद्युत, कच्चा बिक्री योग्य इस्पात, पैट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद कच्चा पैट्रोलियम तथा सीमेंट में गत वर्ष के इसी महीने की अपेक्षा जनवरी, 1981 में समग्र रूप से 11.3 प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ है।

औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर उच्चतम स्तर पर उत्सुकता से ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न अडचनों को दूर करने हेतु उपयुक्त उपचारात्मक अभ्युपाय किए गए हैं। अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में आई कमियों को दूर करने तथा कोयले, बिजली एवं परिवहन के तीनों क्षेत्रों में अच्छा समन्वय लाने के लिए वर्ष 1980 के प्रारम्भ से ही गम्भीर प्रयास किए गए हैं। यह आशा कि जाती है कि इन अभ्युपायों से आने वाले वर्षों में उच्चतर विकास की दर प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।

कलकत्ता में कांग्रेस (आई) के कार्यालय की स्थापना करना

1379. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस आई के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि वामपंथी सरकार उनकी पार्टी को कलकत्ता शहर में उनके कार्यालय की स्थापना से रोक रही थी;

(ख) क्या यह सच है कि उसने अपने पार्टी के कार्यालय के लिए कई बार तीन इमारतें किराये पर लेने का प्रयास किया था लेकिन हर बार इमारतों के मालिक यह कहते हुए वायदे से मुकर गये थे कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कांग्रेस आई, को कार्यालय की स्थापना के लिए अनुमति न देने के लिए कहा था क्योंकि वे उनकी सुरक्षा के लिए गारंटी नहीं लेंगे, और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार दल के कार्यालय के स्थान के लिए श्री अजीत पंजा द्वारा देखे गये तीन भवनों में से एक का अन्तिम रूप से कब्जा नहीं लिया जा सका क्योंकि मकान मालिक कुछ व्यक्तिगत कारण बताते हुए वायदे से मुकर गया। किन्तु सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि मकान मालिक पर स्थानीय पुलिस द्वारा प्रभाव डाला गया था।

हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियाँ

1380. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत कम्पनियों को दिए गए लाइसेंसों की संख्या क्या है और वे किन-किन प्रयोजनों के लिए दिए गए थे; और

(ख) उनमें से कितनों का दुरुपयोग किया गया था;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीचरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत वर्ष 1979 से 1980 तक हिमाचल प्रदेश के लिये 3 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। ये लाइसेंस पोर्टलैण्ड सीमेंट, फाइबर हार्डबोर्डों तथा कलाई मन्डियों के जुवलों का उत्पादन करने से सम्बन्धित हैं।

चूंकि औद्योगिक लाइसेंस के फलीभूत होने में आमतौर पर 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है, अतएव, पिछले 2 वर्षों में स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही होगे। किसी लाइसेंस केवल विनिर्दिष्ट लाइसेंसीकृत वस्तु के लिए तथा निर्दिष्ट स्थापना स्थल पर ही कार्यान्वित किया जा सकता है। अतएव, लाइसेंस के "दुरुपयोग" का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में न्यूक्लियस उद्योग की स्थापना

1381. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में न्यूक्लियस उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए किन-किन जिलों को चुना जायेगा; और

(ग) उक्त कार्य इस समय प्रगति के किस चरण में है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) बिहार सरकार ने केन्द्रस्थ संयंत्र परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए मधुबनी तथा पालामाऊ के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले सुझाए हैं।

(ग) उपर्युक्त जिलों में सहायक उद्योग स्थापना की क्षमता के साथ निश्चित परियोजनाओं की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए शीघ्र ही एक कृतिक बल गठित किए जाने की संभावना है।

बंगला देश से असम में घुसपैठ

1382. **श्री सतीश अग्रवाल :**

श्री एन. के. शेजवलकर :

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाँ असम के मामले पर गतिरोध जारी है, वहाँ सीमा के पार से नई घुसपैठ अभी तक चल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 9 जनवरी, 1981 को प्रधान मंत्री द्वारा यह कहे जाने का समाचार है कि सरकार न केवल बांगलादेश से और घुसपैठ रोकने अपितु वह विदेशियों का पता लगाने और उन्हें वहां से वापस भेजने का कार्य भी शुरू करने के लिए कृतसंकल्प थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास गत एक वर्ष के दौरान घुसपैठ करने वाले विदेशियों की संख्या का कोई अनुमान है और उपरोक्त भाग (ख) के बारे में क्या उचित कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सीमा पार से घुसपैठ को प्रभावकारी दंड से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गये विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप बंगलादेश राष्ट्रिकों द्वारा अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के प्रयत्नों की संख्या में पर्याप्त कमी आई है। असम सरकार के अनुसार 1980 के दौरान, 2154 घुसपैठियों का पता लगाया गया था और इनमें से 2039 को अपने मूल देशों को वापस भेज दिया गया। सरकार ने 17 अक्तूबर को, मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों का पता लगाने के कार्य को प्रभावकारी ढंग और प्राथमिक आधार पर करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। तथापि विदेशियों की पहचान के कार्य में, असम में चले आ रहे, आन्दोलन के कारण अवरोध उत्पन्न हुआ है।

योजना आयोग के पास विचाराधीन ऊर्जा विकास परियोजनायें

1383. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ी ऊर्जा विकास परियोजनाओं का विवरण क्या है और ये कब से विचाराधीन पड़ी हुई हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में हुए इस तरह के विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब स्वीकृति दी जाएगी ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कब से विचाराधीन है	वर्तमान स्थिति
1.	यू. बी. डी. सी. चरण-2 जल-विद्युत परियोजना के साथ थीन बांध बहु-उद्देशीय परियोजना	6-4-1979	निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण अभी विद्युत विभाग से प्राप्त होने हैं— (1) परियोजना का संगठन, प्रबन्ध और वित्त-व्यवस्था, (2) सिंचाई और विद्युत के बीच लागत का युक्ति संगत आवंटन, और; (3) अंतर राज्यीय विषय
2.	नागार्जुन सागर पम्प संचयन जल-विद्युत परियोजना चरण-2 आन्ध्र प्रदेश	29-2-1980	जल-विद्युत स्कीमो और मद्राचलम तापीय परियोजना के बीच पारस्परिक प्राथमिकता के संबंध में दि, 17 मई, 1980 को राज्य सरकार को लिखा गया
3.	श्री शैलम जल-विद्युत परियोजना चरण-2 आन्ध्र प्रदेश	16-7-1980	और उसकी प्रतिलिपि विद्युत विभाग को भेजी गई। राज्य सरकार से दि. 6-2-81 को ही उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें नागार्जुन
4.	पोचमवाद जल-विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश	16-7-1980	सागर पम्प संचयन परियोजना चरण-2 और श्रीशैलम चरण 2 के लिए अनुमोदन जारी करने की सिफारिश की गई है। ये जारी की जा रही हैं। पोचमपाद के संबंध में राज्य सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।
5.	पालामनेरी जल-विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश	16-2-1981	जांच की जा रही है।
6.	घाटप्रभा जल-विद्युत परियोजना (कर्नाटक)	18-11-1981	राज्य की वार्षिक योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण रुकी हुई है।

मणिपुर में पकड़े गए विद्रोही

1384. **श्री नगनगोम मोहेन्द्रा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर घाटी में सैनिक कार्यवाही कब आरम्भ हुई थी और आज तक कितने "विद्रोहियों" को पकड़ा गया है;

(ख) आज तक कितने विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है और कितने लोगों पुरुष एवं महिला की पहचान कर ली गई है;

(ग) मणिपुर में अब तक पकड़े गए व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप थे और "स्क्रीनिंग" के बाद कितने व्यक्तियों को छोड़ दिया गया; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मणिपुर में सैनिक कार्यवाही आरम्भ होने के बाद अधिकारियों के सामने आत्म-समर्पण किया, बावजूद इसके कि उनके विरुद्ध गम्भीर प्रकृति के आपराधिक आरोप/मामले थे क्षमा कर देने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मणिपुर सरकार के अनुसार 8 सितम्बर, 1980 के बाद कार्रवाई चरणों में शुरू की गई थी। पकड़े गए, आत्म-समर्पण, इत्यादि करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

मणिपुर में सैनिक कार्यवाही में मरने वाले तथा आहत होने वाले व्यक्ति

1385. श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में सैनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप आज तक मरने वालों और आहत जख्मी होने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पकड़े गए अथवा आत्म-समर्पण करने वाले "विद्रोहियों" में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के कोई कर्मी थे और यदि हां, तो कितने;

(ग) गैर-सरकारी कम्पनियों, अनुसूचित बैंकों, सरकारी कार्यालयों और व्यक्तियों से अलग-अलग, कितनी धनराशि लूटी गई/छीनी गई;

(घ) क्या श्री थोकचोम बीर सिंह, जिसे 1 जनवरी 1980 को गोली मार दी गई थी, के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यदि हाँ, तो कितने; और

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगा लिया है कि श्री थोकचोम बीर सिंह की हत्या के लिए उकसाने वाले कौन थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकार के अनुसार 12 व्यक्ति मारे गए हैं और एक जख्मी हुआ है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार के अनुसार आक्रमणकारियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रतीत होता है कि हत्या कंगलाईपाक के विधि बहिष्कृत लोक क्रांतिकारी दल के कुछ उत्तेजित सदस्यों द्वारा की गई है।

चीनी क्षेत्र में पाकिस्तान का आण्विक परीक्षण और उसके द्वारा मिराज 2000 का प्राप्त किया जाना

1386. डा. बसन्त कुमार पंडित क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत सूत्रों की सूचना के अनुसार पाकिस्तान के चीनी क्षेत्र में आण्विक परीक्षण करने की भावना है;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने आण्विक हथियारों को ढोने में समर्थ मिराज 2000 जेट विमान प्राप्त कर लिए हैं;

(ग) क्या भारत के प्रति पाकिस्तान के बदले हुए रवैये को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने सुरक्षा की तैयारी के पर्याप्त उपाय कर लिए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो वर्तमान पुरानी रक्षा सामग्री को रक्षा सम्बन्धी किन नए आधुनिक उपकरणों से बदला जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने सोवियत समाचारो में प्रकाशित यह समाचार देखा है कि पाकिस्तान अपना पहला परमाणु विस्फोट चीन के इलाके में कर सकता है। सरकार ने इस आशय के समाचार भी देखे हैं कि पाकिस्तान अपनी वायु सेना के लिए मिराज 2000 विमान प्राप्त करना चाहता है। इन समाचारों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

(ग) और (ख) अपनी रक्षा तैयारियों की योजनाओं को अद्यतन बनाते समय हम अपने सुरक्षा परिवेश में हो रही सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हैं। हमारी रक्षा योजनाओं में रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गई है। इस बारे में अधिक ब्यौरे देना उचित नहीं होगा।

"ब्रिटिश नेवी काट स्पाइंग इन बाम्बे डाक" शीर्षक से समाचार

1387. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 नवम्बर के "ब्लिट्ज" में मुख पृष्ठ पर ब्रिटिश नेवी काट स्पाइंग इन बाम्बे डाक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि दिनांक 6 नवम्बर, 1980 को अथवा इसके आस-पास बम्बई गोदी में जासूसी और ताँक-झांक करते हुए गुडविल मिशन ब्रिटिश रायल नेवी के नौसैनिक कर्मचारी रंगे हाथों पकड़े गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो पकड़े गए इन दो व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) सेना के तीनों अंगों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा उपायों में कड़ाई लाने के लिए रक्षा विभाग ने और क्या कदम उठाये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) 6 नवम्बर, 1980 को बम्बई में नौसेना गोदी के अन्दर ब्रिटेन नौसेना के सहायक पोत ,'ओलवेन" के दो नाविकों (असैनिक कर्मीदल) को फोटो लेते हुए देखा गया। सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गए। बाद में सहायक पोत "ओलविन" के एक अफसर को उनकी पहचान करने के लिए बुलाया गया। कैमरा में फिल्म को जब्त के करने बाद इन नाविकों को उक्त अफसर के सुपुर्द कर दिया गया। बाद में जांच करने पर यह बात साबित नहीं हुई कि पकड़े गए नाविक कोई गुप्तचारी कर रहे थे। उनके विरुद्ध कार्रवाई का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(घ) सरकार समय-समय पर सभी सामरिक महत्व की रक्षा स्थापनाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती रहती है और त्रुटियों को दूर करने के लिए समुचित उपाय करती

है । सरकार ने अभी हाल ही में इस मामले की फिर समीक्षा की है और उसके फलस्वरूप हमारे सुरक्षा उपायों को और कड़ा कर दिया गया है ।

राज्यों में विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण

1388. **दूभर लाल बैठा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को लागू करने के मामले में रिपोर्ट प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धी राज्य वार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के न्याय विभाग सरकार को उक्त नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) राज्य सेवाओं में पदोन्नति के सम्बन्धी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रियायतें देना सम्बन्धित राज्य सरकारों के क्षेत्र में है । राज्यों में व्याप्त सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है । और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का कार्यकरण

1389. **श्री भीखाभाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अनिवार्य रूप में एक कार्यक्षेत्र संगठन है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त संगठन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तैयार किये गये प्रतिवेदनों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मध्य-क्रम के अधिकारियों के पदोन्नति तथा स्थानान्तरण नियम उचित नहीं है; और

(घ) यदि हां तो इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तैयार की गई रिपोर्टों की संख्या निम्नलिखित है :

वर्ष	रिपोर्टों की संख्या
1978	7
1979	10
1980	7

(ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं)

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विवरण

वर्ष 1978, 1979 और 1980 में प्रकाशित की गई/साइक्लोस्टाइल की गई कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्टों की सूची।

1978

1. 32 शहरों में कंट्रोल के कपड़े की उपलब्धता और बिक्री का त्वरित सर्वेक्षण
2. महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी स्कीम का संयुक्त मूल्यांकन-तालुका स्तरीय टिप्पणियाँ
3. लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम का मूल्यांकन (साइक्लोस्टाइल)
4. समाज कल्याण कार्यक्रम में सहायता प्राप्त स्वैच्छिक अधिरणों के कार्यकरण का अध्ययन (साइक्लोस्टाइल)
5. कपास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समुच्चय कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन के सम्बन्ध में रिपोर्ट (साइक्लोस्टाइल)
6. राष्ट्रीय प्रदर्शन और किसान शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन (साइक्लोस्टाइल)
7. राज्य मूल्यांकन संगठनों के अध्ययनों के पहले सम्मेलन की कार्यवाही और कागज-पत्र

1979

1. ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन
2. एकीकृत बालविकास सेवा परियोजनाओं की तैयारी की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट
3. राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम के कार्यकरण का मूल्यांकन अध्ययन
4. परियोजना रूपरेखाएं-एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाएं
5. पटसन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित समुच्चय कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में रिपोर्ट (साइक्लोस्टाइल)
6. लघु कृषक, सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाओं के मूल्यांकन अध्ययन के सम्बन्ध में रिपोर्ट
7. ग्रामीण रोजगार के लिए गहन स्कीमों का अध्ययन (1971-74)
8. शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम का अध्ययन
9. मूल्यांकन के प्रशिक्षण के लिए समिति की रिपोर्ट
10. काम के लिए अनाज कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन अध्ययन (अगस्त-अक्तूबर, 1979)-अन्तरिम रिपोर्ट

1980

1. कोसी तटबंध का मूल्यांकन-वस्तुस्थिति अध्ययन (साइक्लोस्टाइल)
2. पुतमअरि तटबंध का मूल्यांकन-वस्तुस्थिति अध्ययन (साइक्लोस्टाइल)
3. गरीबों को ग्रामीण जलपूर्ति की उपलब्धता (साइक्लोस्टाइल)
4. केन्द्रीय और राज्य मूल्यांकन संगठनों की समीक्षा और विस्तार के लिए समिति की रिपोर्ट (साइक्लोस्टाइल)
5. भू और जल प्रबन्ध सम्बन्धी प्रायोगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट
6. महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी स्कीम के सम्बन्ध में संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट
7. मत्स्यन पोताश्रय परियोजनाओं का मूल्यांकन (अन्तरिम रिपोर्ट)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिकों का अपमान

1390. **श्री एच. एन. गौडा :**

श्री के. लकप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को इसके प्रशासन द्वारा अपमानित किया गया है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के इशारे पर कुछ वैज्ञानिकों के यहाँ सी. बी. आई. द्वारा छापे मारे गए;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इससे हमारे वैज्ञानिकों पर हतोत्साहित करने वाला प्रभाव नहीं पड़ेगा जब कि विदेशों में वैज्ञानिकों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक वैज्ञानिक के कार्यालय और निवास स्थान पर सी. बी. आई. ने जो तलाशी ली थी, वह परमाणु ऊर्जा विभाग के इशारे पर नहीं ली गई थी।

(ग) से (ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

1981-82 के दौरान गरीबी दूर करने का कार्यक्रम

1391. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे प्रमुख कार्यक्रम कौन से हैं जो 1 81-82 के दौरान देश में गरीबी दूर करने के लिए शुरू किये जायेंगे ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : पंच वर्षीय योजना (1980-85) में गरीब वर्गों को सीधे सहायता देने के लिए विशिष्ट स्कीमों की व्यवस्था की गई है। ये हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना। इनमें से अधिकतर कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं। उन्हें वर्ष 1981-82 में और अधिक बढ़ाया और उचित रूप में एकीकृत किया जाएगा। 1981-82 की वार्षिक योजना में कार्यक्रमों के ब्यौरे केन्द्रीय और राज्य—इन दोनों ही स्तरों पर तैयार किए जा रहे हैं।

सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण

1392. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह महसूस किया गया है कि सीमेंट उद्योग के बने रहने के लिये यह आवश्यक है कि इसका आधुनिकीकरण किया जाये;

(ख) क्या आधुनिकीकरण इसलिये आवश्यक है ताकि सीमेंट उत्पादन की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके;

(ग) क्या सीमेंट का आयात अब भी जारी है जिसके परिणाम स्वरुप राजकोष से कीमती विदेशी मुद्रा जा रही है; और

(घ) सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) देश के बहुत से सीमेंट कारखानों के पास बहुत छोटे आकार की भट्टियां हैं और वे सीमेंट का उत्पादन करने हेतु गीली प्रक्रिया (वेट प्रोसेस) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं जो पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित होने के अलावा ऊर्जा की अधिक खपत करने वाली प्रक्रिया है। इस उद्योग का वैज्ञानिकीकरण करने के फलस्वरुप संसाधनों को अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा और एककों की आर्थिक जीव्य क्षमता भी बढ़ जाएगी।

(ग) देश के उत्पादन तथा माँग के बीच के अन्तर को कम करने के लिए देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

(घ) उद्योग को उसका आधुनिकीकरण करने तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सहयोग देने हेतु एक योजना तैयार की जा रही है।

बंगलौर में सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1393. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री नारायण चौबे :

श्री टी. आर. शमन्ना : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी. ई. एल.), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी. ई. एम. एल.), इंडियन टेलीफोन इंड ट्रीज (आई. टी. आई.) और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच. एम. टी.) जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा 26 दिसम्बर, 1980 से बड़े पैमाने पर हड़ताल शुरू की गई थी;

(ख) हड़ताल में शामिल मजदूर संगठनों तथा मजदूरों की संख्या क्या थी;

(ग) हड़तालकारियों की माँगें क्या थीं; और

(घ) हड़ताल के निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हाँ।

(ख) इन यूनिटों में लगभग 80,000 कर्मचारी हड़ताल में ग्रस्त यूनियनों के उपलब्ध नाम यह हैं :—(1) एच. एम. टी. वाच फैक्टरी इम्पलाइज यूनियन (2) एच. ए. एल. इम्पलाइज एसोसिएशन (3) आई. टी. आई. इम्पलाइज यूनियन (4) भारत अर्थ मूवर्स एम्पलाइज एसोसिएशन (5) भारत अर्थ मूवर्स एम्पलाइज स्टाफ एसोसिएशन (6) भारत इलैक्ट्रानिक्स एम्पलाइज यूनियन और (7) भारत इलैक्ट्रानिक्स वर्क्स यूनिटी फोरम।

(ग) श्रमिकों की मुख्य माँग मूल वेतन में 30/- रुपये की वृद्धि, मंहगाई भत्ते में 5/- रु. की वृद्धि और न्यूनतम स्तर पर 7/- रु. की तथा अधिकतम स्तर पर 22/- रु. की वेतन-वृद्धि के बारे में है।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन कर्नाटक सरकार इन उपक्रमों के लिए सम्बन्धित सरकार है। राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र ने इस मामले में मध्यस्थता की और हड़ताल को रोकने का प्रयास किया। श्रम मंत्री और मुख्य मंत्री, कर्नाटक सरकार के स्तर पर

भी संराधन प्रयास किए गए। केन्द्रीय संचार मत्री द्वारा भी केन्द्रीय स्तर पर समझौते की बातचीत की गई। 7 फरवरी, 1981 को केन्द्रीय योजना और श्रम मंत्री ने पक्षकारों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इस विवाद को हल करने के लिए बुलाया।

छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता

1394. **श्री सूरज भान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड अम्बाला हरियाणा) ने निर्वाचित सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की ग्राह्यता के बारे में अप्रैल 1980 के दौरान कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन मांगे थे; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने अपेक्षित स्पष्टीकरण/संशोधन जारी कर दिये हैं यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। इस मत्रालय में इस आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हां, छावनी बोर्ड अम्बाला ने वर्तमान नियमों के बारे में जी ओ. सी. इन. सी. पश्चिमी कमान से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

आसाम में विदेशियों के प्रश्न पर उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

1395. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों के प्रश्न को हल करने हेतु उच्चतम न्यायालय के एक सेवा निवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन एक प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है जैसा कि आसाम के कुछ राजनैतिक दलो ने सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) इसी प्रकार का सुझाव पहले भी प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आन्दोलनकारी नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया।

सशस्त्र सेनाओं के जवानों में सक्रमण रोगों का प्रमुख कारण वेश्याएं

1396. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जनरल आफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के जवानों में सक्रमण रोगों का प्रमुख कारण वेश्यायें हैं; और

(ख) यदि हाँ, इस बुराई के खिलाफ एहतियात के तौर पर क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां, यौन सम्पर्क से फैलने वाले रोगों के कारण।

(ख) कार्मिकों को स्वास्थ्य शिक्षा देने तथा जिन स्थानों में वेश्यायें रहती हैं उन क्षेत्रों में उनके जाने की मनाही की व्यवस्था पहले ही की हुई है। इसके अलावा हाल में इस दिशा में कुछ और उपाय किये गये हैं। इस बुराई को रोकने के लिये सैनिकों को और अच्छी मनोरंजन

सुविधायें दी जाती हैं, परिवार साथ रखने के लिये आवास की अधिक व्यवस्था की गई है और उन्हें पूरी छुट्टी मंजूर की जाती है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की नई-नई यूनियनों/अखिल भारतीय फेडरेशनों को मान्यता दिया जाना

1397. **श्री दया राम शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 में जे. सी. एम. की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति के परामर्श से केन्द्रीय सरकारी/विभागीय कर्मचारियों की नई यूनियनों/अखिल भारतीय फेडरेशनों को मान्यता देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिये किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तब से लेकर अब तक समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या समिति का पुनर्गठन करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति के कुछ सदस्यों के साथ एक औपचारिक बैठक हुई है। कर्मचारी पक्ष से मान्यता नियमों आदि के विषय पर अपने सूत्रीकरण भेजने का अनुरोध किया गया है जिसके प्राप्त होते ही उक्त समिति की औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।

(घ) जी नहीं श्रीमान्।

कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए रेडक्रास सोसाइटी को दिया गया अनुदान

1398. **डा. बसन्त कुमार पंडित :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडक्रास सोसाइटी को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये कल्याणकारी योजनायें चलाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से 1954 से ही अनुदान मिलता है;

(ख) क्या सरकार ने कार्यरत योजनाओं तथा कर्मचारियों के वेतनमानों तथा वेतनमानों में विषमता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) क्या रेडक्रास सोसाइटी 20 प्रतिशत अनुदान को प्रशासनिक तथा मुख्यालय खर्चों में समायोजित कर रही है;

(घ) क्या तीसरे वेतन आयोग का लाभ तथा कल्याण सम्बन्धी लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं; और

(ङ) क्या योजनाओं के कार्यकरण के लिये रेडक्रास सोसाइटी के खिलाफ एक जाँच आयोग नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) समय-समय पर योजनाओं का निरीक्षण किया जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) स्वयं सेवी संगठनों में नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं इसलिए वेतन की सिफारिशों को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

पालेकर पंचाट के परिणामस्वरूप श्रमजीवी पत्रकारों की सेवाएं समाप्त करना

1399. **श्री राम स्वरूप राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी और गैर श्रमजीवी पत्रकारों ने सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं कि पालेकर पंचाट की अधिसूचना के बाद बहुत से समाचार पत्रों ने अनेक श्रमजीवी पत्रकारों की सेवायें समाप्त कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उन्हें उनके मूल पदों पर बहाल करने के लिये यदि अब तक कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचारपत्र कर्मचारी सम्बन्धी अधिकरणों की सरकारी अधिसूचना से पहले और उसके बाद में अंशकालिक संवाददाताओं की छंटनी के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में उल्लिखित सम्बन्धित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार अंशकालिक संवाददाताओं की छंटनी को रोकने के उपायों पर विचार कर रही है जिसमें यह प्रश्न भी शामिल है कि क्या इस प्रयोजनार्थ श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाए :

विवरण

उन अंशकालिक संवाददाताओं/प्रतिष्ठानों और अन्य व्यक्तियों के नामों की सूची, जिन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

1. श्री एम. जोशी	नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
2. श्री एम. वेंकट शिह	इंडियन एक्सप्रेस, कन्नड़ प्रवाह
3. श्री गजानन्द देरालिया	दिल्ली नवभारत टाइम्स, दिल्ली
4. श्री प्रेम कुमार गोस्वामी	दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स
5. श्री हिमत सिह थिन्ड	इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली
6. श्री फूलसिह शर्मा	नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली
7. श्री ई. अहमद, आगरा	हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड
8. श्री करुणा चटर्जी	जुगान्तर
9. श्री विनोद कुमार मसीन, बरेली	विश्व मानव
10. श्री परिपूर्णानन्द, पेरूली	1. पैट्रियट और डेली हिन्दुस्तान 2. बेनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लि०.

11. श्री जयपाल सिंह, वकील और संसद सदस्य, लोक सभा	सूचित किया गया कि विश्व मानव के श्री विनोद को नौकरी से निकाला गया।
12. पत्रिका संसद, मुरादाबाद	हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप
13. श्रीधर देय सरकार, कलकत्ता	जुगान्तर, प्राइवेट लिमिटेड
14. श्री के. सी. आर्य, कानपुर	नवभारत टाइम्स
15. श्री रसिक विहारी लाल शर्मा, अलवर	नवभारत टाइम्स
16. श्री आर. एस. देसाई, नाडियाड जिला संवाददाता	टाइम्स आफ इंडिया एंड यू. एन. आई.
17. श्री सुरिन्द्र माथुर, प्रेस संवाददाता, नालागढ़	दैनिक ट्रिब्यून
18. श्री अरविन्द कोकाजे, रतनगिरी	इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप
19. श्री के. रामा गोवदार	इंडियन एक्सप्रेस
20. श्री मुन्ना लाल, गोरखपुर	यू. एन. आई.
21. श्री बाबूराम बंसल	इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़
22. श्री सुधीर कुमार घोष	आनन्द बाजार पत्रिका

इसके अतिरिक्त सामान्य प्रकार के कुछ अभ्यावेदन हैं, जिनमें छंटनी किए गए व्यक्तियों और सम्बद्ध समाचार-पत्रों के नाम नहीं दिये गये हैं।

आसाम में पुलिस उप-महानिरीक्षक की नजरबन्दी

1400. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर;

(ग) क्या जैसा कि 30 जनवरी, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में समाचार दिया गया था इस अधिकारी ने सीमापार से विदेशियों के भारी संख्या में आने को रोकने में अत्याधिक उत्साह दिखाया, जिसकी उसे कीमत अदा करनी पड़ी; और

(घ) तथा इस गिरफ्तारी से पुलिस बल में अनिश्चितता की भावना पैदा हुई है और क्या कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो किस आधार पर केन्द्रीय सरकार स्वयं इस बात से संतुष्ट हो गई की इस अधिकारी की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वेलतोला, गोहाटी के श्री हिरोन्या कुमार भट्टाचार, पुत्र श्री डी. एन- भट्टाचार्य, असम पुलिस के उप महानिरीक्षक को, जिला मजिस्ट्रेट कामरूप के तारीख 28-1-81 के आदेश के अन्तर्गत, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की धारा 3 की उप रारा (2) के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था, जिसकी पुष्टि असम के राज्यपाल द्वारा 7-2-81 को की गई थी। नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी ने श्री भट्टाचार्य की कुछ गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल पाया था।

(घ) इस नजरबन्दी के परिणामस्वरूप पुलिस बल में किसी अनिश्चितता की भावना के विषय में सरकार को कोई सूचना है । भारत सरकार को असम के राज्यपाल के निर्णय में हस्ताक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आज हम सदन में कोई मामला नहीं उठा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनके पास विशिष्ट शिकायत भेजिये तब वह देखेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें उसे तकनीकी विकास संस्थान से प्राप्त करने दें, जिसके अध्यक्ष श्री राजन हैं··· (व्यवधान) इस मामले को जांच के लिए भारतीय मानक संस्थान के पास भेजा जाए ।

अध्यक्ष महोदय : आप कम से कम कुछ विशिष्ट शिकायतें तो भेजिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने चावड़ी बाजार में हुई कथित डकैती के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना भेजी है ।··· (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने उन्हें विशिष्ट 11 शिकायतों के बारे में लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें विशिष्ट शिकायतें भेजें ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं—एक तो ये औरतें गिरफ्तार हैं, ये बन्धुवा लेबर (हरिजन) हैं···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं हैं । (व्यवधान)* आप सुनायेंगे तो सब सुनायेंगे । सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे । श्री नारायणदत्त तिवारी । (व्यवधान)* यह बात नहीं हैं । (व्यवधान) इसके खिलाफ हमने एडजार्नमेंट मोशन एलाऊ किया है...श्री नारायणदत्त तिवारी । (व्यवधान) हमने साफ कह दिया है···श्री नारायणदत्त तिवारी ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनाबाद का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिंहा) : श्री नारायणदत्त तिवारी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति, धनबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1906/81]

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचना, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : श्री चरणजीत चानना की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18क की उप धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां. आ. 900 (ङ) जो दिनांक 21 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो मैसर्स इण्डिया मशीनरी [कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्धक को 24 नवम्बर, 1981 सहित इस तारीख तक की और अवधि तक जारी रखने के सम्बन्ध में है।

(दो) सां. आ. 926 (ङ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जो मैसर्स कन्टेनर्स एन्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को 28 मई, 1981 सहित इस तारीख तक की 6 महीने की और अवधि तक जारी रखने के सम्बन्ध में है। [ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1907/81]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, धारा 1951 की 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, सां. आ. 873 (ङ) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जो मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध को 2 मई, 1981 सहित इस तारीख तक की और अवधि तक जारी रखने के सम्बन्ध में है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1908/81]

(3) (एक) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। [ग्रन्थालय रखा में गया। देखिए संख्या एल. टी. 1909/81]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (एक) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(क) (एक) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बाँध (कर्नाटक) का वर्ष 1679-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बाँध (कर्नाटक का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।]गन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टीं. 1910/81]

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 1912/81]

(ग) (एक) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) जैसप एन्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.1911/81]

(घ) (एक) लगान जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के 1 नवम्बर, 1978 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) लगान जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का एक नवम्बर, 1978 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेद, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1913/81]

(ङ) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए, सख्या एल. टी.-1914/81]

(च) (एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1915/81]

(छ) (एक) टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टैनरी एन्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डियां लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त मद 6 (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी.-1916/81]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (पाँचवां संशोधन) आदेश, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. आ.

993 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए एल. टी. संख्या—1917/81]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1981, जो दिनांक 24 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 103 में प्रकाशित हुई थी

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1981 जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 130 में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—1918/81)

श्री मनीराम बागड़ी : आप तो सब एक्सपज करा देते हैं...

अध्यक्ष महोदय : नहीं किया है। कौन सा एक्सपंज किया है ?

श्री मनीराम बागड़ी। कल सारा किया है...

अध्यक्ष महोदय : यह बिलकुल गलत सूचना है। मैं चाहता हूं कि प्रेस भी इसके बारे में सचेत रहे। कल एक समाचार पत्र में छपा था कि अध्यक्ष ने एक अवांछित या मेरा विचार है, कुछ असाधारण, अभूतपूर्व निर्णय दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी। बोर्ड पर केवल इतना लिखा गया था कि व्यक्ति को कुछ अंशों को देखना पड़ता है, सब कुछ नहीं, जो मेरी अनुमति के बिना था। मेरी अनुमति से बहुत कुछ किया गया, मेरी अनुमति से 15 पृष्ठ गए थे, जिन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बातें होती रहें। वे जो भी रिपोर्ट देते हैं, उसके बारे में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उस नोटिस से ऐसा ही लगा था, आप उसे पढ़कर देखें। आपको प्रेस के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। मैंने वह नोटिस पढ़ लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपको प्रेस के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। उस नोटिस से तो ऐसा लगता था कि सब कुछ कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह नोटिस पढ़ा है। कुछ गलती हुई है, किसी ने यह की है। वह सूचना तो बिलकुल स्पष्ट थी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उसका असर यह हुआ कि बहुत से अखबारों में कुछ नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : गलत असर हुआ तो उसका...

अनभिज्ञता का मतलब 'कुछ भी' तो नहीं हो सकता है।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन कुछ अखबारों में नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : वह एकदम गलत था, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। मैंने उसे देखा है और मैं उसकी प्रतिलिपि भी लाया हूं।

श्री रामविलास पासवान : बहुत से अखबारों में वह छपा नहीं...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी बताया है कि मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब एक ही समय में 20 व्यक्ति बोलने लगें तो किया क्या जा सकता है ? आपको पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए। क्या आपको मेरी अनुमति नहीं लेनी चाहिए ?

श्री राम विलास पासवान : जी हाँ, लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एक नियम के तौर पर।

श्री राम विलास पासवान : जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं नियमों के विरुद्ध जाता हूँ तो मुझे बताइए। यह बड़ी सरल बात है। जब मैंने आपको अनुमति दे दी तो वह कार्यवाही वृत्तान्त में अवश्य सम्मिलित किया जाएगा और जब मैं आपको अनुमति नहीं देता तो वह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) :

मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 693 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पाँचवाँ संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 694 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) छठा संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 696 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) सातवां संशोधन विनियम, 1980 जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 720 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.—1919/81]

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मैं यह कहना चाहता हूं...कि श्री हरिकिशन लाल भगत से सम्बन्धित एक दुर्भाग्यपूर्ण कांड पर आपने इस सदन में एक टिप्पणी की थी कि मामले को कार्य मन्त्रणा समिति में निपटाया जायेगा...

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे निपटा लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का सदस्य हूं...

अध्यक्ष महोदय : अब यह मामला समाप्त हो चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस पर वहां कभी विचार ही नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया है...(व्यवधान) प्रकूटन भ्रामक होता हैं...

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस बात को प्रकट करने में प्रेस ने ठीक किया था...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बहुत से सदस्य मेरे पास आए, मैंने देखा और इससे पहले कि कोई कुछ होता, मैंने सदन को स्थगित कर दिया (व्यवधान)** अनुमति नहीं है।

श्री बारोट।

सभा पटल पर रखे गए पत्र-जारी

दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचनायें।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 12 जनवरी, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 4 (40) 80-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे,

(दो) दिल्ली विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 4 (17)/80-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1920/81]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. सं.नि. 157 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा तटरक्षक के कतिपय वर्गों के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिकारी के कृत्यों की शक्ति प्रदान करने अर्थात् आयातित अथवा निर्यात माल का वहन करने वाले परिवह पर चढ़ने, ऐसे परिवहनों के प्रभावी व्यक्तियों से दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा करने और उनसे प्रश्न पूछने और तलाशी लेने, माल पकड़ने और गिरफ्तार करने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 1921/81]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. सं. नि. 62(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति. जो दिनांक 12 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र से ही

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

निर्यात के लिये सामान तैयार करने के सिलसिले में प्रयोग में आने वाले सामान को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1922/81] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें रिपोर्ट करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सदन में एक सदस्य आए थे और उन्होंने कहा था कि आपका निर्णय अभूतपूर्व है। यह कहना प्रेस के प्रति अन्याय करना है कि प्रेस ने आपकी बात को तरोड़-मरोड़ कर कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं कहा···

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रेस की स्वतन्त्रता को बनाए रखना चाहिए। आपको बड़ी ही सुनिश्चित टिप्पणियां करनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल इतना कहा था कि जो कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे प्रेस को बड़ी सावधानी से देखना चाहिए। उन्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिये। उनके सम्वाद समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिये। मैंने प्रेस के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है।

श्री राम विलास पासवान : आप के डर के मारे किसी ने कुछ नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मेरा डर तो तब होगा जब मैंने रोका हो।

श्री राम विलास पासवान : उसका असर पड़ गया था।

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, आपने देखा नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। उन्हें इसके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। श्री वेंकट सुब्बैया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया था। उस दिन मैं यहाँ पर नहीं था और उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामेंट के इतिहास में यह एक बड़ी घटना है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी ?

श्री जगपाल सिंह : मैंने प्रिविलेज मोशन दिया था श्री एच. के. एल. भगत के खिलाफ और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : वह बात समाप्त हो चुकी है।

श्री जगपाल सिंह : मैं उस को फिर उठाना चाहूंगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मेरी अनुमति के बिना वह बोल रहे हैं। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापटल पर रखे गये पत्र—जारी

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे तथा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री वेंकट रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1923/81]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 129 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 1924/81]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मणन् (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है और इसी लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। कल हमने गृह मन्त्री के वक्तव्य के बाद एक सूचना दी थी और सारा सदन गुजरात की स्थिति पर विचार करना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय : आज कार्य सन्त्रणा समिति में इस पर विचार हो रहा है।

श्री के. माया तेवर (डिण्डिगल) : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस सदन के माननीय सदस्य और स्वयं सदन के महत्वपूर्ण अधिकार से सम्बद्ध मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस सदन के एक माननीय सदस्य, नामशः श्री शिव प्रकाश ने जो तमिलनाडु से आये हैं, नियम 377 के अधीन एक मामला उठाने के लिए आपकी अनुमति हेतु एक सूचना दी थी। नियम 377 के अधीन मामला उठाने का हर सदस्य को अधिकार है···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल सकते हैं···

श्री के. माया तेवर : मुझे यह निवेदन करना है कि मामला बड़ा गभीर है। मुझे कहने की अनुमति चाहिए—

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मेरे पास आइये, हम इस पर विचार करेंगे और फिर देगेंगे।

श्री बैठा।

रेल अभिसमय समिति

प्रथम प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं रेल अभिमसय समिति का 1980-81 और 1981-82 के लाभांश की दर और अन्य संगत मामलों" संबंधी पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आना।

श्री के. माया तेवर : मैं सदस्य को विचार करने के लिए आपके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह हो सकता है। इसे ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। आपने अभी प्रस्ताव दिया है। इस पर मैं यहां निर्णय नहीं सकता ले हूँ।

अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे।

श्री बी. डी. सिंह।

नियम के 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिये जाने की आवश्यकता

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : देश में आलू उत्पादन का लगभग आधा भाग उत्तर प्रदेश में उत्पन होने लगा है। इस वर्ष यहाँ लगभग 47 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन की आशा है। परन्तु, यह बड़े चिंता का विषय है कि किसान का अधिक परिश्रम उसके उत्पादन के मूल्य में ह्रास का कारण हो जाता है। कृषि मूल्यों का अधिक उतार-चढ़ाव विकास के लिए अभिशाप बन जाता है। उत्पादन प्राप्ति के समय उसका मूल्य न्यूनतम स्तर पर आ जाता है और पूंजीपतियों, व्यापारियों द्वारा असहाय किसान का भयकर शोषण किया जाता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं, माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादकों की और अधिक सक्रिय ध्यान दें और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में सहायता करें जिसमें किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सके। नाफेड संस्था कृषि वस्तुओं के विपरण का काय करती है। नाफेड को प्रदेश में अधिक सक्रियता से उचित मूल्य पर आलू का अधिक से अधिक क्रय करना चाहिए जिससे मूल्य में हानिप्रद ह्रास न हो। उत्तर प्रदेश से आलू दूसरे प्रदेशों विशेष कर आसाम को बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। रेल वैगनों के अभाव के कारण प्रदेश से आलू के निर्यात में बाधा पड़ती है। फलतः मूल्य बहुत नीचे गिर जाते हैं और किसानों को हानि उठानी पड़ती है। इस वर्ष मांग के अनुसार वैगनों की व्यवस्था की जाए। प्रदेश सरकार ने माननीय रेल मन्त्री जी से सम्पर्क किया है। यदि इस सम्बन्ध में समय से आवश्यक कार्यवाही न की गई तो किसानों में व्याप्त निराशा एवं क्षोभ किसी भी समय उग्र हो सकता है।

आलू एक शीघ्र नाशवान कृशि उत्पादन है। उसकी खुदाई के बाद उत्पादन को किसान अधिक समय तक अपने पास सुरक्षित रखने में असमर्थ रहता है। प्रदेश में भंडारण व्यवस्था बहुत ही अपर्याप्त है। शीतगृहों की सख्या आवश्यकता से बहुत ही कम है। सीमित संख्या के कारण शीतगृह अनेकों प्रकार से किसानों का शोषण करते हैं। उनका लाभ अधिकतर प्रभाव-

शाली लोगों को मिलता है। अतएव, जो भी कार्यवाही की जाए, समय से की जाए, यह अधिक महत्व की बात है।

(दो) खाद्य तेलों तथा वनस्पति की कमी

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : हाल के महीनों में तिलहनों, मूंगफली, खाद्य तेलों तथा वनस्पति के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। जो आम संकट देश के अर्थ व्यवस्था को 1980 से प्रभावित कर रहा है। उसने अब एक आम जनता के उपयोग की एक और वस्तु अर्थात वनस्पति तथा खाद्य तेलों को अपने चुंगल में ले लिया है। खाद्य तेल तथा वनस्पति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली समेत कहीं भी निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है। वनस्पति के उत्पादक तिलहनों तथा खाद्य तेलों की हाल की मूल्य वृद्धि का लाभ उठा रहे हैं। योजना बद्ध तरीके से खाद्य तेलों तथा वनस्पति की कमी पैदा की जा रही है। व्यापारी लोग शिकायत करते हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित 192 रुपए प्रति टिन की दर पर वनस्पति उपलब्ध नहीं है।

सरकार द्वारा मूल्य को बनाये रखने के लिए दृढ कार्यवाही के अभाव में प्रति दिन के उपयोग की इन वस्तुओं निर्माताओं, के व्यापारियों, समाज, विरोधी तत्वों, जमाखोर तस्करों की बन आयी है।

सरकार की समग्र नीति तथा योजना विफल हो गई है। तिलहनों के लिए खेती की भूमि में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, गैर परम्परागत तेलों, जेसे बनौलों, चावल की भूसी सोआ, रेपसीड और सालसीड तेलों की उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई। सरकार द्वारा पैदा की गई अन्य बाधाओं के कारण उत्पादन व्यय बढ़ रहा है। इस बिगड़ती हुई स्थिति में अगामी तिलहन की फसल को पूर्णतः अगामी वर्षा ऋतु पर निर्भर करना पड़ेगा।

इन हालातों में आम आदमी को वनस्पति तथा खाद्य तेल चोर-बाजार से खरीदने पर बाध्य होना पड़ेगा। काफी मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों के आयात के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो सरकार को तेलों के आयात पर सहायता देनी चाहिए तथा निर्मित माल को बिना लाभ-हानि के बेचने का यत्न करना चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ अनिवार्य उपयोग की वस्तुओं पर अपनी समग्र नीतियाँ दर्शाने वाला श्वेत-पत्र जारी करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमॉड हार्बर) : श्रीमन, इस समय सरकारी बेंचों पर कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्वी) : ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या सरकार ने त्याग पत्र दे दिया है।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : श्रीमान, आप सभा को स्थगित कर दें। सरकार कार्य नहीं कर रही। श्रीमन, हम सभा को छोड़ कर बाहर जाते है। शासक दल सभा की अवहेलना कर रही है।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : हमें अत्यन्त खेद है। हम सभा का अपमान नहीं करना चाहते हैं। हम सभा का पूरा आदर करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस . मन्त्रिमडलीय स्तर पर एक मन्त्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की राय से सहमत हूँ कि यह एक गम्भीर मामला है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मन्त्रीमंडल के सदस्य सभा में उपस्थित रहें ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान, जो भी सरकार कार्य करती है उसका एक रोस्टर (समय सूची) होती है । वे एक रोस्टर क्यों नहीं बनाते हैं ?

उपाध्यश महोदय : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री पी. वेंकट सुब्बय्या ने बिना शर्त भूल स्वीकार कर ली है । इसलिए आप इस पर आग्रह न करें ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : आप सरकार के एक्शन को कंडेम करिएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक सज्जन पुरुष की भाँति हमें उनके द्वारा व्यक्त की गयी क्षमा याचना को स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : जो सारे सदन का अपमान करते हैं वे जेंटिलमैन हो गए ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : भविष्य में यदि मत्रिमडल का कोई मंत्री उपस्थित नहीं होता तो हम अपने में से एक प्रधान मन्त्री चुन लेंगे ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : श्रीमान् मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री भी उपस्थित हैं ।

श्रीराम विलास पासवान (गाजीपुर) : यह पहली दफा घटना नहीं घटी है । हमेशा इसी तरह हाउस में घटना घटती है । आप इसको कडेम कीजिए और निर्देश दीजिए कि एक केबिनेट स्तर का मिनिस्टर यहाँ पर उपस्थित रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है (व्यवधान) अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे । श्री राठौर ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि वे महाराष्ट्र में जनजातियों की अतीव दुर्दशा के मामले में गृह मन्त्री को सुनने के लिए विवश करने में सफल हुए हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 में अपनी बात कहें ।

नियम 377 के अधीन मामले-जारी

(तीन) आदिवासियों, विशेषकर किनवात सेनेटोरियम सोसाइटी अस्पताल किनवात जिला नानड्रेड, के लिए कल्याण कार्य

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : श्रीमान्, मैं नियम 377 के अधीन निवेदन करता चाहता हूं कि यह सरकार की स्वीकृत नीति है कि जनजातियों की दशा सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जायेंगे । वास्तव में इसे उपलब्ध करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग इस बारे में जिला स्तर पर विस्तृत आयोजना तथा आवश्यक सुविधाएं जुटाने के बारे के आवश्यक उपायों पर आग्रह करते रहे हैं ।

परन्तु मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में नानड्रेड जिले के किनवात स्थान पर जनजाति के लोगों द्वारा चन्दा एकत्र करके दस एकड़ भूमि में 4 भवनों में बने दस पलंगों वाले, रामानन्द तीर्थ अस्पताल जोकि किनवात सेनीटोरियम सोसाइटी के प्रयत्नों से

स्थापित हुआ था, तथा जिसे 1977 में सरकार ने अधिकार में ले लिया था, काउपयोग नहीं किया जा रहा, यहाँ तक कि उसमें लगाये गये एक्स-रे-संयत्र, सुसज्जित आपरेशन थियेटर, पैथालोजीकल प्रयोगशाला आदि को जंग लग रहा है।

इस अस्पताल में डाक्टर सप्ताह में केवल एक बार एक घंटे के लिए जाता है, एक्स-रे यंत्र के लिए फिल्में नहीं दी जाती, बिजली के बिलों की अदायगी कभी नहीं की जाती। टेलीफोन 3 वर्ष पूर्व कट गया था। एक तकनीशियन तथा एक चपरासी को इस पांच लाख की संपत्ति की देखभाल के लिए थोड़ा सा वेतन दिया जाता है।

सरकार ने 1977 में अस्पताल को अधिकार में लेते समय घोषणा की थी कि इसे जिले की जन-जातीय उप-योजना के अन्तर्गत 30 पलग वाले अस्पताल में बदल दिया जायेगा। पताचला है कि ऐसी योजनाओं के लिए बजट में धन की व्यवस्था की जाती है परन्तु जनजातियों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य तथा कल्याणार्थ वर्तमान सेवाओं को बनाये रखने के लिए समय पर प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण ऐसी योजनाओं के लिए निधारित राशि व्ययगत हो जाती है।

(चार) गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय स्नातक इन्जीनियरी कालेज को स्नातकोत्तर इन्जीनियरी कालेज बनाये जाने के बारे में

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मदनमोहन मालवीय ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) को पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कालेज के रूप परिणत करने के संबंध में मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, मदनमोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत होते हुए उस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित है। यहाँ पर आज भी लोग आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षाणिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछडे हुए हैं। इस विद्यालय में ग्रेजुएट कक्षायें चल रही हैं। किन्तु इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट बनने के बाद जो विद्यार्थी इन्जनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट बनना चाहते हैं वे धनाभाव एवं गरीबता के कारण अन्यत्र नहीं जा पाते और उनकी आशा निराशा में बदल जाती है। कारण कि अन्य पोस्ट ग्रेजुएट इन्जीनियरिंग कालेज वहाँ से काफी दूर है। मान्यवर, वह विद्यालय केवल उत्तर प्रदेश में पूवांचल के छात्रों के लिए ही नहीं बल्कि उसमें पश्चिमी बिहार तथा अन्य प्रान्तों के मीछात्र अध्ययन करने आते हैं। इस सम्बन्ध में विद्यालय के तरफ से तथा प्रदेशीय सरकार की तरफ स भी सारी आहर्ताएं पूरी हो चुकी हैं। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय पिछड़ेपन को आधार मान करके पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उक्त विद्यालय को इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आदेश पारित करें ताकि उक्त क्षेत्र के रहने वाले लोग आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षाणिक दृष्टिकोणों से आ बढ़ सके और साथ ही साथ उक्त पिछड़े हुए क्षेत्र के नवयुवक देश के अन्य क्षेत्रों के नवयुवकों के समान इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(पांच) राजस्थान के सूखा ग्रस्त पाली जिला को राहत देने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सम्पूर्ण पाली जिला, राजस्थान का अकाल से पीड़ित है

और लगातार तीन वर्षों से अकालग्रस्त है। आज गांव में पेय जल की व्यवस्था नहीं है। रोहट पंचायत समिति के करीब सभी गाँवों में पेयजल ही उपलब्ध नहीं है। उन्हें प्रतिवर्ष के के अनुसार जवाई बांध से पानी नहीं दिया जा रहा है। लोगों के लिए अकाल राहत कार्य अभी तक नहीं खोले गए हैं। दो व्यक्तियों का कुटुम्ब हो तब ही एक व्यक्ति को काम पर कहीं कहीं लगाया गया है। हालत अत्यन्त दयनीय व शोचनीय है। किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है और न डीजल। सरकार राहत दिलवाने में असफलता और असमर्थ हो रही है। राजस्थान सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार से जो हम अपेक्षा धनराशि की, डीजल की, बिजली व अन्य आवश्यक वस्तुओं की करते हैं वे उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए राजस्थान की 1.60 करोड़ जनता अकाल से पीड़ित है। उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार अविलम्ब कदम उठाए और पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

(छः) आसनसोल के हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्कस में तालाबंदी

श्री कृष्ण चन्द्र हान्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान, आसनसोल के हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स के प्रबन्धकों ने 25 मई, 1980 से तालाबंदी घोषित कर दी। तब से तालाबंदी जारी है। बहुत से संसद सदस्य तथा श्रमिक नेता अभ्यावेदन करते रहे हैं परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। कई बार संबद्ध मंत्री ने सूचित किया कि सरकार मामले पर शीघ्र ध्यान दे रही है। परन्तु अभी तक सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

छः कार्मिक दम तोड़ चुके हैं। 11 फरवरी 1981 से कार्मिकों ने फैक्टरी के गेट पर धरना दिया हुआ है।

इन हालातों में मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि गैर-कानूनी ताले बंदी को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाये ताकि कार्मिकों तथा राष्ट्र के हित का संरक्षण हो सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री वी. एन. गाडगिल द्वारा 19 फरवरी, 1981 को प्रस्तुत तथा 20 फरवरी 1981 को श्री नवल किशोर शर्मा द्वारा अनुमोदित निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगी, अर्थात :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस भाषण के लिए जो उन्होंने 16 फरवरी, 1981 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।' "

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहुत सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति का अपना कोई दखल नहीं होता, सरकार जो कुछ लिखकर दे देती है, वह उन्हें पढ़ देना पड़ता है, उसमें विराम में भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि अपनी तथाकथित उपलब्धियों पर आनन्द मनावे, लेकिन सवाल यह होता है कि देश की स्थिति बिगड़ती है तो वह कांग्रेस वालों के लिये

भी बिगड़ती है। देश की स्थिति जब बिगड़ती है तो कांग्रेस के समर्थकों के लिये भी बिगड़ती है। महगाई जब आसमान की तरफ चलती है तो आप यह दावा नहीं कर सकते कि इससे सिर्फ गैर-कांग्रेसी प्रभावित होंगे, कांग्रेस वाले प्रभावित नहीं होंगे। आप आनन्द मना लें कि दाम गिरने लगे हैं, लेकिन आपका दाम गिरने का अर्थ अगर ऊपर दाम जाने का होता है, तो दाम गिर रहे हैं।

आप जानते हैं कि देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहां-तहां साम्प्रदायिक दंगे हुए, उससे माइनोरिटी के अन्दर डर की भावना पैदा हो गई है। कमजोर वर्गों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उससे किसी भी सभ्य समाज को सिर नीचा कर लेना पड़ेगा। आशा की जाती थी कि राष्ट्रपति के इस भाषण के द्वारा सरकार मुल्क को आश्वस्त करेंगी, या आप ठोस कदम उठाने वाले हैं, जिससे मंहगाई रोकी जा सके, अल्पसख्यकों के दिल से दहशत को मिटाया जा सके, उनसे बार-बार यह तकाजा न किया जाये कि मुल्क के प्रति तुम वफादार हो, इसका सबूत पेश करो, लेकिन यह कुछ नहीं कहा गया।

दाम बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। उसको संभाला जा सकता है, लेकिन देश का चारित्रिक पतन हो जाये तो जल्दी नहीं संभाला जा सकता है। आज चिन्ता का विषय यह है कि कानून और सरकार की प्रतिष्ठा देश में खत्म होती जा रही है। कानून की लोगो क दिलों में कोई दहशत नहीं है, सरकार के लिये कोई आदर नहीं है। मैं दूर की बात नहीं कहूंगा, सदन के सदस्य समझें कि दिल्ली में क्या हो रहा है ?

पहले चोरी-डकैती रात को होती थी, इस शासन की दक्षता है कि अब चोरी-डकैती राजधानी में दिन में होती हैं। इसका अर्थ क्या है, आपको सोचने के लिये क्या विवश नहीं होना पड़ता है ?

आज समाज के प्रत्येक वर्ग में विक्षोभ की हालत पैदा हो गई है, क्या आपको यह मजबूर नहीं करता है कि इस पर विचार करें और सदन के सामने आवें, बतावें कि इस विक्षोभ को शांत करने के लिये कौनस कदम उठा रहे हैं ? चुप रह जाने से काम नहीं चलगा। विक्षोभ और भी बढ़ेगा। मैं धमकी देना नहीं चाहता, लेकिन राजनीति का कोई भी विद्यार्थी जानता है कि विक्षोभ जब बढ़ता है, तो वह विद्रोह में परिणत हो सकता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि यहां विद्रोह नहीं हुआ है, यहां क्रान्ति नहीं हुआ करती है। परिवर्तन हुआ करते हैं, क्रांति के बगैर ही परिवतन हो जाते हैं। लेकिन आज समाज ने पलटा खाया है। सदियों से दबे हुये लोगों में एक उद्वेलन आया है, उनमें एक जागृति आई है। वे भी ऊपर उठना चाहते हैं। उनको कब तक दबा कर रखेंगे आप ? कहीं नक्सलाइट के नाम पर और कहीं समाज द्रोही तत्वों के नाम पर उनकी जुबान को बन्द नहीं किया जा सकता है, यह आपको स्मरण रखना चाहिए।

आज गुजरात में जो हो रहा है, क्या यह आशा नहीं की जा सकती थी कि उस पर भी कुछ प्रकाश डाला जाता। सरकार इस बारे में जो नीति अपनाना चाहती है, तो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं थी ? जिनके लिए संरक्षण है उनका क्या कसूर है ? अगर आज गुजरात के बारे में वर्णन किया जाए, तो रोंगटे खड़े हो जायेंगे। संरक्षण है अनुसूचित जातियों के लिए, संरक्षण है अनुसूचित जन-जातियों के लिए और संरक्षण है वहां की कुछ पिछड़ी हुई जमात के लिए। इस पिछड़ी हुई जमात में हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। उस संरक्षण

का विरोध हो रहा है। अगर विरोध होता, तो समझने लायक बात होती, लेकिन सिर्फ विरोध ही नहीं हो रहा है, उन वर्गों के लोगों को मटियामेट कर डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। गुजरात में अनुसूचित जातियों की आबादी 7 प्रतिशत है—वे 100 में 7 हैं। यह सोचने की बात है कि अगर 7 के ऊपर 93 या 80 प्रतिशत वाले आक्रमण करेंगे, तो क्या परिणति होगी। यह शर्म की बात है कि इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।

अहमदाबाद में जो हो रहा है, उसके बारे में मैं चाहूँगा कि होम मिनिस्टर बतायें कि हरिजनों की कितनी बस्तियाँ और कितने घर जला दिये गये। वह बतायें कि कितने मोहल्ले खाली कर दिये गए वह बतायें कि छुरेबाजी में कितने कॉस्टेबलों ने हिस्सा लिया है। जिससे सुरक्षा की आशा की जाती है, आज वही आक्रमण कर रहा है। मैं चाहूंगा कि एक न्यायिक जांच समिति बिठाई जाये, जो इस बात की जांच करे कि जो लोग आक्रमण करने वाले थे, पुलिस वालों ने उनके साथ मिल कर इन वर्गों के लोगों पर कितना आक्रमण किया है। वह इस बात की भी जांच करे कि संरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए भी था, अनुसूचित जन-जातियों के लिए भी था और पिछड़ी हुई जमात के लिए भी था, तो सिर्फ अनुसूचित जातियों को ही शिकार क्यों बनाया जा रहा हैं।

किसी अखबार ने लिखा है कि वहां के मुसलमानों ने कहा है कि "दलित मुस्लिम भाई-भाई"। इसमें शिकायत क्या है ? हिन्दुस्तान में तो सभी अछूत हैं। अगर अछूतों की बिरादरी बने, तो उसमें घबराने की कौन सी बात है ? इस देश में मुसलमान भी अछूत हैं, ईसाई भी अछूत हैं, हरिजन भी अछूत हैं। सब अछूत ही तो हैं।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : गलत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बाबूजी ठीक बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : ठीक है, मैं अपने को हिन्दू मानता हूँ। मैं श्रीमती वाजपेयी से पूछना चाहूंगा—अगर उनमें ईमानदारी है—कि क्या वह भी मुझे हिन्दू मानती हैं। (व्यवधान)

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं मुसलमान या ईसाई को अछूत नहीं मानती हूँ। मैं आपको हिन्दू मानती हूं।

जगजीवन राम : नहीं मानती हैं।

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : मैं हिन्दू हूं और आपको हिन्दू मानती हूं। लेकिन मैं दूसरों को अछूत नहीं मानती हूँ।

श्री मनीराम बागड़ी : खुद भी तो अछूत तो हो न। (व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : अगर वह नहीं मानती हैं, तो वह ब्राह्मत्व से गिर चुकी है, और जो ब्राह्मत्व से गिर चुका है, उसको हिन्दू समाज के लिए बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण यह कहे कि मैं मुसलमान का छुआ पानी पीता हूँ, वह ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान) वह ब्राह्मण नहीं रह गया है, उसे ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : मैं मुसलमान का छुआ पानी पीता हूं और ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण मानता है।

श्री जगजीवन राम : जी हां, आप उसी काशी के ब्राह्मण हैं पंडित जी, जहां सम्पूर्णानंद

की मूर्ति मेरे छूने से अपवित्र हो गई और आपकी बिरादरी के और आपके परिवार के लोग उसमें शामिल थे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : झूठी बात है। गलत बात है। झूठा आरोप है। (व्यवधान)···

श्री जगजीवन राम : मैं यह जानता हूँ, सम्पूर्णानन्द की मूर्ति मेरे द्वारा उद्घाटन करने से अपवित्र हो गई, लेकिन क्रांति हुई जब कायस्थ के चरणों को काशी के ब्राह्मणों ने धोया। मैं चाहता हूँ कि यही क्रांति आए।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं तो आपके चरण धोने को तैयार हूँ और काशी का सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ।

श्री जगजीवन राम : मैं आपका शुक्रगुजार हूं लेकिन मेरे चरण इतने सस्ते नहीं हैं पंडित जी।

हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि इसमें घबड़ाहट की कौन सी बात हो गई।···व्यवधान··· मैं कहता हूं, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने को हिन्दू मानता है लेकिन हिन्दुओं ने उसको हिन्दू स्वीकार नहीं किया।...व्यवधान···

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री गोमागों उनके भाषण के समाप्त होने के पश्चात आप बोल सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : जरा, लाखों लोग बौद्ध क्यों बने, इसको समझने की कोशिश करें।

श्री जगजीवन राम : मैं तो इस बात को अनायास कह रहा था। इस विषय पर बोलने की मंशा नहीं थी। मैंने जिक्र यह किया कि किसी अखबार में यह चर्चा आई कि अहमदाबाद में कुछ ऐसे पोस्टर देखने को मिले कि दलित मुस्लिम भाई-भाई। मैंने कहा कि उसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, कोई घबड़ाने की बात नहीं है, इतना ही कहा था। लेकिन प्रश्न बहुत कुछ रह गया है। आज सारे भारत में अनुसूचित जातियों के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है क्या कोई विधर्मी कर रहा है? व्यवधान·····

एक माननीय सदस्य : बाबू जी, जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ था...(व्यवधान) कितने हरिजन जला दिये गये थे? उस समय आप जनता पार्टी की सरकार में थे।

प्रो. मधु दण्डवते : आप जरा पिपरा की बताइए। (व्यवधान)···

श्री जगजीवन राम : मैं यह कहाँ कह रहा था कि जनता पार्टी के राज्य में कुछ नहीं हुआ और सिर्फ कांग्रेस के राज में हो रहा है। मैंने तो यह नहीं कहा और यह कहना भी नहीं चाहता। मैं तो समाज की स्थिति बता रहा हूँ। आप क्यों घबड़ा गये कि मैं कांग्रेस के ऊपर ही कह रहा हूँ।...(व्यवधान)...

श्री रामावतार शास्त्री : ये लोग इतना भी शिष्टाचार नहीं निभा सकते। अशिष्ट बन गए।

श्री जगजीवन राम : मैं यह तो नहीं कह रहा था कि कांग्रेस के ही समय में हो रहा है। यह तो मैं देश की सामाजिक स्थिति का चित्रण कर रहा था। उसमें कांग्रेस वाले अगर इसमें संतोष मानते हैं कि कांग्रेस में नहीं है तो कोढ़ के ऊपर रेशमी वस्त्र ढक देने से वह छिप

नहीं जाता। कोढ़-कोढ़ ही रहता है। यह समाज का कोढ़ है जो कांग्रेस में भी है, जनता पार्टी में भी है, सभी राजनैतिक पार्टियों में है। कोढ़ को रेशमी पट्टी के नीचे मत दबाओ, उस कोढ़ को उमड़ने दो।···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान, जिनमें श्री रामावतार शास्त्री के व्यवधान भी सम्मिलित हैं। होने दें।

श्री जगजीवन राम : उपाध्यक्ष महोदय, इस कांग्रेस के सदस्यों से व्यवधान और हल्ले मुझको चिन्ता नहीं है। सत्य कड़वा होता है। सत्य को पचाने की बहुत कम लोगों में शक्ति होती है और सत्य को सुनने की और भी कम लोगों में क्षमता होती है। इसलिए मुझको उसे छेड़खानी से कोई चिन्ता नहीं है, कोई घबड़ाहट नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ क्या कोई इसका प्रतिरोध करने के लिये खड़ा होने वाला है ? आज अनुसूचित जातियों के ऊपर जितने अत्याचार हो रहे हैं वह उनके सहधर्मियों के द्वारा हो रहे हैं, विधर्मियों के द्वारा हो रहे हैं, आप कहें कि जनता पार्टी के राज में था तो यह शर्म की बात है हमारे लिये और सभी के लिए...(व्यवधान)

डा. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। हमारी कांग्रेस की यह डेक्लयर्ड पालिसी है।

श्री जगजीवन राम : मुझे भी डेक्लेयर्ड पालिसी मालूम है। मुझे भी शास्त्रों के शब्द मालूम हैं :

आत्मवत सर्वभूतेषु

बड़ा ऊंचा सिद्धान्त है। यह भी पालिसी है लेकिन इस पर कितना अमल हुआ है ? इसी तरह से वह भी पालिसी है जिस का जिक्र आप श्रीमती जी कर रही हैं। कितना अमल हुआ है यह देखने की बात होती है। केवल पालिसी और सिद्धान्त से काम नहीं चलता है। इस देश के मुसलमान सदियों से इस देश में हैं। देश की डिमोक्रेसी के लिए वह बड़े खतरे की बात होती है जब उस देश के किसी वर्ग में भय की भावना संचारित होती है। कौन कह सकता है कि आज देश के मुसलमानों में फियर-माइकोसिस नहीं है ? कौन कह सकता है कि आज देश के इसाईयों में फियर-साइकोसिस नहीं है ? कौन कह सकता है कि आज देश के सर्वहारा समुदाय में फियर-साइकोसिस नहीं है ? यह कांग्रेस वालों के भीतर है, जनता पार्टी वालों के भीतर है, जनसंघ वालों के भीतर है, सभी के भीतर है क्योंकि हम सभी समाज के अंग है। केवल यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम कांग्रेसी हैं इसलिए हमारे अन्दर नहीं। मैं भी कांग्रेस में रहा हूं। जितना और लोग कांग्रेस के सिद्धान्तों को जानते हैं कम से कम मैं भी उतना जानने का दावा कर सकता हूँ। इसलिये सिद्धान्त से काम नहीं चलता है, व्यवहार से काम चलता है। मैं यह कह रहा था कि आज देश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयत्न करने जा रही है, इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था। इसका जिक्र होना चाहिए था। कि किस तरह से मुसमानों के अन्दर से दहशत की भावना को मिटाया जायेगा और किस तरह से उनके प्रतिनिधि भी शासन में लिए जायेंगे। शासन में प्रतिनिधित्व कोई आर्थिक प्रश्न नहीं है, शासन में प्रतिनिधित्व का अर्थ यह है कि देश के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग की शिरकत शासन में है या नहीं। अगर उनको शासन में शिरकत नहीं मिलती है तो फिर मानना पड़ता है कि एक

शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है। इस तरह से देश में डिमोक्रेसी नहीं चल सकती है। मुसलमानों को शासन से शिरकत देनी पड़ेगी। मुसलमानों को अनुभव होना चाहिए कि शासन में हमारा हिस्सा है। (व्यवधान) नाम मात्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान) मालूम होता है भारतवर्ष के एक एक राजा यहाँ बैठे हुए हैं। (व्यवधान) भारत में मुसलमानों का भी हिस्सा है और वे अपना हिस्सा माँगेंगे। (व्यवधान) आवाज करने से यह नहीं रुक सकता।

मैं यह कह रहा था कि आज देश में करोड़ों सर्वहारा समुदाय के लोग जब खेत में काम करने के लिए मजदूरी मांगते हैं तो उनके घर जला दिये जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह सभी के लिए शर्म की बात है। मजदूरी माँगने पर उनको गोलियों का शिकार बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि शासक वर्ग की तरफ से अगर यहां पर इस प्रश्न को उठाया जाता तो उनकी ईमानदारी साबित होती। आज बीसवीं सदी में मजदूरी माँगने पर गोली से उड़ा दिया, जाये क्या यह केवल विरोधी दल द्वारा ही उठाने का प्रश्न है? शासक दल के लिए शर्म की बात नहीं है। कितने इनमें से निकले जो यह कहें कि उस गांव में जा करके सत्याग्रह करेंगे—क्या यह शर्म की बात नहीं है, नारे बाजी की बात है। आवाज उठेगी कि आप क्यों नहीं गए, उठा सकते हैं आपको रोकता कौन है, क्योंकि यहाँ शर्म नहीं है, वहाँ सब कुछ उठाया जा सकता है।

मैं यही कह रहा था कि देश टूट रहा है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है— शासन के भिन्न अंगों में समन्वय नहीं है। शासन के भिन्न भिन्न अंग राजनीतिक नेतृत्व के महत्व को नहीं मानते हैं, तो द्रश के टुकड़े-टुकड़े होते है। जो पुलिस के मन में आता है, वह कर रही है। कैदियों को अन्धा बना रही है, कैदियों के हाथ पैर तोड़े दे रही है, मुलजिमों को 7-7, 8-8 और दस-दस बरस तक बिना मुकदमों के जेल में रखती है। आप कहेंगे—जनता पार्टी के राज में हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आपके राज में हुआ···(व्यवधान) इन लोगोंका कोई कर्त्तव्य नहीं है। ये तो सब अपने दिमाग को बन्धक रख कर आये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के पास। (व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : बंधुवा मजदूर···(व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : मैं असभ्य शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। यह किसी भी राजनैतिक दल के लिए अच्छी बात है कि एक ही नेता हो, एक ही आवाज हो, एक ही विचार हो और विचार करने का काम सिर्फ एक ही व्यक्ति को हो, यह राजनैतिक दल के लिए श्रेय की बात होती है और चिन्ता की बात भी होती है···(व्यवधान) मैं तो आप की तारीफ कर रहा हूं, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं···(व्यवधान) मैं तो कहता हूं कि राजनीति के लिए महत्व की बात होती है कि एक ही नेता हो, एक आवाज हो, एक विचार हो, लेकिन विचार करने का ढंग अलग-अलग हो सकता है।

प्रो. मधु दंडवते : मुझे उम्मीद है कि प्रधान मंत्री हस्ताक्षेप करेंगी।

श्री जगजीवन राम : मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन चीजों पर कुछ तो आता कि हम क्या करना चाहते हैं। देश में शांति और सुव्यवस्था कैसे स्थापित करना चाहते हैं, क्या पुलिस से डर कर ही सरकार का काम चलेगा। पुलिस के ऊपर शासन करने की जरूरत है, क्या पुलिस को ऐसे ही छोड़ दिया जायेगा कि जिसके मन में जो आवे सो करे। राजनैतिक नेतृत्व का काम होता है कि वह पुलिस पर अंकुश लगाये।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता है कि वह जो चाहे सो करे ।—कोई कुछ पूछने वाला नहीं है । क्या इसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता ? मुझसे पूछा जायेगा कि तुम बताओ, तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शासन में है, उसको इतनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए, मैं इतना जरूर मानता हूँ । लेकिन मैं इतना कहूँगा कि पुलिस को ऐसा एहसास होना चाहिए कि राजनीतिक नेतृत्व आवश्यकता पड़ने पर हमारे ऊपर अंकुश लगा सकता है, हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है, तब शासन ठीक से चल सकता है, नहीं तो पुलिस उच्छृंखल हो जाती है और ऐसी स्थिति में राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी खतरा पैदा होता है—मैं सावधान कर देना चाहता हूँ । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इनमें से किसी भी विषयों का जिक्र नहीं है, जो कि होना चाहिए था । आज देश अलग-अलग हिस्से में टूट रहा है जो असम में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह बताता है कि देश किस तरफ जाना चाहता है । आज बड़े फख्र से कहा जाता है कि राजनीतिक स्थिरता आई है—"आई है", आपका बहुत बड़ा दल लोकसभा में आया है, विधान सभाओं में आया है, लेकिन क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में ? महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ? मैं आपके ऊपर लाँछन नहीं लगाना चाहता हूँ, चिन्ता व्यक्त करना चाहता हूँ । आपके नेता के आदेश हो जाने के बाद भी वहीं प्रतिक्रिया दोहराई जाती है, क्या वह चिन्ता की बात नहीं है । आपके लिए भी चिन्ता की बात है और हमारे लिए भी चिन्ता की बात है । देश में अस्थिरता आती है तो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देश के लिये चिन्ता करने वाले के लिए चिन्ता का विषय हो जाता है । यह सब चिन्ता का विषय बन गया है, इस बारे में प्रकाश आना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति जी प्रकाश डालते हैं-जब राष्ट्रपति भवन से बाहर जाते हैं परन्तु इसमें प्रकाश नहीं डाला है । यही सब चिन्ता की बातें हैं ।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष जी, लेकिन फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूं । मंहगाई आती है तो सिर्फ इसी तरफ के लोगों के परिवारों को परेशानी नहीं होती है, आपके परिवारों को भी परेशानी होती है । सुरक्षा की व्यवस्था टूटती है तो हमारे लोगों को ही खतरा नहीं होता है, भागवत झा आजाद के लिए भी खतरा पैदा होता है ··

श्री मनीराम बागड़ी : गोली इनके सन्तरी को भी मारी जाती है ।

श्री जगजीवन राम : इसलिए मैं कह रहा था कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है, इसको दल का प्रश्न बना कर नहीं सोचना चाहिए । यह चिन्ता की बात है, सारे राष्ट्र के लिए चिन्ता की बात है । मैं फिर दोहराना चाहता हूँ-आर्थिक स्थिति बिगड़ जाय तो उसको सम्भाला जा सकता है, नैतिकपतन हो जाय तो जल्दी नहीं सम्भाला जा सकता है । आज देश नैतिक पतन की तरफ जा रहा है । आज कोई भी काम सरकारी-यन्त्र से सीधे नहीं करा सकते । मुझे मालूम नहीं था कि आपके दल की कांग्रेस नेता सबसे आखरी बेंच पर भी बैठा करती हैं, मैं तो मानता हूँ कि यहाँ बैठती हैं और उन से ही जवाब की आशा रखता हूँ, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इसको मैं दल का प्रश्न नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप शासन में हैं । देश टूट जायगा, तो हमारे लिए भी टूटेगा और आप के लिए भी टूटेगा । देश का चरित्र पतन होगा तो हमारे लिए भी होगा और आप के लिए भी होगा । इसलिए मैं आगाह करना

चाहता हूँ देश के चारित्रिक पतन को रोकने की व्यवस्था करें और नहीं रोकेंगे तो इतिहास में आपका नाम बहुत उजागर नहीं होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे कई माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने का अवसर मिला और कई माननीय सदस्यों के भाषणों को मैंने पढ़ा भी। मुझ से पहले हमारे देश के वयोवृद्ध नेता, जिनको सबसे ज्यादा वक्त तक शासन के अन्दर रहने और नीतियाँ बनाने का मौका मिला, बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के अन्दर शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए, माइनारिटीज के बारे में, जो परिवर्तन होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ है और अभी भी कई जगहों से अत्याचारों के समाचार समय-समय पर हमारे सामने आते हैं। उन्होंने एक बात ठीक कही कि आज जो कुछ भी खराबियाँ हैं उन खराबियों के लिए किसी एक दल-विशेष पर आक्षेप करने के बजाय जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए सभी को मिल कर प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार के अत्याचार न हों इस बात से किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है, सभी चाहेंगे कि अत्याचारों को रोकना चाहिए। लेकिन बाबू जी के भाषण में आज मैंने इस बात पर जो वजन देखा वे मुस्लिम्ज और शेडयूल्ड कास्ट्स के भाइयों को, दोनों को जोड़ कर काफी जोर से कह रहे थे, उससे मुझे ऐसा लगा—बाबू जी राजनीति के अन्दर काफी विलक्षण हैं उन्होंने शायद मुस्लिम्ज और शेडयूल्ड कास्ट्स की भावनाओं का लाभ उठाने का इस मौके पर प्रयत्न किया हो, ऐसा अन्दाज मालूम होता है।

इस बात को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनारिटीज के ऊपर अत्याचार हुए हैं—मुरादाबाद वगैरह के अन्दर, उस पर इस सदन में भी काफी चर्चा हुई, सभी तरफ से इसके बारे में कहा गया और उसके बाद शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि पिछले तीन महीनों के अन्दर, विशेष कर जहाँ तक माइनारिटीज का प्रश्न है, स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले पहल इस सम्बन्ध में बातें हुई हैं। जादतियाँ हुई है और उसके लिए सब तरफ से बहुत कुछ कहा गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कहा गया कि जो शासन करते हैं, उनको शासन करना चाहिये, पुलिस वालों के ऊपर अंकुश रखना चाहिये। ठीक कहा गया है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि पुलिस के अन्दर जो कुछ डिसिप्लिन था, वह डिस्सपलिन खत्म होने की शुरूआत जनता पार्टी के जमाने के अन्दर हुई। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : श्री कमलापति त्रिपाठी, जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे···

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : मुझे समाप्त करने दीजिये। मैं बीच में कभी नहीं बोलता। (व्यवधान)···जब यू. पी. के अन्दर एक जगह इस प्रकार का विद्रोह हुआ, तो उस समय केन्द्रीय सरकार ने उसको काफी गंभीर समझ कर कुछ परिवर्तन किये और उसके बाद जो कुछ परिवर्तन हुए, उसको माननीय सदस्य जानते होंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जानते होंगे कि उसके बाद क्या परिवर्तन यू. पी. के अन्दर हुआ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि जनता पार्टी के जमाने

के अन्दर जगह-जगह पुलिस के आंदोलन हुए, यहां तक कि गोली चलने की नौबत भी पेश आई और कई जगहों पर बहुत से लोग भी मारे गये, इस बात से इन्कार नहीं कर सकते। एक मिनट के लिए यह बात मान भी लें कि यू. पी. के अन्दर वह घटना हुई थी, तो इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जनता पार्टी के जमाने में अखिल भारतीय स्तर पर सारे का सारा पुलिस डिसिप्लिन टूटने की बात आकर खड़ी हुई थी। आज इस शासन को आए हुए एक वर्ष हुआ है और यह कहा जाता है कि ये कमियां हैं और वे कमियां हैं और हम भी यह दावा करके नहीं चलते कि स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई है और कहीं कोई कमी नहीं है। जो कमियां हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है लेकिन यहां पर कभी कोई आंकड़े पेश किये जाते हैं और कभी कहीं के आंकड़े पेश किये जाते हैं और कभी किसी वर्ष के आंकड़े ले लिये जाते हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने 1976 और 1-79 के बीच के आंकड़े रखे, जो प्रोग्रेस हुई, उसके आंकडे रखे और यह कहा कि हमारे जमाने के अन्दर कितनी प्रोग्रेस हुई थी और इस वर्ष के आंकड़े लेकर आप इस प्रशासन पर आक्षेप करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि क्यों नहीं आप, जो कांग्रेस का प्रशासन 1975 से 1977 तक था, उस वक्त की जो स्थिति थी, उसका मुकाबला अपने से करते हैं। उस समय की स्थिति को आप देखिये। क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि उस वक्त जो माइनस इन्फ्लेशन आ गया था, वह पिछले 10, 15 वर्षों के अन्दर भी नहीं रहा है, वह हिन्दुस्तान के अन्दर जनता पार्टी का राज्य आने के पहले रहा है। उस समय इन्फ्लेशन माइनस रहा और उसका श्रेय बाबू जगजीवन राम जी भी ले सकते हैं क्योंकि उस वक्त वे भी शासन में थे लेकिन उसके बाद कभी माइनस इन्फ्लेशन नहीं हुआ।

मैं यह भी निवेदन करूं कि एक बात हम यह समझ कर चलें कि जनता पार्टी का शासन आने के बाद कांग्रेस वालों ने यह नहीं कहा था कि क्योंकि आप शासन में आ गये हैं, इसलिए हर कदम पर हम आपका विरोध करके चलेंगें। आप अपने एक वर्ष का लेखा-जोखा ले लें। सिवाय इसके कि बिना कारण इन्दिरा जी को जेल में रखा, उसकी प्रक्रिया हुई, उसके बाद जब इन्दिरा जी जीत कर आई, उनको यहां सदन से निष्कासित करके जेल भेज दिया और तब फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई। उसके सिवा आपने कुछ नहीं किया। अब आप क्या कर रहे हैं। कहीं आसाम का आंदोलन चला, तो उसका साथ दो, कहीं गुजरात का आन्दोलन चला, तो पीछे से उसका साथ दो, कहीं कर्नाटक में आन्दोलन है, तो उसका साथ दो, कहीं तमिल में आन्दोलन है, तो उसका साथ दो, और महाराष्ट्र में आन्दोलन चला, तो उसका साथ दो।

मैं मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए 2 00 म. प. तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 5 मिनट पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि जनता पार्टी के जमाने के अन्दर बावजूद इसके कि सब तरफ शांति थी फिर भी कई उतार-चढ़ाव सामने रहे। कई बार हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से एक बात कही जाती है कि हम लोग जनता पार्टी का नाम बार-बार लेकर के क्यों चलते हैं। मैं भी जनता पार्टी का नाम लेकर के बार-बार नहीं चलना चाहता, साथ-साथ वे हमें एक बात कह कर चलते हैं कि इस वर्ष भर के अन्दर इस प्रशासन ने, इस शासन ने क्या काम किया और क्या नहीं। मैं उपाध्यक्ष जी इस बात को विरोध पक्ष के सदस्यों से भी कहना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या इस सत्य से इन्कार करके चला जा सकता है कि जो कुछ इन्हे रिटेंस के अन्दर लीगेसी के तौर पर किसी भी सरकार को मिलेगा उसमें लाभ या हानि हुए बिना नहीं रह सकती। जनता पार्टी जिस जमाने में आई, क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उनको दो अच्छे मानसून मिले, अन्न का भण्डार मिला, फारेन एक्सचेंज के रिजर्वस काफी/मिले, ला एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी मिली और एक तरह से जमा हुआ राज मिला। अब जनता पार्टी चाहे लोकदल पर आक्षेप करें चाहे किसी पर आक्षेप करें। जिस वक्त कांग्रेस का शासन आया उस जमाने में फूड स्टाक्स थे, लेकिन इस बात को भुला कर नहीं चलना होगा कि उस समय सरकार को अकाल के वर्ष का मुकाबला करना पड़ा। फारेन एक्सचेंज के रिजर्वस थे, लेकिन इस बात से इन्कार करके नहीं चल सकते कि जो आइल की कीमतें बहुत तेजी के साथ बढ़ीं उसकी वजह से काफी प्रभाव हमारे फारेन एक्सचेंज के ऊपर पड़ गया और उसकी वजह से बहुत से असर हमारे देश के अंदर हमारे सामने आए। आज इन सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए जो मापदण्ड हो सकता है इस सरकार का पूरे वर्ष में काम करने का, मैं समझता हूँ कि अगर विरोधी पक्ष यह कह कर क्रिटिसाइज करे कि 1979 के अन्दर जो उत्पादन था उसके मुकाबले में 1980 में गिरा, जो रेट आफ इन्फ्लेशन 19 0 में था उसके मुकाबले में 1980 में रेट आफ इन्फ्लेशन ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा, आसाम की जो स्थिति उस जमाने में पैदा हो गई और क्रूड आइल और अन्य सामान का आना बन्द हो गया था, उसके मुकाबले ज्यादा हालत खराब हुई, तब इस बात को कह सकते थे कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद स्थिति ज्यादा खराब हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्रों के अन्दर विरासत में बहुत सी कमियाँ मिलने पर भी इस बात की कोशिश की गई कि हालत संभाली जाए और संभाल करके आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक तरह से जब कोई फिसलने लगता है तो सबसे पहले जरूरत इस बात की हो जाती है कि उस फिसलने को रोकना पड़ेगा और उसके बाद वापस चलना शुरू होगा। तो मैं दावा नहीं करता कि बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन जो फिसलने का क्रम शुरु हुआ था वह रुका है और रुक करके एक निश्चित तौर से शुरुआत हुई है। आज लोकतंत्र की बहुत बातें कही जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि बहुत गहराई के आत्म-विश्लेषण किया जाना चाहिए कि जनता पार्टी के आने के बाद क्या पहले ही वर्ष में सही मानो में लोकतंत्र चल रहा था, क्या विरोधी पक्ष को इज्जत दे कर चला जा रहा था या जो विरोधी पक्ष था उसको कुचलने के जो भी कदम हो सकते थे, उनको उठाने की कोशिश की जा रही

थी ? जो चीज कहीं दुनियां में नहीं हुई होगी उसको जो पहले के प्रधान मन्त्री थे और जो आगे भी प्रधान मन्त्री हो सकते हैं—शायद उनको मौका ही न मिले—उन्होंने करने के प्रयत्न नहीं किए थे ? क्या आप इन्कार कर सकते हैं कि इसके मुकाबले में इस वर्ष भर में जो कानून लाए गए हैं चाहे ब्लैकमार्किटिंग का कानून लाया गया हो या प्रिवेंटिव डिटेशन का लाया गया हो या कोई दूसरी बात लाई गई हो तो हमेशा यह कह कर चला गया है विरोधी पक्ष की तरफ से कि लोकतंत्र समाप्त होने वाला है ? मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से लोकतंत्र की बात ये··· करके चलना चाहते हैं ? कौन से लोकतंत्र की कल्पना इनके दिमाग में है ? क्या आर. एस. एस. ब्रांड लोकतंत्र इनको चाहिए या कम्युनिस्ट ब्रांड लोकतंत्र चाहिये ? कम्युनिस्ट पार्टी या सी. पी. एम. लोकतंत्र की बहुत जोरों से बात करती हैं और कहती हैं कि डैमोक्रेसी डैंजर में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अपने सिद्धांतों के अनुसार ये पार्टियां कितना लोकतन्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ? जहाँ आप लोगों की आइडियोलोजी चलती है वहाँ विरोध पक्ष को कितनी आजादी है ? या जहाँ आप का प्रशासन चल रहा है वहाँ क्या विरोध पक्ष को आजादी देने मे आप विश्वास करते हैं ? मैं समझता हूँ कि केवल लिपसिम्पथी ही आप इसके लिए शो करते हैं। एक विराधात्मकता की भावना पैदा करने के लिए हमारे विरोधी यह कहते हैं कि हम लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं।

भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सम्बन्ध है इसका मूल आधार आर. एस. एम. है। क्या आर. एस. एस. लोकतन्त्र में आज विश्वास करता है ? क्या लोकतन्त्र को देश में वे कायम करना चाहते हैं ? अन्धेरे में चूंकि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है इसलिए हमारे आर. एस. एस. पर आधारित बी. जे. पी वाले गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर चलने की घोषणा करते हैं। आर. एस. एस. का गांधी जी के प्रति कितना प्रेम है इसको सारा हिन्दुस्तान और दुनिया जानती है। आज दुनिया को धोखा देने के लिए कभी गांधी जी का नाम ढूंढ कर आगे लाया जाता है और कभी किसी और का नाम।

मेरा···निवेदन हैं कि आज के हालात ठीक नहीं है देश-हित को सामने रख कर चलना होगा। इससे कोई इंकार करके नहीं चल सकता है कि देश में इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि कनफ्रंटेशन की नीति न अपनाई जाए और उसके बजाय ज्यादा अच्छा यह हो कि जो मूल समस्याएं हैं, महंगाई की है, बेकारी की है, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज पर एट्रासिटीज की है उनके मामले में ज्यादा नजदीक बैठकर उनको हल करने पर विचार किया जाए। हर प्रश्न को आन्दोलन का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये।

जो आज गम्भीर स्थिति है वह सब के लिए विचारणीय होनी चाहिए। 1977 में जनता पार्टी शासन में आई और वह असफल रही। अब जो आन्दोलन हो रहे हैं चाहे वह असम का हो, तमिलनाडु में किसानों का हो, महाराष्ट्र के किसानों का हो या आज गुजरात में जो कुछ हो रहा है, वह हो, आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग कोशिश करके चलते हैं कि इन आन्दोलनों से विरोधी पक्ष को को दूर रख कर चला जाए और अपने आप कई जगहों पर आन्दोलन खड़े होते चले जा रहे हैं। हमारे विरोधी पक्ष के लोगों के अन्दर एक अशान्ति की भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोकतन्त्र के प्रति आस्था को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। बजाय इसके कि हम लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करें और कहें कि एक बार जो चुन कर आया है उसको मौका

दिया जाए और जो कुछ भी असन्तोष हो उसको बाद उठाया जाए, आज कोशिश यह होती है कि कहीं भी कोई आन्दोलन चल रहा हो, उसको किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहना देकर चालू रखा जाए।

यह बात इसलिए स्पष्ट हो जाती है कि जो चीजें आज खड़ी हो रही हैं, जब दूसरी पार्टी की सरकार थी, उनके बारे में उस उक्त क्यों नहीं कदम उठाये गये। अगर उस वक्त कदम उठाये जाते, तो समझा जाता कि दरअसल उनके दिल में इसके लिए कोई भावना थी, और इस लिए जब कांग्रेस की सरकार ने उस नीति को पलटा, तब वे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि आन्दोलन स्वयं आगे चल रहे हैं और पोलीटिकल पार्टियाँ आन्दोलन के पीछे चल कर उससे लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही हैं। यह चीज लोकतन्त्र के लिए बड़ी खतरनाक है।

मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि यदि दरअसल वे लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वे यह कोशिश करें कि आपस के मतभेद मिटा कर एक वायबल आल्टरनेटिव तैयार किया जाये। वे आपस में एक होने का प्रयत्न तो करें। वे तो रोज आपस में लड़ते रहते हैं। जनता पार्टी पांच पार्टियों से मिल कर बनी थी। आज उसके आदमी सात आठ जगह बिखर गये हैं। फिर भी वे कहते हैं कि देश का शासन ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आखिर वे देश को किस पार्टी का शासन देना चाहते हैं? क्या वे देश को केआस और अशांति देना चाहते हैं?

वे महात्मा गांधी का नाम लेकर चलना चाहते हैं। जब गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो वह कहते थे कि हमें आजादी को डिजर्व करना होगा, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से कहूँगा कि पहले वे एक आल्टरनेटिव बनाने का प्रयत्न करें और फिर कोई दूसरी बात करें। आज वायबल आल्टरनेटिव बनाने की कोई तैयारी नहीं है। लोग अलग-अलग पार्टियाँ बना कर बैठे हुए हैं। श्री बागड़ी दो आदमियों की पार्टी लेकर बैठ जाते हैं, दूसरे आदमी भी दो चार आदमियों की पार्टी बना कर बैठ जाते हैं। (व्यवधान) हर पार्टी वाला बोलता ऐसे है, जैसे सारा देश उसकी पार्टी में आ गया है। लेकिन देश उनके पीछे नहीं है। नेता स्वयं अकेले हैं। वे कोशिश करते हैं कि यह पार्टी मुझे मन्जूर कर ले, तो ठीक है या वह पार्टी मुझे मन्जूर कर ले, तो ठीक है। बागड़ी जो की हम इज्जत करते हैं। वह कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनके नेता कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हैं।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : आज के हालत में माननीय सदस्यों को गौर करना चाहिए कि यह काम किस प्रकार करना चाहिए।

हमने 97,500 करोड़ रुपये की काफी एम्बीशस योजना तैयार की है, जिसमें काफी रीसोर्सिज रेज करने का विचार है। मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूँगा कि हमारी पंचवर्षीय योजना केवल फिनांशल टारगेट तक ही सीमित न रहे। फिनांशल टारगेट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण फिजिकल टारगेट्स हैं। इस बात पर जोर देना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में किन फिजिकल टारगेटस को पूरा किया जा सकता है।

अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के सिलसिले में हम हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम रिजनल इमबैलेंसेज को दूर करेंगे। रिजनल इमबैलेंसेज को दूर करने के लिए वह जरूरी है कि कुछ रिजन्ज में जो बैकवर्डनेस है, उसको दूर करने के लिए ठोस कदम उठाये जायें। इस देश में और दुनिया में भी यह माना गया है कि पर कैपिटा पावर कनजम्प्शन और पर-कैपिटा स्टील कनजम्प्शन से ही देश के विकास का अंदाज होता है। इसलिए हमारी अलग-अलग स्टेट्स में पर-कैपिटा पावर कनजम्प्शन क्या है, उसको देखना पड़ेगा। आज यह नहीं हो सकता है कि देश के एक रिजन में अच्छी परिस्थिति हो और उसके पड़ोस में किसी दूसरे प्रदेश में गरीबी की स्थिति हो। हम बाहर दुनिया में कहते हैं कि गरीबी और अमीरी साथ साथ नहीं चल सकती हैं। हिन्दुस्तान में जो बहुत टेन्शन्ज डेवलेप हो रहे हैं, कई जगह जो रिजनल टेन्शन्ज हैं, उनके पीछे यह भी एक कारण है। इसलिए हमें अपने देश में रिजनल इमबैलेंज को दूर करना चाहिए।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, आज वक्त आ गया है कि जहां हम और विषयों को सेंट्रल सैक्टर में रख रहे हैं, वहां हम पावर को, और खास तौर से पावर जेनीरेशन को, भी सेंट्रल सैक्टर में ले लें। पूरे हिन्दुस्तान की सरकार जैसे रेलवे को, कम्यूनिकेसंस को कंट्रोल करती है ऐसे ही सारे हिन्दुस्तान की पावर जेनरेशन को कंट्रोल करे, इसकी आवश्यकता है। यह इस लिये कि कोल डिपाजिट्स एक स्टेट में हैं अगर पिट हैड पर बड़ा थर्मल स्टेशन आप लगाते हैं तो पावर चीप होगी और उस को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा आसान होगा। वैगन्स की आज सार्टेज है। और दूसरी प्राबलम इस प्रकार की खड़ी हो रही है कि जिसको देखते हुए आगे जा कर भी बहुत सी मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए अगर आप एक जगह यह करते हैं तो दूसरी स्टेट्स के रिसोर्सेज को भी आप वहां पर काम में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से कहें कि बिहार दूसरों के लिए अपने पिट हेड पर पावर जनरेट करे और वह जैनरट किया हुआ पावर वह और स्टेट वालों को नहीं दें तो काम नहीं चल सकता है। इसलिए एक नेशनल ग्रिड हो, पावर जेंनरशन, हाइडल, कोल, गैस बेस्ड, यह एक सैंट्रल एजैंसी के जरिए हों और उसके बाद स्टेट के अन्दर जो इन्टर्गल डिस्ट्रीब्यूशन हो स्टेट पर छोड़ा जा सकता है।

सिक्स्थ प्लान के अन्दर इस बात की ग्रेजुअल प्लानिंग होनी चाहिए कि हम किस तरह से इन इक्वलिटीज को दूर करेंगे। मैं निवेदन करूं कि आज कापर, जिंक, लेड और कई चीजें राजस्थान के अन्दर हैं। लाइमस्टोन डिपाजिट्स राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा हैं जो देश की आवश्यकता की पूर्ति करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन केवल पावर की शार्टेज की वजह से आप यह कहें कि आपके यहां लेड स्पेल्टर नहीं लगेगा, जिसे स्पेल्टर नहीं लगेगा या सीमेंट की इंडस्ट्री आपके यहां नहीं लग सकेगी क्योंकि पावर उसके लिए उतना नहीं ला सकते तो इससे नेशनल लास होने वाला है और उस स्टेट को भी नुकसान पहुँचने वाला है। इसलिए यह वक्त है कि इस पर काफी गंभीरता के साथ विचार करन की जरूरत है। जब पंजाब और राजस्थान का गेहूं दूसरी जगहों पर जा सकता है तो जहां कोयला है या हाइडल पावर है उसे भी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि आज केरल के अन्दर हाइडल पोटेंशियल बहुत है और आज केरल स्टेट की खुद की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि पूरा पोटेंशियल उसका यूज कर सके। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नेशनल रिसोर्सेज उसके अन्दर लगें और उस चीज को ठीक किया जाय। मैं पावर मिनिस्टर के साथ साथ यह जानना चाहूँगा और

निवेदन भी करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर इस साल वर्स्ट पावर फेमिन जिसे कहना चाहिए, उस सिचुएशन में से आज हम लोग निकल रहे हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिस का नाम सब जानते हैं नैफ्था झाखड़ प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के अन्दर है, उससे दो हजार किलोवाट बिजली पैदा होने की बात थी। जिस वक्त मैं मुख्य मन्त्री था उस वक्त यह फैसला किया गया था कि सतलज के वाटर के अन्दर पंजाब, हरियाना और राजस्थान ये पार्टनर्स होंगे। हम 15.5 परसेंट के उसमें पार्टनर हैं। लेकिन यह सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ कि जब राजस्थान के अदर पावर का इतना फेमिन है, राजस्थान को उस में से पावर नहीं दी जा रही है बल्कि 36 परसेंट पावर जो कि नेशनल पावर प्रोजेक्ट के पास हैं उसमें से 20 परसेंट यू पी को दिया जायगा, लेकिन राजस्थान को वन परसेंट भी नहीं दिया जायेगा। जो सिद्धांत हमेशा मान कर चलते आए हैं उस सिद्धांत के अन्दर किस प्रकार से फर्क किया जाता है? तो उसको एक नेशनल परस्पेक्टिव ने सारी पावर को और जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर के बेस हैं उनको सामने रख कर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा ठीक होगा।

जैसा मैंने कहा आज इस बात की जरूरत है और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि एक नेशनल वेज पालिसी होनी चाहिए। आज कई बार कई जगह एजीटेशन होते हैं। एक जगह एक आदमी को 150 रुपये या 200 रुपये महीना नहीं मिल पाता और एक जगह हजार रुपये उस को मिनिमम मिलने लगते हैं। क्या आज इस बात की जरूरत नहीं है कि अगर कोई इंडस्ट्री ज्यादा प्राफिट करती है तो क्या उस इन्डस्ट्री के प्राफिट के अन्दर केवल इंडस्ट्री में इन्वेस्टेमेंट करने वाले और उसके अलावा जो हाई चांस उस इंडस्ट्री के अन्दर लेबर हैं वही मेयर-होल्डर हैं? क्या कन्ज्यूमर पिक्चर में नहीं आते? क्या कंट्री पिक्चर में नहीं आती? क्या हम इस बात को म न कर नहीं चलेंगे कि आज अगर किसी इन्डस्ट्री की ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि उसमें ज्यादा प्राफिट होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर एच. एम. टी. के अन्दर घड़ियों पर ज्यादा प्राफिट होता है तो क्या घड़ियों की कीतत कम नहीं की जानी चाहिए या अगर उसमें ज्यादा प्राफिट होता है तो क्या वह नेशन के पास नहीं जाना चाहिए? इसलिए एक नेशनल वेज पालिसी के ऊपर गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी विचार करने की आवश्यकता है। एक लेवेल तक जिन लोगों के टोटल एमाल्यूमेंट्स पहुँच गए हों उससे ज्यादा फ्रीज करने की भी जरूरत पड़े तो उसे फ्रीज किया जाना चाहिए।···(व्यवधान)··· मैं कह रहा हूं एक लेवेल के ऊपर, नीचे के लेवेल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। एक लेवेल के ऊपर जिन के वेजेज हैं वहां फ्रीज कर के जिनके कम हैं उनको ऊपर लाइए। अगर कम वालों को ऊपर लाने की बात नहीं करते हैं तो काम नहीं चल सकता है।

यहां यह कहा गया है कि लैंड रिफार्म्स की पालिसी इस गवर्नमेंट की बहुत क्लीयर नहीं होने की वजह से बहुत सा विकास का काम नहीं हो पाता। मैं राजस्थान से आता हूँ इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे लेफ्टिस्ट फेन्ड इस सदन में बतायें, हमारे राजस्थान में 1952 में जो क्राप शेरिंग तय की थी वह 116 पर तय की थी लेकिन आज के दिन मुझे मालूम होता है कि दस साल पहले बगाल वाले 113 को रेवोल्यूशन समझ रहे थे। मैं यहां पर सीलिंग लाज की बात करता हूँ, मैं साउथ में रह चुका हूँ, केरल में सीलिंग ला बना तो लव एण्ड अफेक्शन में ट्रांसफर को एलाऊ कर दिया लेकिन हमने लव एण्ड अफेक्शन में ट्रांसफर एलाऊ नहीं किया था।

आपके यहां काफी और कार्डिमम की गार्डेन्स हैं जो कि बड़े-बड़े लोग लेकर बैठे हैं—क्या आपने उन पर सीलिंग का कानून लगाया ? हमने कई जगह सीलिंग का कानून लागू करके, जहां-जहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही है, लैण्ड रिफार्म्स के मामले में काफी बड़ा काम किया है। उसी के परिणामस्वरूप आज देश का खाद्य उत्पादन बढ़ा है। पिछले तीस वर्षों में काम करने की वजह से ही देश में एक मजबूत बेस बनी और आज भी निश्चित तौर से आपको यह मानकर चलना चाहिए कि इस देश का फ्यूचर बेस भी यह बिखरी हुई पार्टियां नहीं बना पायेंगी, उसको सिर्फ कांग्रेस ही बना सकेगी। लोगों को हमसे नाराजगी भी हो जाती है लेकिन वे हमें अपना समझते हैं इसलिए अपनी नाराजगी भी जाहिर कर देते हैं। आज कुछ जगहों पर जो एजिटेशन्स चलते हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सरकार और दूसरे इण्डस्ट्रियल लेबर लीडर्स को मिलकर इण्डस्ट्रियल ट्रस की बात करनी चाहिए। मैं चार साल के इण्डस्ट्रियल ट्रस की बात नहीं करता, पांचवां साल तो आप एलेक्शन के लिये छोड़ दें और जो कुछ भी करना हो करें लेकिन तीन साल के लिये इण्डस्ट्रियल ट्रस करना ही चाहिये ताकि देश का उत्पादन बढ़े और ठीक तरह से देश का काम चले क्योंकि आप भी चाहते हैं कि देश में गरीबी और बेकारी दूर हो और कीमतें घटें। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये अगर आप स्ट्राइक को नहीं रोकेंगे और नेशनल इन्ट्रेस्ट को सामने रख कर नहीं चलेंगे, केवल लोगों के दिलों में भरोसा कम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आप इस सरकार को रिप्लेस नहीं कर पायेंगे। भारत में डिमोक्रेसी के लिये जो आप खतरा बताते हैं, मैं समझता हूँ बिना सोचे समझे विरोध करने से डिमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। आज जो वायलेन्स देश में बढ़ रही है मैं समझता हूँ वह सबसे बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं इसके लिये आप बैठकर बात करके इसका रीजनेबल हल निकालें क्योंकि किसी भी पार्टी या व्यक्ति से यह देश बड़ा है।

कुछ लोग यह कहते हैं कि इसके साथ इंक्लिनेशन कुछ ज्यादा हो गया है। रात दिन इन चीजों को कहते रहते हैं। मैं समझता हूँ इससे कोई परिणाम नहीं निकलता है। सभी इस बात को मानते हैं कि जब भी हमारे सामने मुश्किलें आई, रूस हमारे देश के साथ रहा है, उसने हमारे देश को पूरी मदद दी है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, हमारी प्राइम मिनिस्टर और फारेन मिनिस्टर ने नानएलाइन्ड कांफ्रेन्स में कहा है लेकिन कुछ मित्र चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम दूसरे की गोद में जाकर बैठें, हमारे सुब्रह्मण्यम स्वामी जी कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं और जाकर बैठें लेकिन चन्द्रशेखर जी ने उनको उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया परन्तु इसमें हम क्या कर सकते हैं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : तो आप सहानुभूति व्यक्त करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपके साथ पूरी सहानुभूति रखकर चलता हूँ। यह जनता पार्टी द्वारा अच्छे काम करने की बात कहते हैं। इनकी गवर्नमेंट में जो लोग थे उनमें कुछ बड़े होशियार लोग थे लेकिन ज्यादा काम वे एक दूसरे को खत्म करने का ही करते रहे और उसी का यह परिणाम निकला। अब उसके लिए इधर वालों को दोष देने से क्या लाभ है, दोष तो अपने आपको देना है (व्यवधान) हमारे झगड़ों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।

इतना ही कहकर मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती संयोगिता राणे (पाणा जी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमें देश की आर्थिक स्थिति के अवलोकन और विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है। इस अभिभाषण पर चर्चा के माध्यम से हमें देश के विभिन्न भागों की स्थिति, यहाँ की आवश्यकतायें, देश के सर्वांगीण विकास सब क्षेत्रों की संतुलित प्रगति का अवसर मिलता है। स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान इस समय अपने निर्वाचन क्षेत्र गोवा, दमन और दीव की ओर जाता है।

गावा भारत में पुरातन समय से प्रवेश द्वार की भाँति है। गोवा का इतिहास हिन्दू संस्कृति और ईसाई परंपराओं से जुड़ा हुआ है। महाभारत के भीष्मपर्व में "गोमांतक" शब्द से गोवा की उत्पत्ति हुई है। सन् 1961 में गोवा भारत का अविच्छिन्न अंग बन गया। यह गोवा के लिये बड़ी गर्व की बात है। इसके पश्चात गोवा के विकास की कहानी शुरू होती है। सन् 1961 के पश्चात् गोआ ने सभी विषयों में प्रगति की है। पर्यटन, उद्योग, परिवहन आदि के मामलों में गोवा ने उन्नति की है। गोवा-वासियों की आशायें धीरे-धीरे मूर्तरूप धारण कर रहीं हैं। किन्तु आज भी गोवा की अनेक समस्यायें हैं, जिनकी ओर केन्द्र सरकार को ध्यान देना आवश्यक है।

इस क्षेत्र में लोह खनिज का प्रमुख उद्योग है। एक ही उद्योग पर आधारित होने से गोवा का विकास संभव नहीं है। वहां उद्योग का विस्तार करने की आवश्यकता है। लघु उद्योगों का विकास और विस्तार करने की वहाँ अत्यन्त आवश्यकता है, ताकि शिक्षित और कुशल युवकों में बेरोजगारी दूर की जा सके। वहाँ इस्पात का कारखाना शुरू होना जरूरी है।

लोह खनिज का निर्यात, मुरगाँव बन्दरगाह में सुधार, औद्योगिक प्रगति में तेजी, कृषि और वन उत्पादों का बढ़ाना, इन्जीनियरिंग, इलैक्ट्रोनिक्स और फर्मास्यूटिकल उद्योगों की स्थापना के लिए गोवा, दमन और दीव में पर्याप्त गुंजाइश है।

गोवा में फिशरोज के लिए काफी काम करने की आवश्यकता है। वहाँ फिशरमैन को सहकार के आधार पर मकान बनाने और अन्य सामान खरीदने, जो उनको आवश्यकता है, के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मिलनी चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के सब भागों का समान रूप में विकास करने के लिए इतना प्रकाश नहीं डाला गया है। गोवा में "थर्मल पावर स्टेशन" बनाने, दमन दीव में एयरपोर्ट का विकास करने की ओर, रेलवे की नई लाईन देने पर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

वहाँ नौसेना का ट्रेनिंग स्कूल बहुत आवश्यक है। फिशरोज इन्स्टीच्यूट स्थापित करने से गोवा, दमन और दीव की ही नहीं परन्तु समस्त भारत की प्रगति होगी।

मछली-पालों के बच्चों को नौ-सेना में भरती अधिक संख्या में की जानी चाहिए। इससे हमारी नौ-सेना की कार्यकुशलता और क्षमता काफी बढ़ेगी।

गोवा दमन और दीव को पानी प्रदूषण से बचाने की विशेष जरूरत है। जल और वातावरण प्रदूषण आज सारे विश्व की समस्या है।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि गोवा, दमन और दीव की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि सम्पूर्ण देश समान रूप में प्रगति कर सके। विकास और समृद्धि का समान भागीदार बन सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) उपाध्यक्ष जी, मुझे भाषण नहीं करना है, सिर्फ दो-तीन बातें करनी हैं । पहली बात तो यह है कि किसी बात के कहने का फायदा तब होगा, जब वह भारत की जनता तक पहुँचे । आकाशवाणी और दूरदर्शन तो सिर्फ इंदिरा जी और इंदिरा जी के आदमियों के लिए हैं । देश हित की बात अगर विरोधी पक्ष कहें···(व्यवधान) जूते किस्मत अच्छा होता आपकी महारानी सामने बैठी होती···

नया शासन वक्त से बदलता है अच्छा बोले सुखाड़िया साहब और सही बात कही । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रविदास जी ने यदि समाज में परिवर्तन कर दिया तो अच्छी बात कहनी छोड़ दी । शहीदेआजम भगत सिंह ने क्रान्ति की, फाँसी पर चढ़कर क्रांति का रास्ता खोला था—अच्छे रास्ते पर चलने वाले चाहे तादाद में कम हों, वे अच्छी बात कहते रहें तो एक दिन अच्छे लोगों की कड़ी जुड़ जायगी और इस दुर्गन्त्र का नाश जल्दी होगा । इसलिए यह चीज चलती रहनी चाहिए ।

आप गुजरात के सवाल को लें । यदि जनता पार्टी के शासन में दोष था, तो आपको भी वही दोष करने का अधिकार नहीं मिल गया है । अंग्रेजों में यदि दोष था, तो हमको भी दोष करने का अधिकार नहीं मिल गया है । मैं चाहूँगा कि आप गुजरात के सवाल को संजीदगी से लें । आकाशवाणी दूरदर्शन और अखबारों पर मैं आरोप लगाता हूं—या तो उच्च वर्ण के लोग या जो एजीटेशन चला रहे हैं, वे इनको हवा दे रहे हैं । कई दफा इस आन्दोलन की यहाँ पर निन्दा की गई है, लेकिन आकाशवाणी या दूरदर्शन में आन्दोलन की निन्दा की बात तो दूर, किसी छोटी मोटी हिन्सा की बात आ जाती है क्योंकि सब शर्मा बैठे हैं । टी. वी. को चलाने वाले कोई पंडित जी बैठे हैं, जैसे कोई कार्शा का पुजारी बैठा हो, सिवाय इदिरा जी की पूजा के कोई काम नहीं हैं ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूँ—कितने लोग जहरीली शराब से मरे । आप कहेंगे कि यह जनता सरकार का जुर्म है । उसको तो सजा मिल चुकी, लेकिन अब आप जुर्म करोगे तो आपको भी सजा मिलेगी ··(व्यवधान) आज सारा देश दुखी है । अगर देश के अन्दर कोई भी प्राणी दुखी है । तो सारा देश दुखी है । पार्टियाँ आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं । आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में इधर से उधर चले गए और उधर से इधर चले आये । पार्टियों से देश बड़ा हैं ।

मैं आपको बिजली के बारे में कहना चाहूँगा । इस साल फसल अच्छी है. बारिश हो गई है, लेकिन आकाशवाणी ने कल बिजली के सवाल को पूरी तरह से प्रसारित नहीं किया । इस मौके पर उसकी आवाज उठानी चाहिए थी । मैं कहना चाहता हूँ —एक महीना बिजली दे दो, बारिश अच्छी हुई हैं इसलिए बिजली बन्द मत करो, ताकि उत्पादन अच्छा हो सके । सिनेमा की बिजली बन्द कर दो, कुछ दिनों के लिए, हफ्ते दो हफ्ते के लिए, जो बड़े उद्योग हैं उनकी बिजली कम कर दो, लेकिन खेती की बिजली कम न करो ।

अब मैं अमन-चैन की व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहता हूँ । आकाशवाणी के डिप्टी मिनिस्टर या शायद स्टेट मिनिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं । जरा वह कनाट-प्लेस में चली जाँय—

अपने संतरी के बगैर और वह भी शाम को। अगर वह खैरियत से आ जाय तो मैं पूछ लूंगा कि क्या हालत हैं। यह आपके अमन-चैन की हालत है। दिल्ली में कोई आदमी तो क्या, औरत भी सुरक्षित नहीं है 9 साल की बच्ची···

प्रो. सत्यदेव सिंह (छपरा) : औरत आदमी नहीं है क्या ?···

श्री मनीराम बागड़ी : मेरे बूते में बहुत जोर है। मैंने तुम जैसे बहुतों को थाने में पिटते हुए छुटाया है, काहे को बोले है। तुम जैसे थाने में पिटा करते थे तो उनको छुड़ा कर लाया करता था। मेरी बात छोड़ दो। मुझसे कोई टकराने वाला नहीं मिला है, अभी तक।

9 साल की लड़की का दिल्ली के अन्दर रेप हो, यह शर्म की बात है। वह भी भारत माँ की बेटी है, गांधी की बेटी है, गौतम की बेटी है। उसके साथ रेप हो, हम सबके सिर शर्म से झुक जाते हैं। ये अच्छी बातें नहीं हैं। इस पर आप गंभीरता से सोचें और न आप ही, हो कर के और न हम ची, ची करके इनको मिटा सकते हैं। अगर मुझ में शक्ति होगी, काश, विरोधी दलों में शक्ति हो, तो पाँच साल की बात तो छोड़ दीजिए, सुखाड़ियाँ जी, जिन्दा कौमें पाँच साल तक इंतजार नहीं करती और वे भ्रष्ट और जुल्मी शासन और इन सारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए इन्तजार नहीं करेगी और जड़ से उखाड़ फैंकेगी। इस भरोसे में मत रहना। किसी ने अगर घमन्ड किया है, तो उसका घमन्ड दूर हुआ है।

इन शब्दों के साथ में समाप्त करता हूँ।

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री गाडगिल द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, राष्ट्रपति ने जनता शासन के दौरान इस देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने का ठीक ही उल्लेख किया है।

उन्होंने एक और महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। वह चीनी पर से नियंत्रण उठाने के बारे में है। लोकदल सरकार द्वारा चीनी पर से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में अविवेकपूर्ण निर्णय लिये जाने के कारण जनसाधारण को और श्रमिक वर्ग को भी चीनी खरीदने के लिये ऊंचे मूल्य देने को बाध्य होना पड़ा। इतनी अधिक क्षति पहुंची थी कि अब तक भी पहले की स्थिति फिर से नहीं लाई जा सकी है।

महोदय जहाँ तक देश की सामान्य प्रगति का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश निरंतर प्रगति कर रहा है। मुझे यह उल्लेख करना पड़ता है कि जनता सरकार के मंत्री भी जब वे देश के बाहर बोल रहे थे तो इस बात का समर्थन कर रहे थे।

वर्ष 1979 में भारत की ओर से श्री आई. जी पटेल ने सोफिया, यूगोस्लाविया में हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने वहाँ यह बताया था :

> "भारत में हमारे लिए आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है बल्कि हम इस ओर निरंतर बढ़ रहे हैं।"

यह ठीक है कि उन्हें सरकार का एक अधिकारी कहा जा सकता है; लेकिन मैं वह उल्लेख करना चाहूँगा जो भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री एस. एम. पटेल ने 1978 में वाशिंगटन में हुए उसी सम्मेलन में कहा था। उन्होंने कहा था :

"हम जानते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकांश प्रयास हमें स्वयं ही करने पड़ेंगे। भारत ने आत्मनिर्भरता के मामले में बहुत अधिक प्रगति की है और हमारे अपने निवेश की तुलना में बाहरी सहायता का भाग वास्तव में बहुत कम है।"

महोदय, किसी ने भी इस देश में हमने जो प्रगति की है उस बारे में कुछ नहीं बताया। परन्तु यह सच्चाई है कि कई आर्थिक कारणों से हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह सच है कि हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। मेरे प्रिय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस अपनी बात के समर्थन में विश्व बैंक के 1980 के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहे थे। लेकिन मैं विश्व बैंक के वर्ष 1979 के प्रतिवेदन का उल्लेख करूंगा जिसमें भारत का भविष्य सुनहरा दिखाया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं विश्व बैंक के 1979 के प्रतिवेदन का संबन्धित भाग उद्धृत करना चाहूंगा।

"भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीयवर्ष 1979 एक और समृद्धिशाली वर्ष रहा है। कुल आर्थिक प्रगति का अनुमान लगभग 3% से 4% है जो इससे पहले के वर्ष में 7% था। लगातार चार वर्षों में स्वास्थ प्रगति के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत की विदेशों को भुगतान करने की स्थिति सुदृढ़ रही है। जिसमें श्रमिकों द्वारा लगातार किये गये प्रेषण का बहुत योगदान रहा है। विदेशी संसाधनों के उपयोग में भी वृद्धि के संकेत मिले है क्योंकि आयात में और ढील दी गई है जिसमें वित्तीय वर्ष 1979 में 13% वृद्धि हुई है। लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा कोष की वृद्धि में अचानक रुकावट आ गई है और आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था की निरतर प्रगति के लिए एक विशाल और बढ़ती हुई विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ती रहेगी।"

महोदय यह स्पष्ट है कि विदेशी सहायता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकी। यह विवरण विश्व बैंक के प्रतिवेदन में से था जबकि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने विश्व बैंक के 1980 के प्रतिवेदन के कुछ अन्य अश पढ़ कर सुनाये थे। यह 1980 के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था। उस प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद विश्व बैंक ने एक और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जो बहुत रोचक है। विश्व बैंक ने इस प्रतिवेदन को सभी सदस्य देशों को भेजा था। यह भारतीय अर्थ व्यवस्था की प्रगति के बारे में है। इस प्रतिवेदन का मुख्य अश 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था जो मैं यहाँ पढ़कर सुनाता हूँ :

"संघ के सदस्यों के संबंध में विश्व बैंक के एक नोट के अनुसार भारतीय आर्थिक व्यवस्था की प्रगति में 1979-80 के दौरान गिरावट आई है। कृषि उत्पादन रुक गया है। सूखे, गंभीर बिजली संकट और डीजल संकट के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। प्रभावकारी प्रगति के बाद सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जी. एन. पी.) में 3% की कमी आ गई है। श्रमिक आन्दोलनों के कारण उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है और कोयले के अभाव के कारण परिवहन में रुकावटें आई हैं।"

1979-80 के दौरान जनता शासनकाल में यह छवि उभर कर सामने आई थी।

प्रो. मधु दण्डवते : वर्ष 1979 80 के दौरान जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : इसके जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंक और विश्व की अन्य वित्तीय संस्थायें भी जनता और लोक दल सरकारों के कार्य से खुश नहीं थीं। राष्ट्रपति ने

अपने भाषण में यह ठीक ही कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होना आरम्भ हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं 22 फरवरी, 1981 के 'इकनामिक टाइम्स' में से उदाहरण देना चाहूंगा :

"पी, टी. आई. के समाचार के अनुसार एशिया और प्रशान्त सागरीय देशों के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ई. एस. सी. ए. पी.) द्वारा किये गये वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 1980-81 के दौरान सुधार होने की आशा है, विशेषत: कृषि के क्षेत्र में जहाँ उत्पादन में 10 से 12% तक की वृद्धि होने की आशा है और उद्योग के क्षेत्र में चार या पाँच प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। राष्ट्रीय आय में छः या सात प्रतिशत वास्तविक वृद्धि होने की सम्भावना है लेकिन यह रबी की अच्छी फसल और औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक सुधार होने पर निर्भर करता है।

अत. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य बन गया है। इसमें लिखा है कि 1981 के दौरान वस्तुओं के उत्पादन में चार से पाँच प्रतिशत की वृद्धि होगी और सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सकल घरेलू उत्पादन) में पाँच या छः प्रतिशत की वृद्धि होगी।"

अत: जो कुछ राष्ट्रपति ने कहा है वह बहुत शीघ्र ही सच साबित होने वाला है। कल डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने वर्ष 1980 के दौरान उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति का उल्लेख किया था। उन्होंने यह किसी पुस्तकालय में से उद्धृत किया था और केवल दस मदें पढ़ कर सुनाई थी। वस्तुत: उसमें 25 रोचक मदों के बारे में बताया गया है लेकिन उन्होंने केवल दस मदें पढ़ कर सुनाई थीं, शेष 15 मदें छोड़ दी थीं। उन्होंने उपसंहार यह निकाला था कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में बहुत अधिक गिरावट आई थी। मुझे वह पुस्तक नहीं मिल सकी यद्यपि मैंने उसे पुस्तकालय में खोजा भी था। मैं डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी का आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ समय के लिए वह पुस्तक मुझे उधार दी थी। मेरे पास उसमें उल्लिखित सभी 25 मदों के आंकड़े हैं। सचाई यह है कि 25 मदों में से 15 मदों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और शेष 10 के उत्पादन में गिरावट आई है। 15 मदों के उत्पादन में 1.5% वृद्धि हुई थी और यदि हम सभी वस्तुओं को ले लें तो यह वृद्धि 0.8% बैठेगी। उत्पादन में महीने-वार वृद्धि इस प्रकार है, जुलाई +4%, अगस्त +1%, सितम्बर —1%, अक्तूबर+2%, नवम्बर +4% और दिसम्बर +8%, डा. सुब्रह्मण्यम के पास जो पुस्तक है उसके अनुसार हमारा उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

अब मैं विदेश नीति पर आता हूं, राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक चौथाई भाग हमारी सरकार की विदेश नीति के बारे में है। भारत गुट-निर्पेक्ष आंदोलन शुरू करने वाले देशों में से एक है : मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जनता और लोक दल के शासन के दौरान भारत में गुट-निर्पेक्ष आन्दोलन क्रियाशील नहीं रहा है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बगले झांकनी पड़ती थी। हवान की विफलता के बाद हमारी वर्तमान प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति भारत का नेतृत्व फिर से शुरू कर दिया। भारत में हाल में हुये गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भारत की भूमिका की सराहना सभी शान्ति प्रेमी लोगों ने की। भारत की रूचि पारस्परिक सदभावना तथा सभी के साथ मैत्रिपूर्ण संबन्धों, विशेष रूप से शान्ति प्रेमी देशों के साथ, तथा रचनात्मक सहयोग में है। 1980 के बाद विश्व में भारत की छबि और अधिक उभरी है। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के संस्थापकों में से एक हैं। थोड़े समय के

लिये विदेश जिस के बारे में हमारी नीति में गड़बड़ पैदा हो गई थी मुझे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों को पुनर्जीवित करने तथा भारत की महानता को पुनः प्रतिष्ठापित करने की उनकी गहरी इच्छा पर शुभ कामना व्यक्त करनी चाहिए।

उसके बाद राष्ट्रपति ने काले धन, काला बाजारी तथा अन्य बातों का उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है। इस सन्दर्भ में उस शोधित स्प्रिट कांड जिसमें दक्षिण भारत के दो राज्य अन्तर्ग्रस्त हैं, को पढ़ कर आश्चर्य है।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

एक तमिलनाडु है और दूसरा श्री ज्योतिर्मय बसु के नेतृत्व वाले दल की संयुक्त सरकार द्वारा शासित राज्य केरल है। सडे के दिनांक 1-2-1981 के अंक में इस प्रकार कहा गया है :

"व्यापारियों, मन्त्रियों राजनितिज्ञों की पारस्परिक शत्रुता, धन इकट्ठा करने की इच्छा यहां तक कि शोषण करने की प्रवृति दक्षिण की मन पसंद शराब बनाने के लिये प्रयोग किये जाने वाले द्रव्य शोधित स्प्रिड आर. एस. की लाखों लीटर अन्तर-राज्यीय तस्करी करने वाले घोटाले के चमत्कारी अंग हैं। इस घोटाले के समाचार ने जो पहले जनवरी में सामने आया, प्रत्येक को आघात पहुंचाया और दोनों सरकारों को व्याकुल कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे बातें खुलनी शुरू हो गई इस घोटाले की सीमा 12 करोड़ रु० से 35 करोड़ रु० तक की हो सकती है और इस घोटाले में समवतः हत्या भी शामिल हो सकती है।"

श्री ए. के. राय (धनवाद)। श्रीमान, नियमों के अनुसार सदस्य ऐसे क्रम से बैठते हैं जो अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सरकाकार के प्रति राजनैतिक रूप के अनुसार सदस्यों के बैठने की व्यवस्था निर्धारित करते हैं। इस का अर्थ है कि अध्यक्ष महोदय की बाँई ओर जो सदस्य बैठते हैं, उन्हें सरकार का विरोध करने वाला समझा जाता है। अब क्या वह सदस्य सरकार का समर्थन कर सकता है जो अध्यक्ष महोदय क ठीक बांई ओर बैठा हुआ है। सरकार के प्रति रुख राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के उनके रुख में प्रतिबिबित होता है क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतिगत दिशाओं को तय करता है। छोटे-मोटे मामलों में लोगों में मतभेद हो सकता है वे सरकार का समर्थन कर सकते हैं— या विरोध कर सकते हैं। यह एक दूसरा मामला है। परन्तु आप की बाँई ओर बैठने वाला क्या एक सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन कर सकता है ?

सभापति महोदय : नियम की यह बड़ी विचित्र तथा सुन्दर व्याख्या है। श्री दंडपाणि अपना भाषण जारी रखिये।

श्री सी. टी. दंडपाणि : अब दूसरे मामले के बारे में बात है। हाल में ही मद्रास के केन्द्रीय उत्पाद कर विभाग ने तमिलनाडु में एक चीनी कारखाने के एक घोटाले का रहस्य खोला है कि लगभग 800 मी. टन शीरे की भारी मात्रा उनके स्टाक से गायब है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि लगभग 5000 मी. टन शीरा, एक कारखाना अर्थात दक्षिणी आरकोट में अरूण सुगर्स में 1980 के दौरान जल जाने की रिपोर्ट मिली हैं और 1979 की बाढ़ में वह गये लगभग 10000 मी. टन शिरे को बहे खाते में डाला गया है जबकि वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की तथा कथित हानियां नहीं हुई थी। वास्तव में मालूम हुआ है कि उपर्युक्त मात्रा

की शोधित स्प्रिट बना ली गई और इसे अवैध रूप से बेच दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप केन्द्र सरकार को एक करोड़ से अधिक रुपये के राजस्व की हानि हुई। ये कदाचार राज्य सरकार तथा इसके उच्च अधिकारियों की सांठ-गाँठ से किये गये हैं। 1976 में स्प्रिट कारखाने से शोधित स्प्रिट के लेने ले जाने के लिये कड़े नियम थे। कच्चा माल जैसे शीरे की ठीक प्रकार से जाँच की जाती थी और इसके उत्पादन की समस्त स्तरों पर अच्छी तरह से देख-भाल की जाती थी।

सभापति महोदय : श्री दंडपाणि, : डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आपका समय ले लिया है···

श्री सी. टी. दंडपाणि : नहीं, श्रीमान।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान मैंने उनका समय नहीं लिया है।

श्री दंड पाणि : स्प्रिट को ले जाने वाली गाड़ियों की रक्षा सशस्त्र पुलिस तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की जाती थी और गंतव्य स्थान तक रास्ते में पड़ने वाले थानों को सूचना वेतार से दे दी जाती थी। चूंकि व्यवस्था बड़ी कड़ी थी इस लिये स्प्रिट के कारखाने कोई कदाचार नहीं कर सके थे।

परन्तु अखिल भारतीय अन्नद्रमुक मुनेत्र कषगम के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री श्री एम. जी. रामचन्द्रन ने उत्पाद-कर विभाग को अपने पास रखा था और मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने अवैध स्प्रिट विक्रय जो कई करोड़ रुपये की है के माध्यम से भारी धनराशि वसूल करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है।

सभापति महोदय : आप कहाँ से पढ़ रहे हो ? क्या आप समाचार-पत्र से पढ़ रहे हो ?

श्री सी. टी. दंडपाणि : यह समाचार पत्र है। सामान्य कारण यह है कि समय कम है और मैं प्रत्येक बात कहना चाहता हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि मैं सभी प्रश्नों को शामिल करना चाहता हूँ। सरकारी राजस्व-निरीक्षकों को शराब कारखानों में तैनात किया गया था श्री। रामचन्द्रन के सत्ता में आने के तुरन्त बाद, उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक को वहां तैनात नहीं किया जाना चाहिए। यह कहते हुए जिला समाहर्ताओं को निवेश दिए गए थे कि किसी भी राजस्व निरीक्षक को उस शराब कारखाने के क्षेत्र में जो निर्यातक क्षेत्र है तैनात नहीं किया जाना चाहिए। राजस्व निरीक्षक के बिना वे शोधित स्प्रिट की कितनी भी मात्रा निर्मित कर सकते हैं और इसे अन्य राज्यों में भेज सकते हैं निसन्देह मुख्य मन्त्री इस विभाग को अपने पास रख रहा था।

केरल सरकार ने शोधित स्प्रिट के 20 लाख लीटर की माँग की। उसके बाद केरल के मुख्य मंत्री श्री ई. के. नायनार ने 7.5 लाख लीटर शोधित स्प्रिट की माँग की थी परन्तु तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने इसके लिए मना कर दिया था, वास्तव में उन्होंने शोधित स्प्रिट की पूर्ति करने मे अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उसके बाद केरल सरकार ने एजेंट नियुक्त किया जिसका नाम श्री अहमद खाँ है। वह उत्पाद कर मंत्री के निजी सहायक का मतीजा है। केरल में तीन चीनी मिलें सरकार के स्वामित्व में है। वह इसकी अभिप्राप्ति सीधे दूसरे राज्य से करती है। उन्होने एजेंटों को नियुक्ति की हुई है। श्री ई. के. नायनार तमिलनाडु सरकार से शोधित स्प्रिट प्राप्त नहीं कर सके। परन्तु श्री अहमद खाँ तमिलनाडु राज्य सरकार को कई करोड़ रुपये देकर शोधित स्प्रिट प्राप्त कर सका था। मंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने स्वयं कहा कि इस संबंध में उसे

तमिलनाडु सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने में भारी रकम देनी पड़ी थी। मैं यह कहना चाहूँगा कि न केवल मंत्री महोदय बल्कि मंत्री महोदय के अन्य रिश्तेदार भी इस मामले में शामिल हैं। अब मैं इस समाचार पत्र से उद्धृत करता हूँ।

सभापति महोदय : परन्तु आप पहले ही इसके बारे में वक्तव्य में कह चुके हैं। आपका कहने का मतलब है कि यदि इसे पत्रिका या समाचार-पत्र से उद्धृत किया जाता है तो यह अधिक महत्वपूर्ण बन जाता हैं।

श्री सी. टी. दंडपाणि : बहुत से कारण हैं। मैं पहले ही नियम 353 के अधीन दे चुका हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। संडे में यह कहा गया है—

"तमिलनाडु पहले ही दे चुकी थी·····परन्तु अहमद खां ने अवश्य कोई विशेष करिश्मा दिखाया होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने एम. जी. रामाचन्द्रन के बड़े भाई चक्रपाणि तथा अति प्रभाव शाली फिल्म निर्माता चित्र महल कृष्णा मूर्ति के माध्यम से एम. वी. रामाचन्द्रन से तमिलनाडु शराब कारखाने से दस लाख लीटर से अधिक शोधित स्प्रिट निकालने की मौठी बातचीत की। शुरू में अरविन्द शराब कारखाने ने लगभग दस लाख लीटर शोधित स्प्रिट की पूर्ति की थी··· (व्यवधान)

श्री के. ए. राजन (त्रिचुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 352 के अनुसार—

"बोलते समय कोई सदस्य—किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो," (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या कोई न्यायिक जाँच हो रही है ? (व्यवधान)

श्री के. ए. राजन : आप यह कैसे कह सकते हो ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : सदस्य के लाभ के लिए मैं उसे यह बताना चाहता हूँ कि केरल में कोई न्यायिक जांच नहीं की गई है।" (व्यवधान)

श्री सी. टी. दंडपाणि : यह नहीं हुई है। 'संडे' में यह भी कहा गया है—

"इस बात का पता नहीं है कि अहमद खां ने श्री एम. जी. रामाचन्द्रन को कैसे प्रभावित किया। परन्तु द्राविड़ मुनेत्रकषगम तथा कांग्रेस (आई) के नेताओं ने इस अनुचित लेन-देन के लिए सीधे एम. जी. रामाचन्द्रन को दोषी बताया है। और केरल में व्यापक रूप से यह विश्वास किया जाता है कि अहमद खां ने अखिल भारतीय अन्नाद्राविड़ मुनेत्रकषगम को बड़ी भारी रकम दी है। इसकी क्षतिपूर्ति शोधित स्प्रिट की तस्करी करके तथा इसे अर्क के गैर-सरकारी निर्माताओं को बेचकर की जा सकती थी। इस बात की भी अफवाह है कि कुछ अर्क ठेकेदारों ने इस तथाकथित रिश्वत में अपना हिस्सा दिया था।"

यह एक साधारण घोटाला नहीं है। इसकी जाँच करनी होगी। क्योंकि इसका साधारण कारण यह है यह घोटाला 35 करोड़ रुपये का है। 35 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह इण्डियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित हो चुका है :

"सरकारी विनिर्देशनों के अनुसार एक लीटर स्प्रिट यदि असली है, तो दो लीटर अर्क बनाने में प्रयोग होती है परन्तु ऐसी जगह जहाँ बड़े पैमाने पर अवैध शराब कारखाने पनपते

हैं तो वहाँ पर एक लीटर स्प्रिट से 14 लीटर अर्क तैयार किया जाता है और एक लीटर अर्क 35/- रु. का बिकता है।"

क्या आपको एक लीटर शोधित स्प्रिट की लागत मालूम है ? यह नाम मात्र 2.95 रु. है 2.95 रु. से वे 490/- रु. बनाते हैं। इसलिए दस लाख अवैध शोधित स्प्रिट को परमिटों का निरन्तर प्रयोग करके गैर-कानूनी ढंग से भेजा गया है। एक पत्रकार ने स्वयं कुछ अनुसंधान किए थे उन्होंने कहा है :

"यह कहा जा रहा है कि स्थानीय प्रेस तत्परता के साथ सही स्थिति का ब्यौरा नहीं दे रही है और समाचार-पत्र एक दूसरे के साथ पाठकों को ब्यौरा देने में होड़ लगा रहे हैं।"

एक समाचार पत्र ने अहमद खाँ के पिछले दिनों का कुछ अनुसंधान किया है और यह प्रकट किया है कि यह आदमी वर्षों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल का विश्वनीय वित्तपोषक रहा है। हिसाब लगाया जा रहा है कि नकली परमिटों को प्राप्त करने में रिश्वत की धनराशि 25 लाख रु. से कम की नहीं रही होगी। इसमें संचालकों का हिस्सा लगभग 35 करोड़ रु. का हो सकता है और कर न देने के कारण राजकोष की हानि लगभग 10 करोड़ रुपये की होगी। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। हम भारत सरकार से यह चाहते हैं कि उन्हें एक जाँच आयोग गठित करना चाहिए क्योंकि मामला दो राज्यों का है। केरल के मुख्य मंत्री श्री नायनार ने पांडिचेरी के मुख्य मत्री का हवाला दिया और कहा कि पांडचेरी के मुख्य मंत्री भी इस मामले में शामिल है। क्योंकि पांडिचेरी की सरकार संयुक्त सरकार है जिसमें कांग्रेस (आई) तथा द्राविड़ मुनेत्रमकषगम शामिल है। इस रिपोर्ट के प्रेस में प्रकाशित हो जाने के तुरन्त बाद पाँडिचेरी के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार को यह कहते हुए एक पत्र लिखा "मैं केन्द्रीय जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं परन्तु इसकी दोनों सरकारें केन्द्रीय जाँच से बची हुई हैं। 22 तारीख को त्रिवेन्द्रम तथा तमिलनाडु में बैठक हुई थी जिसमें तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने कहा, "यदि केन्द्रीय जाँच भी होती है तो मैं उन सभी बातों से नहीं बचता हूं।" केरल सरकार भी वही बात कर रही है। तमिलनाडु सरकार ने न्यायमूर्ति कैलासम, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग गठित किया है जो श्री एम. जी. रामाचन्द्रन के मित्र हैं। हम इसका विरोध करते हैं। जहाँ तक विचारार्थ विषय का संबध है तो वहाँ पर इसकी एक प्रति हमारे पास है।

सभापति महोदय : आपने कहा कि भारत सरकार को एक जाँच आयोग का गठन करना चाहिए। अब आप अपना भाषण बन्द करें। आपके भाषण का समय पूरा हो चुका है अब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार क्या कर रही है।

श्री सी. टी. दंडपाणि : यह सरकारी दस्तावेज है। यह घोटाला ठीक 1978 से शुरू हुआ परन्तु निर्देश पद के अन्दर केवल अक्तूबर नवम्बर, 1980 की अवधि आती है। दूसरे यह कहा गया है कि :

"यदि ऐसी जाँच में कोई अनियमितताये नजर में आती हैं तो भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश की जाए।"

इसलिए केवल भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए है। वे अब किसी को गिरफ्तार करने या आरोप-पत्र नहीं देने वाले हैं। मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व·····

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए । आपने आवंटित समय से दस मिनट अधिक ले लिया है । मैं अब अगले वक्ता को बुला रहा हूँ ।

श्री सी. टी. दंडपाणि : मैंने अपना भाषण कब आरंभ किया था ?

सभापति महोदय : आपने 2.40 पर बोलना आरंभ किया था । अब 3.15 हो रहे हैं। 35 मिनट ले चुके हैं ।

श्री सी टी. दंडपाणि : बीच में कई बार व्यवधान डाला गया था । आपको अतिरिक्त समय देना चाहिए । आपने दो या तीन व्यवस्था के प्रश्नों को भी उठाने की अनुमति दी थी । मुझे खेद है ।

सभापति महोदय : डा. गोलम याजदानी ।

डा. गोलम याजदानी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह बड़े संतोष की बात है कि वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के 13 महीनों के भीतर ही तेजी से और पूर्ण निश्चय के साथ देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जो पिछली सरकार के तीन वर्षों के कुशासन में बहुत बिगड़ गई थी, सुधारने के कार्य में इतनी प्रगति करली है । अब देश की सुरक्षा सुदृढ़ हो गयी है । और देश में कानून और व्यवस्था की सर्वांग स्थिति भी अब बेहतर है । लेकिन बड़े आश्चर्य के साथ मुझे यह उल्लेख करना पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गम्भीर है । कोई भी अपने आपको सुरक्षित अनुभव नहीं करता । लोगों का जीवन और उनकी सुरक्षा खिलवाड़ का विषय बन गई है । जो लोग कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के समर्थक नहीं हैं उनके साथ न्याय नहीं किया जाता । जो कुछ मैं कह रहा हूँ मैं उसे साबित कर सकता हूं । केन्द्र सरकार ने भूमि सुधार के विभिन्न चरणों के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 9 करोड़ रुपये दिये थे । वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार ने बटाईदारों, अर्थात बर्गादारों के नामों को दर्ज करने का एक अभियान आरंभ किया जो 'आपरेशन बर्गा' के नाम से बदनाम हो गया है । यह नाम सी. पी एश. सरकार ने इस अभियान को क्रान्तिकारी रूप देने के लिए दिया है । कांग्रेस सरकार ने 25 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम लागू किया था । इस अधिनियम में एक उपबंध है कि बटाईदारों की बेदखली एक हस्तक्षेपीय अपराध है और उचित सत्यापन के बाद बर्गादारों का रिकार्ड रखना इसका एक आवश्यक अंग है । लेकिन हमें मालूम हुआ है कि पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार अधिनियम के इन दोनों उपबन्धों में से किसी का भी पालन नहीं किया जाता । मैं एक उदाहरण देता हूँ ।

मेरे जिले माल्दा में बर्गा के रूप में दर्ज किये गये कुल मामलों की संख्या 54000 है जिसमें से 47000 मामले कांग्रेस के शासन काल में दर्ज किये गये थे और शेष लगभग 7000 मामले सी. पी. एम. की वर्तमान वामपंथी सरकार द्वारा दर्ज किये गये हैं । इन 7000 मामलों को दर्ज करने में उन्होंने अधिनियम के उन उपबन्धों का पालन नहीं किया है । उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे गरीब बटाइदार हैं जिनके नाम पहले दर्ज नहीं किये गये थे और जो सी. पी. एम. के समर्थक नहीं थे । उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया है और गैर-कानूनी तरीके से वहां सी. पी. एम. के समर्थकों को कब्जा दे दिया गया है । कुछ मामलों में सी. पी. एम. के समर्थक कृषि श्रमिकों के नाम दर्ज कर लिये गये हैं और गरीब वास्तविक बटाइदारों को केवल

इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि वे सी. पी. एम. के समर्थक नहीं हैं। सी. पी. एम. के सशस्त्र स्वयं सेवक नकली बर्गादारों को सफल बोने और काटने में सहायता करते रहे हैं इस आपरेशन बर्गा में कई मामलों में तो झगड़े हुए हैं काफी खून बहा है, वे बर्गादार जिन्हें कांग्रेस के राजकाल में दर्ज किया गया था और जो सी. पी. एम. के समर्थक नहीं हैं उन्हें बेदखल किया जा रहा है और सी. पी. एम के समर्थक झूठे बर्गादारों के नाम दर्ज किये जा रहे हैं। वास्तविक बंटाईदार और गरीब भू-स्वामी न्याय के लिये थाने भागते हैं लेकिन सी. पी. एम. के समर्थकों ने इन अधिकारियों के मुंह बन्द किये हुए हैं और हाथ बाँधे हुए हैं जो इन अधिकारियों को उनके कानूनी कर्त्तव्य के पालन में मार्गनिर्देश देने के लिए हमेशा उनके कार्यालय में उपस्थित रहते हैं।

श्री पीयुष तिरकी (अलीपुरद्वार) : यह बर्गेदारों का जो हुआ है, वह जोतदारों की बेनामी जमीन है।

सभापति महोदय : आपको जो कहना हो अपने समय में कहिए।

डा गोलम यजदानी : यही कारण है कि केवल सी. पी.एम. के आदमियों को ही इन जे. एल. आर. ओज. और पुलिस अधिकारियों की सहायता मिल सकती और न कि कानूनी भू-स्वामियों को या कानूनी बंटाईदारों को। यहां तक कि पुलिस अधिकारी अदालत के स्थगन आदेशों और अन्य आदेशों का भी पालन नहीं करते जो वे करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य हैं क्योंकि सी. पी. एम. के लोग आदालत के स्थगन आदेशों की भी परवाह नहीं करना चाहते।

मेरे जिले में यदि सी. पी. एम. के शासनकाल में लगभग 7000 बर्गेदारों का नाम दर्ज किया जाना एक क्रान्तिकारी कार्य है तो कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 47000 बर्गेदारों का नाम दर्ज किया जाना इससे सात गुणा अधिक क्रान्तिकारी हैं। उल्लेखनीय अन्तर केवल इतना ही है कि कांग्रेस के शासनकाल में 47000 बर्गेदारों का नाम दर्ज किया जाना एक शान्तिपूर्ण कार्य था जब कि सी. पी. एम. द्वारा हथियाई गई वामपंथी सरकार द्वारा लगभग 7000 बर्गेदारों का नाम दर्ज किये जाने के कार्य में शर्मनाक अनुशासन हीनता दिखाई गई, अदालत के आदेशों का जान बूझ कर उल्लंघन किया गया, सरकारी अधिकारियों ने कानून नियमों और आदेशों के अनुसार अपना कार्य करने में लापरवाही दिखाई। मैंने केवल माल्दा जिले की स्थिति बताई है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अन्य 15 जिलों में भी ऐसी कानून हीनता की स्थिति है जहां 10 लाख बर्गेदारों के नाम इसी गैर-कानूनी तरीके से दर्ज किये गये हैं।

बर्गेदारो के नाम दर्ज किये जाने के मामले की तरह ही सी. पी. एम. के लोग पड़ती पड़ी भूमि के निपटाने के बारे में भी निर्धन किसानों के बहुत साथ अत्याचार कर रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल से ही चले आ रहे बहुत से पट्टाधारियों को केवल इसीलिए बेदखल किया जा रहा है क्योंकि वे सी. पी. एम. के समर्थक नहीं हैं और दूसरी ओर जो लोग सी. पी. एम. के समर्थक हैं, उन्हें जमीन दी जा रही है। नये पट्टों के मामले में भेद-भाव किया जा रहा है। पुलिस और कनिष्ठ भूमी-राजस्व अधिकारी जरूरतमन्द निर्धन किसानों के बे सी. पी. एम. की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं।

अब कत्ल डाकाजनी लूट आदि की घटनाओं पर आता हूँ। पश्चिम बंगाल के हर भाग में कत्ल और आपराधिक घटनायें बढ़ रही हैं। और बंगाल में जहां मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, कत्ल

की घटनायें बढ़ रही हैं। इस आशय का एक समाचार 20 फरवरी, 1981 के 'स्टेट्स मैन' के पृष्ट 7 पर प्रकाशित हुआ था जिसमें यह लिखा है :

"एक स्रोत से प्राप्त आंकड़े के अनुसार उत्तर बंगाल क्षेत्रों में 1979 में हुए 245 कत्ल की तुलना में 1980 के दौरान 333 कत्ल हुए थे। केवल जलपाईगुड़ी जिले में ही 1979 में हुए 56 कत्ल की तुलना में 1980 में 140 कत्ल हुए। पश्चिमी दिनाजपुर में 71 की तुलना में 92, माल्दा में 51 की तुलना में 59 और कूचविहार में 25 की तुलना में 46 कत्ल हुए।"

पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है।

इस समाचार से स्पष्टत: यह पता चलता है कि शान्तिपूर्ण उत्तर बंगाल की शान्ति नष्ट हो चुकी है और कत्ल करना अपराधियों के जीने का तरीका बन गया है तथा पुलिस अपराधों की बाढ़ पर नियंत्रण रखने में असफल रही है। शासन करने में असफल रहने के कारण सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पश्चिमी दिनाजपुर के ईथर थाने के अन्तर्गत एक महीने में 14 कत्ल हुए हैं। कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने हाल में शाम को एक घर में घुस कर एक परिवार के तीन सदस्यों को गोली मार दी। बंगाल में ही कुशुमंडी और बांसीहारी थाने के क्षेत्रों में भी बहुत बर्बरतापूर्ण ढंग से सरेआम कत्ल हो रहे हैं। और उस क्षेत्र के लोग भयभीत हो गये हैं। पुलिस निष्क्रिय है। वे दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं··· (व्यवधान) हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हम लोकतांत्रिक लोग हैं। कानून और व्यवस्था केवल राज्य की विधान सभा के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है। हम भी उस पर चर्चा कर सकते हैं··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग करते हैं।

डा. गोलम याजदानी : इस प्रकार के कत्ल रायगज करधीजी गोलपुकुर और चाकुलिया थाने के क्षेत्रों तथा बालूरघार और इलसमपुरउप-मंडलों के अन्य भागों में भी हो रहे हैं। गत वर्ष इलसमपुर के मरिकुण्डा में थाने की लगभग सारी पुलिस ने कई गाँवों पर हमला किया, सम्पत्ति लूटी, झोपड़ियों को आग लगा दी और कत्ल भी किए··· (व्यवधान) इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। माल्दा जिले के हबीवपुर थाने के अन्तर्गत दिन दहाड़े एक प्रधानाध्यापक का सिर उसके ही घर में धड़ से अलग कर दिया गया और उसके सिर को उसकी पत्नी की आंखों के सामने झुलाया जाता रहा और फिर एक पेड़ से बांध दिया गया। हालही में बामनगोला में रात में गांव में हो रहे किसी मनोरंजन कार्यक्रम से घर लौटते हुए दो लोगों को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह के कत्ल रतुवा, गगोल हरीशचन्द्रपुर चंचल और पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों में किए गए हैं। लोगों का विश्वास है कि ये कत्ल सी. पी. एम. के कार्यवाही दस्ते के सदस्यों द्वारा किए जा रहे हैं और उनका प्राथमिक लक्ष्य कांग्रेस आई के कार्यकर्त्ता हैं और उनके दूसरे लक्ष्य लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोग हैं। पश्चिमी दिनाजपुर के गोलापुकुर करंधीभी, चकुलिया थानों के सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य सीमावर्ती स्थानों में भी चोरी' डकैती, पशुओं की चोरीछुट-पुट कत्ल की घटनायें लगभग हर रोज हो रही हैं जिसके कारण वहां के लोगों में अत्यन्त बेचैनी फैली हुई है और इनकी नींद हराम हो गई है। छीना झपटी और लूट-पाट

की घटनाओं में बेरोक-टोक वृद्धि हो रही है राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर विशेषत: इटाहार और मल्दा के बीच हाल ही में कई बसों और ट्रकों को लूट लिया गया है और पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। इस प्रकार की कत्ल, डकैती, छीना-छपटी। चोरी और लूट-पाट की घटनाएं सरे आम हो रही हैं और पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस और कनिष्ठ भू-राजस्व अधिकारी सभी पर सी.पी.एम. के लोगों का प्रभाव है और वे वही करते हैं जो सी.पी.एम. के लोग उनसे करवाना चाहते हैं। बहुत से मामले में पुलिस सामान्यत: कांग्रेस (आई) के लोगों की उन शिकायतों को दर्ज ही नहीं करती जो सी. पी. एम के लोगों के खिलाफ जाती हैं लेकिन वे सी. पी. एम. लोगों की गलत और झूठी शिकायतों पर भी कांग्रेस (आई) के लोगों को तंग करते हैं यदि आप भी पश्चिमी बंगाल के दैनिक समाचर पत्रों को देखें तो आप पायेंगे कि उनमें एक या एक से अधिक राजनीतिक कत्ल, छीना-झपटी, रेलगाड़ी लूटी जाने, स्टेशन जलाये जाने, गुन्डों द्वारा बम फेंके जाने की घटनायें और बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी लपुट में लेने वाली और कई घण्टे तक चलने वाले दंगा फसाद की ऐसी घटनाएं, जिनमें पुलिस द्वारा अंधा-धुन्ध गोली चलाई जाने के कारण कई निर्दोष व्यक्यिों की जानें गई, की घटनायें अवश्य देखने को मिलेंगी

महोदय, अन्त में मैं कलकत्ता के राम मोहन कालिज की एक आदर्श प्रधानाचार्या श्रीमती साधना सरकार के घेराव की हाल ही में हुई घटना, एक बहुत कारूणिक तथा हृदय-विदारक घटना, का उदाहरण देने की अनुमति चाहता हूं। प्रधानाचार्या का साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की लड़कियों तथा लड़कों द्वारा पूरी रात तक घेराव किया गया था इन सर्दियों के दिनों में चारों पंखे चला दिए गए थे तथा उन्हें पानी पिलाने से इन्कार कर दिया गया था

सभापति महोदय : कृपया इसे समाप्त कीजिए।

डा. गोलम याजदानी : अन्तोगत्वा पुलिस द्वारा उन्हें बचाया गया परन्तु पहले ही अमीम हानि हो चुकी थी और 1-1-2-81 को उनकी मृत्य हो गई। दूसरी घटना 14-2-81 को मुर्शिदाबाद जिले के राजापुर गांव के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) पंचायत प्रधान के समर्थकों द्वारा चार सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या तथा उनकी रायफलें छीने जाने की है यह "स्टेटस्मैन" में प्रकाशित हुई थी।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की दुर्दशा तथा उपरोक्त घटनाओं से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं पश्चिम बगाल राज्य का दीन-हीन निवासी हूं जहां के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते, कई गांवों में बिना सोये रातें गुजारते हैं। जहाँ शान्ति भंग हो गई है, सुरक्षा दलवार है तथा कानून और व्यवस्था दलगत हित द्वारा संचालित होती है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। अब श्री राज गोपाल नायडू बोलेंगे।

डा. गोलम याजदानी : ठीक है श्रीमान धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं बैठता हूं।

श्री पी. राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : महोदय मैं प्रस्ताव का समर्थन तथा विपक्ष के दावों का विरोध करता हूँ। विपक्षी नेता दावें कर रहे हैं कि वे किसानों के सममंक हैं तथा वे किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जनता पार्टी तथा साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के अलग अलग वर्ग उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे यह कहना है कि उनके शासन काल में श्री मोहन धारिया नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, जिन्होंने जनता पार्टी के सत्ता में

आत हो घोषणा की थी कि वह सब्जियों सहित कृषि उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति नहीं देंगे। जिसके परिणामस्वरूप मूल्य गिर गए। पूरे देश की कृषकों की आय की गणना करने पर पता चलेगा कि यह 35,000 करोड़ रुपये थी। परन्तु चूंकि 15% मूल्य गिर गए जिससे किसानों को एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। गन्ने के विषय में श्री फर्नान्डीस बता रहे थे कि उनकी सरकार के शासन के दौरान इतना कुछ किया गया। उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत या कहीं भी गन्ना 50 रुपये या 60 रुपये क्विंटल या टन भी नहीं बिक रहा था। किसान उचित मूल्य चाहते थे कि उनकी रक्षा की जाये। इसलिए उन्होंने प्रदर्शन या शान्तिपूर्वक जलूस निकालना चाहा। जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाही कर दी थी। जनता सरकार अब दावा कर रही है कि वे किसानों की स्वतन्त्रता के पक्ष में हैं। तब उन्होंने इन पर रोक लगा दी थी। संसद से मैं यह कह कर इसकी निन्दा करता हूँ कि जनता सरकार किसानों की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी अनिच्छा से उन्होंने इसकी अनुमति दी थी। किसान आगे बढ़े। लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) में श्री त्रिपाठी, श्री रंगा और श्रीमती मोहसिना किदवई जलूस में शामिल हुए थे। फिर आज के कथित किसान नेता, श्री चरणसिंह ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल घुड़-सवार पुलिस के ४,000 लोगों को तैनात किया था। उनसे प्रदर्शन को कुचलने का काम लिया गया। उन्होंने 700 लोगों के सिर फोड़ दिए तथा किसानों की टाँगें तोड़ दी थीं।

मैंने एक स्थगन प्रस्ताव किया था। तत्कालीन गृह मंत्री श्री चरणसिंह ने कहा था कि उन्होंने किसी को भी नहीं पीटा। आज भी लखनऊ हस्पताल में बाँए हाथ के अंगूठे के साक्ष्य विद्यमान हैं प्रो. रंगा, किसान आन्दोलन के जन्मदाता को भी पीटा गया था ये बातें जनता पार्टी द्वारा की गई थी अब वे दावा कर रहे हैं कि वे किसानों के समर्थक हैं। श्री फर्नान्डीस कहते हैं कि वह एक किसान नेता हैं। कभी वह मजदूर नेता होने का दिखावा करते थे और अब वह कह रहे हैं कि वह किसान नेता हैं। वह कहते हैं कि उनके शासन काल में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 13/-रुपये था फिर भी वह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि यह गलत है और इसे 16/-रुपये होना चाहिए। वह इसका यह नहीं जानते हुए खन्डन करते हैं कि तब मूल्य 50/-रुपये प्रति टन था। वह यह भूल गय कि जब कृषि मूल्य आयोग घोषित करता है तो वह न्यूनतम मूल्य है। यह राज्यों पर निर्भर है कि वे मिलों व मिल मालिकों से बात करें और कोई निर्णय लें। अब आप देखिए किसी भी राज्य में यह 20/- रुपए से कम नहीं है। आपके शासन काल में 50/- रुपये के विषय में आपका क्या विचार है और हमारे शासन काल में 20/- रुपये के विषय में आपका क्या विचार है? यह एक अनुबन्ध है। इसलिए कौन किसानों की सहायता कर रहा है? आप कहते हैं ऐसा केवल आपके आन्दोलन के कारण हो रहा है।

मैं आपको बता दूं कि श्री शरद जोशी कृषकों के लिए आन्दोलन करना चाहते थे। क्या वह आपकी पार्टी के हैं? आन्दोलन चल रहा था। आपने क्या किया? आपकी पार्टी के सभी लोग इसमें शामिल होना और इसका फायदा उठाना चाहते थे श्री शरद जोशी ने कहा कि वह आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहते। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मूल्य बढ़ाने के लिए राजी कर लिया उन्होंने कभी भी आपको अपने साथ शामिल करना नहीं चाहा श्री शरद जोशी वे महाराष्ट्र सरकार से बात-चीत की। जब विपक्षी दलों ने मध्यस्थता करनी चाही तो महाराष्ट्र क मुख्य मंत्री श्री अन्तुले ने कहा था, "मैं इन दलालों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि असली किसान के साथ समझौता हो जाए।" श्री शरद जोशी ने आन्दोलन समाप्त कर

दिया। विपक्षी दलों ने क्या किया ? उन्होंने आन्दोलन नहीं रोका। उन्होंने कहा कि वे नागपुर तक लम्बे मार्च पर जा रहे हैं। क्यों ? उद्देश्य क्या है ? केवल यही कहना है कि वे किसानों पक्ष में हैं।

वे दोनों तरफ की बात करते हैं।" आज भी वे कहते हैं मूल्य बहुत अधिक बढ रहें हैं। इसलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए।" मेरा विपक्षी दलों से एक प्रश्न है, "क्या आप कृषि मूल्यों में वृद्धि के पक्ष में हैं ?" प्रो. रंगाजी तथा मैं 40 वर्षों से लाभदायक मूल्यों की माँग करते आ रहे हैं। अब इन्दिरा जी के सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने किसानों की कठिनाई को समझा है। इससे कौन इनकार कर सकता है ? क्या छोटे तथा सीमांत किसानों की योजना इन्दिरा जी ने ही शुरू नहीं की थी ? क्या इन्दिरा जी ने ही सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया था ? देश के एक तिहाई भाग में सूखा था। इन्दिराजी ने ही सर्वप्रथम सूखा प्रभावत होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम का निर्धारण किया था। वह न केवल कृषि मजदूरों, अपितु छोटे किसानों, सीमांत किसानों एवं निर्धन लोगों की भी मदद करना चाहती हैं। क्या इन्दिरा जी ने ही देश में ग्रामीण विकास का कार्यक्रम शुरू नहीं किया था ? क्या यह कार्यक्रम जनता सरकार अथवा किसी अन्य सरकार ने किया था ? मैं चुनौती देता हूँ। इसलिए, मेरा कहना यह है कि केवल इन्दिरा जी ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करके किसानों की मदद करना चाहती हैं।

अब आप कृषि वस्तुओं के मूल्यों को ही लीजिए। मैं सभी आँकड़े उद्धृत नहीं करूंगा। परन्तु मैं इतनी बात ही कर सकता हूँ कि इस बार जब इन्दिरा जी सत्ता में आई तो उन्होंने किसानों की मदद की अतएव मूल्य अधिक हैं। इन्दिरा गाँधी के दलवाली प्रत्येक राज्य सरकार किसानों की सहायता कर रही है। उदहरण स्वरूप आँध्र प्रदेश में श्री भंजीआ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों पर दण्ड स्वरूप लगने वाले ब्याज को समाप्त कर दिया है और ब्याज भी समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं, जब भी वहाँ किसी क्षेत्र में तूफान आया सूखे का प्रभाव पड़ता, तो उन्होंने ऋणों की अदायगी स्थगित कर दी तथा आदेश दिये कि ऋणों को किश्तो में लिया जाये।

जब कृषि मूल्य आयोग ने गेहूँ का मूल्य 105 रुपया क्विन्टल तय करने का निर्णय किया तब हमारी सरकार ने किसानों को 10 रुपया अधिक देने का निर्णय लिया। जनता सरकार के काल में क्या हुआ केरल, आँध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जब राज्य सरकारें किसानों को अधिक मूल्य देना चाहती थीं, तब तत्कालीन प्रधान मत्री श्री मोरार देसाई ने एक भी पैसा अधिक देने से मना कर दिया। क्या राज्य सरकार उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं ? क्या राज्य सरकार को किसानों को प्रोत्साहन देने का अधिकार नहीं है। उस समय के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने बीच में पड़कर चीनी मिलों को कीमत बढ़ाने के विरुद्ध चेतावनी दे दी। उन्होंने उनसे कहा कि किसानों के प्रभाव में आकर गन्ने का मूल्य न बढ़ायें। जनता सरकार की यही नीति थी।

वे पूछ रहे हैं कि यह किसान रैली क्यों की गई। विपक्षी पार्टियों द्वारा किसान रैली क्यों की गई ? हम सिद्ध करना चाहते थे कि किसान उनके साथ नहीं हैं। हम बताना चाहते थे कि लाखों किसान विशेषत: छोटे तथा सीमांत किसान हमारे साथ हैं। वे कहते हैं उन पर करोड़ों रुपए व्यय किए गये हैं ? यह धन किसने लगाया है ? क्या कोई भी पार्टी धन लगाकर उन्हें

दिल्ली ला सकती है। यदि साम्यवादी पार्टी अथवा कोई अन्य पार्टी प्रदर्शन करती तो कहा जा सकता था कि उन्हें पैसा देकर लाया गया है। लाखों किसानों अपनी इच्छा से दिल्ली आये, केवल यह प्रदर्शित करने के लिए कि वे इन्दिरा जी के साथ हैं। वे उनके नेतृत्व में दिल्ली में प्रदर्शन करना चाहते थे। वह एक महान प्रदर्शन था जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि किसान जनता पार्टी अथवा अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं हैं।

श्री पीयूष तिरकी : मैं प्रेजीडेंट साहब के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि हमारी पार्टी आर. एस. पी. इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकती है।

यह सरकार आजादी के बाद से ही कहती आई है कि देश की सभी भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने, उनमें पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की कोशिश करेगी। यह संविधान में भी लिखा हुआ है। किन्तु अफसोस की बात है कि आम जनता की भलाई करने का दावा करने वाली यह सरकार इतने बरस बीत जाने के बाद भी संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में तथा राष्ट्र भाषा में नहीं दे सकी है। क्या कांग्रेस वालों के लिए यह गौरव की बात है ? आम जनता सब समझती है। सरकार आम जनता के साथ धोखाबाजी करने में लगी हुई है। संविधान ने जनता को जो अधिकार दिए हैं, संविधान को उनकी भाषाओं में छाप कर यदि उनको उपलब्ध कर दिया जाए तो जनता यह जान जाएगी कि उसके क्या अधिकार हैं और उनके लिए वह लड़ेगी और तब यह पूंजीवादी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी, इसको यह सरकार अच्छी तरह से जानती है। इसलिए इस चीज को छिपाने की इस सरकार की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है।

भारत में दो प्रतिशत भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। सरकारी जितनी कार्यवाही है अंग्रेजी में चल रही है। इस वास्ते सरकार आम जनता की पकड़ में नहीं आ पाती है। सरकार की चतुराई को जनता न जान सके इसलिए ज्यादा से ज्यादा दिन तक यह सरकार जनता को धोखे में रखना चाहती है।

पश्चिमी बंगाल की सरकार बधाई की पात्र है कि उसने राष्ट्र की बात सोची है और उसने क्षेत्रीय भाषाओं में लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था करने की नीति अपनाई है। वह शिक्षा नीति को बदलने की भरसक कोशिश कर रही है। बंगला भाषा में वहां की आम जनता को शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश हो रही है। ऐसा करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और उसने जबरदस्त कदम इस दिशा में उठाए हैं। यहां पर जो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो यह दावा करते हैं कि वे सही रूप में आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही वहां पर पश्चिमी बंगाल की इस नीति का विरोध कर रहे हैं और कर रहे हैं कि अंग्रेजी रहनी चाहिये, बंगला नहीं होनी चाहिये। अंग्रेजी हमारी राष्ट्र भाषा है यह नारा इन लोगों ने वहां लगाना है और वहां की राईटर्स बिल्डिंग को कांग्रेस आई का झंडा लेकर घेराव करने की इन लोगों ने कोशिश की हैं। मैं चाहता हूँ कि क्षेत्रीय भाषा, राज्य की भाषा शिक्षा दीक्षा का माध्यम उस राज्य में उस क्षेत्र में होनी चाहिये। ट्राइबल लैंगुसएजिज हैं जो बहुत सी भाषाओं का समागम हैं, उनमें तथा हर भाषा में संविधान का प्रकाशन होना चाहिये। तभी सही मानों में आप कह सकेंगे कि यहां पर डेमोक्रसी है। अन्यथा प्रजातंत्र हमारे यहां है, इस तरह का वलेम करना बिल्कुल व्यर्थ है।

यह सरकार एलान करती है कि यह डेमोक्रेटिक सरकार है। लेकिन मुझे दुख है कि

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह नहीं कहा है कि यह सरकार पिछले तेरह महीने में अपना मन्त्रिमंडल भी ठीक तरह से नहीं बना पाई है । अभी तक कौन मंत्री है कैबिनेट स्तर का और कौन राज्य मंत्री इसका भी पता नहीं है। अपने मंत्रिमंडल तक को यह सरकार ठीक तरह से नहीं बना पाई है।

इस सरकार के हाथ में तेरह महीने हो गये हैं शासन की बागडोर आए हुए। पुलिस को इस बीच कितनी ज्यादा शक्ति दे दी गई है, इसका भी जिक्र होना चाहिये था। पुलिस आम जनता की रक्षा के लिए है। उसको आर्म्ज इस वास्ते दिए गए हैं कि वह कमजोर वर्गों की सहायता कर सके, अन्यायपूर्ण कार्य जो होते हैं उनको रोक सके। किन्तु पुलिस से आज समूचा देश डरता है, उसके नजदीक जाने से घबराता है । लाठी गोली की घटनाएं निरतर बढ़ती जा रही हैं। पुलिस एट्रासिटीज सारे देश में जगह-जगह पर बढ़ रही हैं।

अब मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने क्या-क्या किया है। यह सरकार डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी पक्षपाती होने का दावा करती है। मगर उसने क्या किया ? 17 फरवरी, 1980 को उसने शासन सम्भाला और 9 चुनी हुई विधान सभाओं को भंग कर दिया। यह उसकी बहुत बड़ी बहादुरी थी।

आसाम की समस्या को अधिक जटिल बनाया जा रहा है। 23 मार्च को छात्र परिषद के स्टुडेंटस ने आसाम जाने वाले ट्रकों को रोकने के लिए रोड-ब्लाक्स खड़े कर दिये। ये लोग चाहते थे कि इस झगड़े की आड़ में पश्चिम बंगाल की सरकार को कठिनाई में डाल दिया जाये और आसाम में जो कम्युनल रायट्स और देशी-विदेशी के प्रश्न पर अशांति फैली हुई है, पश्चिम बंगाल में उसका रीएक्शन हो, ताकि वहाँ की सरकार को हटा दिया जाये, हालांकि वह आम जनता की सरकार है। इन लोगों की सारी शक्ति इस बात पर लगी हुई है कि किसी न किसी तरह पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य वामपथी सरकारों को डिसमिस कर दिया जाये, जो कि सही रूप में जनता की सरकारें हैं। जिन राज्यों में इन लोगों की सरकारें हैं, वहां की स्थिति बिल्कुल डांवाडोल है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री पीयूष तिरकी : यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मुझे यह कह लेने दें। कोलहान रक्षा समिति, सिंहभूम ने सेक्रेटरी आफ स्टेट, कामनवेल्थ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसकी प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। उसमें संविधान को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि शिड्यूल्ड एरियाज में पार्लियामेंट के बनाये हुए कानून, जैसे नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट, लागू नहीं किये जा सकते हैं। अगर आप चाहें, तो मैं उस चिट्ठी को पढ़ देता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें—श्री चिन्तामणि पाणिग्रही।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सभापति महोदय, श्रीमान, जब मैं विपक्ष के दो सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था, तब महात्मा गांधी द्वारा 'यंग इण्डिया' में लिखित निम्न पंक्तियां मेरे मन में आईं; जिन्हें मैं उद्धृत करता हूँ; महात्मा गांधी ने कहा था—

'मैंने कष्ट पा रहे रोगियों को कबीर के इस गीत के द्वारा सान्तवना देना असंभव पाया।

लाखों लोग खाना मांगते हैं। उन्हें यह नहीं दिया जा सकता, उन्हें अवश्य ही अपनी रोजी कमानी चाहिए। अपनी रोजी वे कठोर परिश्रम द्वारा ही कमा सकते हैं।'

महात्मा गांधी के आदेशों को लेकर श्री जवाहर लाल नेहरू तथा देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतन्त्रता के पहले वर्ष से ही देश के लिए आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की चेष्टा की। लाखों लोगो के कठिन परिश्रम और त्याग से, भारत ने इन सभी वर्षों में बड़े राष्ट्रों पर निर्भरता से स्वतन्त्रता पाने की चेष्टा की है, बेशक उन देशों ने भारत को अलग-अलग करने, भूखों मारने की चेष्टा की है, भारत के लोगों ने अपने महान नेताओं के नेतृत्व में आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने की चेष्टा की है और कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतन्त्र भारत के लोगों की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

कुछ मित्र यह सोचते थे कैसे हम कहते हैं कि 1 80-81 में अर्थ-व्यवस्था में सुधार आया है। यह विचित्र विचार धारा है। मान लो, कोई व्यक्ति 3 मीटर नहीं दौड़ सकता तथा दूसरा व्यक्ति 100 मीटर दौड़ सकता है तथा उस दौड़ में जीत सकता है तब आपको दूसरे व्यक्ति की उपलब्धि स्वीकार करनी होगी। और उसकी सराहना करनी चाहिए तथा यह नहीं कहनी चाहिए कि चूंकि मैं तीन मीटर दौड़ नहीं लगा सकता, इसलिए आप इतना दौड़ नहीं लगा लगा सकते और विपक्ष का यह रवैया है तथा यह देश में आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने में, जिसके लिए हम चिरकाल से प्रयास कर रहे हैं, सहायक नहीं है। श्रीमान, 1980-81 में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन में 6.5% की वृद्धि हुई है जबकि 1979-80 में इसमें 4.6% कमी हुई थी। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन के मामल में भी जबकि वर्ष 1980-81 के दौरान 4% की वृद्धि हुई है, 1979-80 में 1.4% की कमी हुई थी। यदि आप बिजली उत्पादन को देखें तो यह 1979 की तुलना में 20.5% बढ़ गया है। कोयले के उत्पादन लक्ष्य 11.8 करोड़ टन था जबकि वर्ष 1980-81 में वास्तविक उत्पादन 11 5 करोड़ टन रहा है। 1979-80 में यह केवल 10.5 करोड़टन था। वास्तविक आय में वृद्धि 8 से 10 प्रतिहात रही जबकि पिछले वर्ष जून में जब इस सभा में बजट प्रस्तुत किया गया था। उस समय यह 5% थी। कोककारी कोयले के उत्पादन में भी जिसकी बड़ी दिक्कत थी, 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस्पात के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। खाद्यान्नो के उत्पादन में सराहनीय वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन जो कि 1979-80 में 10.8 करोड़ टन था बढ़कर 1980-81 में 13.2 करोड़ टन हो गया है। मूल्यों में जो वृद्धि हो रही थी उसे हम अपने मुद्रा स्फीति विरोधी प्रयत्नों द्वारा रोकने में सफल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम उसे पूरी तरह रोक पाये हैं। विभिन्न उपायों के कारण मूल्य वृद्धि को रोका जा सका है। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद यदि आप कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया तब इस बारे में कुछ नहीकर सकते। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है—जो कि प्रधान मंत्री भी कह रही हैं कि 1980-81का वर्ष मोड़ का वर्ष है। मैटर क्या कहा जा सकता था ? वास्तव में यह वर्ष सुधार का वर्ष रहा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। 1979-80 तथा 1978-79 की पृष्ठभूमि को देखते हुए देश के लिए स्थिति बड़ी खराब थी। लोग सोच रहे थे कि इस स्थिति से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह वसूली का वर्ष है। हमें इस पर गर्व है। हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। उपलब्धियाँ कुछ भी हों परन्तु मैं कहता हूँ कि मुद्रा स्फीति 23% से घटकर 15% हो गई है। क्या यह हमारी ओर से महान उपलब्धि नहीं है जबकि ये

सब बातें 13 महीनों से कम अवधि में हो चुकी । हैं मैं यह कहना चाहूँगा कि आज तेल के आयात पर सबसे अधिक राशि खर्च होती है । तेल के आयात पर इस समय 5,600 करोड़ रुपये की राशि खर्च होती है । हम बाहर से मुद्रा स्फीति का आयात कर रहे हैं । हम अभी भी इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं । एक बार उत्पादन बढ़ जाता है तो इसको रोका जा सकता है । श्री जेठ मलानी संविधान को बदलने के बारे में बता रहे थें । राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हम संविधान को बदलने जा रहे हैं । ये बेकार की बातें कही जा रही हैं । यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं थी । हम संसदीय प्रणाली चाहते है । इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं । यहाँ पर मैं पुन: आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि इन 13 महीनों में सबसे बड़ी उपलब्धि छठी योजना का तैयार करना है । जनता सरकार ने योजना तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु वे तैयार नहीं कर सके । हमने योजना में 67,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 97,000 करोड़ रु० से अधिक कर दिये हैं । दूसरे दिन श्री जार्ज फर्नाडीस कुछ आंकड़े उद्धृत कर रहे थे । मुझे मालूम नहीं कि वह कहाँ से उद्धृत कर रहे थे । हमने ऊर्जा के लिए जनता शासन के दौरान 9,855 करोड़ रु० के मुकाबले 26,000 करोड़ रुपये आवटित किए हैं । उद्योग तथा खनिज पदार्थों के लिए हमने जनता शासन के दौरान 7,302 करोड़ रु. की अपेक्षा 15,018 करोड़ रु. आवंटित किए हैं; परिवहन के लिए हमने 5,528 करोड़ रु. की अपेक्षा 12,462 करोड़ रु. आवंटित किए हैं, कृषि के लिए 2,606 करोड़ रु. के स्थान पर हमने 5,695 करोड़ रु. आवंटित किए हैं । और सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए हमने 4,432 करोड़ रु. के मुकाबले 12,412 करोड़ रु. आवंटित किए हैं, ग्रामीण विकास के लिए हमने 1,162 करोड़ रु. की तुलना में 5,364 करोड़ रु. आवटित किए हैं; विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए हमने जनता शासन में 450 करोड़ रु. के मुकाबले में 1,480 करोड़ रु, आवंटित किए हैं । हमने छठी योजना में इस तथ्य के बावजूद भी कि विश्व में मुद्रा स्फीति है प्रति व्यक्ति आय 1,454 से बढ़ाकर 1,744 रु. करने का निर्णय किया है । थाल परियोजना के बारे में मैं कहूँगा कि हमने विश्व बैंक के अपने ही सलाहकारों की सहायता नहीं करने दी । विपक्ष के सदस्य आलोचना कर रहे हैं कि हम विश्व बैंक में अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं । ऐसा नहीं है । भारत अपनी प्रभुसत्ता एवं स्वतन्त्रता बनाये हुए है न कि विश्व बैंक के दबाव में आकर मर रहा है । हमें इस पर गर्व होना चाहिए । हम विश्व बैंक के दबाव में आकर मर नहीं गये हैं बल्कि यह भारतीय अर्थ-व्यवस्था की शक्ति तथा भारत के नेतृत्व को दिखलाता है । श्रीमान् प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा कि छठी योजना को क्रियान्वित करने का हमारा दृढ़ निश्चय है । हमारे द्वारा ग्रहण की गई यह सबसे बड़ी शपथ है । इससे देश की दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा हमारे देश के नेतृत्व का पता चलता है ।

श्रीमान् आज मुझे बाबूजी का भाषण सुन कर आश्चर्य हुआ । मैं बाबूजी का बड़ा सम्मान करता हूँ । मैं वर्षों से उनको जानता हूं । यहाँ पर 1957 से हूँ । आज उन्होंने शोषित वर्गों, हरिजनों तथा मुस्लिमों पर अपने भाषण का निचोड़ प्रस्तुत किया । जब बाबूजी ने राष्ट्रपति के आम भाषण पर बोलना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति बदतर है परन्तु उनके अपने सारे भाषण में केन्द्र बिन्दु पिछड़े वर्गों, शोषित वर्गों तथा मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार था । क्या बाबूजी को इस बात का स्वय मालूम नहीं है कि इन सब वर्षों के दौरान उन्होंने 32 वर्षों से सत्ता में आने के लिए तथा सत्ता की स्वयं मौज लेने के लिए हरिजनों तथा

पिछड़े वर्गों के इस निचोड़ को तैयार किया ? परन्तु जब उन्हें यह मालूम हो गया कि बाबूजी तो सिर्फ अपने लिए थे और पिछड़े वर्गों के लिए नहीं तो उन्होंने बाबूजी को अस्वीकार कर दिया है और सत्ता से बहार निकाल फेंका। इसलिए उन्होंने महसूस किया होता कि उन्होंने शोषित तथा कमजोर वर्गों को सिर नहीं उठाने दिया और प्रत्येक बात अपने लिए चाही तो इस देश के लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया। मैं समझता हूँ कि उन्होने इसे महसूस किया है।

श्रीमान् मैं एक अपील करना चाहता हूं। आज समय आ गया है जबकि हम गुजरात या कहीं और दंगों में अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जो निरन्तर देश में तथा सम्पूर्ण प्रणाली में अस्थिरता पैदा कर रही है। जनवरी 1980 से विपक्ष अस्थिरता की कला में आसक्त हो रहा है और उनका उद्देश्य यह है कि जब उन्हे ढाई वर्ष के दौरान कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी तो आने वाले पाँच वर्षो में कांग्रेस को कोई चीज क्यों मिलनी चाहिए। इससे देश में लोक तांत्रिक ढाँचे को कोई मदद नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरी अपील विपक्ष के वाम पंथियों तथा प्रगतिवादियों से यह है कि वे दक्षिणपंथियों के साथ फिर से सहयोग न करें जो कांग्रेस तथा इंदिरा गांधी के नाम पर देश की प्रगति के लिए किये जा रहे सभी उपायों को मात देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमान् विश्व स्थिति गंभीर बनती जा रही है। जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में इस विषय पर बोलते समय कि हम क्यों अपनी स्वयं की अर्थ व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहा था :

"अन्ततः विदेश नीति आन्तरिक दशाओं तथा विकास पर निर्भर करती है। यदि हम विश्व कार्यो में प्रभावी भूमिका निभाना चाहते हैं। हमारे लिए प्रगति अनिवार्य हो जाती है।" इसलिए हमें अपने देश में आत्म-निर्भर अर्थ व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर गहराई से ध्यान दिया गया है और मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम आने वाले वर्षो में इन कार्यक्रमो को क्रियान्वित करेंगे। देश के सामने यही एक नारा है जिसको अमल में लाने के लिए हमें एक जूट होकर कार्य करना होगा।

श्री महाबीर प्रसाद (बाँसगांव) : सभापति महोदय, इस माननीय सदन में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य, श्री गाडगिल साहब ने सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति का अभिभाषण जो पुस्तिका के रूप में है, उसको मैंने पढ़ा है और विरोधी पक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों के भाषणों को भी मैंने सुना है और विरोधी पक्ष के विद्वान सदस्यों के भाषणों को सुनने के तदुपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर निकला कि माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई ऐसी वस्तु का दिशा-निर्देश नही छूटा हुआ है, जिसका उन्होंने संकेत न किया हो।

मान्यवर, माननीय बाबू जी को मैं बड़ी कद्र करता हूं। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान को राजनीति में सबसे अधिक मैंने उनके भाषणों को सुना और है आज भी मैं उनके भाषण को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में दो-तीन मुद्दो पर यहाँ प्रकाश डाला-मुद्रास्फीति के प्रति,

चरित्रबल के प्रति और लोकतन्त्र के प्रति। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति आज चरमसीमा पर बढ़ती जा रही है। आज लोकतन्त्र जो है, वह खतरे में है। आज यहाँ पर चरित्रबल की कमी है। मैं माननीय बाबू जी से पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ मोजूद नहीं हैं, कि सन् 1935 से कांग्रेस की कुर्सी पर बैठे रहे और अब माननीय श्री जगजीवन रामजी, आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति, अल्पसंख्यकों और पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की बात सदन में करना चाहते हैं। वे तीन साल तक जनता पार्टी की सरकार में रहे और अब कहते हैं कि पुलिस जो है, वह उच्छृंखल हो गई है, आज पुलिस के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो चुना हुआ विधायक या संसद सदस्य था, उसकी टोपियाँ उतार ली जाती थीं और वह बिहार जिस बिहार में आग लगी हुई थी, उस वक्त हमारे माननीय लोकनायक जय प्रकाश जी ने यह नारा लगाया था कि पुलिस वालो, सैनिको कोई आन्दोलन छेड़ो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चरित्रबल को ठीक करने का यही माध्यम है।-आप एक तरफ कहते हैं कि आज लोकतन्त्र के आधार पर चरित्रबल को ठीक करना है और एक तरफ आप प्रशासन में आने के बाद आप कहते हैं कि पुलिस वालों पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों से, कि क्या यही लोकतन्त्र का नतीजा है कि चुने हुए प्रतिनिधियों से, चुने हुए संसद सदस्यों से जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा था—क्या वह लोकतन्त्र था, गुजरात में, महाराष्ट्र में जब किसानों का आन्दोलन चला था, उस समय भी विधायकों को घेरने की प्रवृति शुरू हुई। मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार से चरित्र बल का, इस प्रकार से लोकतन्त्र का यह नाजायज फायदा उठाकर के केवल राजनीति को पालिटिकल स्टन्ट देने का रूप क्यों रचा जा रहा है ?

मान्यवर, अब मैं मुद्रास्फीति के बारे में अवश्य कहना चाहता हूँ, तीन वर्ष के अभ्यन्तर में जनता पार्टी को सरकार, चाहे वह लोकदल की सरकार रही हो और चाहे जनता भारती जनता पार्टी का सम्बन्ध रहा हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त जब श्रीमती इंदिरा गांधी को पूरे देश के अन्दर प्रबल बहुमत के ज्वार के साथ दूसरी बार उनको जब सत्ता में बैठाया गया था, उस वक्त उनको विरासत में क्या मिला—साम्प्रदायिक विपन्नता, आर्थिक विपन्नता, एक दूसरे के भेदभाव को दूर करना-ये सारी चीज उनको मिलीं। मान्यवर, मैं मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि मुद्रास्फीति किसी भी देश के आयात और निर्यात पर निर्भर करती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि, 1979 में मुद्रास्फीति पर आयात और नियात का जो असर था वह 1980-81 में पड़ा। इस आधार पर 1978-79 में जहाँ आयात हिन्दुस्तान के अन्दर 6800 करोड़ रु० का हुआ था, वहाँ 1979-80 में तेजी से बढ़कर 8500 करोड़ रु० का हो गया और इस तरह से 1980-81 में जो आयात है, वह हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, व्यापार के घाटे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने जा रहा है, जो कि संभवतः 11,000 करोड़ रु० का मालूम होता है। इसलिए मैं संशय व्यक्त नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुद्रास्फीति हमारे कंट्रोल में है। लेकिन मैं इस माननीय सदन के बीच में कहना चाहता हूं कि जो 23 परसेन्ट मुद्रास्फीति थी, वह इन्दिरा जी के नेतृत्वा में घट कर 15 प्रतिशत हो गई है। लेकिन मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं—कि वह आगे भविष्य में भी इसके प्रति सकेत रहे। तुलात्मक दृष्टिकोण से जनता पार्टी की जो आयात और निर्यात नीति थी, जिस में निर्यात कम हुआ था और जिसके कारण

वह स्थिति पैदा हुई, हम भी जब तक अधिक से अधिक निर्यात करने की प्रद्धति को चालू नहीं करेंगे तब तक चाहे तेल के मूल्य हों, चीनी के मूल्य हों, किसी वस्तु के मूल्य हों, वे नीचे नहीं आयेंगे क्योंकि ये सब आयात और निर्यात नीति से प्रभावित होते हैं।

कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में जो कहा गया है, मैंने देखा कि 1979-80 में कृषि का उत्पादन 2 करोड़ 30 लाख टन रहा, जो पहले के मुकाबले में काफी गिरा, लेकिन इस वर्ष, 1980-81 के मध्य में हम देखते हैं कि इस फसली वर्ष के अन्दर लगभग 7 करोड़ 95 लाख टन कृषि का उत्पादन होने की सम्भावना है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो निर्देशन दिया गया है उसके आधार पर फसलों का जो उत्पादन होगा उसका असर हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा।

बैंकों के राष्ट्रीकरण का भी उल्लेख किया गया है। पहले जब श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार थी, उसके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारे बहुत से विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, चटर्जी साहब भी बैठे हैं—वे जानते हैं—हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन समाजवाद कैसे आयेगा, जब तक किसी वस्तु का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, जब तक हम भूमि और बड़े-बड़े उद्योग धन्धों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, तब तक हम समाज में वितरण नहीं कर सकेंगे। इसी लिये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उनके बाद हमारी सरकार ने पिछले वर्ष 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। इनके आधार पर 20 सूत्री कार्यक्रम का जो प्रावधान हमारे यहां किया गया है, हमारे ग्रामीण अंचलों में, विशेषकर हमारे हरिजन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, गिरिजनों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

छठी योजना के अन्तर्गत हमने 97 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि रखी है, जिसमें गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए 70 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे हम यह आशा रखते हैं कि छठी योजना के काल में हमारे हरिजनों, कमजोर वर्गों, गिरिजनों का विशेष उत्थान होने वाला है।

हमारी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण रोजगार योजना का प्रावधान किया है। इस योजना के अन्तर्गत करीब-करीब 340 करोड़ रुपया रखा गया है, जिससे 80-90 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे यह बात साबित होती है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो संकेत दिया गया है कि आर्थिक विपन्नता को दूर करने का प्रयास किया जायेगा, उसमें हमें अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से सक्रिय किया गया है। यह बहुत अच्छा प्रयास है। इससे अल्प-संख्यकों, हरिजनों, गिरिजनों के मन में विश्वास पैदा होगा। मैं यह भी आशा करता हूँ कि जो दुर्जन हैं, बदमाश हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो क्षेत्रीय आन्दोलन करने वाले हैं, जो क्षेत्रीयता लाने वाले हैं-ऐसे लोगों के साथ हमारी सरकार कड़ाई से पेश आयेगी। मैं आशा करता हूँ कि सरकार भविष्य में इससे और अधिक काम करेगी और मैं सरकार से मांग करता हूं कि क्षेत्रीय पिछड़ेपन को आधार मान करके जिन-जिन क्षेत्रों में जिन-जिन वर्गों के लिए उचित हो, उन-उन क्षेत्रों में परिवहन के साधन, रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाएं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो और चाहे अपने

देश का कोई भी प्रदेश हो, इसको आधार मानना पड़ेगा। जब तक हम क्षेत्रीय पिछड़ेपन को आधार रेखा मान कर नहीं चलेंगे, तब तक देश का उत्थान नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमान, इस राष्ट्रपति अभिभाषण में बहुत सी बातों का दावा किया गया है और बहुत सी बातों का जिक्र नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि इन बातों को काफी वक्ताओं ने बताया है। परन्तु मैं यह अवश्य अनुभव करता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के अवसर को विशेष राज्य सरकारों पर प्रहार करने का अवसर नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि जो एक के लिए लाभप्रद है वह दूसरे के लिए भी लाभप्रद है और यदि हम विभिन्न राज्य सरकारों पर उनकी गलतियों के लिए प्रहार करना शुरू कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाले वाद-विवाद की गरिमा के लिये शुभ नहीं होगा।

हालांकि इस बात के कहने में मुझे दुख होता है क्योंकि एक वरिष्ठ सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री श्री अशोक सेन ने कल अपना सारा समय पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करने में लगा दिया और विशेष रूप से वह यहाँ पर इसकी शैक्षिक नीति के बारे में बल देने का प्रयास कर रहे थे। उसके अनुसार इस नीति ने कलकत्ता में एक भारी आन्दोलन भड़का दिया है। मैं उसको अब वाद-विवाद में भड़काने नहीं जा रहा हूँ, सिवाय इस बात के कहने के कि मैं किसी उपयुक्त समय पर शैक्षिक नीति पर सही वाद-विवाद का स्वागत करूंगा।

मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि वास्तव में कितने राज्य चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्राइमरीस्तर कक्षा चार तक अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। विशेष रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यही नीति है जिसका वे समर्थन करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा है कि कक्षा चार तक बच्चों को अपनी भाषा अपनी मातृ भाषा पढ़ाई जानी चाहिए और उसके बाद ही कक्षा चार से आगे अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। इससे एक बड़ा हो हल्ला पैदा हो गया। फिर भी मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल ने एक बहुत अच्छी बात की है। इसके विरुद्ध राजनैति से प्रेरित आन्दोलन चल रहा है। हमें इस पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं हैं। हम इस विषय के ऊपर किसी अन्य अवसर पर चर्चा करेंगे।

उसके बाद विधि और व्यवस्था का प्रश्न आता है। देश में हर जगह विधि और व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। बेहतर है कि हम एक दूसरे पर कीचड़ न उछालें बल्कि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि विधि और व्यवस्था की समस्या एक ऐसी प्रारम्भिक समस्या है जो आर्थिक तथा समाजिक तनावों से उत्पन्न होती है और हमारी राय में उन नीतियों से जिनका भारत सरकार अनुपालन कर रही है उनसे ये आर्थिक तथा सामाजिक तनाव कम नहीं होने वाले हैं, इनसे छुटकारा तथा मुक्ति नहीं मिलने वाली है।

वहाँ पर कोई पीछे मजाक कर रहा है, विधि व व्यवस्था के बारे में पश्चिम बंगाल केवल अपवाद है। कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए (व्यवधान)। 13 फरवरी को कलकत्ता में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र की विधि और व्यवस्था की स्थिति पर

वाद-विवाद करने के लिए किया गया था। इसमें सेनाध्यक्षों पुलिस अध्यक्षों अर्थात् पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, मुख्य सचिव तथा गृह सचिव ने भी भाग लिया था। 13 फरवरी के इस सम्मेलन की अध्यक्षता पश्चिमी कमान के जी. ओ. सी. इन सी· लेफ्टिनेंट जनरल वास ने की थी। मैं इस सम्मेलन में उपस्थित इन लोगों की राय समाचार पत्र से उद्धृत करता हूँ।

पूर्वी क्षेत्र के लिए सैनिक तथा नागरिक सम्पर्क सम्मेलन में जो तीन दिन का था और आज समाप्त हुआ है, भाग लेने वालों ने पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को कुल मिल कर देश भर में सबसे-अच्छा बताया है।

रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया है कि सम्मेलन ने इस बात को नोट किया है कि पिछले कई वर्षों में पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सेना की सहायता नहीं ली गई और न ही मांगी गई। मैं यह तो नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। श्री सुखाड़िया ने अपील की है। उनकी अपील का संकेत सभा के इस ओर था, मानो कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में हुई गम्भीर घटनाओं के लिए हम उत्तरदायी हैं। परन्तु मैं नहीं जानता कि अब कलकत्ता में ट्रामों, और बसों को कौन जला रहे हैं। उन्हें इस बारे में हमें बताना चाहिये।

श्री सुव्रत मुखर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में शासक दल के प्रमुख व्यक्ति हैं, ने तीन या चार दिन पूर्व एक वक्तव्य में कहा था कि यदि दस बम फेंके जाते हैं तो उनमें से एक बम कांग्रेसियों तथा वामपंथी मोर्चे के समर्थकों के बीच फेंका जाता है और अन्य 9 बम कांग्रेस पार्टी के विभिन्न घटकों के बीच फेंके जाते हैं। यह उनका अपना वक्तव्य है, मेरा नहीं। इसलिए हम जो कुछ कहते हैं, उसके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। परन्तु मैं यह बात यहाँ इसलिए नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि इसका पूरे देश में बड़ा प्रभाव हो सकता है और हमें भी इसकी चिन्ता होनी चाहिए और इसका उल्लेख मैंने अपने पहले के भाषणों में भी किया है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जो नागरिक प्रशासन का कार्य है और जिसमें वह अक्षम रहा है, बार बार सेना को बुलाना पड़ता है। यदि यही स्थिति दूर तक चलती रही तो देश के भविष्य के लिए इसके खतरनाक परिणाम होंगे। मैंने यह बात अब कही है तथा मैं इसे आज भी दोहराता रहूँगा। यह बात देश के लिए अच्छी बात नहीं है, सेना के लिए भी अच्छी नहीं हैं और हमें इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिये।

समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सीमा विवाद को लेकर दोनों ओर से गोलियाँ चली हैं और शस्त्रसत्रों के साथ लड़ाई हुई है। यह लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, अपितु एक ओर बलिया जिला तथा दूसरी ओर भोजपुर जिला के बीच हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस तथा बिहार पुलिस ने एक दूसरे पर गोलियाँ चलाई हैं। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है ? यह खबर कल तथा परसों सब समाचार पत्रों में छपी थी। क्या इस घटना से कोई नई स्थिति पैदा नहीं हो जायेगी, जो आसाम और गुजरात की घटनाओं के प्रसंग में भयानक है। यह गम्भीर मामला है।

स्मरण रहे कि जहाँ तक सेना का संबंध है सेना के सैनिक तथा जवान मुख्यत: किसान परिवारों से आते हैं, जो खेती करते हैं, और यदि सरकार ऐसी नीति अपनाती है जिससे किसानों

में घोर असंतोष था, बेचैनी विशेषकर लाभप्रद मूल्यों के बारे में पैदा होती है, तो उस दशा में सेना के जवानों को इस प्रकार उससे पृथक रखना कठिन होगा। उनके बेटे तथा भाई, जोकि सेना में जाते हैं, वे भी इस कारण से प्रभावित होते हैं और दुख मानते हैं, क्योंकि वे किसान भी हैं और सेना के जवान भी हैं।

'आर्थिक समीक्षा' जिसकी प्रति अभी-अभी वितरित की गई है, से मैंने यह देखा है कि धीरे-धीरे अनाज मंडी का सारा कार्य क्रमशः तथा छद्म ढंग से गैर-सरकारी क्षेत्र को, गैर-सरकारी खुले बाजार व्यापारी समाज को सौंपा जा रहा है। आर्थिक समीक्षा में कुछ चिन्ताजनक तथ्य प्रकाशित हुए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसा निर्णय किया गया है कि कम से कम एक करोड़ मीट्रिक टन रक्षित अनाज भंडार सरकारी गोदामों में रखा जाए, और दिसम्बर, 1980 तक, जो भारी स्टाक हमारे पास होता था, जिस पर हमें बड़ा संतोष होता था, घटकर 1.185 करोड़ मीट्रिक टन रह गया है, जबकि न्यूनतम रक्षित भंडार एक करोड़ टन होना चाहिए। इस प्रकार हमारा स्टाक न्यूनतम के बिलकुल निकट आ गया है। यह सही है कि 1979 में सूखा पड़ा था तथा फसलें अच्छी नहीं हुई थीं, परन्तु 1980 तो विशेष रूप से अच्छा वर्ष रहा है, इसमें वर्षा बहुत अच्छी हुई है तथा 1.32 करोड़ मीट्रिक टन फसल की उम्मीद है और ठीक इस समय जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भी अधिक वितरण विशेषतः चावल का होने लगा है, हम देखते हैं कि हमारा स्टाक घट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कम वसूली के कारण। सरकार को इसके कारण बताने चाहिए। इस पुस्तक से हमें कुछ नहीं मिलता। सरकार ने अपने बजट के घाटे अथवा अपने वित्तीय संकटों या जो कुछ भी है, उसके कारण यह फैसला किया है वे हमें बता नहीं रहे हैं, वे देश से भी इसे छिपा रहे हैं, कि वसूली के मामले में धीरे चलें। इसका अर्थ यह है कि जनता को खुले बाजार पर अधिक निर्भर रहने पर विवश किया जा रहा है और यह भी एक कारण है कि राज्यों से अधिकाधिक शिकायतें आने लगी हैं कि उन्हें काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कम गेहूँ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार भी काफी शिकायतें करती रही हैं कि उन्हें आवंटित कोटे का माल भी नहीं दिया जाता। परन्तु आर्थिक समीक्षा में इसके भेद के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। दिसम्बर 1980 तक उपलब्ध 1.185 करोड़ मीट्रिक टन में से केवल 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ स्टाक में है इसलिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम में कम गेहूँ दी जा रही है। अतः सरकार हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, अर्थात वसूली के मामले में सरकार ढील बरत रही है, जिसके कारणों को उन्हें बताना चाहिए कि पहले जितना स्टाक रखा जाता था उतना क्यों नहीं रखा जा रहा। इसका अर्थ यह है कि लोगों को अधिकाधिक खुले बाजार पर निर्भर रहना पड़ेगा और वे मुनाफाखोरी तथा व्यापारियों की दया पर होंगे तथा काम के बदले अनाज कम से कम मिल पायेगा जो कि निर्धन लोगों, ग्रामीणों, के भूमिहीन कृषकों, श्रमिकों का अपने आप को जिन्दा रखने का एक मात्र सहारा था। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है क्योंकि राष्ट्रपति ने अभिभाषण के ठीक अन्त में कहा गया है। मैं समझता हूँ कि इसमें पूरे अभिभाषण का सार दिया गया है।

"माननीय सदस्यगण, मैंने जो रूपरेखा प्रस्तुत की है उससे यह स्पष्ट है कि देश आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में से कठिनतम दौर को पार कर चुका है। बिगड़ी हुई राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को काफी हद तक सुधारा जा चुका है, कृषि उत्पादन के रिकार्ड स्तर पर पहुँचने

की आशा है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। प्रयास में एकता हो तो न्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण को और निरन्तर प्रगति करते रहने की महान संभावनायें हैं।"

यह बात राष्ट्रपति ने कही है अथवा उन्हें अपने अभिभाषण में कहने को कहा गया है कि संकट लगभग समाप्त हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज देश में कितने लोग ऐसा समझते हैं कि देश में अब संकट समाप्त नहीं है। मैं पुराने समाचार पत्र देख रहा था। उन्हीं राष्ट्रपति जी श्री नीलम संजीव रेड्डी ने 25 दिसम्बर को निशाति में भाषण करते समय कहा था बेशक वह दोनों सदनों को दिया गया राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं था— और वह वक्तव्य उन्होंने स्वयं दिया था। उन्होंने क्या कहा था? राष्ट्रपति ने कहा था कि देश में जो कठिन परिस्थिति बनी हुई हैं वे कुछ ही परिवारों के कारण हैं जो 90 प्रतिशत जनसंख्या के परिश्रम के फलों का उपयोग कर रहे हैं। इन थोड़े से परिवारों ने आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर लिया है, उन्हें छिपाया है तथा उससे लाभ कमाया है सम्पत्ति का असमान वितरण हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। देश की अर्थ-व्यवस्था का कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं रहने दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति स्वयं भी यहां अनुभव करते हैं जैसाकि उन्होंने 25 दिसम्बर को श्री स्टीफन को बड़े दिन के अवसर पर कहा था— और 16 फरवरी को निस्संदेह उन्होंने वे शब्द बोले, यही प्रथा है। ऐसा करना ही पड़ता है— उन्होंने कहा है कि देश में संकट समाप्त प्रायः हो गया है। मैं नहीं समझता कि यह उन्होंने कैसे कहा कि संकट से उबर प्रायः आया है। क्या यह अल्पसंख्यकों के बारे में है, जिनके बारे में श्री जगजीवन राम ने आज कहा है? क्या वे समझते हैं कि वे संकट से ऊपर आ गये हैं? क्या ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ अधिक से अधिक भेद-भाव बरता जा रहा है? कौन यह मानता है कि संकट से ऊपर उठ गये हैं। क्या कृषि मजदूर यह समझते हैं कि अधिक भूमि सुधारों से उन्हें कुछ भूमि मिल जायेगी? मैं तो नहीं समझता कि वे यह अनुभव करते हैं कि संकट समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्रीगण समझते है कि उनका संकट समाप्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रमिक वर्ग और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी यह अनुभव करते हैं कि संकट दूर हो गया है। मैं समझता हूँ कि वे ऐसा अनुभव नहीं करते। अब सामूहिक सौदाबाजी को समाप्त करने के लिए नये कानून तथा अध्यादेश जारी किये जा रहे हैं। मध्य वर्ग के लोगों जो ठिठुर रहे हैं और परेशान हैं। 28 फरवरी की शाम के 5 बजे की प्रतीक्षा में हैं यह देखने के लिए कि श्री वेंकटरामन से बजट के करों के रूप में क्या प्राप्त होता है जिससे कि मूल्य फिर बढ़ेंगे। आवश्यक वस्तुओं के बारे में एक ध्यानाकर्षण के संदर्भ में श्री शुक्ल के लम्बे वक्तव्य से मुझे आश्चर्य हुआ— उन्होंने उस निर्णय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जोकि उन्होंने कल राज्य सभा में घोषित किया था कि राशन की दुकानों से चीनी के कोटे को लगभग आधा किया जा रहा है। उन्होंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बहुत सी भ्रामक कहानियां गढ़ कर सुनाई कि स्थिति किस प्रकार सुधर रही है आदि। अतः किसका संकट समाप्त हो गया है। केवल चोर-बाजारी करने वाले कुछ लोग ही यह अनुभव करते हैं कि उनका संकट समाप्त हो रहा है क्योंकि वह 9वें वर्ष में अपने काले धन को श्वेत कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं समझता। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में घोषित की गई सरकारी नीतियों को समर्थन देना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

औद्योगिक संबन्धों के बारे में, श्री स्टीफन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं यह बात कहने से नहीं रहता। हम सब सरकारी क्षेत्र के पक्ष में हैं, सरकारी क्षेत्र वाले हैं, हम निजी क्षेत्र वाले नहीं हैं। हम सरकारी क्षेत्र को दृढ़ समृद्ध और विकसित करना चाहते हैं। हम इसका विकास और संवर्धन करना चाहते हैं। हम निजी क्षेत्र को कम करना चाहते हैं। परन्तु सरकार सरकारी औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक सम्बन्धों को पूर्णत: नष्ट कर रही है। मैं नहीं समझता कि कार्मिकों के सहयोग के बिना आप सरकारी क्षेत्र को किस प्रकार चला सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है। यदि आप ऐसी नीति अपनाते हैं जिससे भूतकाल में कर्मचारियों के साथ किये गये समझौते अथवा पंच फैसलों, कर्मचारियों के पक्ष में किये गये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को अध्यादेशों द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, तो इस नीति से सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की हड़ताल करवाने के लिए भड़काना होगा, इस प्रकार सरकारी प्रतिष्ठान कभी उन्नति नहीं कर सकते। इतनी ही बात नहीं हैं। इस उदाहरण से निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी वैसी ही कार्यवाही करने की प्रेरणा मिलती है। यदि सरकार ऐसा कर सकती है तो टाटा और बिड़ला क्यों नहीं कर सकते ? वे सभी ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन पूर्व जमजेशपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें श्रमिक आन्दोलन के सबसे पुराने वयोवृद्ध नेता जिन्हें सभी वर्ग सम्मान देत थे तथा जिन्हें महात्मा माना जाता था, वह श्री केदार दास पुलिस के लाठी प्रहार में लगी चोटों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गये— यह लाठी प्रहार ठेकेदार के 10,000 हड़ताली श्रमिकों पर किया गया था जिन में अधिकांश लोग जन जातियों तथा आदिवासियों के थे। क्योंकि टिस्को में टाटा के व्यवस्थापकों द्वारा कई वर्ष पूर्व हुए उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया गया था जो कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले स्वीकार किया था, कि वे मजदूर जो ठेकेदार के श्रमिकों के रूप में स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें नियमित कर्मचारियों के रूप में रख लिया जायेगा। श्री टाटा को सरकारी क्षेत्र के उदाहरण से प्रेरणा मिली है। यदि सरकारी क्षेत्र में समझौतों पंचायतों, निर्णयों की कुछ भी पवित्रता नहीं है तो कोई मतलब नहीं कि श्री टाटा उन्हें स्वीकारी करे। आपने यह खतरनाक रास्ता चुना है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसे छोड़ दें, अन्यथा देश में भयानक औद्योगिक संघर्ष छिड़ जायेगा।

अन्त में मैं हाल ही में हुए गुट निर्क्षेप सम्मेलन में हमारी सरकार के या इसके प्रतिनिधियों के कार्य पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ। उनके कार्य की मित्रों श्री अटल बिहारी बाजपेयी डा.सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा कठोर आलोचना की गई है। उन्होंने इस बात के लिए आलोचना की है कि इस सम्मेलन में भारत को उन देशों का पूरी तरह साथ देना चाहिए था जो यह मांग कर रहे थे कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं को बिना शर्त वापसी होनी चाहिए अथवा कम्पूचिया से वियतनामी सेनाओं को बिना शर्त वापिसी होनी चाहिए और निस्संदेह हिन्द महासागर के मामले में तथा कथित बड़ी शक्तियों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। वे यह कह रहे हैं कि भारत सरकार को इन लोगों का साथ देने का साहस होना चाहिए था। मेरे मित्र डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यहाँ यह प्रश्न उठाया है कि कितने देशों ने कम्पूचिया में हेंगसेमरिन सरकार को मान्यता प्रदान करने के मामले में भारत के उदाहरण का अनुसरण किया है और उन्होंने बड़े जोर-शोर के साथ कहा है कि किसी ने भी ऐसा नहीं किया है और भारत बिल्कुल

अकेला पड़ गया है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने भी ऐसा न किया हो, किन्तु, अनेक देशों ने जो पोल पोट शासन को मान्यता देते थे उन्होंने बाद में हत्यारों तथा जाति संहारकों के शासन को दी हुई अपनी मान्यता वापिस ले ली है। यह पहला कदम है। कितने समय तक लोग यह कह सकते हैं कि वे न तो पोल पोट शासन को मान्यता प्रदान करते हैं और न ही हैंग सामरिन शासन को। अतः इस बारे में शून्यता की स्थिति विद्यमान हैं। आपको किसकी प्रतीक्षा करनी है। क्या पेकिंग से सिहानुक के आने की प्रतीक्षा करनी है। श्री स्वामी ऐसे काम नहीं चलेगा। किन्तु मैं भारत सरकार की आलोचना सर्वथा दूसरे दृष्टिकोण से कर रहा हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि भारत ने सम्मेलन में वह रुख नहीं अपनाया जो अपनाना चाहिए था सम्मेलन की एकता को बनाए रखने के लिए अथवा इसे टूटने से बचाने के लिए क्योंकि कुछ लोगों की रुचि इसकी एकता को तोड़ने में है। किसी प्रकार का समझौता अवश्यक हो सकता है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ। किन्तु क्या इस बात का कोई कारण था कि भारत के प्रतिनिधि हमारे विदेश मंत्री श्री राव किसी उपयुक्त समय पर इन प्रश्नों के सम्बन्ध में अपनी स्वतंत्र मत तथा भारत की स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं कर सके ? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? बाद में किसी सर्वसम्मत घोषणा या यह जो कुछ भी था की खातिर वे किसी ऐसी बात से सहमत हुए होंगे जो अब तक हमारे द्वारा अपनाये गए रवैये के अनुरूप नहीं था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे चुप रहे। और इन्होंने इस कारण विश्व में एक गलतफहमी पैदा कर दी है गत वर्ष विदेश मंत्रालय की बजट अनुदानों के सम्बन्ध में वाद-विवाद के दौरान मैंने श्री नरसिम्हाराव से पूछा था कि क्या कारण है कि मंत्रालय की समूची मुद्रित रिपोर्ट में शुरू से अन्त तक दीगोगारशिया शब्द कहीं भी नहीं आया है। श्री नरसिम्हा राव ने कहा था कि यह मुद्रण की गलती है और हम दीगोगारशिया के बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं। ऐसी कौन सी बात थी जो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने से रोक रही थी ? किन्तु बाद में अनेक अन्य देशों के दबाव के कारण दीगोगारशिया, के उल्लेख करने को छोड़ने के लिए भी हमें सहमत होना पड़ा ? किन्तु कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो हमें वहाँ पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने से रोक सकती थी। प्रत्येक देश अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। इसी तरह भारत सरकार का कभी यह दृष्टिकोण नहीं रहा है, यदि अब उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, कि अफगानिस्तान के बारे में एक मात्र प्रश्न सोवियत सेनाओं को वहाँ से निकालने का है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। श्रीमती गाँधी आरम्भ से यही बात कहती चली आ रही हैं कि यह एक सरल मामला नहीं है और इस प्रश्न के पीछे दो पक्ष हैं। बेशक हम चाहते हैं कि विदेशी सेनाएं चली जाएं। किन्तु इससे सम्बन्धित कुछ अन्य बातें भी हैं। उनको भी निपटाया जाना चाहिए। अन्यथा वहाँ स्थिति को सामान्य बनाना कठिन है। किन्तु इस दृष्टिकोण को कभी भी स्पष्ट नहीं किया गया ? इसे स्पष्ट क्यों नहीं किया गया ? कम्पूचिया के बारे में भी यही बात है। अतः अब भारत सरकार इस निर्गुट देशों के सम्मेलन से कम से कम इस समय सम्मेलन के दबावों से तो, मुक्त है, इसलिए हमें इन बातों के बारे में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में हिचकचाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति स्वतंत्र है जो किसी भी एक पक्ष की तरफ झुकाव वाली नहीं है। अपने राष्ट्रीय हित में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमने एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार को उसी दृष्टि-कोण पर दृढ़ रहना चाहिए था। बिना उसे स्पष्ट किये केवल एकता को बनाए रखने के के नाम पर उसने इस घोषणा का समर्थन दिया है।

अतः महोदय, हम राष्ट्रपति के इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें कोई काम की बात नहीं है और उन समस्याओं का उल्लेख जान बूझकर छोड़ दिया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को कचोट रही है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)

सचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह परम्परा रही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद को राष्ट्र की स्थिति के बारे में संदेश स्वरूप का होता है। विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र की दशा को ईमानदारी से दर्शाया गया है और क्या आगामी वर्ष में सरकार द्वारा उठाये जाने के लिए प्रस्तावित प्रश्नों के बारे में कोई संकेत दिया गया है, क्या स्थिति ऐसी है जो हममें थोड़ा विश्वास पैदा करती है और भविष्य के लिए आशा का संचार करती है और क्या हम अतीत की उपलब्धियों के बारे में गर्व तथा सतोष अनुभव कर सकते हैं। ये वस्तुतः सरकार की उपलब्धियाँ नहीं है। ये उपलब्धियां तो लोगों की तथा राष्ट्र की हैं। हम सब दलगत दृष्टि से विचार करने के अभयस्त हो गुए हैं। किन्तु फिर भी हमें कई बार राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना होता है। यदि राष्ट्र ने कुछ उपलब्धि की है, चाहे किसी के भी तत्वावधान में, तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम उस पर गर्व कर सकते हैं और हम लोगों को यह बता सकते हैं कि यह हमारी उपलब्धि है और इसलिए हमें उन समस्याओं का, जिनका भविष्य में हमें सामना करना पड़ेगा, विश्वास के साथ मुकाबला कर सकते हैं।

इस अभिभाषण में कोई ऊंचे दावे नहीं किए गए हैं। इसमें जो दावा किया गया हैं वह बहुत ही सतुलित है और यही एक बात है जिस पर मैं जोर देना चाहता था। इसमें इतना ही कहा गया है कि जो क्षति हुई थी उसको हमने कुछ सीमा तक सुधार लिया है और हम ठीक स्थिति की ओर अग्रसर हैं और ऐसा दिखाई देने लगा है कि राष्ट्र बिल्कुल ठीक होने की स्थिति में आ रहा है। केवल यही दावे किए गए हैं। ऐसा कोई ऊंचा दावा नहीं किया गया है कि सब प्रकार की उपलब्धि कर ली गई है और कोई भी समस्यायें शेष नहीं रही हैं। राष्ट्रपति ने यह कह कर अपना अभिभाषण आरम्भ किया है सरकार ने राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को पहुँची क्षति को ठीक करने में शीघ्रता से तथा इरादे के साथ कार्य किया है।" पैरा 5 में राष्ट्रपति ने कहा है देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देने लगा है। इसके बाद पैरा 13 में उन्होंने बताया है "अर्थव्यवस्था ठीक होने के मार्ग पर अग्रसर है किन्तु आत्मतुष्टि का कोई कारण नहीं है।

अब मैं इसे सभा के समक्ष रखूंगा कि क्या यह राष्ट्र के प्रति ईमानदारी पूर्ण रिपोर्ट है अथवा नहीं। हम सुधार के मार्ग पर अग्रसर हैं, क्षति को सुधारा जा रहा है और ठीक होने के संकेत दिखाई देते हैं।

"हम्प" के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 'हम्प' शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? यह अभिप्राय नहीं है कि सब कुछ प्राप्त कर लिया गया है और हम एवरेस्ट के शिखर पर पहुँच गये हैं। उसका अभिप्राय यह नहीं था। हमारा उससे अभिप्राय यह था कि राष्ट्र को कुछ क्षति पहुँची थी, और राष्ट्र अब पहले की स्थिति से ऊंचा उठने का प्रयास कर रहा है। हम उस स्थिति से निकलकर ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं और हम अब ऊंचा उठ रहे हैं और इसका

सम्बन्ध उबरन स ह ···(व्यवधान) "पर" अथवा "ऊपर" तक ही हैं। राष्ट्र ऊंचाई की ओर जा रहा है। यह पिछली स्थिति से सापेक्ष है और यह एक वास्तविक वक्तव्य है। यह अगले दिए जाने वाले वक्तव्य से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जायेगा। यह स्पष्ट हो जाता है कि देश संकट के ऊपर है. आर्थिक एवं सामाजिक तौर से, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पहुँची क्षति को काफी सीमा तक सुधार दिया गया है। कृषि में कीर्तिमान स्तर तक उत्पादन होने की आशा है और कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से अच्छी है। यह नहीं कहा गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ठीक है। कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से अच्छी है। कृषि उत्पादन कीर्तिमान स्तर की ओर अग्रसर है। स्थिति पहले से अच्छी है और इसलिए हम 1979 तथा 1980 के आरम्भ की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से ऊंचाई की ओर अग्रसर हैं। हम यहां से ऊंचा उठे हैं।

यह दावा बहुत ही संतुलित है। यह दावा एक वास्तविक तथ्य है और केवल इसी का हमने दावा किया है। मैं भी थोड़ी अंग्रेजी जानता हूं और मैं "हम्प" के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ हूँ, जो कि अपने अर्थों के साथ उपयोग में लाया जाने वाला बहुत ही उपयुक्त शब्द है और यह एक पूरी तरह जानी पहचानी अभिव्यक्ति है।

इसके बाद मैं इस प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि क्या वास्तव में ही क्षति हुई थी और उस क्षति को सुधारा जा रहा है। अगला प्रश्न यही है। अब जब हम उस प्रश्न पर आते हैं, जनता पार्टी आदि के बारे में और हम उनको दोषी ठहराते हैं राजनीतिक उपलब्धि के कारण अथवा दोष लगाने के रूप में नहीं करते, जो कि असंगत है, क्योंकि जनता ने चुनावों में अपना मत स्पष्ट बताया था। इसलिए ये बातें सर्वथा असंगत हैं और इसलिए मैं उस प्रकार से दोष नहीं लगाना चाहता। सगत बात तो यह है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। यदि हमें तुलना करनी है तो हमें यह कहना पड़ता है कि जनता सरकार के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या थी। क्या कोई इस बारे में विवाद कर रहा है? क्या इस सभा में कोई ऐसा है जो जनता पार्टी की तथाकथित उपलब्धियों अथवा गलत उपलब्धियों का श्रेय लेने को तैयार है? मेरे मित्र, डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि समस्त गड़बड़ी चरणसिंह सरकार द्वारा पैदा की गई थी और उस सरकार के भ्रष्टाचार ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। अतः यह बात स्वीकार कर ली गई है कि 1980 में जब हमने सत्ता की बागडोर सम्भाली थी तो स्थिति बिगड़ी हुई तथा चिन्ताजनक थी। परन्तु श्री चरणसिंह ने इस मामले के सम्बन्ध में अलग ही दृष्टिकोण पेश किया है। श्री चरणसिंह कहते हैं कि श्री मोरार जी देसाई और उनके साथियों ने सब कुछ नष्ट कर दिया, अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था और राष्ट्र को उबारने के लिए ही उन्होंने सत्ता की बागडोर सम्भाली थी और अति भयानक स्थिति होने के कारण वह इस स्थिति को बेहतर नहीं बना सके। यही कुछ वह कहते हैं। क्या कम्यु. (मा.) दल इसे ले लेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद में बोलते हुए, श्री ज्योति बसु ने कहा था, "हमने कभी भी जनता सरकार तथा उसकी नीतियों का समर्थन नहीं किया और न ही हमने कभी उनको आवर्ती योजना (रोलिंग प्लान) को ही अपना समर्थन दिया।" श्री समर मुखर्जी यहां उपस्थित हैं। मुझे याद है कि जब वह इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो उस समय उन्होंने जनता सरकार तथा उसकी गलतियों की भरपूर आलोचना बहुत ही तीखे ढग से की थी। उन्होंने कहा था, "यदि आप

इसी प्रकार कार्य करते रहे तो आपका विनाश शीघ्र हो जायेगा।" इसलिए कम्यु (मा.) दल तो अब इसे नहीं अपना रहा है, मैं यह नहीं जानता कि भारतीय साम्यवादी दल इसे अपनायेगा या नहीं। अतः इस मुद्दे पर किसी प्रकार का विवाद नहीं रह जाता कि जनता दल के शासनकाल के दौरान प्रशासन पूर्णतया ठप्प हो गया था। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर मुझे विशेष बल देना है क्योंकि मैं साथ ही इस बात को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष कार्य काफी अधिक है और जो क्षति हुई है उससे जल्दी संभला नहीं जा सकता।

जब हमने शासन सम्भाला तो उस समय क्या स्थिति थी ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि मुद्रा का प्रसार बहुत अधिक कर दिया गया था ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि उस समय काफी अधिक घाटे की व्यवस्था चल रही थी जिसके परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो गई थी ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि कानून और व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई थी ? क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन गिर गया था ? क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि चीनी का जो भंडार हमने छोड़ा था वह समाप्त हो गया और चीनी का उत्पादन पूर्णतया ठप्प हो गया था ? क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि विदेश व्यापार की स्थिति भी ठीक नहीं थी ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि कोयला, बिजली तथा सीमेंट का उत्पादन पूर्णतया ठप्प हो गया था और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति भी खराब थी ? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि हमारी विदेश नीति—मैं समझता हूँ कि डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी इससे इन्कार करेंगे—के कारण भारत अकेला पड़ गया था और हमारे देश की जो एक स्वतन्त्र तथा स्वतन्त्रतापूर्वक अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने वाले देश की छवि को छुछला करके उसके बारे में समझौता कर लिया गया था ? क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है। कोई भी इससे इन्कार नहीं करता।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उस समय टेलीफोन विभाग की व्यवस्था फिर भी कुछ अच्छी थी।

श्री सी. एम. स्टीफन : क्या साम्यवादी (मार्क्स) दल का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसा ही रवैया है। यहां तक कि उस विभाग में भी स्थिति बिगड़ी हुई थी और इससे सम्बद्ध आंकड़े मैंने अभी एक दो दिन पहले पढ़े थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में क्या कहा गया है ? उसमें कहा गया है कि इस सम्बन्ध में कुछ उपलब्धियां हुई हैं—केवल कुछ अधिक नहीं—और यह उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं। इनमें से एक सूखा तथा उसके बाद की स्थिति थी। हमारी सरकार ने इस बात का दावा किया है कि हमने राहत कार्यों को प्राथमिकता प्रदान की है और हमने यह भी कहा है कि स्थिति में सुधार किया जाये और हमने यह दावा भी किया है कि हमने यह कार्य बहुत कामयाबी से अंजमाया है। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुद्रा-स्फीति की स्थिति पूर्णतया संतोषजनक नहीं है परन्तु फिर भी, हम मुद्रास्फीति को 25 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत तक ले आये हैं। हमने इस बात का दावा किया है कि यद्यपि जब हमने सत्ता सम्भाली तो उस समय सूखा पड़ा हुआ था परन्तु इसके बावजूद भी हमने जो कदम उठाये उनके फलस्वरूप हमारी खरीफ की फसल रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई है। हमने यह दावा भी किया है कि औद्योगिक उत्पादन जो कि .01 प्रतिशत तक घट गया था वह

जनवरी 1980 के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है हमने यह दावा भी किया है कि इस कालावधि के दौरान ..

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने जो कुछ कहा है, क्या उसे जरा दोहरायेंगे ?

श्री सी. एम. स्टीफन : जी हाँ, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही है और मैंने इसे उसमें से ही लिया है। यह मेरा नहीं है। मैं इसे केवल आपकी जानकारी के लिए ही सुना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने जो भाषण दिया था, उससे लगता था कि आपने इसे पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं केवल आपकी जानकारी के लिए यह आँकड़े उद्धृत कर रहा था। यह सब कुछ अभिभाषण में बताया गया है।

जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हमने यह दावा भी किया है कि अब चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि की जायेगी तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जायेगा और हमें आशा है कि आगामी वर्ष में चीनी तथा गन्ने का अच्छा स्टाक हो जायेगा। हमने यह दावा भी किया है कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में 10000 करोड़ रुपये का भावी पूंजी निवेष करने की योजना बनाई है और यदि मैं और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो हम इस पर 97,500 रुपया खर्च करने जा रहे हैं। यह योजना घटनाचक्र से परिपूर्ण इस एक वर्ष के समय में तैयार की गई है। हमने इसे तैयार करके इसका दस्तावेज सामने रख दिया। इसमें निरन्तर चलने वाली बात नहीं है अपितु हमने जो कुछ करना है उसकी वास्तविक योजना तैयार कर दी है। हमने इस बात की दावा भी किया है कि बिजली के उत्पादन में 6 की बढ़ोत्तरी हो गई है, जबकि बिजली का उत्पादन 8 प्रतिशत बढ़ गया है हमने यह दावा भी किया है कि रेलवे ने इतना सामान लाना ले जाना आरम्भ कर दिया जिससे कि राष्ट्र की गति विधियाँ सुचारु रूप से चलती रहीं, हमने यह दावा भी किया है कि 1980-81 में राष्ट्रीय आय में ..5 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, हमने दावा किया है कि खाद्यानों, चीनी, दालों, कपास, तिलहन तथा अनेक कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की गई है और उन्हें समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया गया है, एक विपणन संगठन स्थापित कर दिया गया है जो कि कृषकों को कृषि उत्पादों के मूल्य गिरने पर भी उपयुक्त मूल्य दिलवाने का आश्वासन देगा। हमने यह दावे किये हैं, बहुत ही सामान्य रखे परन्तु मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह दावे कांग्रेस के नहीं हैं, न ही यह दावे इन्दिरा गांधी के हैं अपितु यह दावे उस राष्ट्र के हैं जोकि उस खाई में से उभर कर बाहर आ रहा है जिसमें कि इसे फैंक दिया गया था। यही हमारा छोटा सा दावा है। हमने यह नहीं सुना कि किसी ने हमारे इस साधारण से दावे की चुनौती दी हो। मैंने सभी भाषणों को पढ़ा है और इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह व्यक्त नहीं किया गया है। इसका कोई खंडन नहीं किया गया है। परन्तु दूसरी ओर बैठे मेरे मित्र कुछ ऐसे मामलों पर बोलते रहे जोकि इस मामले से पूर्णतया असम्बद्ध थे। भविष्य पर दृष्टिपात करते हुए हमने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी मैंने बताया था कि दंगाग्रस्त क्षेत्रों में हम क्या करने जा रहे हैं। हमने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगा लिया है। हमने राष्ट्र को बता दिया है कि कुछ क्षेत्रों में सब कुछ ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। हमने बता दिया है कि तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से व्यापार घाटे में वृद्धि होने की संभावना है। इससे घाटे के रुख का पता चलता है। यह एक ऐसा मामला है जिसी ओर हमने राष्ट्र का ध्यान पूर्ण ईमानदारी से

आकृष्ट किया है । हमने बता दिया है कि यद्यपि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, फिर भी तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के रास्ते में हमारे समक्ष अभी भी कठिनाईयां आ रही है । तिलहन के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है । यह एक ऐसा पहलू है जिसका प्रभाव हमारे मूल्यों पर पड़ता है । हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया है । हमने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि राष्ट्र के पास उपलब्ध वस्तुएं बहुत सीमित हैं फिर भी उन्हें प्राप्त करने की मांग की प्रवृति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । जिससे राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का सन्तुलन बिगड़ जाता है । जब तक इस प्रवृति को समाप्त नहीं किया जाता तब तक चाहे कितना भी सुधार क्यों न कर लिया जाये, अर्थ-व्यवस्था में प्रगति नहीं हो सकती । इसका संकेत राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में दे दिया है हमने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि अन्तराष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है अत: हम इससे अछूते नहीं रह सकते । अर्थ-व्यवस्था की इस बिगड़ती हुई स्थिति से हम बच नहीं सकते । संयुक्त राष्ट्र दशक पूर्णतया बेकार हो गया है । इसका परिणाम यह होगा कि विकासशील देशों तथा उनके कार्यक्रमों पर इसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा और उसका प्रभाव हमारे पर भी पड़ेगा । इसलिए ऐसी बात नहीं है कि हमने राष्ट्र को इस तथ्य से सर्तक न कर दिया हो कि हमारे समक्ष क्या समस्याएं आने वाली हैं । हमने राष्ट्र को बता दिया है कि स्थिति क्या थी । हमने राष्ट्र को यह भी बता दिया है कि राष्ट्र की इस वर्ष की उपलब्धियां क्या हैं, हमें जिस स्थिति तक धकेल दिया गया था, अब शनैः शनैः हम उससे निकल कर ऊपर आ रहे हैं । हमने राष्ट्र को बता दिया है कि आकाश में अभी भी घने बादल छाये हुये हैं और हमें उनका ध्यान रखना पड़ेगा । अत: हम जो कदम उठाना चाहते हैं उनका हमने ब्यौरा दे दिया है । हमने प्रत्येक का ब्यौरा दे दिया है ।

हमारे विदेश व्यापार में भी घाटे की संभावना है । इससे निपटने के लिए हमने निर्यात को बढ़ाने पर बल दिया है । निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण देने हेतु निर्यात तथा आयात बैंक की स्थापना कर दी गई है और यदि निर्यात के लिए बेकार क्षमता का उपयोग कर लिया जाये, तो निर्यात में वृद्धि हो सकती है ।

साम्यावादी (मार्कस) दल के मेरे मित्र ने राष्ट्रीय विकास परिषद में यही रवैया अपनाया था कि निर्यात पर बल देना बेकार है । हममें सहमति होते हुये भी असहमति हो सकती है । निर्यात को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा । उनका रवैया चाहे कुछ भी क्यों न हो, हम निर्यात बढ़ाने पर बल दे रहे हैं और हम इस दिशा में कदम उठा रहे है ।

हमने यह भी कहा है कि सम्बद्ध पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष बल देने के लिए एक नीति तैयार की गई है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। पिछड़े विकास संस्थान के लिए व्यवस्था की जा रही है ।

हमने राष्ट्र को बता दिया है कि 100 ऐसे जिलों का चयन किया जा चुका है जिनमें प्रमुख रूप से तिलहन की भी खेती की जायेगी और सोयाबीन तथा मूंगफली के विकास के लिए दो विशिष्ट परियोजनाओं को मन्जूर किया जा चुका है, और उन्हें कियान्वित किया जा रहा है। हमने राष्ट्र को यह भी बता दिया है कि यद्यपि इस पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के संबंध में, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े लोगों तथा ऐसे वर्गों की ओर ध्यान दिया गया है जिनको हमारी सहायता की आवश्यकता है, हमारे समक्ष कुछ कठिनाईयां आ रही हैं परन्तु हम इन समस्याओं का सामना करने में सफल होंगे ।

हमने राष्ट्र को यह भी बता दिया है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार हमने 4 करोड़ हैक्टर भूमि की सिंचाई करने की योजना बनाई है ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। हमने अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों सम्बन्धी विशेष योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था कर दी है। जहां तक ऊर्जा संकट का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने राष्ट्र को बता दिया है कि इस ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तद-दूर तथा तटवर्ती क्षेत्रों में खुदाई का कार्य बड़े जोरों पर चल रहा है और हम केवल तेल पर ही निर्भर नहीं कर रहे हैं, हम ऊर्जा के अन्य संसाधनों की खोज में भी लगे हुये हैं। इस पर बल दिया जा रहा है और ऊर्जा की बचत के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ताकि राष्ट्र को उसके लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े।

इन विभिन्न प्रस्तावों को हमने राष्ट्र के समक्ष रखा है, हमने तथ्यात्म ब्यौरा राष्ट्र के समक्ष रखा है तथा उसे बहुत ईमानदारी से प्रस्तुत कर दिया है। हमने मुख्य रूप से यही कहा है कि स्थिति में सुधार आ रहा है। जो क्षति हुई थी, उसे पूरा किया जा रहा है, उसे पूरा करने के संकेत स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं कहा गया है।

यहां अनेक समस्याओं का उल्लेख किया गया था। हम उन समस्याओं की सूची को यहां अनेक बार सुन चुके हैं। क्या यह कोई हैरानी की बात है कि हमारे यहां गरीबी हैं? क्या यह कोई हैरानी वाली बात है कि हमारी कुछ समस्यायें हैं कुछ तनाव है, कुछ सामाजिक तथा कुछ आर्थिक तनाव है तथा हमारे यहां काफी पिछड़ापन है? यह सब कुछ यहां है। इसमें कोई नई बात नहीं हैं कि यह समस्यायें हैं, ये समस्याये हमारे यहां रही हैं, अब भी हैं और आने वाले कुछ समय में भी चलती रहेंगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिये। हम इस बात का दावा नहीं करते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है।

मैं सभा को उस कविता की याद दिलाता हूँ जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेरणा लेते थे। इस कविता का भावार्थ यह है कि सफर बहुत लम्बा तथा विकट होते हुये भी सुहावना है लेकिन आराम करने से पहले अभी बहुत काम करना है— सोने से पहले अभी बहुत सफर करना है। क्या कोई कह सकता है कि हमने यह सफर तय कर लिया है। अभी हमें सोने से पहले बहुत सफर करना है। अभी हमारे पास बहुत सी समस्यायें हैं और हम इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इहें प्रजातंत्रीय ढग से कर रहे हैं। हमारे देश के सामने बड़ी बड़ी समस्यायें हैं। विभिन्न जातियों, धर्मों के 65 करोड़ लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक तनावों के घेरे में इकट्ठा रखना कोई छोटी बात नहीं है। यह काम छोटा नहीं है। प्रजातंत्रीय तरीके से उन्हें इकट्ठा रखना कोई छोटा काम नहीं है। और उन्हे प्रगति की ओर ले जाना भी कोई छोटा काम नहीं है। इसे न कोई सेना और न ही कोई पुलिस कर सकती है। केवल जन-शक्ति ही इसे कर सकती है। इसके लिये मतदाताओं के निर्णय को मानना पड़ेगा। मतदाताओं के निर्णय को स्वीकार करने में कुछ उलझनें हैं।

पीछे मुड़कर देखने से हमें ऐसा संतोष होता है— जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा तात्पर्य यह नहीं कि राष्ट्र की ओर से केवल कांग्रेस को ही संतुष्टि मिली है 60 वर्ष पहले हम इस महान् यात्रा पर और एक क्रांति की खोज में चले थे। 1947 में हम अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें विधाता-मिलन (ट्राईस्ट विद डेस्टिनी) की याद दिलायी और

बचनों को पूरा नहीं तो कम से कम मात्रा में पूरा करने का आहवान् किया। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम 1947 के बाद आगे नहीं बढ़े ? 1947 से 1977 की अवधि क्या प्रगति का युग नहीं है ? कुछ कमियों की जरुरत है। लेकिन हमने क्या कोई प्रगति नहीं की है ? 1947 में हम खून-खराबे तथा साम्प्रदायिक तनाव में पैदा हुये और हम शरणार्थी तथा खाद्यान्न कमी की समस्याओं से घिरे थे। क्या उसके बावजूद भी हमने प्रगति नहीं की है ? क्या हमने औद्योगिक ढांचा नहीं बनाया है ? क्या हमने देश में प्रबन्ध तथा वैज्ञानिक जानकारी को बढ़ावा नहीं दिया है ? क्या हम सब आज अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं ? क्या हम किसी सामने आने वाली चुनौती का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं ? क्या हम देश में एकता स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं ?

भाषा और धर्म के नाम पर कई देशों के टुकड़े हुये हैं। ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक प्रश्न को लेकर आयरलैंड की समस्या है। वे अभी तक समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। हम विभिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों के बावजूद भी इस देश को एक रखने तथा आगे ले जाने में सफल हुये हैं। हम अपने मित्रों से सलाह प्राप्त करते आये हैं और उनकी सलाहें अच्छी हैं। साम्यवादी मित्र समय समय पर सलाह देते आये हैं। जनसघी मित्र भी समय समय पर सलाह देते आये हैं। स्वतंत्र लोग भी समय समय पर अपनी सलाह देते आये हैं। हम वह सब प्राप्त करते आये हैं, जो अच्छा था। जो कुछ हमारे लिये स्वीकार्य नहीं था, वह हमने स्वीकार नहीं किया लेकिन पीछे देखते हुये हमें इस बात का खेद नहीं होता कि हमने उनकी सलाह मानी अथवा नहीं मानी।

अब हम कह सकते हैं कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में हमारी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं, जब समस्यायें बड़ी हों, तो उनका समाधान राजनैतिक शक्ति ही से किया जा सकता हैं। इस समस्या का समस्या का समाधान करना जरूरी है। यदि आप लकड़ी की शहतीर को घसीटना चाहें तो आपको इस काम के लिये हाथी लगाना पड़ेगा। उस लकड़ी के शहतीर को केवल हाथी ही घसीट सकता है। यदि उस काम पर आप एक गधे को लगायें तो वह गिर जायेगा। शहतीर को नहीं घसीटा जा सकता। 1947 से 1972 तक इस बड़े हाथी को काम पर लगाया गया था और हम शहतीर को आगे ले जाने में सफल हुये हैं। 1977 में किसी और जानवर को इस काम पर लगाया गया। जानवर ने इसे आगे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन यह जानवर गधा था। गधा गिर गया। यह काम नहीं हो सका। अतः हाथी वापिस आ गया। (व्यवधान) अब हम इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष की जिम्मेवारी क्या है। जहां तक सहयोग का संबंध है, क्या यह कोई सौदेबाजी की बात है ? क्या सहयोग इस तरह होता है ? कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में समझौता सम्भव नहीं। कुछ ऐसी बातें भी हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं। जिनके बारे में समझौता सम्भव नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि राष्ट्र ने हमें अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार इसे आगे ले जाने का काम सौंपा है। हमने इसे स्वीकार किया है, क्या यह उस सीमा तक जहां यह आपकी राजनैतिक धारणाओं का विरोध न करे कर्तव्य नहीं है की···

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : क्या आपने उस घोषणापत्र के अनुसार कुछ किया है ?

श्री सी. एम स्टीफन : मैंने केवल एक काम किया है। मैं वहीं रहा जहां हूँ। अपने एक घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा। लेकिन आपने कहीं और जगह छलांग मारी। (व्यवधान)

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडर : जैसे कि घोषणापत्र से मुझे पता चला है, हमें आपकी पार्टी से बाहर आना है।

श्री सी. एम. स्टीफन : श्री नाडार आपने एक पार्टी बना ली है। आप इसे 65 करोड़ लोगों को समझो फिर हम कहेंगे कि हम आपका अनुसरण करेंगे। उस समय तक आप इसे हमारे पास रहने दें।। हमें इसे चलाने दीजिए। अतः मैं कह रहा हूँ कि प्रजातन्त्र के कुछ नियम हैं और देश की समस्याएं बहुत बड़ी-बड़ी हैं। देश की समस्याओं का समाधान करना है। यदि आप लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए नेतृत्व का चयन करने का अधिकार देते हैं तो और जब एक बार नेतृत्व का चयन हो जाता है तो उस स्थिति में बाधाएं उत्पन्न करना आपका काम नहीं है मैं यह नहीं चाहता कि आप हमारे साथ आयें और हमें धक्का दें जिसके लिए आप राजी नहीं हैं। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि आप बाधायें न पैदा करें।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक गधा केवल आपको दुलती मार सकता है।

श्री सी. एम. स्टीफन : गधा चिल्ला रहा है। मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ। हाथी उठा रहा है। गधा चिल्लाये और काटे नहीं।

सभापति महोदय : हमें इस मामले को यहीं रहने देना चाहिए।

श्री सी. एम. स्टीफन : ये उस पर बल दे रहे हैं। ये यह सिद्ध कर रहे हैं कि ये गधे हैं। मैं नहीं जानता अब मैं यह कह रहा हूँ कि मैं सारे राष्ट्र से अपील करता हूँ कि हम एक संकट-पूर्ण स्थिति है मे। राष्ट्र की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। राष्ट्रपति ने सारे राष्ट्र के सामने समस्यायें रख दी हैं और हमने सहयोग के लिए अपील कर ली हैं। सहयोग का अर्थ सौदेबाजी नहीं है। हम इस दिशा में आगे बढ रहे हैं। कृपया जहां तक सम्भव हो, बाधायें न पैदा करें। क्योंकि मुझे हुई क्षति को पूरा करना है और देश को आगे ले जाना है। इस काम के लिए हर व्यक्ति को सहयोग देने के लिए राजी होना चाहिए और विपक्ष न्यायपालिक, लोग और हर व्यक्ति रास्ते में आते हैं। न्यायपालिका की समस्या हल करते समय सामने आती है। उन्हें राष्ट्र की समस्याओं को देखना चाहिए। वे भी राष्ट्र के अग हैं, राष्ट्र के कार्यकर्त्ता हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण जरूरी है।

मुझे याद है कि 1977 में वहां खड़े होकर मैंने कहा था कि कांग्रेस बिना शर्त के अपना सहयोग समर्पित करती है। इसका उत्तर इस पक्ष से मुझे कुछ ऐसा मिला जिसका भावार्थ यह था कि 999 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मुझे आपके सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं।

हमने इसा रवैया नहीं अपनाया है। हमारा रवैया ऐसा है कि यह एक राष्ट्रीय कार्य है और हमें हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। इस सहयोग को देश की समस्याओं को अनुभव करते हुए और उनका हल ढूढते हुये रचनात्मक रूप दिया जाना चाहिए और इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के रास्ते में बाधाएं नहीं डाली चाहिए। हिंसा के वातावरण में कोई भी प्रगति सम्भव नहीं हैं, तनाव के वातावरण में कोई भी प्रगति सम्भव नहीं है। प्रजातांत्रिक ढ़ाँचे में प्रगति शांतिपूर्ण उपायों द्वारा ही सम्भव है। कुछ तत्वों की गति-विधियाँ इस कार्य में बाधाएं डाल रहीं है। इससे देश की प्रगति में बाधा पड़ेगी।

निष्कर्ष में मैं यही कहता हूँ कि इस अभिभाषण द्वारा ससद के सामने देश के अतीत

वर्तमान और भविष्य की तस्वीर आई है। इससे यह संदेह मिलता है कि कठिनाइयां कुछ भी हो, राष्ट्र समस्याओं का समाधान कर सकता है और इससे समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी मिलता है। हम यह सब आपके सहयोग, यदि उपलब्धि हो, से करना चाहते हैं और यदि सहयोग उपलब्ध नहीं तो हम इस काम को स्वयं करेंगे और लोगों को दिये गए वचनों को पूरा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मैं प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

इससे पहले कि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित अन्य मुद्दों पर कुछ कहना शुरू करूं, मैं दूसरी ओर के माननीय सदस्य श्री ए. के. सेन द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में कुछ कहने के लिए बाध्य हूँ। शायद वह यहां नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह सदन में कभी-कभी ही आते हैं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार के विरुद्ध कुछ निराधार, निर्मूल, विद्वेषपूर्ण और राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए हैं। मुझे दुःख है कि श्री ए. के. सेन जैसे सम्मानित सदस्य ने एक राज्य सरकार की बुराई करने के लिए इस मन्च का चुनाव किया। यह बड़े खेद की बात है, उन्हें कम से कम इस सदन में तो ऐसा नहीं करना चाहिए था।

उन्होंने कुछ विश्व-विद्यालयों की स्थिति का जिक्र किया है। सदन के लाभार्थ उसका उत्तर देने से पहले मैं 1971 से लेकर 1977 के वर्षों में पश्चिम बंगाल के शिक्षा-समाज की वास्तविक स्थिति के बारे में बता देना चाहता हूं। वहां पर पूर्ण अराजकता व्याप्त थी, परीक्षायें नहीं होती थीं, खुलकर बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में नकल की जाती थी, निरीक्षकों को जान से मारा जाता था और विश्वविद्यालय परिसर में घोर अराजकता व्याप्त थी···

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : कल शाम मेरे मित्र को मड़काया गया है। मैं यह तो नहीं कहता किसने और यह भी नहीं कहता कि श्री अशोक कुमार सेन ने, हो सकता है उनके वामपन्थी दल के लोगों ने···(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : इसके विपरीत वहां पर व्याप्त अराजकता की स्थिति में वामपन्थी सरकार ने न केवल सुधार किया है, अपितु राज्य की शिक्षा नीति में भी मौलिक परिवर्तन किए हैं! मैं केवल कुछेक दृष्टान्त दूंगा। उन्होंने बारहवीं कक्षा तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है। उन्होंने दूर-दराज के गाँवों में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का प्रबन्ध किया है। एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि वामपन्थी सरकार की इस नई प्रणाली में अंग्रेजी को क्यों समाप्त कर दिया गया है। मैं कहता हूँ कि यह तथ्यों त विपरीत है। यह एक दुर्भावनापूर्ण प्रचार है। इस मायने में यह एक झूठा प्रचार है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा एक और दो में और कक्षा छः तक अर्थात शिक्षा की प्राथमिक अवस्था तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जानी चाहिए परन्तु छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जैसाकि आप जानते हैं भारत के लगभग सभी राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं

पढ़ाई जाती है। यही सब तो वहां की सरकार करना चाहती थी। एक और बात उठाई गई है कि रवीन्द्रनाथ टैगोर के सहज पथ को पाठ्य-क्रम से निकाल दिया गया है यह एक अन्य झूठ है। इसे संयुक्त मोर्चा सरकार ने पाठ्य-क्रम में रखा था और आपने इसे सुना-पढ़ा था। श्री सिद्धार्थ शंकर ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर के सहज पथ को पाठ्यक्रम से निकालने का निर्णय लिया था। सच्चाई तो यह है कि सहज पथ आज भी प्रचलित है। वामपंथी सरकार ने सहज पथ की पांच लाख प्रतियां इस वर्ष मुफ्त वितरित की है। क्या यह झूठी अफवाह नहीं ? केवल इतना ही नहीं, पश्चिम-बंगाल सरकार ने सहज पथ को मुद्रित करवाया है, पश्चिम-बंगाल के पाठकों में बंटवाया है। अतः यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार है, झूठी अफवाह है। ऐसा जान बूझकर किया जाता है। यह तो पश्चिम-बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए राजनीति-प्रेरित प्रचार है। अब मैं दूसरा मुद्दा उठाता हूँ। (व्यवधान) उन्होंने विश्वविद्यालयों के अतिलंघन की बात उठाई है। क्या आप नहीं जानते कि इन विश्वविद्यालय परिषदों का चुनाव अलोकतांत्रिक ढग से हुआ था और आपातकाल के दौरान उनकी अवधि को बढ़ाया गया था। वामपन्थी सरकार ने जो कुछ किया था वह तो प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए किया गया था। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, लोकतांत्रिकता की इस प्रक्रिया का कुछ स्वार्थी तत्वों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः जिसके पैर न फटी बिवाई तो क्या जाने पीर पराई। जांच-आयोग अधिनियम के अधीन श्री अशोक सेन ने जाँच आयोग बिठाने की माँग की थी। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि क्या सरकार यह देखने के लिए कि अनाज के बदले काम कार्यक्रम के लिए गेहूं और अनाज के आवटन के मामले में पश्चिम-बंगाल सरकार के साथ भेद-भाव का रवैया क्यों अपनाया गया, इस अधिनियम के अधीन एक जाँच-आयोग बिठाना स्वीकार करेगी ?

महोदय, क्या आप यह नहीं जानते कि पश्चिम-बंगाल के मुख्यमंत्री महोदय ने 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' जोकि राव वीरेन्द्रसिंह के तत्त्वावान में भेदभाव पूर्ण रवैया के साथ चला था, के अधीन अनाज के आवटन के बारे में इस झगड़े को भारत के राष्ट्रपति के साथ उठाया था और यह मांग की थी कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाए ! क्या सरकार ने उसे स्वीकार किया ? यदि भारत सरकार राज्य सरकार के विरूद्ध जांच-आयोग बिठानी चाहती है तो क्या सरकार मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ल और अर्जुनसिंह के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर वहां की सरकार के विरूद्ध भी इसी प्रकार का जांच आयोग बिठाने को तैयार होगी ? क्या वे इस बात की जांच के लिए भी जाँच-आयोग बिठायेंगे कि खट्टे दूध का कथित आधार को लेकर श्री त्रिपाठी को मन्त्री मन्डल से क्यों हटाया गया ? क्या वे आन्ध्र प्रदेश और गुजरात सरकारों में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक जाँच आयोग बिठाने की अनुमति देंगे। (व्यवधान)

अतः मेरा यह कहना है कि आप अपने मित्र श्री ए. के. सेन को यह नेक सलाह दें कि इस सदन में इस प्रकार की बेसमझी की टिप्पणियां न करें···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : महोदय अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से उद्धरण देना चाहता हूं :

"सत्ता में आने के बाद तेरह मास में; राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपसरण, निष्क्रियता

और दिशा के अभाव में हुई हानि को पूरा करने के लिए सरकार गति और दृढ़ निश्चय को लेकर आगे बढ़ी है।"

महोदय, अपसरण की प्रक्रिया तो अभी भी चालू है। मेरा आरोप यह है कि जो अपसरणता आरंभ की गई थी उसको रोका नहीं गया है और दूसरे यह कि आप उसे पकड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि आपने जो मार्ग चुना है वह अपसरण की प्रक्रिया को उलटने में पर्याप्त सक्षम नहीं है। बल्कि इससे तो अपसरणता को और बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था के मामले में तो आप भी जनता सरकार की ही नीति को अपनाए हुए हैं। वह अपसरणता अनवरत चल रही है। आपने यह स्वीकार किया है कि मुद्रास्फीति चालू रही है, आज भी चल रही है और यहां तक कि 15 प्रतिशत की दर से। मूल्य-रेखा का समान ऊर्ध्वमुखी है। क्या अपसरणता को रोकने का यही ढंग है? भारी पैमाने पर मुद्रा स्फीति और फैलेगी। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह छठी पंचवर्षीय योजना की समस्त अवधि में काटे की अर्थव्यवस्था की कुल अनुमेय सीमा का कम से कम 50 प्रतिशत होगी। कुछ और भी मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूँ, परन्तु समयाभाव के कारण मैं उठा नहीं पाया हूँ। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप और अधिक उग्र सुधारवादी कदम नहीं उठाते हैं, तब तक आप 'अपसरण' की प्रक्रिया को पलट नहीं सकते हैं। दुर्भाग्य से, या तो वित्तीय या आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने जो नीति अपनाई है उसको बदलने वाले उग्र आर्थिक उपायों का राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है। 'दिशा' शब्द का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में विशेष रूप से किया गया है।

महोदय, यह 'दिशा' है क्या?

यह दिशा है तानाशाही की ओर ले जाने वाली। यह दिशा है, मजदूर संघ आन्दोलन और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिकाधिक प्रहार करने की दिशा। यह दिशा उस नीति को अपनाने की है जिसमें न्यायपालिका की स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी। एक शब्द में कहूं तो यह दिशा 'दिगालवाद' और 'पेरूवाद' की ओर ले जाने वाली है। सरकार इसी दिशा में जा रही है। वास्तव में, यह बड़ी ही खतरनाक, भयंकर दिशा है। यह दिशा तो केवल निरकुंशता की ओर ले जाने वाली है। आपकी दिशा तो केवल लोगों के मूलभूत अधिकारों, उनके नागरिक अधिकारों और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार करने की है और फिर भी आप 'सहयोग' की बात करते हैं। कुछ देर पहले स्टीफन महोदय इस 'सहयोग' पद या शब्द की काफी वाग्मितापूर्ण लीपा-पोती कर चुके हैं। आप हमसे 'सहयोग' की आशा कैसे कर सकते हैं? इस ओर बैठे हुए हम लोग, यहां पर श्रमिकों और किसानों के हितों की रक्षा हेतु बैठे हैं। आपकी नीति उनके हितों पर प्रहार करने की है। इस देश के मजदूरों, किसानों और लोकतांत्रिक शक्तियों के हितों पर प्रहार की आपकी नीति के साथ हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? ऐसी स्थितियों में आप हमसे सहयोग की कैसे आशा कर सकते हैं? आप तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे क्रूर उपाय अपना रहे हैं। आप तो मजदूरों के सामूहिक-लाभ के अधिकारों पर प्रहार करना चाहते हैं। आप जीवन बीमा निगम संशोधन विधेयक लेकर आ गये हैं। आप ऐसे मामलों में अपने साथ सहयोग की कैसे आशा कर सकते हैं? हम तो आप से केवल उस स्थिति में सहयोग कर सकते हैं यदि आप ऐसे उपाय करें जिनसे इस देश के किसानों और मजदूर-वर्ग को लाभ होता हो, अन्यथा नहीं।

मैं इतना और कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि यदि सरकार ऐसी नीति अपनाती है जो इस देश के मजदूर-वर्ग और पद-दलितों के लिए वास्तव में ही लाभदायक हो, जो साम्प्रदायिकता की शक्तियों से निपट सकें, यदि सरकार कोई ऐसी नीति अपना सके जो अखण्डता विभाजन के विरुद्ध जाने वाली और तानाशाही की शक्तियों से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प प्रकट करती हो, जो देश की एकता और अखण्डता में सहायक होती हो तो हम सरकार को अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। उन्हें ऐसे उपाय करने चाहिए जो उन्हें विपक्ष से इस प्रकार का सहयोग पाने का अधिकारी बना सकें। जब तक ऐसी नीति नहीं अपनाई जाती, तब तक सदन के उस ओर बैठे लोगों से इस प्रकार क आग्रह करना बेकार है।

सभापति महोदय : श्री रामस्वरूप राम। सरकारी पक्ष के अनेक सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। कृपया अपनी बात पांच मिनट तक ही सीमित रखें।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : पांच मिनट में कैसे होगा ? हमको पहले समय मिलना चाहिये था। चेयर की गलती से नहीं मिला तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ?

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ट्रेजरी बेंचेज का सदस्य हूं, बल्कि समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है उसमें देश के लिए नई दिशा का निर्देश देने की कोशिश की गई है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मुख्यतया 6 खण्डों में बाँट कर अध्ययन करेंगे और माननीय विरोधी दल के सदस्य यह महसूस करेंगे कि राष्ट्रपति जी का भाषण देश को नई दिशा देने की दिशा में बहुत ही उचित निर्देश है। पहला है समाज का अत्यन्त गरीब वर्ग जिसे हरिजन एवं आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प लिया गया है। दूसरा है महगाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाया गया है। तीसरा है जनता पार्टी की प्रतिक्रियावादी सरकार जिसके शागिर्द थे भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और सी. पी. एम. के लोग, उसके द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर शांति व्यवस्था को कायम करना।...(व्यवधान)...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सी. पी. आई. ने कभी जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। सी. पी. आई. जनता पार्टी के साथ कभी नहीं थी। हाउस में आने के पहले इतना दोष उनको होना चाहिए।

श्री रामस्वरूप राम : शास्त्री जी, मुझे बहुत कम समय मिला है, आप बैठिए। मेरा पांच मिनट का समय तो इसी में चला गया।...(व्यवधान)...

चौथा है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। पांचवां है किसानों के लिए कल्याणकारी योजना बनाना और छठा है पंचशील पर आधा रत वैदेशिक नीति का अनुसरण। इन छः खण्डों में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बाँटकर देखेंगे शास्त्री जी तो पायेंगे कि इससे बढ़िया दिशा-निर्देश और किया ही नहीं जा सकता था।

मैं पहले प्वाइंट की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज समाज का वह गरीब वर्ग जिसे हरिजन और आदिवासी कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति काफी गिरी हुई है। आज आप उन गाँवों में जाइये जहाँ हरिजन और आदिवासी रहते हैं। तो उनकी आर्थिक दशा

और उनका रहन सहन देखकर आप यह पता नहीं कर सकते कि यह मनुष्य के रहने का घर है या पशु के रहने का घर है। हमारे प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व के अन्दर 20 सूत्री कार्यक्रम जो चला उसके अन्दर हम दावा तो नहीं करते कि हमारी सारी की सारी समस्यायें हल हो गई लेकिन उससे हमारे हरिजनों और आदिवासियों के अन्दर यह भावना जरूर पैदा हुई कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ही ऐसी सरकार है जो उनकी दशा में सुधार ला सकती है और उन की आर्थिक अवस्था में परिवर्तन ला सकती है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव आप के माध्यम से रखना चाहता हूँ। मैं यह चाहूँगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन और आदिवासियों को जो जमीन दी गई थी और लोकदल तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों वाली सरकार जिसमें अटल विहारी वाजपेयी वगैरह थे, के जमाने में उनकी वह जमीन जो जहां तहाँ छीन ली गई थी उनको पुनः उस पर बसाने की कोशिश की जाए। हम बिहार की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम के मातहत बिहार सरकार 7 लाख गरीब हरिजनों को हजारों एकड़ जमीन बाँटने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि हरिजनों को सिर्फ जमीन देना ही काफी नहीं है। उनको जमीन अवश्य दी जाए और इस काम को वह अपना प्रथम कर्त्तव्य समझ कर करें। लेकिन इसके साथ-साथ उनकी शिक्षा की गारंटी भारत सरकार अपने हाथ में ले और प्रत्येक प्रखण्ड में तहसील लेवेल पर एक आवासीय विद्यालय हरिजन विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए बनाए। जब तक हरिजनों में शिक्षा नहीं आएगी तब तक उनके आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन नहीं आ सकता।

आपने उनको 14 प्रतिशत रिजर्वेशन नौकरियों में दे रखा है। मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हरिजन जो पशु की जिन्दगी बिता रहे थे उनके लिए इंसान की जिन्दगी बिताने का एक माहौल इस सरकार ने पैदा किया है। आज जगजीवन राम जी बोल रहे थे तो आँसू बहा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप हरिजन, मुसलमान, दलित कमजोर वर्ग के नेता बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हैं? आपको हिन्दुस्तान के हरिजन, हिन्दुस्तान के आदिवासी, हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दुस्तान के कमजोर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि श्री जगजीवन राम हिन्दुस्तान के ऐसे हरिजन नेता हैं जो घड़ियाली आँसू के सिवाय और कुछ नहीं बहाते। बाबूजी, शब्दों से क्रांति नहीं होती है, व्यवहार से क्रांति होती है। शब्दों से समाजवाद नहीं आता, व्यवहार से समाजवाद आता है। हमारी सरकार, जिसको श्रीमती इन्दिरा गांधी का कुशल नेतृत्व प्राप्त है, शब्दों से नहीं, व्यवहार से क्रांति लाना चाहती है।

जहाँ तक महंगाई का सम्बन्ध है, इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। जिस दिन हमारी सरकार बनी थी और बजट पेश किया गया था, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि देश में मंहगाई जोरों पर है। जब यहाँ पर डी. आई. आर. को लागू करने की बात आई तो तमाम अपोजीशन में बैठे हुए लोग, चाहे वे रामावतार शास्त्री जी हों, श्री जार्ज फरनांडिस हों, वाजपेयी जी हों, या सतीश अग्रवाल जी हों या सभी ब्लैक-मार्केटीयर्स और होर्डर्स के पक्ष में इस हाउस से निकल कर चले गए थे और आज कहते हैं कि मंहगाई नहीं रुकती है। ये साल भी भुलाना चाहते हैं और हंसना भी चाहते हैं। एक तरफ ब्लैक-मार्केटीयर्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ चाहते हैं कि मंहगाई भी रुके। मंहगाई रोकने के लिए आपको कोआपरेशन की भावना पैदा करनी होगी।

जहां तक अराजकता की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ यह किसकी देन है ? अनुशासनहीनता किसकी देने है ? जगह-जगह हरिजनों को जलाने की आदत किसने डाली ? यह आदत चरणसिंह जी ने डाली, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली और आज कहते हैं कि अराजकता है। अराजकता तो जो आपने पैदा कर दी उसको सुधारने में लगे हुए हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि तीस वर्ष में क्या किया गया और ढाई वर्ष में क्या किया गया लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी महल को बनाने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं लेकिन उसको गिराने, उसको बर्बाद करने के लिए दो दिन ही काफी होते हैं। तीस वर्ष में हमारी सरकार ने जो देश को अनुशासन दिया था, जो देश की आर्थिक नीति मजबूत की थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। यह देश जो पी. एल. 480 के गेहूँ पर पलता था उसको श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व ने खाद्यान्न के मामले में स्वावलंबी बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यह आपकी देन थी ? आपने तो ढ़ाई वर्ष में इन चीजों में चिनगारी ही लगाई है। फिर भी आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया ? यह देश हमारा है और इस देश के रहने वालों को कांग्रेस पार्टी की हुकूमत प्यारी है न कि चीन के दलाल सी. पी. एम. या रूस के दलाल कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत।

श्री रामावतार शास्त्री : माल चाटें ये और दलाल हमको बतायें।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम स्वरूप राम : श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में हमने सभी चीजों को भले ही पूरा न किया हो लेकिन कुछ चीजें जरूर हासिल की है। औद्योगिक गतिविधियों में 1979 के मुकाबले 1980 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं तथा हमारी राष्ट्रीय आय 6.5 प्रतिशत बढ़ी है। ऐसी स्थिति में यह जो कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी से भाषण पढ़वाया गया है, यह हकीकत नहीं है, उन्होंने खुद भाषण दिया है और सारी बातें सोच समझ कर रखी हैं।

समापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपने देखा कि जो किसान इनके साथ थे वे किसान अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आस्था रखते हैं। मध्यम वर्गीय किसान, लघु और सीमांत किसान जो हैं उन्होंने दूर-दूर कस्बों से आकर कहा कि जो विरोधी दल किसानों को बरगलाकर अपनी रोटियां सेंकना चाहते हैं, इन्दिरा जी आप घबराओ मत, सारे हिन्दुस्तान का किसान इन्दिरा गांधी के झण्डे के नीचे है। अब तो आपकी आंख पर जो परदा पड़ा हुआ है वह खुल जाना चाहिए। निकट भविष्य में एक करोड़ 40 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था हमारी पंचवर्षीय योजना में की जाएगी।

चूंकि आप अब मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं अपनी बात न कह करके नान-अलायन पालिसी जो कि जनता पार्टी और लोकदल सरकार की वैड परफारमेंस के कारण कमजोर हो गई थी उसके बारे में कहना चाहता हूँ। इस दिशा में हमारी वर्तमान सरकार ने उचित दिशा देकर फिर से उसको सशक्त बनाने का प्रयास किया है और इसकी अभिव्यक्ति अभी नाना-अलायन कंट्रीज के फारेन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में हुई है। आज दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में सुपर पावर की वजह से एक तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको कम करने के लिए हिन्दुस्तान की तटस्थता की नीति से जो गति आई है, उसकी वजह से आज महाल शक्तियों को हिन्दुस्तान की परराष्ट्र की नीति की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।

अन्त में सभापति जी कुछ सुझाव में आपके सामने रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनाइए, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, एग्रो-लेबर के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे एक राष्ट्रीय सूची तैयार हो जाए और हमें पता चल सके कि फला जगह किस भाव से चीनी मिल रही है और चावल कैसे मिल रहा है। दूसरे यह कि देश के सभी प्रखण्डों में हरिजन और आदिवासियों के बच्चों के लिए हाई स्कूल तक एक आवासीय विद्यालय बनाया जाय और जो बच्चे पढ़-लिख कर निकलें, उन्हें जाब की गारंन्टी दी जाय। तीसरे यह कि प्रशासन व्यवस्था में नये सिरे से आमूल परिवर्तन लागू करें, क्योंकि देश का एडमिनिस्ट्रेशन, जो इण्डियाकिन्ज कमीशन पर आधारित है, वह सारे प्रोग्रेसिव मेजर्स को लागू करने में बाधक है।

मैं आप को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रही हो चर्चा में हिस्सा लेते हुए, इसके समर्थन में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहले इसके कि मैं अपने स्टेट की तरफ जाऊं, मैं प्रेजीडेंट एड्रेस के पैरा 2 में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 13 महीने के जनता शासन में जो भी गड़बड़ी पैदा की गई थी जो कुछ भी हमें लोमेसी में मिला, इस संबंध में बहुत से सदस्यों ने फीर्गस के साथ अपनी-अपनी बातें रखी हैं। जो एक हकीकत है। तो मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी जो कहा, जिसके बारे में मुझे अफसोस भी होता है, लेकिन वे इस वक्त संसद में मौजूद नहीं हैं, अगर वह होते तो अच्छा होता। उन्होने किसान और आर्म्ड फोर्सेस को आपस में मिलाने की कोशिश की और कहा गया है कि किसान अगर नाराज हो तो फौजी भी नाराज हो मैं समझता समझता हूं कि शायद यह उनकी काम्यूनिस्ट टैक्टीक्स हो सकती है।

हमारे फौजी जवानों को पोलिटिक्स में लाने के लिये इशारतन जोड़ा है। मैं समझता यह हूं काबिले-अफसोस है। हमारे फौजी जवानों का ऐसी किसी चीज में कोई इन्टरेस्ट नहीं है, वे सिर्फ अपने मुल्क के डिफेन्स के कोई भी रुचि नहीं रखते हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं।

मैं अपने स्टेट की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि जम्मू काश्मीर एक बहुत ही सेन्सिटिव स्टेट है हमारे दोनों तरफ दो होस्टाइल मुल्क हैं—एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इन दोनों के काल्यूजन में, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, खासी तौर पर मेरी अपनी कांस्टीचूएन्सी है जिसका कोई 37 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के इललीगल-आक्यूपेशन में है। और उसी के अन्दर से उन्होंने सड़कें बनाई हैं। यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कराकुरम-हाई-वे हमारे काश्मीर से होकर बनी है। इससे हमारे मुल्क के लिये बहुत खतरा बढ़ा है।

श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए

आप ने पहले भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और आज भी इस तरह में कुछ बातें उठाई गई हैं कि कराची (पाकिस्तान) में चीन की सहायता से बिल्ड-अप हो रहा है। और इस

काम के लिए कराकुरम-हाइवे के थ्रू फौजी समानों की मूवमेंट हो रहा है—इस तरह से इस सड़क का इस्तेमाल फौजी परपज के लिये हो रहा है। मेरी इत्तिला के मुताबिक पिछली गर्मियों में एक हाइली-ट्रेण्ड पाकिस्तानी ब्रिगेड, जो कि माउन्टेनियस-वार-अफेअर्स में बहुत एक्सपर्ट है और मोस्ट-माडर्न हथियारों से लैस है, उसको लद्दाख सैक्टर में डिप्लाए किया गया है, जिनके परामर्शदाता चीनी फौजी अफसर हैं। हमारे लद्दाख के लिये लाइफ-लाइन है श्रीनगर और लेह के दरमियान रास्ता है उसके पार उन्होंने बड़ी-बड़ी लांग-रेंज गन्ज लगाई गई है, हमारी सड़कें उनकी गन्ज की रेंज में आती हैं। ऐसी हालत में हमारे जम्मू और काश्मीर में किसी भी तरह की इन-स्टेबिलिटी का होना मुनासिब नहीं है। आपने पढ़ा होगा, पिछले कई महीनों से वहां पर ह'लात ठीक नहीं हैं। हमारे लद्दाख में पिछले ढाई-तीन महीनों से काफी टरमायल और एजीटेशन रहा। इसलिए कहा कि वहां हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं था और सुनते इसलिए नहीं थे कि हमारे लोगों ने रूलिंग नेशनल कान्फ्रेन्स को वोट नहीं दिया था। इसी तरफ अब वह टरनायल जम्मू में शिफ्ट हो गया है। कल की ही बात है, वहां पर लोगों ने अपने मसायल, अपने लोगों की जो प्राबलम्ब थीं, उनकी तरफ सरकार की तवज्जह दिलाने के लिये पीसफुल डिमान्स्टेशन किया, जलूस निकाला। जलूस पर सबसे पहले तो हायर्ड गुण्डाज के थ्रू पथराव कराया गया, उसके बाद सेक्रेटेरियट के सामने पुलिस ने अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज किया। पुलिस हीं नहीं, बल्कि जो सरकार के मुलाजिम हैं, उन्होंने डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के सामने, हम समझते हैं उनकी डायरेक्शन में, डिमान्सट्रेटर्स पर पथराव किया और पोलिटीकल नारे कसे। इसके नतीजे के तौर पर विपक्ष के बहुत सारे लेजिस्लेटर्स वहां पर जख्मी हो गये, बहुत से एक्स-लेजिस्लेटर्स जख्मी हो गये, यहां तक कि एक वर्कर के ऊपर से चीफ मिनिस्टर की गाड़ी चला कर ले गये, जिसका नतीजा में उसकी टांगों में फ्रैक्चर हो गया। तो वहां पर ये डिकटेटोरियल शासन चल रहे हैं और जैसा डेमोक्रेसी में होता है वहां पर कोई आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। लिहाजा मेरी सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह गुजारिश है कि इस तरफ फौरन ध्यान दें और खास कर कल जो लाठी चार्ज हुआ है और उसमें कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली के एक सीनियर मेम्बर श्री मोतीराम भेगड़ा, बुरी तरह जख्मी हुए हैं उनको निशानदेही करके पिटाई की है उन सब बातों को सरकार ध्यान में रखें। अपोजिशन के जो लेचिसलेटर हैं या कोई वर्कर हैं, उनको निशाना बनाकर चुन-चुन कर पीटा जाता है और गुण्डों के जरिए उनकी पिटाई की जा रही है।

एक बात और मैं केन्द्रीय सरकार को बताना चाहता हूं। पिछली 16 अगस्त की तारीख को हमारे जम्मू व काश्मीर में, बदकिस्मती से मुरादाबाद के जो इसीडेंट्स हुए थे, उनका वहां पर भी रीएक्शन हुआ। इस पर सरकार ने एक कमेटी बनायी है जिसने कुछ अपोजीशन के लोगों को भी शामिल किया गया ताकि वह वहां पर लोगों को जाकर समझाएगी। उसमें जनता पार्टी अपोजीशन ग्रुप के लीडर श्री अब्दुल रशीद काबली सदस्य विधान सभा को भी बुलाया। वे वहां पर गये। वहां पर कोई डिमान्सट्रेशन नहीं हो रहा था। वे डीप्टी के साथ खड़े थे और लोगों को समझा रहे थे। दूसरी तरफ से पुलिस ने उन अफसरों के सामने ही अपनी राइफल उठाकर उन पर निशाना किया और गोली उनके कन्धे में लगी। वे आल इंडिया इंस्टीट्यूट में पिछले तीन, चार महीने रहे और अब सेहतयाफता हो कर वहां पहुँचे हैं। उनकी जबानी आप वहां की स्थिति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपने प्रेस में भी पढ़ा होगा

कि विपक्ष का जो कोई वकील होता है, उसको खास निशाना बनाकर गुण्डों के जरिये पीटा जा रहा है या फिर पुलिस के जरिये उसको निशाना बनाया जाता है।

लद्दाख में मेरे साथ भी यही वाकया पेश आया था। वहां पर मुझे गोली का निशाना बनाने की कोशिश की गई हालांकि उस वक्त मैं वहां पर लोगों को हटाने के लिए, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था।

सभापति महोदय : आप यह बताइए कि कम से कम आप और कितना समय लेंगे।

श्री पी नामग्याल : मैं मुख्तसर में अर्ज करूंगा। जम्मू काश्मीर में अपोजीशन के जो लोग हैं उनको परेशान कर रखा है। अल्दुल गनी लोन, जो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जनता के रेप्रेजेन्टेटिव भी हैं, उनको काश्मीर में बाजार में पकड़ कर पीटा गया और उनका मुंह बन्द कराया गया। कोशिश यह की जा रही है कि वहां कोई अपनी बात न कह सके। वहां पर डेमोक्रेसी को फंकशन नहीं करने दिया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि अपना डाइनेस्टिक रूल वहां पर जारी रखा जाए हमें शेख साहब से दिल्ली में बात करने का मौका मिला था। लद्दाख के इसू पर जब उनसे कहा गया कि हमारे मसले हल करो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बंधक नहीं रख सकता, आप जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। आप लोगों को पकड़ कर नहीं रखूंगा। शेख साहब जैसे यह भूल गये हैं कि हम भी उसी जमीन पर पैदा हुए हैं, हम भी उसी स्टेट में पैदा हुए हैं। वे कौन होते हैं हमें यह कहने वाले कि इधर जाओ या उधर जाओ वे भी वहां पर पांच साल की टर्म के लिए हैं और हम भी और हम सब बराबर के हकदार हैं। वे कोई हमेशा के लिए सारी जमीन और आसमान के मालिक तो नहीं बन बैठे हैं। डेमोक्रेसी में आज वे पावर में हैं, ठीक बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमें ऐसी बात कहें कि जहां चाहो, वहां चले जाओ. ऐसी बातें जो वे करते हैं, तो उनकी इन बातों पर मुझे अफसोस होता है।

इसी तरह से यहां पर जो हमारे साथी हैं मैं उनके बारे में भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ और इस एवान के सामने रखना चाहता हूँ। ये बातें हमारे प्वाइंट आफ व्यू से बहुत इम्पार्टेन्स रखती हैं। वे हमारे साथी इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर इस वक्त वे यहां होते तो बहुत अच्छा होता। वे हमारे इस एवान के मेम्बर हैं। उन फारुक साहब को पार्टी नेशनल कान्फ्रेन्स के नेता नोमिनेट किया गया है उनकी जबानी कुछ बातें साफ सुनने में आ रही हैं। उन्होंने 1953 पूर्व की बात की है। उन्होंने···जो काबिल अफसोस है

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री पी. नामग्याल : अगर जनाब यही बात है तो मुझे अफसोस हो रहा है।

आखिर में मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रेजीडेंट का जो एड्रेस है उसको सपोर्ट करता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं उन संशोधनों के अध्याधीन जिनका मैं सभा में प्रस्ताव कर चुका हूं राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

राष्ट्रपति ने टिप्पणी की है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति के बारे में आत्म-संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में मुद्रास्फीति 23 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है निःसन्देह कृषि से उत्पादन के कीर्तिमान स्तरों तक पहुँचने की आशा है। इस तथ्य से इंकार

करने की कोई बात नहीं है कि 1980-81 में औद्योगिक उत्पादन गतवर्ष नकारात्मक वृद्धि की तुलना में 4 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। हमें इस बात को अवश्य मान लेना चाहिए कि विश्व में जटिल स्थिति के बावजूद भी सरकार ने कच्चे तेल की उपलब्धता तथा पूर्ति को बनाए रखा है और सफलता पूर्वक विभिन्न विकल्पों में व्यापार बनाये रखा है। ये सब और बहुत सी दूसरी उपलब्धियाँ छोटी उपलब्धियां नहीं हैं। परन्तु इसके अतिरिक्त तथ्य यह है कि हालांकि मुद्रास्फीति की दर तो घटी है परन्तु मुद्रास्फीति अभी चल रहा है। यही स्थिति की कटु सत्यता है। आज कोई भी व्यक्ति कीमतों को कम करने की तो नहीं सोच सकता। परन्तु कम से कम मूल्यों में स्थिरता तो आनी चाहिए ताकि आय में कटौती न हो। मैं सादर निवेदन करता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कम से कम मूल्यों की स्थिरता के मामले में सरकार की घोर असफलता का संकेत है। इस सम्बन्ध में हम सरकार की भलाई चाहते हैं क्योंकि सरकार की सफलता के कारण लोगों की कठिनाई कम होगी। परन्तु मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूँ कि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां ऐसी हैं जिनसे मूल्य वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। कोयले, लोहे व इस्पात तथा कई अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से मुद्रा स्फीति बढ गई है। श्रीमान सरकार फुजूल खर्च करने में भी लगी हुई है जिसकी वजह से स्थिति और बिगड़ जाती है। मैं बताऊं कि सरकारी उपभोग व्यय जो 1976-77 में 3 05.9 करोड रु. के स्तर पर था वह अब बढ़कर 1980-81 में 5031.6 करोड़ रु. की आश्चर्यचकित कर देने वाली संख्या पर पहुँच चुका है। इससे फुजूल खर्च का पता लगता है। ये सरकारी उपभोग व्यय से संबंधित आंकड़े हैं। मैंने अपने समय की कमी के कारण पहले के आंकड़ों को उद्धृत नहीं किया है परन्तु उनसे सरकारी उपभोग व्यय की वार्षिक उच्च दर का पता लगेगा जो विकास व्यय से भिन्न है। वास्तव में औद्योगिक उत्पादन 1980-81 में लगभग चार प्रतिशत तक 1979-80 में 15.5 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले बढ़ सकता है। परन्तु उसके बाद अक्तूबर, 1980 के मध्य से जो वृद्धि की दिशा बनी है उसको हमें बनाये रखना होगा और इसके लिए मैत्रिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों का होना हमारे लिए आवश्यक है। दुर्भाग्यवश तथापि इस समय श्रमिक असंतोष है। श्रमिक असंतोष के मामले में उचित तथा रचनात्मक सहयोग देकर विपक्ष का राष्ट्र के प्रति महान कर्त्तव्य हो जाता है। साथ-साथ में सत्ताधारी दल को भी यह देखना होगा कि मजदूरों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति राष्ट्रीय हित में की ही जानी चाहिए।

इस तथ्य के विचार से इस बात पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यापार स्थिति के सन्तुलन में घाटा बढ़ता जा रहा है। हमें बताया गया है कि कृषि का उत्पादन एक रिकार्ड तक पहुँच जायेगा। परन्तु मैं निवेदन करता है कि जो कुछ प्राप्त हुआ है वह आवश्यकताओं से कम है। कटु सत्य यह है कि खपत की अति आवश्यक वस्तुओं की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से गिरती जा रही है। अनाज के मामले में, 1979 में हमारे पास प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता प्रतिदिन 435.4 ग्राम थी जो 1980 में घटकर 383.6 ग्राम रह गई है।

भारत एक विकासशील देश है। इसलिए यहाँ पर समस्या हमारे संसाधनों के अधिकतम उपभोग और हमारी अर्थ-व्यवस्था, हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन में आवश्यक वृद्धि के लिए निश्चित प्रयास करने की है। यही बात दालों तथा खाद्यान्नों के बारे में उनकी शुद्ध

उपलब्धता तथा उनकी अभिप्राप्ति दोनों के विषय में है। समय के अभाव के कारण मैं वे सब आंकड़े नहीं देता हूँ जो सर्वविदित हैं। और जो उस आर्थिक सर्वेक्षण में भी हैं जो सभा पटल पर रखा जा चुका है।

मुझे यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है कि यद्यपि अल्पसंख्यकों मुसलमानों तथा कमजोर वर्गों के हितों की बातें बहुत की जाती है परन्तु कटु सत्य की यह है कि जो कुछ कहा जाता है उसको कार्य रूप नहीं दिया जाता है। हमको मुसलमानों को तथा अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का आश्वासन दिया गया है परन्तु इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रशासन में मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के निराशजनक प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए किसी उपायों का संकेत नहीं दिया गया है। हाल में, मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों सम्बन्धी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपना अंतरिम प्रतिवेदन दिया है। मैं उस समिति की सारी सिफारिशों का जिक्र नहीं करूंगा। उन सिफारिशों में से एक सिफारिश जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है वह थी कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पहले करे कि मुसलमानों को बैंकों के निदेशक मंडलों अन्य निगमों में तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में पर्याप्त प्रधिनिधित्व दिया जाए। इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों के रूप में नये सदस्यों को नियुक्त करने का सरकार का अवसर तो मिला परन्तु सरकार द्वारा नियुक्त इस समिति की सिफारिश का पालन करने की बजाय उल्लंघन किया गया। केवल वही नहीं बल्कि इस सभा पटल पर भी हम पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपने पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए दलील पेश कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के एक नेक नीयत अधिकारी ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, हैदराबाद में 155 रिक्त स्थानों में से कम से कम 46 रिक्त स्थानों पर मुसलमानों को नियुक्त किया जायेगा। और क्या हुआ ? उस नेक नियत वाले अधिकारी को डाँट पड़ी थी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसलिए कथनी और करनी में अन्तर है।

श्रीमान् मैं और अनेक बातें कहूँगा। दंगों का प्रश्न लीजिए जो दुर्भाग्यवश हो रहे हैं। हाल में अशान्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। मैं यहाँ यह कहते हुए एक राजनैतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं कि यह जनता शासन के दौरान था—हालांकि तथ्य यह था कि यह जनता के शासन के दौरान था—कि साम्प्रदायिक तथा विभाजन का रवैया पुलिस बल में भी घुसपैठ कर गया यहां तक कि जमशेदपुर में बी. एम. पी. तथा पुलिस में दंगा करने वालों पर गोली चलाने के आदेशों से इंकार कर दिया। अलीगढ़ में भी मैन चौक पर प्रादेशिक सेना तथा पुलिस बल ने दंगा करने वाले लोगों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया।

सभापति महोदय : अब भाषण समाप्त करने का समय हो गया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय : एक मिनट और है। आप इसे समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : पुलिस द्वारा तोड़ मरोड़ का समाचार दिए जाने का प्रश्न लीजिए कि इस सभा में मैंने प्रश्न उठाया था कि पी. टी. आई. ने लखनऊ मस्जिद से 15,000 बम बरामद किए जाने का समाचार दिया था। सूचना मन्त्री ने सभा को बताया···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं कल अपना भाषण जारी रख सकता हूँ।

सभापति महोदय : नहीं। आप इसे समाप्त कीजिए।

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदय, जब मैंने यह बताया तो सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने कहा कि पी. टी. आई. का समाचार पुलिस की सूचना पर आधारित है। और यहाँ पर माननीय गृह मंत्री का एक पत्र है जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस ने ऐसा कभी नहीं कहा है। सरकार के विभिन्न विभाग एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं।

मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बन्द होने जाने का उल्लेख करते हुये अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं प्रधान मंत्री महोदया से मामले में हस्तक्षेप करने के लिये अनुरोध करूंगा और वह अपने अधिकारों का प्रयोग करें ताकि यथा संभव शीघ्र विश्व-विद्यालय खुल जाए।

उस स्प्रिट कांड में उच्च स्तरीय केन्द्रीय जाँच की भी आवश्यकता है जो तमिलनाडु तथा केरल में हुआ है।

अन्ततः मुझे यह कहना चाहिए कि इस्राईल जिओनिस्ट राज्य द्वारा विश्व की राय से इन्कार करने के आग्रह को ध्यान में रखते हुये सरकार को इस्राईल जियोनिस्ट राज्य के विरुद्ध कड़े प्रतिबन्ध लगाने में पहल करनी चाहिए। बम्बई में इस्राईल कंसुलेट को तुरन्त बन्द कर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ-साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ : धन्यवाद।

सभापति महोदय : मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि आज धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद समाप्त होता है और प्रधान मंत्री महोदय कल प्रश्न काल के बाद वाद-विवाद का उत्तर देंगी। कल धन्यवाद प्रस्ताव के समाप्त हो जाने पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवाँ प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 12वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : मैंने नोटिस दिया था। मैं उस दल का हूँ जो जम्मू व काश्मीर में सत्तारूढ़ है। चूंकि सभा पटल पर कुछ प्रश्न उठाये जा चुके हैं अतः मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ समय दिया जाए।

सभापति महोदय : अब हमें आधे घटे की चर्चा पर कार्यवाही करते हैं।

आधे घटे की चर्चा

दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता को विद्युत की सप्लाई

श्री कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, डी. वी सी. योजना का इतिहास बहुत

पुराना है। हमारे महान् नेता, दूरदर्शी नेता, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, श्रीकृष्ण सिंह और विधानचन्द्र राय ने बंगाल और बिहार की समृद्धि और खुशहाली की एक कल्पना की थी। उसी कल्पना को साकार करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए आजादी के तुरन्त बाद 1948 में डी. वी. सी. की स्थापना की गई थी।

हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस उद्देश्य से डी. वी. सी. की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है और डी. वी. सी. की व्यवस्था में कुछ खामियाँ आ गई हैं। हमारी सरकार इस स्थिति से अवगत है और हमारे मंत्री महोदय को इन सारी बातों की जानकारी है। गत अक्तूबर में उनका जो वक्तव्य अखबारों में देखने को मिला था, संसद् में प्रश्नों के उत्तर में और अपने मंत्रालय की सलाहकार समिति में सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उसमें उन्होने इस बात का संकेत दिया कि डी. वी. सी. में टेकिनिकल, लेबर और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का परफार्मेंस अनसैटिसफैक्टरी रहा है। गत अक्तूबर में किये गये अपने वक्तव्य में उन्होंने बार-बार वहाँ के लोगों को चेतावनी दी कि जो भी इंडस्ट्रियल अनरेस्ट है, जिसके कारणों को सरकार ने आइडेंटीफाई किया है, उसको दूर किया जाये। सब को इस बात की जानकारी है कि वहाँ पर विद्युत-उत्पादन के लिए सद्भावना के वातावरण का अभाव है।

लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि हमारे देश में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में अच्छे-से-अच्छे अभियंता और प्रशासक हैं, लेकिन फिर भी हम डी. वी. सी. के कल-पुर्जों को ठीक नहीं कर पाते हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती है, उनका रख-रखाव नहीं होता है और हम उनका सुधार करने में असमर्थ हैं। यह कैसा विरोधाभास है, इस पर हम सब को सोचना है। इस स्थिति में बिहार की आर्थिक प्रगति में अवरोध पैदा हो रहा है और उससे रिजनल इनबैलेंस हो रहा है। तथा मन्त्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि उनके टाइम-बाउन्ड शासन प्रोग्राम के अनुसार डी. वी. सी. की दशा कब तक सुधरेगी। मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि वहां पर कब तक इनस्टाल्ड कैपेसिटी के अनुसार बिजली का उत्पादन होगा।

सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी स्थारिटी द्वारा बिहार की स्थिति का सरवे किया गया है। सैंट्रल लोड इनक्वायरी कमेटी वहाँ गई थी और उसने प्रतिवेदन दिया है कि बिहार को 1400 मेगावाट बिजली की जरुरत है, जबकि उसे मुश्किल से 200 से 300 मेगावाट बिजली मिलती है। वहां की इनस्टाल्ड कैपेसिटी 935 मेगावाट है। जो बिजली हमें मिलती है, उससे हमारी क्या प्रगति हो सकती है ? बिहार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कृषि, उद्योग, कोयला खानें, स्टील उद्योग सब बिजली न मिलने के कारण पुरी तरह से प्रभावित हो रहे है।

मैंने बिहार के सम्बन्ध में जो पूरक प्रश्न किया था, उसके दो पहलू है। मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहती हूँ। दामोदर वैली कारपोरेशन की बिजली उत्पादन की क्षमता 13615 मैगावाट की है। जो हमारा वर्तमान ऐग्रीमेंट है या पहले भी जो ऐग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक डी. वी. सी. के आश्वासनों के आधार पर बिहार को 433 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए, किन्तु बिहार को अधिक से अधिक 270 मेगावाट बिजली मिलती है और जब बिजली में कटौती होती है तो बिहार अन्धेरे में डूब जाता है, वहां के कृषकों का दम घुट जाता है और हमारी खेती-बाड़ी सब ठप्प पड़ जाती है।

मै मन्त्री महोदय से दो प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या वह कृपा करके यह बतायेंगे कि बिहार को 430 मेगावाट बिजली निकट भविष्य में डी. वी. सी. से दी जाएगी या नहीं और दी जाएगी तो कब तक दी जाएगी ? दूसरी बात यह है कि डी. वी. सी. की स्थापना बिहार के लोगों की आर्थिक प्रगति के लिए हुई थी, उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर बिहार को बिजली नहीं दी जायगी जैसा कि अभी तक डी. वी. सी. का इतिहास रहा है तो उससे बिहार का पिछड़ पन और भी बढ़ता जाएगा, गरीबी में हम और भी नीचे पहुंच जायेंगे। हमारे विकास के रास्ते बन्द हो जायेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह बाढ़ और सिंचाई का है। डी. वी. सी. क जो ऐग्रीमेंट हुआ था उसमें यह बात तय पाई थी कि बिहार को बाढ़ से प्रोटेक्शन मिलेगा। उसी के लिए ये सारे ऐग्रामेंट उस समय किए गये थे लेकिन आप भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जो भी बाढ़ आती है उससे जो क्षति होती है उसकी 40 प्रतिशत क्षति बिहार में होती है। इसी पृष्ठभूमि में मन्त्री महोदय बताने की चेष्टा करेंगे कि क्या डी. वी. सी. के ऐक्ट में कुछ परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि जिससे बिहार जो अब तक जितनी बिजली उसको मिलनी चाहिए उससे वंचित रहा है, उसकी पूर्ति हो सकेगी और वहाँ के किसानों तथा गरीब लोगों को रोजी-रोटी मिल सकेगी ? क्या उस ऐक्ट में ऐसा कुछ परिवर्तन होगा जिससे वहाँ के लोगों का राहत मिल सके ?

बिहार के छः जिले डी. वी. सी. के अन्तर्गत आते हैं-पलामू हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, रांची और संथाल परगना। चन्द्रपुरा जो सबसे बड़ी इनकी बिजली की परियोजना है वह बिहार में ही है। वहाँ के लोगों की जमीन इसके लिए अर्जित की गई, वे लोग बेरोजगार हुए। इसी आशा और उद्देश्य से वहाँ के लोगों ने वह जमीन दी थी कि भविष्य में उनकी बेरोजगारी इससे दूर होगी। बिहार के 75 प्रतिशत लोग देहातों में रहते हैं, कृषि पर आधारित उनका जीवन है। डी वी. सी. का प्रोजेक्ट बिहार में है, उसकी जमीन पर है लेकिन उसके बाद भी जो हमें डी. वी. सी. से लाभ पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन बिन्दुओं पर वह बिल्कुल गंभीरता से देखें। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तथा जो रीजनल इन्बैलेंसेज को दूर करने की बात की जाती है उसके लिए यह जरूरी है कि डी. वी. सी. में सब तरफ से सुधार हो और बिजली की आपूर्ति बिहार में हो सके।

ऊर्जा मन्त्री (श्री. ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य को कुछ ज्यादा ही भ्रम हो गया है। दामोदर घाटी निगम का सबसे पहला दायित्व दामोदर घाटी क्षेत्र का है। दामोदर घाटी निगम को सबसे पहले अपने उन दायित्वों को पूरा करना होगा। यह बंगाल का प्रश्न नहीं है, यह बिहार का प्रश्न नहीं है, यह अन्य राज्यों का प्रश्न नहीं है।

इस पर बात करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि दामोदर घाटी निगम का प्रथम दायित्व रेलवे को बिजली की सप्लाई है, फिर इस्पात और उसके बाद कोयला खानें आती हैं। इसमें बंगाल और बिहार की कुछ निर्धारित मांगें भी हैं। रेलवे की बिजली की मांग .25 मेगावाट है। किसी ने मुझसे पूछा था कि बिहार के लिए कितनी बिजली निर्धारित है तथा पश्चिमी बंगाल के लिए कितनी ? मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि मैं आपको इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा। इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

अगला प्रश्न इस्पात से संबंधित है। उदाहरणार्थ, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और टिस्को आदि। बोकारो और टिस्को बिहार में हैं। शेष में से एक उत्तर प्रदेश है। अन्य पश्चिम बंगाल के हैं। यदि आप पूछें कि बिहार को हम कितनी बिजली दे रहे हैं तो मैं केवल इस्पात के सम्बन्ध में बता सकता हूँ। परन्तु जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है, यह फिर मिली जुली बात हो जाती है।

वस्तुतः व्यवहार में ऐसा किया जा रहा है। जितने कोयले की आवश्यकता होती है उतना हम बिहार राज्य विद्युत मंडल को देते हैं। बिहार राज्य विद्युत मंडल अपने स्मारक (फीडर) सहित कोयला खानों को बिजली सप्लाई करता है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत मडल अपने सम्मरक सहित कोयला खानों को बिजली सप्लाई करता है। दामोदर घाटी निगम भारी मात्रा में बिजली सप्लाई करता है। दामोदार घाटी निगम किसी कृषक को बिजली सप्लाई नहीं करता है। दामोदर घाटी निगम किसी विशिष्ट नगर को बिजली सप्लाई नहीं करता है। वह कलकत्ता को भारी मात्रा में बिजली सप्लाई करता है। जहाँ तक कलकत्ता का प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम का वर्गीकृत दायित्व है। यदि बिजली उत्पादन 800 मेगावाट है तो दामोदर घाटी निगम 55 मेगावाट बिजली कलकत्ता को देगा। इस पर एक अनुबन्ध हैं। एक समझौता है। परन्तु जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है, ऐसा कुछ नहीं हैं। महिला सदस्य बिहार के लिए अधिकाधिक बिजली की माँग कर रही है। मैं उन्हें ही सुझाव दे सकता हूं। एक तो यह कि बिहार में ही बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रत्यन क्यों नहीं करते। आज बिहार केवल 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थिति खराब थी। इस सभा में हमने अनेक बार यह बताया है। 1979 में, दामोदर घाटी निगम की स्थिति औसतन (व्यवधान) 4000 लाख यूनिट थी। 1978 में, दामोदर घाटी निगम की प्रति मास औसत 3572.50 लाख किलोवाट थी। आप अन्तर देख सकते हैं। परन्तु मुझे सभा को बताना होगा कि सौभाग्यवश, पिछले कुछ महीनों में दामोदर घाटी निगम की स्थिति सुधरी है। आज मुझे बताया गया है कि दामोदर घाटी निगम का बिजली उत्पादन 827 मेगावाट है। 1981 में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हमने यह रिकार्ड उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया है। परन्तु मुझे भी कुछ संदेह हैं। मैं नहीं जानता कि क्या यह स्थिति स्थाई रहेगी और क्या यह स्थिति महीनों चलती रहेगी। आगामी महीने ही इसे सिद्ध कर सकते हैं। केवल भविष्य ही इसे सिद्ध कर सकता है। मुझे आशा है कि यह स्थिति बनी रहेगी। मुझे विशेषज्ञों ने बताया था कि कम-से-कम 800 मेघावाट बिजली का उत्पादन लगातार होता रहेगा। यदि ऐसी रहती है तो सभी दायित्वों को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम दायित्वों को पूरा करने में सफल होंगे। और इन दायित्वों को पूरा करने के बाद यदि हमारे पास बिजली बचती है तो फिर बिहार को बिजली देने से हमें कौन रोक सकता है? दामोदर घाटी निगम को बिहार को और अधिक बिजली देने से रोकने वाला कोई नहीं है। वास्तव में मुझे पिछले दिनों बताया गया था कि बिहार दामोदर घाटी निगम से 50 मेगावट की औसत से बिजली प्राप्त कर रहा है जिसके लिए उसे भुगतान करना होता है। यदि दामोदर घाटी निगम का बिजली उत्पादन 1000 मेगावाट हो जाए तो बिहार को निश्चय ही अधिक बिजली मिलेगी। बिहार को अधिक बिजली प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। परन्तु हमारा एक अनुशासन है। एक प्रणाली है। केवल इसलिए कि चन्द्रपुर बिहार में है, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि सारी बिजली बिहार को दे देनी चाहिए। हम काहलगाँव में

अतिरिक्त क्षमता वाले ताप विद्युत यूनिट के विषय में विचार कर रहे हैं। हम इसकी क्षमता 2000 मेगावाट करने पर विचार कर रहे हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि सारी बिजली बिहार को ही दी जाएगी, अन्य राज्यों को नहीं। इसका यह अर्थ कतई नहीं हो सकता। अतः इसका एक सूत्र है। हमें इस सूत्र से मार्गदर्शन मिलता है। इसी तरह दामोदर घाटी निगम भी कतिपय सूत्रों के आधार पर बनाया गया था···

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए। केवल इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना था कि समझौते की शर्तों के अनुसार बिहार और पश्चिमी बंगाल के बीच बिजली वितरित की जा रही है और यदि हां तो क्या आप अन्य राज्यों को भी वितरित कर सकते हैं।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : यह प्रश्न नहीं उठेगा। यह प्रश्न नहीं उठ सकता। ऐसा नहीं है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें। दामोदर घाटी निगम का सबसे पहला दायित्व अपने क्षेत्र की मांग पूरी करना है। पहली चीज पहले होनी चाहिए। पहली चीज है दामोदर घाटी निगम क्षेत्र की मांग पूरी करना। वे दायित्व पहले पूरे करने हैं। वे दायित्व क्या हैं ? पहला रेलवे को बिजली सप्लाई करना, दूसरा इस्पात कारखानों को बिजली सप्लाई करना तीसरा कोयला खानों को बिजली सप्लाई करना। पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ मिश्रित दायित्व हैं। हंसने की कोई बात नहीं है। आपको दामोदर घाटी निगम के दायित्वों को समझना चाहिए। यह प्रथा काफी लम्बे समय से चली आ रही है। वर्तमान सरकार ने आज तक जो कुछ किया है वह यह है कि हम दामोदर घाटी निगम के बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है। उदाहरणार्थ, मुझे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि कल कलकत्ता में बिजली की कटौती नहीं हुई है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने भी यह स्वीकार किया है कि पिछले कुछ दिनों में दामोदर घाटी निगम ने उन्हें राहत पहुंचाई है निश्चय ही दामोदर घाटी निगम उन्हें राहत पहुँचाएगा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिहार के विषय में आप क्या कहते हैं ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मैं उस पर आ रहा हूँ। बिहार के विषय में भी हमारे कुछ दायित्व हैं और मैं जिम्मेदारी की सम्पूर्ण भावना से कहता हूँ कि यदि हम उन सभी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर रहे हैं। हम उससे एक इंच भी नहीं हटेंगे। इसके अतिरिक्त, मैं जिम्मेदारी की सम्पूर्ण भावना से कहता हूं कि यदि बिहार दामोदर घाटी निगम से अधिक बिजली चाहता है, तो जिस प्रकार पश्चिम बंगाल दामोदर घाटी निगम को बिजली के लिए कहने में स्वतंत्र है, जिसके लिए उन्हें भुगतान करना होता है, उसी प्रकार यदि बिहार दामोदर घाटी निगम को अधिक बिजली के लिए कहता है तो दामोदर घाटी निगम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निश्चय ही बिहार को बिजली दी जायेगी। परन्तु इसमें कोई दावा नहीं होना चाहिए कि आप रेलवे को बिजली मत दीजिए अपितु बिहार को दीजिए। ऐसा नहीं किया जा सकता। वे ऐसा नहीं कह सकते···

सभापति महोदय : बिहार के लोग समझदार हैं।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : वे ऐसा नहीं कह सकते :

"आप राउरकेला को नहीं दे सकते, आप भिलाई को नहीं दे सकते, आप बोकारो को

नहीं दे सकते" ये हमारे दायित्व हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। और कठिनाई यह है कि दामोदर घाटी निगम का बिजली उत्पादन अधिक नहीं था। आप जानते हैं कि इस सभा में मैंने अनेक बार कहा है। सौभाग्य से, एक सप्ताह—सात दिन या अधिक से बिजली उत्पादन संतोष जनक हो गया है। सभा को यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि आज बिजली का उत्पादन 820 मेगावाट है।

सभापति महोदय : आपने पहले भी कहा था।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : स्थिति ऐसी ही है। यदि यह सुधरती है तो महिला सदस्य को मैं आश्वासन देता हूं कि उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें दामोदर घाटी निगम से बिजली मिलेगी।

सभापति महोदय : आप सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को महिला सदस्य के माध्यम से आश्वासन दे रहे हैं। अब श्री बसु बोलेंगे। उपस्थित नहीं हैं। श्री चटर्जी केवल एक प्रश्न।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मुझे श्री बसु के प्रश्न भी रखते हैं।

सभापति महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को इस पर आपत्ति नहीं होगी वह काफी सहयोगी व्यक्ति हैं। केवल एक ही बात है कि वे काम नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : यही परम्परा रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन यहां परम्परा हटनी चाहिए। मैं उनसे कोई ऐसी बात नहीं पूछना चाहता जो···

सभापति महोदय : जो असुविधाजनक हो।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनसे झगड़ा करने की भावना से कोई बात नहीं पूछना चाहता हम महसूस करते हैं कि देश के हित और दामोदर घाटी निगम के अत्यधिक महत्वपूर्ण दायित्वों को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए सभी वर्गों के बीच सहयोग होना चाहिए। इस देश के बड़े विद्युत उत्पादक संस्थानों में से एक होने के नाते दामोदर घाटी निगम के संचालन का तरीका हमें तथा जनता को अशान्त कर रहा है। निगम के और भी उद्देश्य हैं। अब यह देश में केन्द्र द्वारा नियन्त्रित संस्थानों में अत्यधिक महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादक सरकारी क्षेत्र का संयंत्र बन गया है। अब इसके कुछ दायित्व भी है। एक दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक विधान में इसके परिचय का संबंध है उसमें एक दामोदर घाटी निगम अधिनियम है और एक क्षेत्र घाटी निगम क्षेत्र कहलाता है। जहां तक दामोदर घाटी निगम क्षत्र का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम की स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी थोड़ी सी भी बिजली का उत्पादन नहीं कर सकता। दामोदर घाटी निगम या केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना कोई भी इसका उत्पादन नहीं कर सकता। जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह दामोदर घाटी निगम का प्राथमिक दायित्व है। पूरे रानीगंज क्षेत्र के लिए, जिसमें विशाल कोयला क्षेत्र तथा अन्य सहायक उद्योग हैं, दामोदर घाटी निगम बिजली सप्लाई करता है। वहां दुर्गापुर परियोजना भी है। यह दामोदर घाटी निगम तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, आप इस बात की कदर करेंगे कि चाहे कैसी भी समस्या हो, कलकत्ता को बिजली सप्लाई करने के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कलकत्ता विद्युत

प्रदाय निगम ने अपनी क्षमता बढ़ानी चाही थी। माननीय मन्त्री यह सिद्ध करेंगे। हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। हम कतिपय बातों का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। जहाँ तक कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ानी चाही थी। श्री बी. सी. राय के मन में यह भावना थी कि दामोदर घाटी निगम सरकारी पूंजी से स्थापित किया जा रहा है। यह केन्द्रीय क्षेत्र में होगा तथा यह पूर्वी सम्भाग में होगा। हमारे पास सप्लाई के लिए अतिरिक्त बिजली है। बहुदेशीय निगम होने के कारण कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को और प्रसार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही कारण सामने रखा जा रहा था। अतः कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को प्रसार की अनुमति नहीं दी गयी थी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कलकत्ता की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। हर महीने माँग बढ़ रही है। दामोदर घाटी निगम और कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम के बीच एक समझौता हुआ था कि 95 मेगावाट बिजली कलकत्ता को सप्लाई की जाएगी।

श्रीमान, मैं मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कई बार इस सभा में तथा कार्य मन्त्रणा समिति में भी कहा है। हो सकता है उन्हें गलत जानकारी दी गई हो। स्पष्टतः वह इतने व्यस्त व्यक्ति हैं तथा उनके पास उतना समय नहीं है जितना कि मेरे पास है जैसे कि मैंने इस हर पृष्ठ के समझौते की प्रत्येक पंक्ति को पढ़े हैं उन्हें विशेषज्ञों के परामर्श पर निर्भर करना पड़ता है।

सभापति महोदय : कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय सदा समझौते के इस खण्ड का उल्लेख करते है कि दामोदर घाटी निगम का सप्लाई करने का कोई दायित्व नहीं है।

श्री ए बी. ए. गनी खान चौधरी : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा था कि श्रेणीकृत सप्लाई। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, दामोदर घाटी निगम के साथ हुए दिनांक 6 जून, 1978 के "नवीन समझौते के खण्ड 2^ का पाठ इस प्रकार है :

'कि यदि किन्ही कारणों से कम सप्लाई होती है तो ऊर्जा की माँग तथा उत्पादन का परिकलन किया गया है।'

इस समझौते में कहीं भी दामोदर घाटी निगम को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वे सप्लाई की जाने वाली माँग का निर्धारण करें। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रुप से जानना चाहत हूँ कि दामोदर घाटी निगम तथा सी. ई. एस. सी. के साथ हुए समझौते के किस भाग में दामोदर घाटी निगम को सप्लाई की जाने वाली मात्रा का निर्धारण करने का एकाधिकार दिया गया है। मन्त्री महोदय यह बता दें तो मैं उनका बहुत आभारी होऊंगा।

एक खण्ड में कहा गया है :

"हड़ताल, दंगे, तोड़फोड़ अग्नि कांड, विस्फोट अथवा प्राकृतिक अथवा कोई अन्य जो निगम की राय में कम्पनी के नियन्त्रण के बहार की बातें हैं।"

एक अन्य खण्ड में व्यवस्था है :

"तालाबंदी, हलड़ताल, संयंत्र और मशीनरी के बिगड़ जाने अथवा प्राकृतिक कारणों इत्यादि को छोड़ कर निरंतर उपलब्ध की जायेगी।"

यह प्रसिद्ध और प्रमुख खण्ड हैं। अब श्रीमान कौनसा खण्ड दामोदर घाटी निगम को यह निर्णय करने का अधिकार देता है कि यद्यपि उनका दायित्व 95 मैगावाट सप्लाई करने का है तो भी वे 20,30 अथवा 40 मैगावाट सप्लाई कर सकते हैं।

श्रीमान, अब मंत्री महोदय ने बताया है कि इस बारे में श्रेणीकृत अग्रता है। श्रेणीकृत अग्रता है। श्रेणीकृत अग्रता कौन निर्धारित करता है? वे कहते हैं कि दामोदर घाटी निगम श्रेणीकृत अग्रता निधारित करती है। दामोदर घाटी निगम से कौन से राज्य सम्बद्ध हैं? उससे केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारें संबद्ध हैं। इन सरकारों से कतई परामर्श नहीं किया जाता। उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस लिए, श्रीमती साही बिहार के बारे में मैं कलकत्ता तथा बंगाल के बारे में स्पष्टीकरण माँग रहा हूँ। हमें सरकार के गठन के बारे में भूल जाना चाहिए। किसी भी समय इन भागीदार सरकारों के विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। उनके बीच कोई परामर्श नहीं होता। दामोदर घाटी निगम का सप्लाई का कार्यक्रम क्या है? जब भी कम उत्पादन होता है दामोदर घाटी निगम स्वतः ही इसका निर्धारण करता है। परन्तु कितनी कटौती की जायेगी? किन हालात में दामोदर घाटी निगम अपने आप निर्णय ले सकती है।? इस परिस्थिति में कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम क्या कर सकता है? इसने बिजली उत्पादन का अपना कार्यक्रम तैयार किया है। उसे इस कार्य को उस समझौते के आधार पर करना है जिसके अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम 95 मैगावाट बिजली सप्लाई करेगी। परन्तु यह मात्रा उन्हें सप्लाई नहीं की जाती। मंत्री महोदय केन्द्रीय सरकार की ओर से कहेंगे कि हमने निर्णय किया है तथा निदेश जारी कर दिये हैं। परन्तु उस समझौते में क्या व्यवस्था की गई है जो कि आपने किया है? आपका समझौता प्रतिदिन 95 मैगावाट सप्लाई करने के बारे में था। परन्तु मंत्री महोदय ने बताया है कि मुझे, पहले 'रेलवे ट्रेक्शन' को बिजली देनी है, दूसरे, कोयले को, तीसरे; इस्पात को और कलकत्ते का चौथा नम्बर आता है। क्या इसका अभिप्राय इनकार करने से है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 से 7 दिन की उन्होंने गुन्जाइश रखी है। सौभाग्य से बिजली में कोई कटौती नहीं हुई। यदि अचानक 95 मैगावाट के स्थान पर 25 मैगावाट ही मिलती है तो 75 मैगावाट की कमी कैसे पूरी की जा सकती है। क्या जादू से कार्य किया जा सकता है? नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। अब यदि दामोदर घाटी निगम समझौते के अनुसार सप्लाई नहीं कर सकती, तो कितनी बिजली सप्लाई की जायेगी इसका निर्णय कौन करेगा; ऐसे निर्धारण की प्रक्रिया क्या है? हाल ही में कुछ कठिनाइयां पैदा हुई हैं। मंत्री महोदय ने श्रीमती कृष्णा साही द्वारा रखे गये प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि बिजली का उत्पादन 600 मैगावाट हुआ है जिसमें से केवल 36 मैगावाट कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को दिया जायेगा। समझौते के अनुसार यह ठीक नहीं है। इस बारे में भारी संदेह है कि आप अपनी प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 1300 अथवा 1350 मैगावाट के स्थान पर 8.27 मैगावाट भी उत्पन्न कर पायेंगे।

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि आपने अपने प्रश्न का तात्पर्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान, मुझे समय की सीमा का पता है। परन्तु इसका महत्व यह है। आपके राज्य पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है।

सभापति महोदय : मेरी पूरे देश में रुचि है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक फरक्का तथा मादला में इसका मुख्यालय तैयार नहीं हो जाते तब तक हमें जो कुछ भी उपलब्ध हो पाता है उसी से निर्वाह करना पड़ेगा। इसलिए, श्रीमान, मैं दो बातें पूछ रहा हूं। एक बात तो यह है कि आप श्रेणी कृण अग्रता किस आधार पर तय करते हैं? दूसरे, इसका निर्धारण कौन करता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भागीदार राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाता है। फिर, उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों में अन्तर है। प्रतिदिन उत्पादन भिन्न होता है। किसी भी तिथि को निर्धारित उत्पादन नहीं हो पाता। क्या दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में आपका सप्लाई करने का कोई कार्यक्रम है? क्या श्रेणीकृत अग्रता के अलावा कोई ऐसा कार्यक्रम है? तीसरे मैं विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ। क्या दामोदर घाटी निगम अपनी श्रेणीकृत अग्रता सरकार के निदेश के अनुसार कलकत्ता विद्युत सप्लाई कम्पनी के प्रति 95 मैगावाट सप्लाई करने सम्बन्धी अपने वचनों एवं मुख्य खण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगी।

मंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है। और मैंने मंत्री महोदय के भाषण को पूरे ध्यान सुना है। उन्होंने कहा कि काम चलता रहेगा। परन्तु इस बारे में उनको सन्देह है। उन्होंने यही कहा था।

मुझे याद है उन्होंने स्वयं कहा था कि वह इस बारे में संतुष्ट नहीं हैं.....।

सभापति महोदय : विशेषज्ञों ने उन्हें आश्वास्त किया है कि कार्य चलता रहेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उम्मीद है कि काम चलता रहेगा।

यदि आप सामाचार पत्रों की रिपोर्टों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने दामोदर घाटी निगम प्रशासन् के हालात पर असंतोष व्यक्त किया है।

दामोदर घाटी निगम में नियुक्तियों के बारे में अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि कतिपय पदों के लिए भर्ती केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी, परन्तु चेयरमैन नियुक्तियां दामोदर घाटी निगम बोर्ड से भी परामर्श किए बिना करता है, बोर्ड में केन्द्र द्वारा नियुक्त चेयर मैन, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा नाम-निर्देशित निदेशक हैं। इस मामले में किसी से परामर्श नहीं किया जाता। मेरे पास आदेश का एक फार्म है जिसमें कहा गया है "दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन चाहते हैं कि एक मुख्य कार्मिक प्रबन्धक होना चाहिए जोकि मुख्य प्रबन्धक का कार्य भी करेगा, इत्यादि। मैं समझता हूँ कि मंत्री महोदय इस बात से पूरी तरह परिचित हैं। दामोदर घाटी निगम में इस प्रकार नियुक्तियां की जाती हैं।

यह गम्भीर आरोप भी लगाया गया है कि चेयरमैन के उपयोग के लिए एक भवन के नवीकरण पर 90 हजार रुपए व्यय किये गये। प्लास्टिक इमलरान आदि का उपयोग किया गया। चेयरमैन के निवास स्थान की दीवारें अवश्य आकर्षक होनी चाहिएं।

फिर, मान्यता प्राप्त दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त कर दी गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या 32 वर्ष पुराने श्रमिक संगठन की मान्यता करने से पूर्व बोर्ड से परामर्श किया गया था।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार जिसके पास कि दामोदर घाटी निगम कर

प्रशासनिक नियंत्रण है, चेयर मैन को मनमानी कर देगी। उन्होंने कहा है, जैसा कि मुझे बहुत उत्तरदायी व्यक्तियों ने बताया है 'मैं' केन्द्रीय सरकार हूँ मैं दामोदर घाटी निगम हूं। मुझे बोर्ड की परवाह नहीं है। मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूं। "इस प्रकार नियुक्ति आदेश चेयरमैन चाहते हैं" शब्दों से जारी किये जाते हैं। वहाँ का कार्य इस प्रकार चल रहा है।

इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूँ कि आप दामोदर घाटी निगम में वास्तविक परिवर्तन लाने, चेयरमैन को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कर रहे हैं। आपने भी यह खुले रूप में कहा है।

जहाँ तक उपलब्धता पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड की संयंत्र क्षमता का प्रश्न है—केन्द्रीय विद्युत अधिकरण की रिपोर्टों में अत्यन्त स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है कि पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड का कार्य यह पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट नहीं है अपितु यह केन्द्रीय सरकार की अत्यन्त अनुभवी ऐजेंसी केन्द्रीय विद्युत अधिकरण की रिपोर्ट है—बिजली घर की नियत्रित बंगाल राज्य बोर्ड की उपलब्धता क्षमता सबसे अधिक है।

श्री विक्रम महाजन : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने भी समाचार पत्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। आप अभी आप मंत्री मंडलीय स्तर के मंत्री नहीं बने है। केवल मंत्री मंडलीय स्तर मंत्रियों को समाचार पत्र न पढ़ने का विशेष अधिकार है।

बढ़ती हुई माँग पर ध्यान देते हुए क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे, कि क्या कार्यक्रम का उचित रूप से पालन किया जाता है तथा श्रेणीकृत अग्रता का सही रूप से निर्धारण होता है, तथा चेयरमैन द्वारा मनमाने रूप से कार्य करने पर नियंत्रण किया जाये ताकि दामोदर घाटी निगम में उचित वातावरण पैदा हो सके तथा निगम को बिहार तथा पश्चिम बंगाल सरकारों का सहयोग भी मिल सके ताकि दोनों राज्यों को तथा दामोदर घाटी निगम के सप्लाई क्षेत्रों को लाभ पहुँच सके।

यदि कोई व्यक्ति रानीगंज में उद्योग खोलना चाहता है तो वह दामोदर घाटी निगम से बिजली प्राप्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकता। दामोदर घाटी निगम का कहना है कि उनके पास कलकत्ता को देने के लिए बिजली नहीं है तो वे रानीगंज को कैसे दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई नये उद्योग स्थापित नहीं हो सकते। वे कहते हैं कि जब वहाँ पर कोई नया उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है तो वे बिजली का उत्पादन क्यों बढ़ायें, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है (व्यवधान) यदि मुझे गलत सूचना दी गई है तो मुझे अपनी भूल सुधारने का दुःख न होगा, क्योंकि मैं भ्रमातीत नहीं हूँ। जैसाकि उन्हें करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस मामले पर बिना किसी पक्षपात के विचार करें। मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि इन समस्याओं का समाधान निकल आए।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमती कृष्णा साही और श्री सोमनाथ चटर्जी अपना विचार विस्तार से रख चुके हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र अर्थात पश्चिम-बंगाल और बिहार, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है मन्त्री महोदय और अन्य सदस्य भी इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि कोयला और इस्पात उद्योग यहाँ अवस्थित हैं। मन्त्री

महोदय कह चुके हैं कि वह सर्वप्रथम इसे रेलवे को देना चाहेंगे उनका कहना था कि रेलवे को 105 मैगावाट बिजली दी जानी चाहिए। कोयला उद्योग, इस्पात उद्योग और पश्चिम-बंगाल तथा बिहार को कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ?

श्री चटर्जी और श्रीमती कृष्णा साही के भाषणों से यह सिद्ध हो गया है कि दामोदर घाटी निगम सही ढग से कार्य नहीं कर रहा है। हाल ही में इसके चैयरमैन श्री लूथर बड़े ही मनमाने और निरकुशढंग से कार्य कर रहे हैं। अतः दामोदर घाटी निगम का प्रशासन अस्तव्यस्त हो गया है।

श्री चटर्जी ने पूछा है कि क्या मान्यता प्राप्त संघ को दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन ने मनमाने ढग से गैर-मान्यता प्राप्त करार दे दिया है और क्या मान्यता फिर से वापस कर दी जायेगी। आप जानते हैं कि दामोदर घाटी निगम श्रमिक संघ के लोग हाल ही में दिल्ली में ऊर्जा मंत्री महोदय श्री गनी खान चौधरी से मिले थे और दामोदर घाटी निगम के प्रशासन की विस्तार से जाँच करने हेतु और अनुशासन तथा सही ढग से काम-काज की पुनः स्थापना के लिए उनसे उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च-शक्ति प्राप्त जाँच कराने का अनुरोध किया था। क्या मंत्री महोदय वह उच्च शक्ति प्राप्त जाँच करायेंगे ? दामोदर घाटी निगम के कार्य-कलापों की जांच करने हेतु यह अखिल भारतीय संसदीय समिति भी हो सकती है जिससे कि दामोदर घाटी निगम किए गए वायदे के अनुसार रेलवे, कोयला और इस्पात उद्योग, कलकत्ता तथा पश्चिम-बंगाल एवं बिहार राज्यों को बिजली की सप्लाई कर सके ? मुझे इस आशय का स्पष्ट उत्तर चाहिए कि क्या वह एक जांच-समिति नियुक्त करेंगे ?

श्री ए. बी. ए. गनीखान चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि इस्पात संयंत्रों को हम कितनी बिजली सप्लाई करते हैं। हम उन्हें उनकी 250 मेगावाट की असल माँग के बदले 180 मेगावाट विद्युत सप्लाई कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश की अपनी-अपनी बिजली उत्पादन इकाइयां हैं। जितनी भी बिजली हम उन्हें दे रहे हैं वह उनके लिए पर्याप्त है। उनके अपने निजी संयंत्र भी हैं। आजकल हम कोयला उद्योग को 200 मेगावाट बिजली दे रहे हैं जिसमें 50 मेगावाट का मिश्रित भार भी सम्मिलित है। और रेलवे को हम 120 मेगावाट दे रहे हैं। जहाँ तक कलकत्ते का सम्बन्ध है, सुधार होने से पहले हम उन्हें 40 मेगावाट दिया करते थे। मुझे डर है कि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि हमने जान-बूझकर कलकत्ता की बिजली सप्लाई में कमी कर दी है। मशीनरी और संयन्त्रों के खराब होने के बारे में एक खण्ड है। आज सप्लाई में सुधार क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि संयन्त्र खराब हैं। उसमें छः एकक है : केवल दो या तीन एकक काम करते रहे हैं। ऐसा इस कारण से हो सका है कि हमने इन एककों में फिर से कार्य शुरू कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या दामोदर घाटी निगम 95 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है या नहीं ? दामोदर घाटी निगम और सी. ई. एस. सी, से समझौते के अनुसार क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि सप्लाई प्रथमतः दूसरों को दी जानी चाहिए और फिर सी. ई. एस. सी, को। कृपया इसका उत्तर दीजिए। मैं जानता हूँ कि वह इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य एक प्रसिद्ध वकील हैं। यदि वह मेरे

उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो मैं इस पर कानूनी राय प्राप्त कर सकता हूं और उसकी प्रति उन्हें भिजवा दूंगा । मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ। चन्द्रपुर, बोकारो और दुर्गापुर में संयन्त्रों और मशीनरी में खराबी पैदा हो गई थी। इन सबकी एक-एक करके मरम्मत कर दी गई है।

सभापति महोदय : उन सबकी साथ-साथ मरम्मत कर दी गई है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न मशीनें खराब हो गई।

श्री ए. बी. ए. गनीखान चौधरी : इस बीच एक-एक करके उन सबकी मरम्मत कर दी गई है। सिवाय एक दुर्गापुर और एक चन्द्रपुर के सयन्त्र को छोड़कर बाकी सबको चालू कर दिया गया है। अतः बिजली उत्पादन अच्छा रहा है। मैंने क्यों कहा था कि बड़ी देरी हुई है तो इसका कारण यह था कि फालतू कलपुर्जे विदेशों से मंगाने पड़े और अब लगा दिए गए हैं और अभी-अभी उनमें काम शुरू हुआ है। इसलिए मैंने अपना सन्देह व्यक्त किया था और कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरे विचार से हमारे पास 2 कराड़ रुपये के फालतू कल-पुर्जे हैं। इसमें थोड़ा सा समय लग गया है।

सभापति महोदय : मैं यह पूछ रहा था कि क्या वे आपको विदेशों से मगाने पड़े थे।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : हाँ, और एक दल भी आया था।

श्री विक्रम महाजन : यह तो मशीनरी पर निर्भर करता है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : इस दल ने कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं। मैं फिर उसी दल को यहाँ आने को निमन्त्रित कर रहा हूँ जिससे वे आकर हमें बता सकें कि हमने उचित मार्ग अपनाया है या नहीं। फिर उसके बाद मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ को गैर मान्यता प्राप्त करार देने का प्रश्न भी है। हम संघ को गैर-मान्यता प्राप्त करार नहीं दे सकते हैं, चैयरमैन महोदय मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमें मजदूर विरोधी नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिये (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्होने बोर्ड से परामर्श कर लिया है ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : उसकी सलाह ली गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा तो यह बात है। (व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : और मैंने घन्टों तक पश्चिम-बंगाल के मुख्यमन्त्री से बातें की हैं (व्यवधान)। आप इसका खण्डन कर सकते हैं, इसका मुझे दुःख नहीं। परन्तु आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमन्त्री महोदय से दो बार बात कर चुका हूँ। और मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं स्पष्ट रूप से मुझे बताया है कि वह नहीं जानते कि किसने उनपर प्रहार किया है, परन्तु मुख्य बात यह है कि उनपर प्रहार किया गया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या उन्होंने सारे मामले की जाँच कराई ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : जी हाँ, मामला विचाराधीन है। (व्यवधान) मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हमने पश्चिम बंगाल सरकार से बात नहीं की है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या उन्होंने यह कहा था कि उसने बोर्ड के चैयरमैन, दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन, बिहार सरकार के प्रतिनिधियों और पश्चिम-बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की है जो कि सबके सब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं ? बोर्ड में कोई राजनीतिज्ञ तो है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : यह सब बोर्ड ने नहीं किया था। सभापति महोदय यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि कई बार पश्चिमी-बंगाल सरकार ने बिहार सरकार के पास सूचना भेजी, परन्तु एक तारीख निश्चित नहीं की जा सकी (व्यवधान) यह स्वाभाविक है कि यह देखने के लिए किसी बिजली घर में अनुशासन है या नहीं हम श्रीलूथर पर दबाव डालते। अन्यथा बिजली घर एक पागलखाना भी हो सकता है। बिजली घर में अनुशासन होना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा।

श्री ए. बी ए. गनी खान चौधरी : स्वाभाविक है कि चिन्ता भी बहुत है और मैं प्रसन्न भी हूँ, क्यों कि विद्युतोत्पादन में सुधार हुआ है इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। परन्तु इसी के साथ-साथ मैं माननीय सदस्यों को विश्वास भी दिला सकता हूँ कि यह देखने के लिए मैं कोई भी कसर बाकी नहीं रहने दूंगा कि दामोदर घाटी निगम में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण व्याप्त रहे। मैं इस पर व्यक्तिगतरूप से ध्यान दूंगा। परन्तु आपको मुझे थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। मैंने तो बल्कि दूसरे दिन भी उस समय बात की थी जब मैंने बिजली मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी जिसमें स्वयं मुख्यमन्त्री महोदय भी उपस्थित थे और हमने पलायन करने के बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास किया था (व्यवधान) जहां तक बिहार का सम्बन्ध हैं (व्यवधान) हमारा कोई मतभेद नहीं हैं। परन्तु कुछ कारणों से हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मतभेद हैं और मैंने (व्यवधान) इस मतभेद को समाप्त करने का फैसला कर रखा है। हमें तो सहयोगी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमें सहयोग नहीं चाहिए। परन्तु सभापति महोदय इसी के साथ-साथ हम शान्त कैसे रह सकतें हैं। यदि कोई व्यक्ति मजदूर-संघवाद के नाम पर आक्रमण का शिकार बनता है, यदि कोई अनुशासन नहीं है और यदि उस श्रमिक संघवाद से कोई चेतावनी नहीं दी जाती है ? ठीक है, स्वाभाविक है क्या·····(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मन्त्री महोदय कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि वह कहें कि केशों वाले व्यक्ति के साथ मार-पीट की गई थी··· (व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : क्योंकि आपने यह मामला उठाया था, मैं तो उठाना चाहता नहीं था। (व्यवधान) बात यह हैं कि ऊर्जा सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन को मैंने देखा है और मैंने जानबूझ कर इस पर ध्यान नहीं दिया है। आज की ही बात है कि इस सभा के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य इस सम्बन्ध में मुझसे मिले थे, परन्तु मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं मामले को हल करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे यह पता नहीं था कि आप अपने कक्ष में विचार विमर्श कररहे हैं।

सभापति महोदय : मेरे विचार से जिम्मेवार लोगो के साथ विचार-विमर्श करके किसी समझौते पर पहुँचने की यह भावना जारी रहनी चाहिए। (व्यवधान) अब सभा कल 11 बजे म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

6.57 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 26 फरवरी, 1981/7 फाल्गुन 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6